Third Series, Vol. XX, No. 16
Tuesday, September 3, 1963
Bhadra 12, 1885 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(THIRD SERIES)

Volume XX, 1963

[*August 27 to September 9, 1963/Bhadra 5 to 18, 1885 (Saka)*]

FIFTH SESSION, 1963/1885 (Saka)

(*Vol. XX contains Nos. 11 to 20*)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

[*Third Series Vol. XX—August 27 to September 9, 1963/Bhadra 5 to 18, 1885 (Saka)*]

No. 11—*Tuesday, August 27, 1963/Bhadra 5, 1885 (Saka)*

	COLUMNS
Oral Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 300, 322 and 301 to 309	2769—2810
Short Notice Question No. 1	2810—13
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 310-321 and 323 to 329	2814—26
Unstarred Questions Nos. 907-1001, 1003-1005 and 1007 to 1021	2826—2904
Question of Privilege	2905—10
Re : hoisting of Pakistani flag at Latitilla	2910—16
Papers laid on the Table	2916
Message from Rajya Sabha	2917
Bill, as passed by Rajya Sabha, laid on the Table	2917
Appropriation (Railways) No. 5 Bill—passed	2917—18
Motion re : Report of Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission	2918—3028
Daily Digest	3029—36

No. 12.—*Wednesday, August 28, 1963/Bhadra 6, 1885 (Saka)*

Oral Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 330-339 and 341	3037—76
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 340 and 342 to 359	3076—90
Unstarred Questions Nos. 1022-1068 and 1070 to 1113	3090—3144
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
(i) Intrusion into Tripura by Pakistani planes	3144—48
(ii) Alleged harassment to public by police in Delhi on 26th August 1963	3148—55
Re : Alleged incorrect statement made in the House	3155—56
Papers laid on the Table	3156—57
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Twenty-fourth Report	3157
Election to Committee—	
Central Advisory Board of Education	3157—58
Personal Injuries (Compensation Insurance) Bill	3158—3227
Motion to consider	3158—3215
Clauses 2 to 24 and 1	3215—27
Motion to pass, as amended	3227
Special Marriage (Amendment) Bill	3227—76
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	3227—70
Clause 1 and 2	3227—71
Motion to pass, as amended	3271—76
Business Advisory Committee—	
Eighteenth Report	3275—76
Daily Digest	3277—82

PUBLIC SERVICE
91/6
LIBRARY

COLUMNS

13.—*Thursday, August* 29, 1963/*Bhadra* 7, 1885 (*Saka*)

Oral Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 360 to 371, 374 and 372 . . . 3283—3323
Written Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 373 and 375 to 387 . . . 3323—33
    Unstarred Questions Nos. 1114 to 1175 . . . 3333—69
Obituary reference . . . 3369-70
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—
    Acquisition of Kisans' land around Ghaziabad . . . 3370—88
Papers laid on the Table . . . 3388—90
Messages from Rajya Sabha . . . 3390—91
Business Advisory Committee—
    Eighteenth Report . . . 3391
Indian Sale of Goods (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha—
    Motion to consider . . . 3391—3422
    Clauses 2 to 5 and 1 . . . 3415—22
    Motion to pass, as amended . . . 3423
Employees Provident Funds (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha—
    Motion to consider . . . 3424—47
    Clauses 2 to 14 and 1 . . . 3441—44
    Motion to pass . . . 3447
Code of Civil Procedure (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha—
    Motion to consider . . . 3447—56
    Clauses 2, 3 and 1 . . . 3456
    Motion to pass . . . 3457
Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill—
    Motion to consider . . . 4357—3510
Daily Digest . . . 3511—16

No. 14—*Friday, August* 30, 1963/*Bhadra* 8, 1885 (*Saka*)

Oral Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 388 to 390. 394, 397, 398, 400. 401, 403, and 407 to 410 3517—56
Written Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 391 to 393, 395, 396, 399, 402, 404, to 406 and 411 to 415 3556—66
    Unstarred Questions Nos. 1176 to 1237 . . . 3566—3603
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—
    Condition of Budhista in South Vietnam . . . 3603—14
Papers laid on the Table . . . 3614—17
Statement re : resignation from and changes in the Council of Ministers . . . 3617—28
Message from Rajya Sabha . . . 3628
Business of the House . . . 3628—30, 3636—39
Re : timings of Lok Sabha . . . 3630—36
Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill—
    Motion to consider . . . 3639—82
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—
    Twenty-fourth Report . . . 3682—83
Constitution (Amendment) Bill—Negatived(Amendment of Article 368) by
    Shri Hari Vishnu Kamath . . .
    Motion to consider . . . 3683—3704

COLUMNS

Industrial Disputes (Amendment) Bill—Withdrawn (Amendment of section 33) by Shri C.K. Bhattacharyya—
  Motion to consider . . . . 3706—43
  Companies (Amendment) Bill (Amendment of sections 15, 30 etc.) by Shri P.L. Barupal—
    Motion to consider . . . . 3743—46
Daily Digest . . . . 3747—52

No. 15—Monday, September 2, 1963/Bhadra 11, 1885 (Saka)

Oral Answers to Questions—
  Starred Questions Nos. 417 to 422 . . . . 3753—88
Written Answers to Questions—
  Starred Questions Nos. 416, 423-435 and 437 to 445 . . . . . 3788—3803
  Unstarred Questions Nos. 1238-1275 and 1277 to 1309 . . . . . 3803—47
Papers laid on the Table 3847
President's assent to Bills 9847-48
Messages from Rajya Sabha 3848-49
Bill passed by Rajya Sabha laid on the Table 3849
Statement re : NEFA enquiry . . . . 3849—54
Income-tax (Amendment) Bill —introduced 3854
Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill—
  Motion to consider . . . . 3854—96, 3922—24
  Clauses 2 to 11 and 1 . . . . 3825—53
  Motion to pass 3853
Motion re : Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 3897—3921, 3953—86
Daily Digest . . . . 3987—92

SERVICE
LIBRARY

COLUMNS

No. 16—Tuesday, September 3, 1963/Bhadra 12, 1885 (Saka)

Oral answers to questions—
    Starred questions Nos. 446 to 455 . . . 3993—4031
    Short Notice Question No. 2 . . . 4029—31
Written answers to questions—
    Starred questions Nos. 456 to 475 . . . 4031—47
    Unstarred Question Nos. 1310 to 1421 . . . 4047—4121
Obituary reference . . .
Paper laid on the Table . . . 4122
Financial Committees, 1962-63(A Review) . . . 4122
Motion re : Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 4122—4270
Daily Digest . . . 4271—76

No. 17—Wednesday, September 4, 1963/Bhadra 13, 1885 (Saka)

Oral answers to questions—
    Starred questions Nos. 476-484, 486–487, 489 and 491 . . . 4277—4317
Written answers to questions—
    Starred questions Nos. 485, 488, 490, and 492 to 505 . . . 4317—27
    Unstarred questions Nos. 1422 to 1504 . . . 4327—78
Re : Motion for Adjournment and Calling Attention to matter of Urgent Public Importance . . . 4378—84
Paper laid on the Table . . . 4384—85
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—
    Twenty-fifth Report . . . 4385
Statement re : abolition of Poll Tax in Minicoy Island . . . 4385
Statement by Member . . . 4385—87
Christian Marriage and Matrimonial Causes Bill—
    Extension of time for presentation of Report of Joint Committee . . . 4387—90
Motion re : Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribe 4390—4516
Daily Digest . . . 4517—22

No. 18—Thursday, September 5, 1963/Bhadra 14, 1885 (Saka)

Oral Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 506 to 514 . . . 4523—58
    Short Notice Question No. 3 . . . 4558—69
Written Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 515 to 529 . . . 4569—79
    Unstarred Questions Nos. 1505 to 1544 & 1546 to 1555 . . . 4579—4612
Resignation of Member . . . 4612
Papers laid on the Table . . . 4612—14
Motion re : Report of life Insurance Corporation . . . 4614—68
Motion Re ; rise in prices of foodgrains and food policy . . . 4668—4736
Business Advisory Committee—
    Nineteenth Report . . . 4736
Daily Digest . . . 4737—42

No. 19—Friday, September 6, 1963/Bhadra 15, 1885 (Saka)

Oral Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 530 to 533, 535 to 537, 539, 543, 547 & 549 to 553 . 4743—81
Written Answers to Questions—
    Starred Questions Nos. 534, 538, 540, 541, 542, 544 to 546 and 548 . . . 4781—86
    Unstarred Questions Nos. 1556 to 1606 and 1608 to 1610 . . . 4786—4822

COLUMNS

Re : resignation of Member 4822
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—
  Judicial Pronouncement on the writ petition of Dr. Pratap Singh . . . . 4822—57
Papers laid on the Table . . . . 4858—59
Business of the House . . . . 4860—71
Business Advisory Committee—
  Nineteenth Report 4872
Election to Committee . . . . 4872—73
Discussion re : distribution of national income . . . . 4873—4905
Statement re : Sugar Policy 4905–06
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—
  Twenty-fifth Report 4906
Resolution re : Nationalisation of Banks . . . . 4906—22
Resolution re : Defence of India Act . . . . 4923—74
Daily Digest . . . . 4975—80

No. 20—Monday, September 9, 1963/Bhadra 18, 1885 (Saka)

Oral Answers to Questions—
  Starred Questions Nos. 554 to 556, 558 to 562 and 564 and 565 . . 4981—5017
Written Answers to Questions—
  Starred Questions Nos. 557, 563, 566 to 579 . . . . 5017—26
  Unstarred Questions Nos. 1611 to 1163 . . . . 5026—59
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—
  (i) Reported review of oil policy by Government . . . . 5059—67
  (ii) Discovery of Pakistani spy ring . . . . 5067—83
Re : Business of the House . . . . 5083—84
Papers laid on the Table . . . . 5084—85
President's assent to Bills . . . . 5085—86
Message from Rajya Sabha 086
Statement on "Our Defence Preparedness" . . . . 5086—5102
Motions re : Rise in Prices of Foodgrains and Food Policy . . . . 5102—5200
Daily Digest . . . . 5201—06

N.B.—The sign + marked above the name of a Member on Questions which were orally answered indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by the Member.

LOK SABHA

Tuesday, September 3, 1963/*Bhadra* 12, 1885 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Rice from Madagascar

+

*446. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Warior:
Shri Vasudevan Nair:
Shri M. N. Swamy:
Shri P. K. Ghosh:
Shri Kapur Singh:
Shri Raghunath Singh:
Shri Ram Ratan Gupta:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the National Economy, Commerce and Trade Minister of Madagascar on his recent visit to India expressed that his country was in a position to export rice to India; and

(b) if so, whether the possibility of importing rice from Madagascar has been examined?

Th Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) On examination it was found that the price of Madgascar rice was considerably higher than prices in other countries from where we are importing rice.

Shri Bhagwat Jha Azad: Could we have an idea of the difference between the price of this rice which is reported as being high and the price of rice which we are taking form other countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): It is considerably higher. The price quoted for the ordinary price of Madagascar with about 25 to 40 per cent brokens was about £47 to £50 per ton. The price of the rice that we get from other countries is much lower. I do not think that my hon. friend will press me to quote the other prices. I have got them here with me, but it may not be advisable to disclose them.

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether Government have made any request to the Madagascar Government for reduction in the price and to make suitable arrangements by which we can have this rice at a lesser price?

Shri A. M. Thomas: That question does not arise. After all, they are in a position to supply us only 50.000 tons per year. On an average, we are importing about 2 lakh tons. So, they are not in a position to meet all our requirements. There were further talks also. but there was not any definite negotiation as such. The Ambassador at Tananarive just conveyed a desire in 1962, and when we examined it we found it to be not worth the while. When the Minister for National Economy of the Madagascar Government was here, he discussed it with the Planning Commission, and the Planning Commission also asked us to explore the possibilities, and we found that it was not worth-while.

श्री यशपाल सिंह : यह बार्टर बेसिस पर होगा या फारन एक्सचेंज के पेमेंट के बेसिस पर ?

Shri Shinde: That stage has not come so far. That stage can come only if negotiations start.

श्री कछवाय : इस में कुछ शर्त भी हैं, यदि हां तो कौनसी शर्तें हैं ?

Mr. Speaker: Are there any conditions attached to this?

Shri Shinde: Actually, no negotiations are proceeding. Only there was a formal offer or suggestion, and that was only examined by us

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether the rice was very expensive or was of inferior quality, or whether they wanted some foreign exchange paymnet and they were not ready to take rupee payment? What was the actual reason for refusing such a good offer?

Shri A. M. Thomas: I have already given the reasons in the main answer, and in my answer to the supplementary question asked by Shri Bhagwat Jha Azad also, I mentioned the reason. The reason was the high price of the rice.

Shri P. K. Ghosh: In view of the great scarcity of rice, do Government intend to import rice at a higher price?

Shri A. M. Thomas: Now, the Ministry of International Trade is proposing to enter into a trade agreement with Madagascar, and if that is concluded, perhaps, rice also may find a place there, and if it is worth the while for us to import rice from Madagascar, we shall consider it at that stage.

India Star Lines

+

*447
Shri Yashpal Singh:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bishanchander Seth:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Basumatari:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether Government have now permitted the India Star Lines Shipping Company to operate on the India-U.K. route;

(b) if so, the terms under which the company will be operating;

(c) the present strength of the fleet of the company; and

(d) whether the company have acquired the rights for operation for the coastal trade also?

The Minister of Transport (Shri Raj Bhadur): (a) to (d). A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b). In October 1962, the Government of India issued a sanction permitting the proposed India Star Lines to operate tramp vessels in the India-U.K./Continent trade using initially foreign chartered vessels provided they paid the charter hire of the vessels from their own foreign exchange assets and did not apply for membership of the India-U.K./continent Conference. The sanction could not, however, be utilised because the company was not prepared to use its own foreign exchange assets for paying the charter hire. Subsequently, when the company was actually registered under the name of Star Ships Private Ltd. it was found that the percentage of Indian Directors was only 66-2/3 per cent instead of 75 per cent. Government accordingly informed the Company that before any further proposal from them could be considered, they should raise the percentage of Indian Directors to 75 and also acquire at least one ship and register it under the Indian flag. In June 1963, the Company informed the Government that they would acquire at least one vessel with their own foreign exchange resourses for registration as Indian ship and then make further proposals to the Government of India. But since then the Company has neither acquired any vessels nor submitted any fresh proposals to the Government of India.

(c) Nil.

(d) No, Sir.

श्री यशपाल सिंह : फ्रेट रेट्स को रेग्युलेट करने का हक सरकार ने क्या अपने हाथ में रखा है या उन्हीं को सौंप दिया है ?

श्री राज बहादुर : यह सवाल फ्रेट रेट्स से सम्बन्ध नहीं रखता है । बहरहाल फ्रेट रैट्स जो हैं वे कम्पनियां अपने हिसाब किताब को देख कर रखती है । अगर वह ज्यादा होता है, डिस्क्रिमिनेटरी होता है तो उसके बारे में एक बोर्ड बैठा हुआ है, जो उसको देखता है और जहां तक कोशिश होती है, समझौते के साथ कम करवाने की कोशिश करता है ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने क्या इस कम्पनी को कुछ लोन भी दिया है।

श्री राज बहादुर : जी नहीं, एसा कोई लोन वोन नहीं दिया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस लाइन पर कौन कौन सी कम्पनियां आ जा रही हैं ? जो फ्रेट रेट का सवाल चला है, इसके सम्बन्ध में इस कम्पनी की क्या पालिसी है ?

श्री राज बहादुर : अगर माननीय सदस्य का मतलब इंडिया–यु० के० कंटिनेंट रूट से है तो उसके ऊपर यह जो कान्फ्रेंस लाइंज है, उनमें अंग्रेज कम्पनियां हैं, यरोप की कम्पनियां हैं, और भारत की तीन कम्पनियां हैं, सिन्धिया, इंडिया स्टीम और शिपिंग कारपोरेशन । जहां तक फ्रेट रेट का सम्बन्ध है, वह पृथक प्रश्न होना चाहिये, वर्ना जो जवाब है, वह बहुत लम्बा हो जाएगा ।

Shrimati Sharda Mukerjee: In view of the fact that the India-U.K. Conference Line freight rates have been increased to 12½ per cent. against the recommendation of the Government of India, is it the policy of Government to support the Conference Lines?

Shri Raj Bahadur: The Conference is functioning as an autonomous body which consists of foreign lines, British, and also Indian members of the India-U.K. Conference.

Mr. Speaker: The question is about the India Star Lines.

Shri Raj Bahadur: Yes, it hardly arises out of the question.

Shri Basumatari: What is the share that has been borne by the Indian companies and foreign companies?

Shri Raj Bahadur: This is an Indian company. But it had on its board an Indian who was a citizen of U.K. Therefore, some objection was taken by us. But the company has not yet started functioning.

Shri D. C. Sharma: It is stated in the statement that the company informed Government that it would acquire a vessel with their own resources, but since then the company has neither acquired any vessels nor submitted any fresh proposals to the Government of India. May I know if the company has proved to be a case of still-birth or is this company going to function in any manner?

Shri Raj Bahadur: I think the company is born because registration has taken place. But it has not produced anything.

Panchayat Finance Corporation

+

***448.**
Shri Yashpal Singh:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Bhakt Darshan:
Shri A. K. Gopalan:
Shri P. Kunhan:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Balgovind Verma:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Mohan Swarup:

Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether Santhanam Committee have recommended the establishment of a Panchayat Finance Corporation for assisting the industrialists of rural areas; and

(b) if so, the number of States which have accepted the recommendation?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): (a) The Committee has recommended the setting up of Panchayati Raj Finance Corporations at the State level. According to the Committee, the Corporations are to give loans to the Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads for starting public utility undertakings, building up remunerative assets, undertaking productive programmes, setting up industries etc.

(b) The report of the Committee was received on 31st July, 1963 and is under examination in consultation with the State Governments.

श्री यशपाल सिंह : किन किन स्टेटस ने आपको अपनी रज़ामन्दी दी है ?

Shri B. S. Murthy: The Committee has toured all the States except Assam......

Mr. Speaker: Have any States informed Government about their reactions?

Shri B. S. Murthy: The report was sent to them only two or three days back.

श्री यशपाल सिंह : जहां जिला परिषदें मुअत्तिल कर दी गई हैं हाई कोर्ट के द्वारा, वहां इस फंकशन को कौन करेगा ?

Shri B. S. Murthy: The Report has been placed on the Table of the House. There are as many as 114 recommendations.

Shri Kapur Singh: What steps, if any, are contemplated to safeguard against deployment of such financial facilities for furtherance of merely factious and political ends?

Shri B. S. Murthy: The corporation will not be in the hands of any party. It will be a separate autonomous body.

Shri Jashvant Mehta: What time will Government take to constitute the corporation and what will be the projects assisted?

Shri B. S. Murthy: Report was submitted only on the 31st July.

Shri Jashvant Mehta: What time will it take? It is under consideration since that time.

Shri B. S. Murthy: We are expecting the reactions of State Governments by the end of this month.

श्री ओंकार लाल बेरवा : इस में कितना रुपया ये पंचायत समितियां और जिला परिषदें देंगी और उस में कितनी सहायता राज्य सरकार देंगी ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो यह सोचा जा रहा है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि यह १।३ देंगी या वैसे ही १।२ देंगी, कितना देंगी ?

The Minister of Community Development and Co-operation (Shri S. K. Day): The whole question has still to be examined in detail by the State Governments and the Centre. It is a very complicated question. How can we give a verdict at this stage?

श्री रामसेवक यादव: मैं जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय निगम को क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से भी कुछ सहायता दी जायेगी ?

Shri B. S. Murthy: Yes, that recommendation also is there.

श्री काशीराम गुप्त : क्या प्रदेश सरकार इस को केवल अपने रुपये से चलायेंगी, या इस में जिला परिषदों और पंचायतों के रुपयों का भी योगदान होगा, साथ ही जिला परिषदों और पंचायत समितियों इत्यादि के लिये जो सिफारिश की गई है कि उसका आधार वही होगा, दूसरा नहीं होगा, उस के बारे में आप का क्या विचार है ?

Shri B. S. Murthy: No. The recommendation contemplates the Central Government. State Governments and other Panchayati Raj institutions having certain shares in these corporations.

श्री भक्त दर्शन : चूंकि सन्तानम कमेटी ने इस तरह की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें पंचायतों के साधनों को बढ़ाने के सम्बन्ध में की हैं, इसलिये क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा विचार रखती है कि प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों को बुला कर जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाय तथा एकसी समानता सारे देश के अन्दर लाई जाये ?

Shri S. K. Dey: That is exactly the intention of the Government.

Shri R. S. Pandey: What would be the initial investment in this scheme recommended by the Santhanam Committee?

Shri B. S. Murthy: The Santhanam Committee has recommended that the minimum for each corporation should be Rs. 1 crore, and maximum Rs. 5 crores.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether it is a fact that in the Santhanam Committee's Report mention has been made about the progress of rural industrialisation being slow due to administrative inertia and also lack of enthusiasm among the State Governments?

Mr. Speaker: Let that be considered. Members are insisting that all those recommendations should be discussed here just now.

Shri P. Venkatasubbaiah: My question is whether such mention has been made.

Shri B. S. Murthy: That is not one of the terms of reference.

Shri Tyagi: As far as I know, there is already an organisation in each district for the purpose of helping industrialisation in rural areas. They give advances. I want to know whether this organisation will have the exclusive right of doing this job, whether it will be a duplication of the old process and what type of industries are proposed to be helped.

Shri B. S. Murthy: These corporations are to engage in industries which will create remunerative assets.

Shri Tyagi: Every industry does it.

Mr. Speaker: Would this be a separate and distinct one from the one which already exists, and will there be duplication?

Shri S. K. Dey: I may assure the House that every effort would be made to see that there is no duplication. If there is an organisation existing, either that organisation's resources will be integrated with the new corporation, or there will be some sharing of responsibilities between the two with clear demarcations.

Shri Ranga: What responsibility has this Committee suggested should be undertaken by the Government in regard to the constitution of these corporations? Am I right in understanding that the Committee has suggested that the State Governments can constitute these corporations and not the Union Government?

Shri S. K. Dey: Naturally Panchayati Raj is a subject vested in the State Governments. How does the Central Government create a corporation for helping Panchayati Raj in the States?

Sugar Export to U.S.A.

+

*449. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Bishanchander Seth:
Shri Inder J. Malhotra:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Ravindra Varma:
Shri Morarka:
Shri Hem Raj:
Shri Jashvant Mehta:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.S. Government have decided to increase U.S. quota for Indian sugar;

(b) if so, by how much;

(c) the countries which are the principal buyers of Indian sugar in the world; and

(d) whether any concession is being given to the other countries to improve the export of sugar?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde): (a) and (b). U.S. Government raised the statutory quota of India for 1963 from 17,973 tonnes to 19,291 tonnes. In addition, an allocation of 90,098 tonnes was made against the global quota scheme.

(c) The principal buyers of our sugar at present are U.S.A., Canada, Japan, Malaya, U.K. and South Vietnam.

(d) No, Sir. No concession is being given to any country.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका को यह चीनी किस रेट पर दी गई है ?

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): The rates work out differently, because it is more or less linked with the London average daily price. Our realisations from U.S.A. during 1962 work out to Rs. 450 per metric ton. During 1963 it would work out to about Rs. 630 per metric ton. On exports to Malaya the average realisation is expected to be Rs. 750 per metric ton: on exports to Canada, Rs. 630 and on exports to Japan, etc. about Rs. 700.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिये ऐनुअल ऐवरेज सब्सिडी किस रेट पर दी गई है ?

Shri A. M. Thomas: At existing prices, it may not involve much of a subsidy because our cost of production works out to about Rs. 700 per ton.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether we have got some more offers for buying our sugar and if so, for what quantities?

Shri A. M. Thomas: I have already stated on the floor of the House that we have held our hands, apart from the commitments already made for the next year. The commitment comes to three lakh tons.

Shri P. Venkatasubbaiah: How far has this export of sugar affected our internal consumption and would any arrangements be made to step up sugar production in the country?

Shri A. M. Thomas: It is obvious that when we would be exporting in the sugar year 1962-63 round about 5·4 lakh tons. If that was available for internal consumption there would be no question of sugar scarcity in the internal market. Having regard to our internal consumption and our export commitments we are contemplating steps to increase production.

Shri R. S. Pandey: May I know whether any offer has been received from the United States Government to supply sugar for 3, 4, or 5 years constantly and, if so, what is the condition?

Shri A. M. Thomas: There were some informal discussions, when the then Minister of Food and Agriculture, Shri S. K. Patil was in the United States, with the Secretary of State for Agriculture, but no firm commitments have been made.

श्री क० ना० तिवारी : स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने ३.७ लाख टन और शुगर मिल्स ऐसोसिएशन ने ६३ हजार टन चीनी बेचने का निर्णय किया है सन् १९६३–६४ में । इस के बाद इंटर्नल कंजम्शन के लिये अगले साल के लिये सिर्फ २ लाख टन चीनी के लगभग बच रहेगी जो कि केवल २ या ३ हफ्ते के लिये काफी है । ऐसी हालत में सरकार कितना एक्सपोर्ट करने की सोच रही है और कितना इंटर्नल कंजम्शन के लिये रखने की सोच रही है ?

Shri A. M. Thomas: Many of these contracts have been negotiated by the State Trading Corporation but the exporting agency is the Indian Sugar Mills Association. Out of the three lakh tons agreed to last year, fifty per cent would be on a barter basis for importing fertilisers and other scarce commodities we want to import for which otherwise, we would have to incur foreign exchange.

Shri D. C. Sharma: With the sugar scarcity in the country and the desire to build up buffer stocks and also the desire to export, how is the Government going to meet all these three commitments in a very satisfactory manner? How is it going to increase production?

Shri A. M. Thomas: The hon. Member would agree with me that all the three are laudable objects and we should have all of them in view. I may assure the hon. Member that internal consumption requirements would be borne in mind and incentives would be announced by my senior colleague, perhaps in a day or two.

Dr. Ranen Sen: It was reported previously that the price at which sugar was sold in USA was lower than the price in India. I want to know the comparative price in the world market, and the price offered for Indian sugar.

Shri A. M. Thomas: Normally we fetch a higher price in the United States market but this year was an abnormal year. Subsequent to the sale to the United States, the London daily price shot up; it went up by even four or five times the price prevailing at the time when we start exporting. So that realisations have been higher from other countries.

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether it is a fact that Government have taken a decision not to export sugar further and enter into further commitments till the situation improves in the country and the need for internal consumption is met.

Shri A. M. Thomas: I have already made the position clear; apart from the commitment already entered into, we have held up our hands.

श्री रामेश्वरानन्द : इस समय भी भारत में चीनी में अति मंहगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है । क्या भारत सरकार और भी ज्यादा चीनी बाहर भेज कर इस देश की जनता को बिल्कुल ख़राब करना चाहती है और क्या उस की भलाई के लिए वह सोचना नहीं चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी का जवाब उन्होंने दिया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : वह तो चीनी के निर्यात को बढ़ाने की बात हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, उसी का जवाब उन्होंने दिया है । आप ने ग़ौर नहीं किया ।

श्री रामेश्वरानन्द : अब मंत्री लोग हिन्दी में तो बोलते नहीं । आप ने सब ऐसे ही मिनिस्टर्स इकट्ठे कर लिये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : आप से हम लोग अच्छी हिन्दी बोलते हैं ।

श्री गुलशन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चीनी विदेशों में भेजी जा रही है . .

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे साहबान हैं जो बोल नहीं सकते और कुछ साहब ऐसी बोलते हैं जो बोलनी चाहिए नहीं ।

श्री गुलशन ; मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चीनी विदेशों को भेजी जा रही है और चीनी की यहां कमी की वजह से उसकी कीमतें काफ़ी चढ़ रही हैं तो क्या सरकार देश में चीनी की कमी को दूर करके यहां की जनता को मुनासिब दाम पर चीनी देने के बारे में सोच रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने जवाब दिया है ।

Shri Jashvant Mehta: May I know whether it is not a fact that the production of sugar was lower in 1961-62 and that the Government is considering to give some incentive—it has appeared in a section of the press that Government has already taken a decision—and may I know what decision the Government have taken to give incentive for sugarcane production?

Mr. Speaker: Order, order. We do experience many difficulties because there are a large number of Members —and their number is ever-growing— who cannot understand English.

कुछ साहब ऐसे हैं जो अंग्रजी नहीं समझ सकते और वह इसके लिए तक़लीफ़ और दिक्कत महसूस करते हैं अगर यह हाउस मान जाये और इस के बाद इस बारे में जिद्द नहीं की जायेगी कि तमाम ज़बानों में तजुर्मा हो मैं यह चीज़ लेने के लिए तैयार हूं कि हिन्दी और अंग्रजी में साइमलटेनियस तर्जुमा यहां पर किया जाय । लेकिन इस मामले को लेने से पहले में इस बात की गारन्टी चाहता हूं कि इसके बाद यह नहीं होगा कि बाक़ी दूसरी लोकल लेंग्वेजेज़ में भी तर्जुमे की भी ज़िद की जाये । तर्जुमा हिन्दी और अंग्रज़ी इन दो ज़बानों का ही हो सकता है और अगर इस बात पर हाउस एक राय हो जाय तो मैं साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन के लिए गवर्नमेंट को राज़ी कर सकता हूं ।

Shri Ranga: In connection with this, may I make a suggestion? Just as they do in the international conferences and in the United Nations, can you provide the necessary machine with the aid of which it would be possible for us then and there to have a translation?

Mr. Speaker: Simultaneous translation means that.

ऐसे माननीय सदस्य जो कि अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनको हिन्दी में सुना दिया जायेगा और वे सदस्य जो कि हिन्दी नहीं जानते और अंग्रेजी सुनने वाले हैं उनको साइमलटनियस ट्रान्सलेशन के जरिए अंग्रेजी में सुनने को मिल जायगा ।

Shri Kapur Singh: It is a very excallent offer that you have made and I welcome it. But I want to add that since the rationale of this offer is the lack of understandability of certain languages by certain Members of this House and since you yourself have conceded that Members are coming to this House in evergrowing numbers who understand neither English nor Hindi, once this rationale is accepted, that means.... (*Interruption*) let me finish.

Mr. Speaker: I have not said like that. That should not be put in my mouth.

Shri Kapur Singh: I am not saying words in quotes I am merely making a reference to what you have said. I merely say that the rationale of your offer is that because many Members-whose number is growing—cannot understand one or the other, English or Hindi—(*Interuuption*).

Some Hon. Members: No, no.

Shri Raghunath Singh: He has not said like that.

Mr. Speaker: Order, order. Let him finish.

Shri Kapur Singh: Once you extend this facility of bilingual audition it will be difficult to resist a similar demand of other Members who understand neither English nor Hindi. Because, the justification of the proposal is not in any Constitutional provision; the real justification for this offer and for this arrangement which you generously propose to make is based on the lack of capacity of certain hon. Members to understand the proceedings of this House. I merely wish to bring this on record. I am not trying to put any spoke in the wheel of implementation of the excellent offer that you have made.

Mr. Speaker: That is right. If he is not putting any obstacle, it is all right. But this is the only length to which I can go. If I get the support of the House, I may proceed with it.

Several hon. Members: Yes, Sir.

Mr. Speaker: So that is agreed.

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है . . . .

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा नहीं होगा । अगर साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन की और जबानों के लिए भी जिद की जायगी तो हम इस पर भी नहीं पहुंच सकगे। इसलिए मैं इसमें सब का सहयोग चाहता हूं। हिन्दी और अंग्रेजी इन दो जबानों तक ही हमें इस साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन की व्यवस्था को महदूद रखना चाहिए ।

Shri Hari Vishnu Kamath: Will this be introduced in the next session? अगले सेशन में यह व्यवस्था शुरू हो जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो देखने की बात है । इस के लिए प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी लेनी है ।

I will take that up from today.

Shri Jashwant Mehta: Sir, in 1960-61 the sugar production was low. So the Government is considering the question of giving incentives for more production of sugarcane. It has appeared in the Press that the Government has already taken a decision for giving incentives for more production. May I know the details of this policy decided upon by the Government?

Shri A. M. Thomas: I have already stated, Sir, that my senior colleague will be making a statement on the floor of the House regarding the incentive scheme.

Shri Ranga: The Deputy Minister said that at a later stage the London prices came up much higher than the prices at which we sold sugar in the United States. May I know what was the difference between these two prices, the price at which we sold and the highest quotation that was obtained in the London market, and multiplied by the total amount of sugar that we sold may I know how much is the loss that we would have sustained?

Shri A. M. Thomas: I have got the various figures for various dates. The price which was quoted varies from £51 to £97. In fact, the London price went even up to £105. The prices were changing from day to day. It is not possible for me to say the exact figure, it depends upon the particular date.

Shri Ranga: At what price did we sell to America?

Shri A. M. Thomas: I have not got the figures for the exact dates. It depends upon the particular date.

Mr. Speaker: That information may be supplied later.

Agricultural Production

+

*450. **Shri Subodh Hansda:**
Shri Warior:
Shri Vasudecan Nair:
Shri M. N. Swamy:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Sarjoo Pandey:
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri S. C. Samanta:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Sidheshwar Prasad:
Dr. Mahadeva Prasad:
Shri Tulshidas Jadhav:
Shri P. R. Patel:
Shri Bishwanath Roy:
Shri P. C. Borooah:
Shri Vishram Prasad:
Shri Jashvant Mehta:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the agricultural production has been well below expectations during the first two years of the Third Plan;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to step up agricultural production?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library, *See* No. LT-1626/63.]

Mr. Speaker: Shri Subodh Hansda—

Shri Subodh Hansda: I have not rereceived the statement.

Mr. Speaker: Shri Raghunath Singh—

Shri Raghunath Singh: May I know what steps are being taken to improve the irrigation system in Eastern India?

Dr. Ram Subhag Singh: Last year we have made an additional provision of Rs. 9.25 crores for minor irrigation. We would very much welcome if the districts that comprise Eastern U.P. take full advantage of the increased facility.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कृषि उत्पादनों को बढ़ान के लिए कृषि उत्पादन से सम्बन्धित जितने भी विभाग या अधिकार हैं वे सब कृषि मंत्रालय को दिये जा रहे हैं, यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : इस के सम्बन्ध में कल अखबारों में माननीय सदस्यों ने उस घोषणा को पढ़ा होगा जो कि प्रेसीडेंट साहब की ओर से हुई है । उस में कुछ व्यवस्था की गई है ।

Shri Lahri Singh: In view of the fact that the number of uneconomic holdings is alarmingly large and the owners—of such holdings are extremely poor, may I know whether it is under the consideration of the Government to provide irrigation facilities for such barren and arid lands where there is not the least possible possibility of getting irrigation through canal system from the river?

Dr. Ram Subhag Singh: It is a fact that the holdings are very small, but the irrigation facility that is being increased is mostly in that type of land. The Bhakra canal system, with which the hon. Member is very much familiar, goes through such arid area and also the desert areas of Rajasthan About Rohtak . . .

Shri Lahri Singh: My question was different.

Mr. Speaker: Yes, it was in respect of areas where canal water cannot be taken.

Shri Lahri Singh: Yes, in respect of areas where there is not the least possibility of canal water being taken.

Dr. Ram Subhag Singh: In such areas minor irrigation facilities are being explored. Our exploratory tube well programme will try to sink tube wells wherever water is available.

Shrimati Akkamma Devi: In view of the fact that in certain States crops have been destroyed by blight diseases, may I know whether Government propose to supply disease-free seeds, insecticides and also loan facilities to the agriculturists to step up agricultural production?

Dr. Ram Subhag Singh: It is a fact that there has been blight disease in the Nilgiris area, from where the hon. lady Member comes. We have met all the demands of the Madras State to meet that disease. We have taken the additional precaution of asking our research institute to investigate into the matter.

श्री शिव नारायण : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिए पूर्व भारत में, बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में, सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : लघु सिचाई योजनाओं के लिए सामान्यत: राज्य सरकारें अयवस्था करती हैं जो अव्यवस्था सामान्य

तौर से होती है, उससे कुछ अधिक व्यवस्था गतवर्ष की गयी थी, और उसी के लिए सवा नौ करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गयी थी । बिहार के लिए करीब १ करोड़ अतिरिक्त रकम रखी गयी थी, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक करोड़ से ज्यादा रकम रखी गयी थी । लेकिन इन सारी रकमों का इस्तैमाल नहीं हो पाया । इस साल भी व्यवस्था है, और उन प्रादेशिक सरकारों से हमलोगों ने प्रार्थना की है कि वे ज्यादा से ज्यादा लघु सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था को बढ़ावें ।

Shri Tyagi: Were these targets of food production for the Third Plan broken village-wise and were the villages communicated as to their targets? Or was it only theoretically expected that they will produce that quantity?

Dr. Ram Subhag Singh: Actually, the target of the Third Plan was not prepared village-wise in the sense in which the hon. Member, Shri Tyagi, is asking. As it was not prepared in that way, it was not possible to communicate to each village its target. But, in the package programme districts we are trying to prepare village plans. So, in those cases, we can communicate the expected targets to each village. As we are going to increase the number of package districts, gradually, in course of time, we can fix the targets for more villages.

Shri Tyagi: My question has not been answered. I want to know whether each village was communicated the target of production it was expected to achieve. If it was not communicated to each village, what was the method to achieve the target?

Mr. Speaker: When in fact no target was fixed for each village, how could the villages be communicated the target?

Shri Tyagi: If the agriculturists do not know what the target is, how can Government expect them to achieve the target?

Mr. Speaker: If the target was not fixed, what was there to communicate to each village?

Shri Tyagi: I want to know the procedure.

Mr. Speaker: What I understood was that in future they are going to do it.

Shri Tyagi: So, the target is only in theory, a paper target.

Dr. Ram Subhag Singh: The procedure that we have followed is that of fixing targets for various items. For example, we have targets for applying fertilizers, for using irrigation resources, supplies of seeds and implements etc. We were proceeding in that way. As the House knows, the target was not originally fixed on village basis.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: May I know if the views expressed by different members of the Planning Commission from time to time that the co-ordination of the Union Ministry of Food and Agriculture with their counterparts in the States has not been very satisfactory and that is one of the reasons for the unsatisfactory results with regard to agricultural production.

Mr. Speaker: Hon. Members always preface the questions with long statements.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: What specific steps have been taken in order to remedy that situation?

Dr. Ram Subhag Singh: It is not correct because I have been noticing perfect co-ordination between the Ministry of Food and Agriculture and the State Governments. Periodically we visit the States and the States' people also come here and whatever programme is there, we do not find any difficulty in getting that through.

Dr. L. M. Singhvi: May I know whether the Government are satisfied generally with the progress in the intensive agriculture programme districts and whether the hon. Minister is in a position to assure us that there would be no hasty abandonment of this programme on account of any temporary setbacks in any district?

Dr. Ram Subhag Singh: The progress in our intensive agriculture programme districts has been satisfactory. In Pali District of Rajasthan about which the hon. Member might be a bit apprehensive the position is that previously there was not much irrigation facility there. There is only one small canal system and that also irrigates only about 25,000 acres.

Dr. L. M. Singhvi: Something can be done about that.

Dr. Ram Subhag Singh: Recently we have created some more minor irrigation facilities and we do not propose to abandon that district. We might increase some blocks in other districts also. About that particular canal system, we can increase the area but there is some difficulty because the soil is alkaline and much water cannot be used on that. That is the difficulty.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Shri P. K. Deo. If the questions are straight and precise, hon. Ministers could also give short and sweet answers.

Shri P. K. Deo: Of the several specific recommendations made by the joint teams of the Ministries of Food and Agriculture, Community Development and Cooperation and Planning, one of the recommendations is to improve further the agriculture administration in the States. May I know what the hon. Minister means by this and how the agriculture administration in the States is going to be streamlined?

Dr. Ram Subhag Singh: About improving the agriculture administration, the State Governments are trying to use the recommendations of the Nalagarh Committee. With a view to meeting that recommendation only about three days ago we decided to set up an All-India Agriculture Cadre which might come into existence some time next year.

Brahmaputra Basin Food Output

+

*451. **Shri D. C. Sharma:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri N .R. Laskar:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a study on possibilities of increasing world food production by the Food and Agriculture Organisation has revealed that the Lower Ganga-Brahmaputra basin-Bengal, Bihar and Assam can produce about four times as much food as it does now; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to explore these possibilities?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes. Based on certain recommendations regarding utilisation of land and water resources and taking into account possible increases in yields on certain assumptions regarding responses of crop yields to recommended techniques, the Provisional Report estimates the long-term potentialities of agricultural production in this area to be something like four times the present production; and

(b) these possibilities are being explored under various schemes of agricultural development already in operation or that may be planned for the

Shri D. C. Sharma: The hon. Minister has given a very optimistic estimate, namely, that production can be raised fourfold. May I know as to what steps are being taken to increase production at least twofold or three-fold and how far this thing has worked?

Dr. Ram Subhag Singh: This is not my report; this is the FAO Study Team's report and they have suggested that the production can be increased fourfold and the basis on which they have given this idea is that so far only 80 million acres of land is under the plough in that area. To be exact it is only 70 million acres, but ten million acres are under irrigation. They have recommended that the possibility in the eastern States is that this area can go upto 160 million acres and they think that there is an irrigation potential to the tune of 35 million acres. Those 35 million acres can become a double cropped area. So, it will become 70 million acres. The original 10 million acres mean 20 million acres. In all, the acreage under the plough will be 160 million acres instead of 80 million acres at present because it will become a double cropped area. So, the total production will naturally be four-fold.

Shri D. C. Sharma: I agree with the arithmetical explanation that the hon. Minister has given. But life in its reality is different. I want to know what concrete steps are proposed to be taken to bring this arithmetical possibility into an actual reality?

Dr. Ram Subhag Singh: Actually, agriculture is a field where arithmetic becomes very difficult. It is not an educational institution. I may also say that this is the draft report of the FAO. It has not yet been published, but they have sent a copy to us and we have communicated our views. The hon. Member might be aware of the Gandak project which is under construction. The Gandak project will alone irrigate probably over 30 lakh acres of land and similarly Sone and other projects in eastern U.P. might also be undertaken.

Shri Surendra Pal Singh: In view of the fact that in two districts of this region a package programme—and it is already in operation, do the Government feel that in the light of experience gained there it is possible to bring about a four-fold increase in the food production in the Ganga-Brahamputra Basin?

Dr. Ram Subhag Singh: In that region there are not only two districts but there are four districts under the package programme and the average increase is 20 per cent in agricultural yield. Of course, one district was put under the package programme only recently, but in the other remaining three districts it has gone up by 20 per cent.

Dr. Ranen Sen: In view of the fact that this area, Bengal, Bihar and Assam, is a deficit area in foodgrains and in view of the fact that the FAO has given this draft report, may I know whether there has been any meeting of these three representatives of State Governments and the Food Ministry at the Centre in order to find out the possibilities of increasing the foodgrains production?

Dr. Ram Subhag Singh: As I said, we had a meeting very recently also. But we discussed the overall agricultural production programme. We did not discuss the report as such because it has not yet been published. But we are following these lines. I might say something in regard to food shortage. Jute is a crop of eastern India which is giving us foreign exchange to the value of more than our entire food imports. The production of jute was less than 20 lakh bales ten years ago. Now it has gone up to 70 lakh bales. Last year, it was over 70 lakh bales. That is also an agricultural crop. That also can be kept in view.

Shri N. R. Laskar: May I know whether the Government has sought any detailed scheme from the F.A.O. as to how to increase the agricultural production four-fold?

Dr. Ram Subhag Singh: When we get the printed report, we shall finalise all those things.

श्री राम सेवक यादव : मैं यह जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कितनी ऐसी बंजर भूमि है, जो खेती-लायक है और क्या उस भूमि को तोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है, जैसे अन्य सेना की भर्ती ।

डा० राम सुभग सिंह : बंजर भूमि बंगाल में बहुत कम है, क्योंकि बंगाल में १२ प्रतिशत ही जंगल हैं आसाम में कुछ ज्यादा है, लेकिन वहां भी जंगलों की तादाद बढ़ती जा रही है बिहार में अभी २२ प्रतिशत के ही करीब जंगल हैं और हम लोग चाहते हैं कि जंगलों की तादाद भी कम न की जाये । ईस्टर्न यू० पी० में भी बंजर ज़मीन केवल मिर्ज़ापुर के दूधी परगने को छोड़ कर और जगहों में बहुत कम है । सेना की ज़रूर ज़रूरत है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि खती में इस वक्त सचमुच काम करने वालों का अभाव है और हम लोग उस दृष्टि से कार्यवाही करेंगे ।

Shri H. N. Mukerjee: In view of the fact that this Lower Ganga-Brahmaputra basin is an area where water is easily available, and one has only to dig to get some water, may I know whether there has been some effort to co-ordinate minor irrigation schemes along with certain major irrigation schemes which the hon. Minister mentioned, so that the irrigational possibilities may be improved and the production might increase proportionately?

Dr. Ram Subhag Singh: We shall pursue that possibility.

Mr. Speaker: Now, Shrimati Savitri Nigam: The hon. Member should never feel that I cannot see her. She does not escape my notice, but deliberately I do not call her sometimes. She tries to move this way and that way as if my view is being obstructed and she wants to catch my eye. I might tell her that I see her all right

Shri Tyagi: She gets preferential treatment always.

Shrimati Savitri Nigam: In view of the fact that there are thousands of acres of waterlogged land, may I know whether Government have chalked out some scheme to provide technical advice as well as technical equipment to the farmers so that they may be able to reclaim the land?

Dr. Ram Subhag Singh: This has become an acute problem in the Punjab and certain parts of Western UP, and the Punjab Government have been taking a good deal of precaution in regard to creating drainage and other facilities for getting that type of waterlogged land reclaimed, and we are extending all possible help to the Punjab Government and also to the UP Government.

Calcutta Port Charges

+

*452. **Shri Subodh Hansda:**
Shri Kapur Singh:
Shri Gulshan:
Shri P. K. Ghosh:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Port Commissioners of Calcutta have recommended for increase of port charges;

(b) if so, whether it has been sanctioned by Government; and

(c) whether the exporters and importers have submitted any memorandum objecting to the enhancement of the present rate and if so, the reaction of Government in this regard?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). In February 1963, the Calcutta Port Commissioners submitted proposals for the increase of port charges on foodgrains and coal (excluding foreign export coal), local Railway haulage charge, berth hire, wharf toll and Pilotage fees. There were some representations against them. They were considered carefully. It was decided that the Commissioners' proposals should be sanctioned as the Commissioners were urgently in need of additional revenue and their proposals had been drawn up after considering in each case the incidence of the increase, the capacity of the traffic to bear it and the desirability of spreading the increase on a variety of items. The proposals were given effect to in May 1963, except local haulage charge which was given effect in July 1963.

Shri Subodh Hansda: May I know the rate of enhancement recommended by the Port Commissioners?

Shri Raj Bahadur: The rate differs from commodity to commodity, but the total additional income would be about Rs. 96·45 lakhs.

Shri Subodh Hansda: In view of the fact that Government want to increase the exports from our country, may I know whether these increased charges will not decrease our export trade?

Shri Raj Bahadur: This important and vital consideration is always borne in mind, whenever any increase is contemplated. But it has to be realised that each port has to function on a basis of financial self-sufficiency.

Dr. Ranen Sen: May I know how these increased port charges at Calcutta compare with those at other ports in India?

Shri Raj Bahadur: It is not possible to compare the conditions in one port with those at another. Particularly in a port like Calcutta which has got about 126 miles of the river Hooghly for navigation, the maintenance and conservancy charges on the Hooghly channel itself have got to be taken into account, whenever any charges are levied.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस के कारण क्या हैं कि यहां के चार्जिज अधिक किये गए हैं और जो ६४ लाख रुपया ज्यादा किया गया है, क्या यह ड्रजिग पर खर्च किया जायगा, क्योंकि

This is the main problem in the Hooghly.

श्री राज बहादुर : जी नहीं । इस में कई कारण हैं । सब से बड़ा कारण यह है कि वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज़ा लिया गया है डेवलपमेंट के लिए, उस पर इन्ट्रेस्ट देना है और उस की इन्स्टालमेंट्स देनी हैं । जो गवर्नमेंट से कर्ज़ा लिया है, उस का भी इन्ट्रस्ट और इन्स्टालमेंट्स देनी हैं । इसके अलावा जसा कि हाउस को विदित होगा स्टाफ के ऊपर और वर्कज़ं के ऊपर काफी खर्चा हुआ है, उनके डी० ए० में, एक इसटिव ट्रेनिग स्कीम निकली थी, उसके ऊपर और नाइट कोएफिशेंट के ऊपर, लगभग तीस लाख, तीस लाख और बारह लाख यानी कुल ७२ लाख रुपये का खर्चा अंदाज हुआ है । और भी चीज़ों के भाव बढ़े हैं और कुल मिला कर ७३ लाख का घाटा था । उस सब के अगेंसट यह था ।

Lighthouses on Orissa Coast

*453. **Shri Jena:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that representations have been made by the public of Orissa and by the State Government for setting up lighthouses (light posts) on the coast of Orissa; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) The lighthouses in question are of benefit to local navigation only. As such, the responsibility for the erection and maintenance of such lighthouses rests with the State Government.

Shri Jena: Were there some lighthouses on that coast before independence? If so, what happened to them?

Shri Raj Bahadur: I am not aware of any such lighthouses, nor was it represented to us that there were any lighthouses before independence. As a matter of fact, an application was made to us on behalf of local fishermen by the District Magistrate. These are essentially local lights and the Government of India are not responsible for them.

Shri Jena: Is it a fact that some fishing vessels and trading ships were misled in the sea for want of lighthouses? If so, how many such cases were brought to the notice of Government, and what steps were taken by Government thereon?

Shri Raj Bahadur: As I said, we are not aware of it. We are responsible for general lighthouses, not local lights.

Shri Raghunath Singh: Do we import the equipments for these lighthouses?

Shri Raj Bahadur: Some of the equipment of the general lighthouses maintained by us is imported; the rest we try to manufacture here.

External Aid for Co-operatives

***454. { Shri Surendra Pal Singh:**
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether a Food and Agriculture Organisation team visited the country recently to study in India the need for external aid for co-operatives and agriculture;

(b) if so, their main observations and recommendations; and

(c) the decisions, if any, taken by Government in the light of these recommendations?

The Deputy Minister of Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) A F.A.O. team visited India in May-June. 1963 to carry out a special study of agricultural finance through cooperatives and other farmers' organisations.

(b) No observations or recommendations have so far been received from the Team.

(c) Does not arise.

Shri Surendra Pal Singh: Is it a fact that one of the main observations made by this team was this that the funds already made available by the co-operative societies for increasing food production are not being effectively and properly utilised? If so, what steps have been taken by Government to see that these funds are not misused?

Shri Shyam Dhar Misra: There was really exchange of ideas on this issue also. We ourselves said that the funds were not adequate and they were not fully and properly utilised. But there was no recommendation about it. We have not received any such recommendation from the team.

Shri S. N. Chaturvedi: What sort of external aid is sought for from the team—technical advice or financial assistance?

Shri Shyam Dhar Misra: It can be in the form of both. But they did not make anything clear to us.

Shri S. N. Chaturvedi: What was our idea?

Shri Shyam Dhar Misra: It can be both.

Shri P. Venkatasubbaiah: Keeping in view the recommendations of the follow-up report of the Rural Credit Survey, do Government propose to augment the finances of co-operative societies by liberally contributing to their share capital?

Shri Shyam Dhar Misra: It is not a question of only proposing. Government are actually implementing it and they are having share capital, partnership in societies and so on. They are giving all types of assistance.

Dr. Sarojini Mahishi: May I know what aid Government is going to give to those cultivators and co-operative societies in those areas of major irrigation projects where the cultivators could not properly take full benefits of the projects and as a result the State Governments are not able to pay back the loan even?

Shri Shyam Dhar Misra: That is a question which the Agriculture Ministry will be examining. Wherever there are agricultural production programmes, members are getting limited finance.

Dr. P. S. Deshmukh: It is obvious that the team came with the intention of giving some sort of assistance, either advice or something else. Did the Ministry prepare any particular scheme to put before them? If so, what are the main features of the scheme?

Shri Shyam Dhar Misra: No, what is obvious to the hon. Member was not obvious to us. They only came for exchange of ideas in the Eastern and African countries. They wanted development of co-operatives and we gave them all types of ideas.

Dr. P. S. Deshmukh: I am sure they did not come for fun.

Shri Bhagwat Jha Azad: Judging from present resources available to the co-operatives, did this team suggest how far Government may be called upon to come to the help of co-operatives in the form of financial assistance?

Shri Shyam Dhar Misra: Government will welcome suggestions and recommendations, but I have said that so far recommendations have not come.

Shri Tridib Kumar Chaudhury: This question refers to external aid for co-operatives. Did the F.A.O. team have any proposal for giving financial aid from the FAO for the development of our co-operatives?

Shri Shyam Dhar Misra: I have replied to this question earlier. There was no specific recommendation or idea given by that team, and we cannot say what the recommendations will be.

पर्यटन का विकास

+

श्री भक्त दर्शन :
*४५५ **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री हेम राज :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :

क्या परिवहन मंत्री ६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पर्यटन का विकास करने की एक बड़ी तथा संगठित योजना तयार करने के लिये जिस अध्ययन दल की नियुक्ति कुछ समय पहले की गई थी, उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) इसका काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पर्यटन की तदर्थ समिति ने २३ अगस्त, १९६३ को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है । यह रिपोर्ट विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : इस अध्ययन मंडल ने जो मुख्य मुख्य सिफारिशें की हैं, क्या उन पर प्रकाश डाला जा सकेगा ?

श्री राज बहादुर : लगभग १०७ सिफारिशें हैं और ये सब विचाराधीन हैं । मेरा विचार यह है कि शनैः शनैः इन पर विचार करके जो निर्णय हों, उनके सहित, वह यहां रखी जाएं । अगर आप चाहें तो मैं सुना भी सकता हूं लेकिन जवाब बहुत लम्बा हो जाएगा ।

श्री भक्त दर्शन : मुख्य मुख्य सिफारिशें तो बताई जाय ।

श्री राज बहादुर : वे मैं बता देता हूं । अगर इजाजत हो तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं ।

A Government undertaking to be set up....

Shri D. C. Sharma: Are you going to read all the 107 recommendations?

Shri Raj Bahadur: I am not reading all. I am in your hands.

श्री भक्त दर्शन : पर्यटन के व्यवसाय से हमारे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की उपलब्धि होती रहती है । लेकिन पिछले दो वर्षों से उसमें कमी आती जा रही है और इसीलिए इस अध्ययन मंडल की नियुक्ति की गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी शनै: शन: क्यों इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और तेजी से कदम क्यों नहीं उठाना चाहते ?

श्री राज बहादुर : इस दिशा में शनै: शनै: नहीं बढ़ना चाहते हैं लेकिन जो रिपोर्ट विचाराधीन है, उस पर शन: शनै: विचार करके चलना चाहते हैं ।

Shri Basappa: May I know whether the study group has considered the lack of accommodation facilities experienced by foreign tourists and the prevention of monopolistic tendencies in hotel matters built up by Oberoi Brothers?

Shri Raj Bahadur: I would not like to accept the statement about monopolistic tendencies about any party. That would not be fair on my part. I can assure the House that there is no monopoly in the hotel industry. Anybody can come. The fact of the matter is that it is a specialised business. It does not admit of that quantum of return on investments as is available in other industries. That is why people are rather unwilling to come.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is the Minister in a position to give the House comparative statistics, approximately if not accurately, as to the number of tourists from different countries of the world, from which countries they have been on the increase, and from where they have been on the decline, and whether prohibition has got anything to do with that?

Shri Raj Bahadur: I would not like to bank upon my memory for that. I would require notice.

Shri Hari Vishnu Kamath: Roughly.

Shri Raj Bahadur: If you want the decrease in the last one year....

Shri Hari Vishnu Kamath: From which country.

Mr. Speaker: Those things may be sent to the Member.

Shri Hari Vishnu Kamath: Has prohibition got anything to do with it?

Mr. Speaker: It combines two or three questions.

Shri Hari Vishnu Kamath: They are parts of one question.

Mr. Speaker: I have asked him to send the information to the hon. Member.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not the only person interested. How can you ask him to send it to me privately? It is not proper procedure.

Mr. Speaker: If the information is not available with him at this moment, can I not ask him to give the information to the Member?

Shri Hari Vishnu Kamath: That is about statistics. The second part of the question is if there is decline in tourism and whether prohibition has anything to do with it. That can be answered. Has there been decline in the number of tourists from certain countries, and has prohibition been responsible for it partly if not wholly?

Shri Raj Bahadur: It is not prohibition rules alone. As a matter of fact, there is no prohibition for tourists as such, but there are certain rules which are found to be inconvenient. We have tried to modify them, and I am sure with the modification in the rules, much convenience will be experienced.

Shri S. M. Banerjee: Apart from considering the recommendations of the Committee, what are the other steps already taken by Government to see that tourism increases?

Shri Raj Bahadur: It was done specifically with a view to study the conditions obtaining in the country in the context of the desire to promote tourism and to make suggestions to improve these conditions in regard to shortage of accommodation, transport and other matters. The committee has gone into these matters and submitted its recommendatias, 107 in number.

SHORT NOTICE QUESTION

Erosion near Mansi Junction

S.N.Q. 2. Shri Bhagwat Jha Azad (on ebhalf of **Shri Shree Narayan Das**): Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the erosion caused by the Ganga near Mansi Junction of the North Eastern Railway is continuing unabated; and

(b) if so, whether any steps have been taken to provide an alternative line to maintain the flow of traffic?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Erosion although continuing has not so far been very heavy this year particularly at the place where the distance from the centre line of track to the river bank is the minimum.

(b) In view of the importance of this line, and the serious effects of any interruption in the movement of men and material in the present emergency, it has been decided to construct a "retired alignment" to maintain through communication, in case the existing track is either damaged or becomes unsafe as a result of further erosion in spite of interim measures adopted by the Railway. At present earth work in formation for this "retired alignment" is in hand. Work of laying track will be taken up only when called for.

Shri Bhagwat Jha Azad: In view of the permanent nature of the erosion, by what time do Government propose to have this alternative alignment ready for use?

Shri Shahnawaz Khan: We hope to have the foundation for the alternative line ready for use by the end of this year. Earth work and bridge work is already in progress.

Shri Bhagwat Jha Azad: Could we have any idea whether erosion this year might be a little less than last year? Is it a fact that erosion this year is very severe? What is the damage due to the erosion this year to the railways?

Shri Shahnawaz Khan: Luckily erosion this year has been less than in previous years. We find from the statistics we collected this year that erosion has been only to the extent of 25 feet. Luckily the point of contact has shifted further downstream and now the distance between the centre of the track and the river bank has increased to 4,200 feet at the point of a track as against 1472 feet previously.

Shri Bhagwat Jha Azad: Because erosion is down in the stream, if the track is damaged now is it possible for the Government to come to the rescue with an alternative very soon with the present materials available at the site?

Shri Shahnawaz Khan: As stated already, the alternative line, a 'retired alignment' has been taken up. Bridge work is in progress and earth work is in progress. Before the end of this year, we shall have the formation for this alternate line ready.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Exploratory Tubewell Organisation

***456. Dr. L. M. Singhvi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any comprehensive survey of the acute scarcity of water prevailing in certain desert areas has been made or is proposed to be made;

(b) whether it has been represented to Government that allocations made for the Exploratory Tubewell Organisation are utterly inadequate; and

(c) if so, the remedial measures proposed to be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) The Exploratory Tubewell Organisation under the Ministry of Food and Agriculture has been carrying out ground-water exploration in the desert areas of Rajasthan and semi-arid areas of Punjab, Gujarat and Maharashtra, as well as, in the other parts of the country. The preliminary selection of areas for exploration are made in consultation with the State Governments concerned and on the basis of available geological and hydrological records. Only those areas which are *prima-facie* promising are examined for a more detailed survey to determine the number and location of exploratory bores to be drilled in order to ensure that a proper delineation of the area having ground-water potentiality is made.

(b) No.

(c) Does not arise.

Development of Co-operatives

*457. { **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 451 on the 20th August, 1962 and state when the six working groups which were appointed for Industrial Cooperatives, Housing Cooperatives, Transport Cooperatives, Dairy Cooperatives, Husbandry Cooperatives, Fisheries Cooperatives and Cooperatives under Railways and Posts and Telegraphs are expected to submit their reports?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): Two working groups *viz.* those on Industrial Cooperatives and Cooperatives under the Railways and Posts and Telegraphs Department have submitted their reports. The working groups on Transport Cooperatives and Dairying and Animal Husbandry Cooperatives are expected to submit their reports by the end of September, 1963. The working group on Housing Cooperatives is expected to submit its report by the end of November, 1963. The Working Group on Fisheries Cooperatives has started its work. It is not possible to indicate the exact date by which its report will be ready but efforts will be made to get the work completed early.

Mysterious Object in Sky

***458. Shri Raghunath Singh:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether on the 9th June, 1963 an illuminated object like a glaring star appeared over the city of Madras at about 8-30 p.m. and passed over from south-west to north-east which lasted for 20 minutes; and

(b) if so, whether it was a sputnik or flying saucer or something else?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) and (b). There is no information from Madras to confirm the phenomenon. However, the U.P. State Observatory has reported that the U.S. Satellite Echo I was observed at over Nainital at 9.45 P.M. on 9th June, and the same satellite was observed at Nainital again on 10th June at 8·44 p.m.

Agricultural Development in Andamans

***459. Shri A. K. Gopalan:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the amount allotted for agricultural development in Andamans for 1962-63 was not fully spent;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to ensure full utilisation of the allotted amounts in future?

The Miniser of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The amount could not be utilised fully for the following reasons:

1. Slow progress by contractors in the clearance of jungle land selected in Andamans for coconut plantations. In Nicobars no contractor has come forward to take up the clearance work in the Katchal Island due to lack of means of communications.
2. Non-availability of full complement of the technical staff provided for under various agricultural schemes.
3. Non-execution of pilot project scheme relating to rubber cultivation by the Rubber Board.

(c) 1. In Andamanas the Forest Department has been asked to take up the work departmentally in case they to complete the work in time. In Inter-Island vessel under construction Nicobar it is not possible to take up any departmental operation until the Inter-Island vessel under construction at present becomes available.

2. Vacant posts have been advertised in mainland papers and efforts are being made to select suitable candidates from the mainland.

3. Pilot project scheme of Rubber Plantation is at present under consideration of the Government of India as the Rubber Board are not inclined to take it up as a result of a report given to them by their experts.

चीनी मिलें

***४६०. श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की चीनी मिलों में चीनी की रिकवरी दक्षिण की चीनी मिलों की अपेक्षा कम होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वहां चीनी की कम रिकवरी का यह कारण है कि ये मिलें बहुत पुरानी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार उपरोक्त राज्यों में स्थित मिलों को आधुनिकतम बनाने के बारे में एक योजना बनाने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के शर्करा कारखानों की शर्करा की उपलब्धि दक्षिण के कुछ राज्यों के शर्करा कारखानों की तुलना में कम है ।

(ख) इस कम उपलब्धि का मुख्य कारण यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के गन्ने में शर्करा (सुक्रोज़) तत्व अपेक्षाकृत कम होता है और कारखाने भी पुराने हैं ।

(ग) और (घ). भारत में शर्करा उद्योग के अलाभकर एककों की समस्या की छानबीन करने के लिए हाल ही में, एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी है । इस समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के शर्करा कारखानों की जांच पडताल [illegible]

कर दी है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शर्करा कारखानों के आधुनिकीकरण की एक योजना बनाने का सरकार का विचार है ।

उत्तर प्रदेस में सहकारी चीनी मिलें

*४६१. { **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीसरी योजना के अन्तर्गत सहकारी आधार पर कुछ चीनी मिलें स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ये मिल कहां कहां स्थापित की जायेंगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें कितनी धनराशि दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). पूर्व उत्तर प्रदेश में रसरा जिला बलिया, औराई जिला वारानसी और इन्दरा जिला आज़मगढ़ में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । यह सरकार के विचाराधीन हैं ।

Seed Corporation

*462. { **Shri P. Venkatasubbaiah:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Himatsingka:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 560 on the 24th August, 1962 and state:

(a) the present position in regard to establishment of Seed Corporation of India; and

(b) what are the plans for its operation during 1963-64?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The National Seeds Corporation has been formed as a private limited company. It is fully financed by the Government of India.

(b) The Corporation proposes to produce during 1963-64, about 25,600 mds. of double cross seed of Hybrid Maize from 1,600 acres. The target for 1964-65 is 72,000 mds. from 4,500 acres.

Proposals for production of sarghum, vegetable and jute seeds are also under consideration.

सीकर, राजस्थान में गोदाम

*४६३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सीकर के अनाज के गोदामों में जो पाउडर छिड़का गया था उसमें कुछ विषैले तत्व पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो यह पाउडर कहां से मंगाया गया था ;

(ग) इसमें विषैले तत्व होने के क्या कारण थे; और

(घ) इस मामले की जांच के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ). यह बताया गया है कि राजस्थान में सीकर में कुछ व्यापारियों ने खाद्यान्नों में बी० एच० सी० (बेंजीन हेक्साक्लोराइड) की थोड़ी सी मात्रा खाद्यान्नों का परिक्षण करने के उद्देश्य से मिला दी थी । बी० एच० सी० कीटनाशक है जो कि बाजार में सुगमता से मिल जाती है और अनाज की बोरियों के ऊपर छिड़कने के लिए इसका आम प्रयोग किया जाता है । यह कीड़ों के लिए विषैली है और इससे कीड़े मर जाते हैं । किन्तु थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग मनुष्य के लिए विषैला नहीं होता है । तथापि, काफी बड़ी मात्रा में प्रयोग करने से इससे मनुष्य

के जीवन को भी खतरा हो जाता है। गुजरात सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन पहले से ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

Telex Service

*464. **Shri P. K. Deo:** Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state:

(a) the manner in which the National Telex Service is working;

(b) the total cost involved for this project; and

(c) the extra receipts anticipated in the revenue of the departments due to the use of the Telex Service?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) The National Telex Service is working satisfactorily.

(b) About Rs. 22 lakhs for the four auto teleprinter exchanges, one each at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras.

(c) About Rs. 4,54,000 (approximately 20.6% return).

Steel for Ship Repairing

*465. **Shri Indrajit Gupta:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that supplies of Lloyds Tested Steel for ship repairing are virtually unobtainable in India;

(b) whether as a result ship repairing and ship-building yards are unable to undertake orders, particularly on foreign vessels;

(c) whether such orders are progressively being diverted to non-Indian ports; and

(d) if so, action, if any, being taken by Government to save the industry from extinction?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Though there is shortage of tested steel the work of ship repairs continues.

(c) and (d). No Sir. Most of the Ship-repair jobs are being handled in India. During the years 1960 to 1962, only six Indian and foreign ships had to be diverted to foreign ports for repairs due to non-availability of requisite material.

Production of Wool

*466. **Shri Ramachandra Ulaka:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there was any decline in the production of wool during the last year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Steps taken for increasing wool production are indicated in the Statement placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library, See* No. LT-1627|63].

Micro-Wave Tele-Communication System.

*467. { **Shrimati Renuka Barkataki:**
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state:

(a) the progress made up-to-date in installing the micro-wave telecommunication system in Assam; and

(b) whether the work for installation has been started?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) Detailed engineering planning for the project has been completed. Tenders for the supply of equipment required for the project have been selected and advance order has been placed.

(b) Installation work has not yet been started.

Fire in Czech Airliner

***468. Shri Basumatari:**
Shri Vishram Prasad:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Czechoslovak Airlines Jet liner, TU-104, caught fire at Santa Cruz airport on the evening of 16th August, 1963;

(b) whether an inquiry was ordered; and

(c) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a). Yes, Sir.

(b) and (c): A Committee of Inquiry has been appointed by Government under Rule 74 of Indian Aircraft Rules to investigate the incident. Its report is awaited.

कपास

***४६९. श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में अब तक कपास का उत्पादन आशानुकूल नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख) उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि कपास की फसल वर्षा पर निर्भर रहती है और सिंचित कपास का क्षेत्र केवल १३ प्रतिशत रहा है।

(ग) देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(१) एक ऐसी समाकलित कपास विकास योजना चालू की गई है जिस पर २१९ लाख रुपए खर्च आयेंगे।

(२) इसके अतिरिक्त कपास की खेती को तेज़ी से बढ़ाने के लिए २·५४ लाख एकड़ के क्षेत्र में पैकेज प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इस काम के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगा दिया गया है जिसका खर्चा केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें बराबर बराबर उठायेंगी।

(३) पैकेज प्रोग्राम को लम्बी और मध्य की रेशेदार कपास के सिंचे हुये कुल १६·७ लाख एकड़ क्षेत्र में बढ़ाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(४) भारत सरकार बीज, उर्वरक और पौद सरक्षण के सामान खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण और इन मदों के लिए आर्थिक सहायता देने की भी सुविधाय बढ़ा रही है।

(५) १९६३–६४ में हवाई छिड़काव की विशेष सुविधा को बढ़ा दिया गया है सरकारी जहाजों का प्रयोग करने पर नाममात्र एक रुपया प्रति एकड़ वसूल किया जाता है। गैर सरकारी जहाजों के प्रयोग किए जाने पर परिचालन-लागत का दो-तिहाई हिस्सा ही केन्द्रीय सरकार सहन करती है।

(६) राज्य सरकारों की मांग के अनुसार कपास की फसल के लिए उर्वरकों का विशेष कोटा उपलब्ध किया जाता है ।

Railway Electrification Scheme.

*470. **Shri Dinen Bhattacharya:**
Dr. Ranen Sen:
Dr. Saradish Roy:
Shri Sarkar Murmu:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Electrification Scheme has been started as a project under the Railway Board;

(b) the number of persons employed in Eastern and Northern Railway under the same Scheme; and

(c) whether their service conditions are the same as for those of other railway employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes.

(b) 7447. Northern. 1951, Eastern 5496.

(c) Yes, except that of Casual Labourers.

Japanese Demonstration Farms.

*471. **Shri Yashpal Singh:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shri A. K. Gopalan:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the yield of paddy in the demonstration farms organised on the Japanese pattern has considerably increased;

(b) if so, whether it is proposed to establish more such farms; and

(c) the criteria for selecting the sites for these farms?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Information on the performance of the paddy Demonstration farms received from the States is not yet complete. Available information shows that the performance of these farms was on the whole satisfactory in the first paddy season and it is likely to be very good in the present season.

(b) Yes.

(c) The Farms are selected by Japanese experts who constitute the Survey Team which visits the sites suggested by the State Governments. The Team considers the following factors:—

1. Location of the farm near and well connected with a town having civic facilities such as hospital, railway station, etc.
2. Irrigation and drainage facilities or proper water management.
3. Fields which are levelled or terraced to a high degree of perfection.
4. Location of the site in an irrigated belt.
5. Provision of residential and farm buildings according to standard and specifications of the Japanese Team.
6. Suitability of the soils for adoption of Japanese implements and techniques.

Nationalisation of Passenger Transport Service

*472. **Shri P. Venkatasubbaiah:**
Shri Eswara Reddy:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the State Governments have been asked not to proceed with the nationalisation of passenger transport service in their States;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the reaction of the State Governments to this proposal?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) The National Development Council has suggested to the State Governments that programmes for expanding the fleets of the State Road Transport Undertakings for passenger service should be held in abeyance or curtailed to the minimum, and where possible, deferred.

(b) The reason which appears to have weighed with the Council is that the productive capacity of the automobile industry should be conserved for more important uses, including military needs.

(c) There is no nationalised service in pondicherry while the transport services are completely nationalised in Himachal pradesh. The question of the Himachal pradesh and pondicherry Government taking any action on the suggestion does not arise.

The Andhra pradesh Road Transport Corporation is reviewing its programmes of nationalisation for the years 1964-65 and 1965-66.

The U.P. Roadways have deferred 10 out of the 32 schemes published by them and further publication of new schemes has also been deferred.

The proposal to nationalise road transport services in Tripura has been postponed.

The Government of Kerala have stated that the advice of the National Development Council will be kept in view by them.

The manipur State Transport and Gujarat State Road Transport Corporation have reported that they are going slow with their nationalisation programmes.

The Maharashtra State Road Transport Corporation have been advised to finance their nationalisation programmes from their internal resources and not to ask for any capital contribution from the Central Government or the State Government.

The Government of Punjab have regretted their inability to act on the advice of the National Development Council, since any postponement or deferment of the programmes in the Ambala and Jullunder regions will be contrary to the agreement of the State with the private operators to run transport services on a 50:50 basis.

The other States have not yet communicated their views.

Road Board

***473. Shri Ramachandra Ulaka:** Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 350 on the 12th March, 1963 and state:

(a) whether Government have since considered the proposal for setting up a Road Board; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). The matter is still under consideration.

Timber Shortage

***474.** **Shri Indrajit Gupta:**
Shri Yamuna Prasad Mandal:
Shri Badrudduja:
Shri N. P. Yadav:
Shri H. P. Chatterjee:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether long-term plans have been drawn to meet 100 million ton deficit in timber and fuel; and

(b) if so, the outline thereof and the arrangements made to ensure financing of such plans?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). A 15 year programme for raising fast growing species suitable for wood based industries, covering one lakhs acres annually, was drawn up before the commencement of the Third Plan. A provision of Rs. 275 lakhs has been made in the Third Plan for raising such species over an area of 1,37,000 acres, to start with.

A provision of about Rs. 10·5 crores is also required by the States for raising economic plantations over about 7 lakh acres during 3rd Plan period. Afforestation is also done under the schemes on Farm Forestory, Plantation along roads and canals, Rehabilitation of degraded forests and development of pasture and grazing. Large scale plantations are done every year under *Vanamahotsava.*

The Government of India provides subsidy upto 50 per cent for raising matchwood plantations, loan upto 100 per cent for other economic plantations and subsidy upto 100 per cent for raising fast growing species.

Work on the project "Pre-investment Survey of Forest Resources" is also to be started shortly. Under this project, possibilities will be explored of proper industrial utilisation of raw material available in inaccessible forest areas and measures to be taken for development of these forests with a view to increase the raw material required for industries from forests.

Madras has proposed to take up afforestation scheme under Freedom from Hunger Campaign. Assistance will be available from the F.A.O. in executing such schemes.

Provision which will be required for the various afforestation schemes during 4th and subsequent five-year plans has not been worked out so far.

Mangalore Port

*475. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Bishanchander Seth:
Shri Raghunath Singh:
Shri Subodh Hansda:
Shri Mohan Swarup:
Shri D. C. Sharma:
Shri Mohsin:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering to take up work on the Mangalore all-weather port;

(b) whether any decision has been taken by Government to select a site for the port;

(c) whether Government have approved the report of the Technical Advisory Committee appointed by Government; and

(d) if so, how far it has been implemented?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) The Mangalore port project is an item already included in the Third Five Year Plan. Work on the project is proceeding.

(b) A site north of the Gurpur river has been selected for the new harbour.

(c) and (d). The Technical Advisory Committee has been constituted for scrutinising the lay-out and designs for the harbour and to advise on other important technical matters relating to the Project. The first meeting of the Committee was held in March, 1963. The Committee has approved the site of the harbour and the broad details of the project as set out in the project Report prepared by the Technical wing of the Department of Transport.

The Government have appointed a Chief Engineer and Administrator for the project who joined in June, 1963. The project organisation is taking shape. Some members of the staff have been recruited. Some more will be recruited soon. Land acquisition is in progress. Sanction for the construction of quarters has been issued.

Other urgent proposals such as experimental dredging between minus 20 feet and minus 30 feet contours which will also be the first stage of the dredging programme are under active consideration.

Non-payment of Wages in Bikaner Division

1310. Shri Karni Singhji: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of cases year-wise of non-payment of wages brought to the notice of the railway authorities (Bikaner Division) during the past three years;

(b) the action taken thereon;

(c) the number of cases year-wise of irregularities brought to the notice of the railway authorities (Bikaner Division) by the Central Labour Relations Machinery for the past three years;

(d) the action taken thereon; and

(e) the number of pending cases both under parts (a) and (b) above and the reasons for their non-disposal so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

New P. & T. Offices

1311. Shri Karni Singhji: Will the Minister of **Posts and Telegraphs** pleased to state the places where Post and Telegraph Offices are proposed to be opened in the Districts of Bikaner, Churu and Ganganagar during 1963-64 and 1964-65?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library, See* No. LT-1628/63].

Development of Forests in Orissa

1312. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any assistance was given in 1962-63 or is proposed to be given in 1963-64 to the Government of Orissa for the development of forests in the State; and

(b) if so, the details of the amount sanctioned?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Amount of central assistance sanctioned during 1962-63 and provided for 1963-64 is given as under:—

(Rs. in lakhs)

Year	State Schemes•		Centrally sponsored forestry scheme.	
	Loan	Grant	Loan	Grant
1	2	3	4	5
1962-63	12·50	3·03	..	1·50
1963-64	21·90	4·30	..	5·00

•Figures in columns 2 and 3 relate to forestry as well as soilconservation schemes as central assistance is provided for both purposes, together.

Railway Accidents

1313. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway accidents in which goods trains or shunting goods wagons were involved during the last one year in South-Eastern Railway; and

(b) the steps being taken to avoid all such accidents in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Three hundred and twenty three (from 1-7-1962 to 30-6-1963).

(b) (i) Each case of accident is investigated to establish its cause and remedial measures are taken to prevent recurrence of similar accidents.

(ii The staff are being made increasingly safety conscious through personalised training as also other media like safety slogans, posters, safety films etc.

(iii) Increased stress on safety in working and accident prevention is being laid in the periodical refresher courses for the staff.

(iv) The staff held responsible are suitably punished for their defaults.

(v) Increased emphasis is being laid on maintenance of rolling stock, permanent way and other equipment.

(vi) Stations are inspected regularly to ensure that the staff are well conversant with rules and that irregular working is not resorted to.

Vacancies in South-Eastern Railway

1314. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the order providing for the reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotional vacancies in South-Eastern Railway has been implemented;

(b) if so, the total number of posts reserved for them in each of the cadres in South-Eastern Railway up to 1st July, 1963;

(c) whether selections have been held for all those posts and whether postings have also been made; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b)

	No. of posts reserved upto 1-7-1963	
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
For promotion from Class IV to Class III .	508	377
For promotion from grade to grade within Class III .	592	300

(c) Yes, except where suitable Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates were not available.

(d)

	No. selected upto 1-7-63		No. promoted upto 1-7-63	
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
From Class IV to Class III .	344	188	329	158
From grade to grade within Class III .	176	48	164	45

Employees under Orissa P. & T. Circle

1315. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of P. & T. be pleased to state:

(a) the total number of Class I, II, III and IV employees under Orissa P. & T. Circle; and

(b) the total number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees among them?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a)

Class I	7
Class II	21
Class III	3,827
Class IV	1,006
Total	4,861

(b)

Class I	Nil
Class II	Nil
Class III	589
Class IV	325
Total	914

Employees under Cuttack Postal Division

1316. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state:

(a) the total number of employees under Cuttack Postal Division; and

(b) the total number of employees among them who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) 743.

(b) 125.

Trivandrum Airport

1317. { Shri M. K. Kumaran:
Shri P. Kunhan:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) the stage at which the expansion work of the aerodrome at Trivandrum stands;

(b) whether it is a fact that a large number of families who were colonised near the aerodrome will be forced to evacuate as a result of the proposed expansion; and

(c) if so, whether the Government propose to have any alternative arrangement of settlement for those displaced people?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) The extension of the main runway is nearing completion.

(b) Some unauthorised squatters on Government land on the approach to the runway may have to be evicted to clear the obstructions.

(c) The State Government will consider the question of making alternative arrangements for the settlement of the affected persons.

Over Bridge at Rayagada

1318. { Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1089 on the 11th May, 1962 and state:

(a) whether Orissa Government have since communicated their final decision regarding the execution of an over-bridge at Rayagada; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) No. Final decision has not yet been received. The scheme has been tentatively recommended for execution during 64-65 and 65-66.

(b) The Railway Administration has already started collection of preliminary data in consultation with the road authorities of the State Government, for preparation of plans and estimate.

Research Schemes in Orissa

1319. Shri Ramachandra Ulaka: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any research schemes were sanctioned or are proposed to be sanctioned in Orissa by the Indian Council of Agricultural Research during 1962-63 and 1963-64 separately: and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). A statement giving the information required is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1629/63].

Postman in Orissa

1320. Shri Ramachandra Ulaka: Will the Minister of **P. & T.** be pleased to state:

(a) the total number of Postmen at present in different Post Offices in Orissa;

(b) whether house rent allowance was paid to them; and

(c) if so, the total amount paid to them annually in 1961-62 and 1962-63?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) 22.

(b) HRA is only admissible to the postmen working in Cuttack whose present No. is 84.

(c)	1961-62	Rs. 7380.
	1962-63	Rs. 7560.

S.E. Railway Employees

1321. { **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ramachandra Ulaka:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Class III employees appointed by the South Eastern Railway in 1962-63; and

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) 1620.

(b) Scheduled Castes—231.
Scheduled Tribes—33.

Corruption Cases in Northern Railway

1322. { **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ramachandra Ulaka:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number and the nature of corruption cases pending in Northern Railway as on the 31st July, 1963?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No. of cases: 199.

(b) Nature of pending cases:

1. Accumulation of wealth disproportionate to known sources of income.
2. Acceptance of illegal gratification.
3. Cheating.
4. Misappropriation of Government money.
5. Falsification of records.
6. Misuse of Railway materials and labour.
7. Misuse of passes and P.T.Os.
8. Excess payment to contractors causing loss to the Railway Administration.
9. Acceptance of works and material below specification.

Corruption Cases in S. E. Railway

1323. { **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ramachandra Ulaka:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number and the nature of corruption cases pending in South Eastern Railway as on the 31st July, 1963?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No. of cases: 176.

(b) Nature of cases:

1. Demand and acceptance of illegal gratification.
2. Securing employment and promotions etc. on false declaration & submission of false certificates.
3. Fraudulent drawal & misuse of Passes and P.T.Os.
4. Misappropriation of Railway Cash and materials etc.
5. False maintenance of Muster Rolls manipulation of official records, drawal of false travelling allowances, etc.
6. Claiming of educational assistance by submitting false certificates.
7. Violation of Service Conduct Rules.
8. Alleged execution of works below specification by Railway Contractor.

BIO Gas Plant

1324. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of research centres established to pursue the research work regarding the bio gas plant during 1962-63?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): Attention is invited to the reply given to the earlier Unstarred Question No. 1919 answered in the Lok Sabha on the 16th April, 1963.

Theft Cases in S.E. Railway

1325. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of theft cases detected in the South Eastern Railway Workshops during 1962-63?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): 82.

Co-operative Movement in U.P.

1326. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether any loan or aid has been given by the Centre to the Government of U.P. to gear up the co-operative movement there during the last five years; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Yes, Sir.

(b) The following assistance was given to the U.P. Government for implementing Plan schemes of co-operative development:

(Rupees in lakhs)

Year	Loan	Subsidy	Total
1958-59 .	38·30	17·30	55·60
1959-60 .	20·52	25·28	45·80
1960-61 .	5·75	33·76	39·51
1961-62 .	51·01	37·49	88·50
1962-63 .	79·56	54·02	133·58
TOTAL .	195·14	167·85	362·99

Grant to U.P. for Horticulture

1327. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount in the shape of loans and grants given to U.P. Government for horticulture during 1962-63; and

(b) the amount utilised by the State during the same period?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) A sum of Rs. 3,88,400 was given in the shape of grants to U.P. Government for horticulture during 1962-63. No amount was given in the shape of loans.

(b) Out of the amount sanctioned as grant, a sum of Rs. 3,10,106 was utilised by the State during 1962-63.

रेलवे पार्सल

१३२८. **श्री लखमू भवानी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आउट एजेंसियों द्वारा रेलव पार्सल पर 'अन्डर चार्जेज़ वसूल करने की व्यवस्था है ;

(ख) जगदलपुर रेलवे स्टेशन आउट एजेंसी द्वारा गत एक वर्ष में 'अन्डर चाजज़' म कितनी रकम वसूल की गई ह; और

(ग) अंडर चार्जेज वसूल करने से जनता को जो अनावश्यक बोझ उठाना पड़ता है, उसकी रोकथाम के लिये रेलवे मंत्रालय के द्वारा क्या कोई कदम उठाया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग २७,००० रुपये ।

(ग) कोई ऐसा कदम उठाने का सवाल नहीं उठता क्योंकि अवप्रभार की रकम (undercharges) वह रकम है, जो वाजिब तौर पर आउट एजेंसी को मिलनी ही चाहिए ।

Assistance to Madras Fisherman

1329. **Shri V. V. Thevar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the financial assistance given by the Union Government to the Government of Madras for construction of houses for fishermen during 1961-62, 1962-63 and 1963-64;

(b) the financial assistance given to the Madras Government for construction of roads in the areas inhabited by fishermen during the same period; and

(c) the amount actually spent by the Government of Madras under both these categories during that period?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) to (c). There is no Central Scheme, under the Third Five Year Plan, of financial assistance to States for the construction of houses for fishermen or of roads in the area inhabited by fishermen. The Government of India are, however, giving assistance, as a special case, under the Village Housing Scheme, for construction of houses for 220 fishermen of Kootapuli Village and 13 fishermen of Perumanal Village in the Tirunelveli district of the Madras State. Information regarding the amount actually spent so far by the Madras Government under this scheme is not available at present.

Passenger sheds on stations of Southern Railway

1330. **Shri V. V. Thevar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the criteria under which the expansion or construction of passenger sheds for convenience of passengers at Railway Stations is undertaken on Southern Railway?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): The need for provision of cover over platforms is assessed on the basis of climatic conditions, number of passengers and the nature of traffic dealt with. Normally sufficient area is to be covered to enable half the maximum number of passengers booked or detrained, to be accommodated at the rate of 6 sq. ft. for each passenger.

Actual execution of work at individual station is, however, dependent on availability of funds and the priority allotted to the work in consultation with the Divisional and Zonal Users Consultative Committees.

Animal Husbandry, Dairying and Fisheries

1331. **Shri V. V. Thevar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the financial assistance given by the Union Government to the Government of Madras for development of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries during 1961-62, 1962-63, and 1963-64 so far; and

(b) the amount of money actually spent by the Government of Madras during these periods?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). A statement showing the available information with regard to the amount of central assistance given to the Government of Madras for development of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries during the years 1961-62 and 1962-63 and that allocated for 1963-64 together with the figures of expenditure for 1961-62 and anticipated expenditure for 1962-63, is laid on the Table of the House. [Placed in Library, *see* No. LT-1630/63]. The central assistance is given with regard to approved patterns of assistance. The total expenditure includes both pattern and non-pattern schemes.

"Rajamatam Road Halt Station"

1332. Shri V. V. Thevar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total amount for tickets sold during the last six months in Rajamatam Road halt station (on the Mayuram-Karaikkudi line, Southern Railway) while the Railway Administration was selling the tickets and the amount collected by the contractor to whom this work was given, during the corresponding period of the previous year; and

(b) the amount of expenditure incurred separately under both these systems during those periods?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) and (b). The information is under collection and will be laid on the Table of the Sabha.

ताल में टेलीफोन कनेक्शन

१३३३. श्री राधेलाल व्यास: क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्बा ताल को आलोट पी० सी० ओ० से टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

(ग) ताल के नागरिकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकेंगे ?

डाक व तार मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आलोट और दो अन्य सार्वजनिक टेलीफोन घर रतलाम के साथ तार युग्मों से जुड़े हुए हैं और परिपथ पर काम की अधिकता है । आलोट में पूर्णकालिक परिपथ तभी क़ायम होगा जब कि नागदा टेलीफोन केन्द्र खुल जायगा और मोहीदपुर रोड तथा मोहीदपुर सिटी के दोनों सार्वजनिक टेलीफोनघर नागदा को स्थानान्तरित हो जायेंगे । अप्रैल, १९६४ तक नागदा टेलीफोन केन्द्र के खुल जाने की सम्भावना है और उपभोक्ताओं द्वारा किराये और गारंटी की शर्तें स्वीकार किये जाने पर आलोट सार्वजनिक टेलीफोन घर से एहक्सटेंशन दिये जायेंगे ।

टेलीफोन एक्सचेंज, नागदा

१३३४. श्री राधेलाल व्यास: क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागदा (जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना स्वीकार किया गया है और नागदा के कुछ नागरिकों ने टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये कुछ रुपया जमा कराया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक नागदा में टेलीफोन एक्सचेंज क्यों नहीं खोला गया ; और

(ग) नागदा में टेलीफोन एक्सचेंज कब तक खल सकेगा और उससे स्थानीय जनता को कब तक कनेक्शन दिये जायेंगे ?

डाक व तार मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) यह सच है कि एक टेलीफोन केन्द्र की मुंजूरी दी गई है। परन्तु रुपया सार्वजनिक टेलीफोन घर से एक्सटेंशन देने के लिए जमा किया गया था, टेलीफोन केन्द्र से कनेक्शन देने के लिए नहीं ।

(ख) इसके लिए सामान की प्रतीक्षा है ।

(ग) इस चालू वित्तीय वर्ष में ही उक्त टलीफोन केन्द्र के खुल जाने की सम्भावना है ।

खाचरौद में टेलीफोन कनेक्शन

१३३५. श्री राधेलाल व्यास: क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाचरौद (मध्य प्रदेश) के लोगों ने अपने घर पर टेलीफोन कनेक्शन देने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और अभी तक उन्हें टेलीफोन कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये ; और

(ग) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकेंगे ?

डाक व तार मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) से (ग). टलीफोन कनेक्शनों के लिए १० आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से अब तक तीन कनेक्शन दिये जा चुके हैं । १५ सितम्बर तक तीन और कनेक्शन दिये जायेंगे तीन आवेतकों ने, जिन्हें मांग-पत्र जारी किये गए थे, अदायगी करने से इन्कार कर दिया है । यदि टैलीफोन कनेक्शन देने की मांग दस से अधिक बढ़ गई तो एक बड़ा टेलीफोन केन्द्र पित किया जायगा ।

Bufler Stock of Foodgrains

1336. Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Bhakt Darshan:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether all the four million tons of imported foodgrains have already been pumped into the market in 1962-63;

(b) the present position of the buffer food stock; and

(c) whether Government propose to increase next year's import of foodgrains?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) A total quantity of about 3·9 million tons of foodgrains was imported during the financial year 1962-63 and a total quantity of about 4.2 million tons was distributed from the Central Depots during the same period.

(b) About 18·1 lakh tons of wheat and 4·6 lakh tons of rice are held by the Central Government at present.

(c) According to present indications, the rate of imports of foodgrains next year is likely to be about the same as this year, which is higher than the year previous.

Calcutta's Suburban Service

1337. Shri Bhagwat Jha Azad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to manufacture A.C. electrical multiple-unit stock required for Calcutta's Suburban Services; and

(b) if so, the details thereof.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes.

(b) It is proposed to build 592 Broad Gauge A.C. electrical multiple

unit coaches at the Integral Coach Factory, Perambur during the III Plan period. So far 27 trailers and 1 prototype motor coach have been turned out.

Food Zone

1338. **Shrimati Renuka Barkataki:**
Shri Rasumatari:
Shri Yashpal Singh:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken any final decision on the representation of Government of Orissa for permitting them to be excluded from food zone comprising of Orissa and West Bengal; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) The Government of Orissa have not proposed the exclusion of Orissa from the Eastern Rice Zone.

(b) Does not arise.

Merchant Navy Academy

1339. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Subodh Hansda:
Shri Heda:
Shri A. V. Raghavan:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether the Merchant Navy Training Board has recommended the establishment of a Merchant Navy Academy for providing a combined preliminary Pre-Sea training to both the Dufferin and Directorate of Marine Engineering Training Cadets;

(b) whether the Board has also recommended a four-year correspondence course for direct entry to deck apprentices in India on the pattern of United Kingdom; and

(c) if so, whether these recommendations have been accepted by Government?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) These recommendations are under examination of Government.

Trainer Aircraft

1340. **Shri Yashpal Singh:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether Government are considering to standardise a trainer aircraft for the use of flying clubs;

(b) whether the views of the Hindustan Aicraft Ltd., and the Indian Air-Force have been invited; and

(c) when a standard plane is expected to be made available?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) to (c). In para. 128 of its 29th Report, the Estimates Committee recommended that Government may, at an early date, standardise a trainer aircraft for the use of Flying Clubs. Accordingly, the design work for the proposed aircraft has been undertaken by the Technical Centre of the Civil Aviation Department. Consultation and co-ordination with Hindustan Aircraft Ltd. and Indian Air Force will be established, in due course. The development of the prototype is likely to take more than two years.

Dairy Farms

1341. **Shri Vasudevan Nair:**
Shri Warior:
Shri Maniyangadan:
Shri P. K. Deo:
Shri Buta Singh:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there are proposals to start dairy farms at Devikulam and Punnapra in Kerala State with Swiss assistance; and

(b) if so, when these projects are expected to take shape?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). An agreement between the Swiss Confederation and the Government of India providing for Swiss assistance for the establishment of an agricultural centre in Munnar on government land of about 500 acres was signed on the 12th July, 1963. The object of the project is to develop methods of fodder production together with improvement of soil, cattle breeding and dairy economy. The experience gained is expected to be applied later on in a larger settlement in Peermade in setting up self-sufficient cattle breeding cooperatives. Preliminary steps to implement the project are in progress. Sweedish technical experts have begun to arrive. Arrangements are also being made to import equipment for the Project which is not available through indigenous sources.

Culturable Waste Land

1342. **Shri Warior:**
Shri Vasudevan Nair:
Shri Dinen Bhattacharya:
Shri M. N. Swamy:
Shri A. K. Gopalan:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the experts committee appointed to assess the extent of culturable wasteland in blocks of 250 acres and more available in different States has submitted its report;

(b) if so, the main findings thereof; and

(c) the steps Government propose to take in regard to the distribution of these lands?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The Committee has submitted its report on all the States except Orissa, Rajasthan and Assam.

(b) In its reports covering 12 States, the Committee has recommended the reclamation of 10,83,690 acres of culturable wastelands at a total estimated cost of Rs. 16·8 crores.

(c) The Committee's reports cover both private and Government lands. Implementation of the recommendations of the Committee and the distribution of government lands which are reclaimed is the responsibility of the State Governments who have been asked to take necessary action with such financial resources as are available.

Cochin Port Medical Hospital

1343. **Shri Warior:**
Shri Vasudevan Nair:
Shri M. N. Swamy:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that the port medical hospital at Cochin has refused recently to provide medical treatment to workers' families staying outside the port area;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken in this connection?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). Considerable difficulty was experienced in the Cochin Port Hospital for some time in attending to the treatment of patients on account of the absence of the lady doctor on leave on medical grounds from the 23rd October, 1962, to the 5th April 1963. Efforts to appoint a doctor locally on an *ad-hoc* basis were not successful. The situation became very difficult and therefore, the medical facilities for the families of workers staying in outlying areas had to be suspended from the 15th March, 1963, and the number of in-patients also restricted. The workers concerned were advised to seek medical treatment from the nearest Government hospital. The lady doctor returned from leave in the first week of April, 1963, and one Doctor appointed against one of the newly created posts also joined the hospital in the middle of June, 1963. Full facilities for out-patients were restored from the 12th June, 1963. As regards in-patients, the number of admissions continues to be restricted as some construction work in connection with the expansion of the hospital is going on and only two wards are now available for in-patients. As soon as the other wards are fit for use, more in-patients will be admitted.

Target of Plantations

1344. { Shri Warior:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to achieve the target of the Third Plan regarding plantations of industrial and economic importance; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir.

(b) It is proposed to raise plantations of industrial and economic importance over an area of about 7 lakh acres during 3rd Plan period In adition, an area of 1,37,000 acres will be covered under a centrally sponsored project on plantation of fast growing species. Species suitable for wood based industries will be planted up under the latter project.

The Government of India lays main emphasis no plantation programmes. All possible efforts are made in making available to the State Governments the funds required for this work, foreign exchange for import equipment and seeds from foreign countries. Technical advice is also given to the States whenever required by them. The Government of India provides subsidy upto 50 per cent for raising matchwood plantations, loan upto 100 per cent for other economic plantations and subsidy upto 100 per cent for raising plantations of fast growing species. Schemes furnished by the State Governments are examined and necessary advice is given in that regard. The progress made in the plantation programmes by the States is periodically reviewed and efforts are made to ensure that the State Governments execute the programmes according to the approved annual development plans.

Kitchen Gardens

1345. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to launch a scheme to promote kitchen gardens and increase their production; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Establishment of kitchen gardens is being promoted by Departments of Agriculture and Community Development in the States by supplying packets of seeds, seedlings, manures and fertilizers and leaflets. The Central Government encourage these measures by publishing bulletins, leaflets and posters and by giving financial grants to agri-horticultural societies in the States.

Village Road Development

1346. Shri Subodh Hansda: Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether the scheme for village Road Development during the Third Five Year Plan on co-operative basis has been discontinued at present;

(b) the amount that was set apart for the Third Plan for this purpose;

(c) whether the entire amount has exhausted; and

(d) if not, the reason for discontinuing the scheme?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (d). The scheme relating to the development of village roads on a co-operative basis has not been extended to the Third Five Year Plan for the reasons that substantial amounts have been allocated to the States for the development of rural roads under the Community Development Programme and under the Local Development Works Programmes and under that the development of such roads forms parts of State Plans. No amount was, therefore, set apart for the scheme in the Third Plan.

Late running of Trains

1347. { **Shri Subodh Hansda:**
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the Delhi bound trains from Madras were late by more than ten hours on the 8th May, 1963:

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the outgoing trains from Delhi to Calcutta were also detained; and

(d) the reasons for detaining these trains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) and (b). As a result of derailment of a goods train at Kazipet Junction on 6th May, 1963 causing heavy damage to the track and interruption of through communications, the train services on the route had to be regulated and consequently 15 Down Grand Trunk Express, 17 Down Janata Express and 21 Down Biweekly Airconditioned Express trains which left Madras Central right time on 6th May 1963 and due at Delhi|New Delhi on 8th May 1963 arrived late by 12 hours 28 minutes, 11 hours 23 mts. and 8 hours 25 minutes respectively.

(c) and (d). All Calcutta-bound trains, except No. 82 Down New Delhi-Howrah Biweekly Airconditioned Express, left Delhi right time on 8th May, 1963. No. 82 Down Airconditioned Express left New Delhi 6 hours 5 minutes late on that date due to late arrival of 21 Down Madras-New Delhi Airconditioned Express, the rake of which is utilised to work 82 Down.

"Kartik" Glider

1348. Shri Raghunath Singh: Will the Minister of **Transport** be pleased to state whether gilder designed and built in India named 'Kartik' proved to be a success?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): The glider, in question, was loaned to Delhi Gliding Club in May 1963 and in about two months, it has logged approximately 34 hours, made up of over 120 launches. The maximum height attained was 3550 metres (approximately 11,600 ft.), and the longest flight was of nearly 3 hours duration.

On the basis of this performance, it can be considered a success.

Railway Accidents

Shri D. D. Mantri:
Shri Ram Ratan Gupta:
Shri Sidheshwar Prasad:
1349. **Shri R. S. Pandey:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of railway accidents involving loss of lives that occurred during May to July, 1963, zonewise?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): The number of train accidents involving loss of life on the Indian Government Railways during May to July, 1963, was as under:—

Central Railway	Nil
Eastern Railway	3
Northern Railway ..	1
North Eastern Railway ..	2
Northeast Frontier Railway	Nil
Southern Railway ..	3
Sout Eastern Railway ..	2
Western Railway ..	Nil

Strike by Marmagao Dockers

Shri P. C. Borooah:
Shri D. C. Sharma:
Shri Indrajit Gupta:
1350. **Shri Kola Venkaiah:**
Shri G. Mohanty:
Shri P. K. Deo:
Shri Buta Singh:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether the Marmagao port, dock and transport workers went on a strike in May-June, 1963;

(b) if so, the main reasons for the strike; and

(c) how the dispute has been settled?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). In response to a general demand on the part of the stevedore labour and as a step towards the decasualisation of such labour, the Mormugao Stevedores Association in agreement with the Transport and Dock Workers Union formulated a scheme called the "Mormugao Stevedores Gang Labour Scheme" or briefly called "The Gang Labour Pool". The object of the scheme was to regulate by rotation the employment of Stevedore Gang Workers, promote direct and better employer-employee relationship and to secure that an adequate number of such workers was available for the efficient performance of work. The scheme was to be enforced from the 23rd May, 1963.

The General Secretary of the Mormugao Port, Dock and Transport Workers' Union, though claiming not to be against the scheme, opposed its formulation as this was being done in agreement with the other Union and his Union had not been consulted. According to him, the proposed scheme would have led to casualisation of labour, retrenchment, wage cut and loss of existing facilities. As, however, the majority of Gang labour for which the Pool was being constituted, belonged to the other Union who had come to an agreement with the Stevedores Association, the Association decided to enforce the scheme from the 23rd May, 1963.

The Mormugao Port, Dock and Transport Workers' Union then resorted to a strike, which began from 23rd May, 1963. The categories which joined the strike and their number were:-

Winchmen	600
Bargemen	800
Gang Labour	350
Sample boys	150

On the 31st May, 1963, the strike was declared illegal by the Government under the Defence of India Rules. Thereafter, certain discussions were held between the Government of Goa and the representatives of the Mormugao Port, Dock and Transport Workers' Union. An agreement was reached on the 3rd June, 1963 and the strike was called off and the work was resumed in the morning of the 4th June, 1963. According to this agreement, the Mormugao Port, Dock and Transport Workers' Union accepted the scheme in principle as a step towards the formation of a Dock Labour Board, subject to certain modifications which were to be settled later by mutual discussions between the Labour Unions and the Mormugao Stevedores Association with the help of the Port Administration.

Balharshah—Vijayawada Track

1351. **Shri Eswara Reddy**: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1574 on the 6th April, 1963 and state:

(a) the extent of the 74 miles of track programmed for welding on the Balharshah and Vijayawada Section was welded up to the end of July, 1963;

(b) whether there is any proposal to relay the track between Kazipet and Vijayawada with 102 rails; and

(c) if so, when this work will be undertaken?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Nil in track so far. Eight miles rails have been welded and are lying on cess ready for insertion in track.

(b) About 25 miles of track between Kazipet and Vijayawada have been programmed during 1963-64 for relaying with 105-lb. rails.

(c) The relaying work is expected to be taken in hand in October| November, 1963.

Bridge over Godavari

1352. **Shri Eswara Reddy**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the nature of works undertaken so far for constructing another bridge across river Godavari between Kovvur and Godavari Stations;

(b) whether any time schedule has been drawn for the various phases of work; and

(c) the amount proposed to be spent during 1963-64?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy). (a) Engineering investigations have been completed and tenders for the construction of sub-structure of the bridge have been called for. Work is expected to be taken in hand in the next working season.

(b) Yes. The works have been so planned as to bring the second bridge into use by end of 1968.

(c) About Rs. 40 lakhs.

Bridge Across River Krishna

1353. **Shri Eswara Reddy**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the steel structures and girders required for the second bridge across River Krishna near Vijayawada have since been procured;

(b) if not, when these are likely to be procured; and

(c) the amount spent so far on the project?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) The procurement arrangements for the steel required, have been completed. About 30 per cent of the mild steel has been received. Some of the high tensile steel, which is being imported, has also been shipped.

(b) All supplies are expected to be completed by March 1964. The fabricated girders (in parts) are expected to reach the bridge site at a steady rate between December 1963 and December 1964.

(c) Rs. 81.49 lakhs to end of July 1963.

Bridge on Mahananda River

1354. Shri Heda: Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether the bridge on Mahananda river at Dingraghat in Purnea District has been completed;

(b) the total expenditure incurred and the percentage by which it exceeded the estimates; and

(c) the main features of this bridge?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) The bridge was completed and opened to traffic in October 1962.

(b) Rs. 103.12 lakhs. The excess over the provision is 3·85 per cent.

(c) The bridge is 2097 ft. long, having 12 spans each about 175 ft. in length and a roadway 24 ft. wide. It is fit for the heaviest vehicular traffic. The structure consists of simply supported prestressed concrete girders on piers supported over well foundation.

Fire in the Rail Bhavan

1355. Shri P. C. Borooah: Will the Minister for **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fire broke out in the Rail Bhavan, New Delhi on the 1st June, 1963;

(b) if so, the extent of damage suffered and the nature of papers/articles lost in the fire; and

(c) the cause of the fire accident?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes. There was a minor fire in one of the rooms on the 5th floor of Rail Bhavan early in the morning on Saturday, the 1st June, 1963.

(b) Very little damage was caused; only an old wooden box and some waste paper were destroyed.

(c) The fire was caused by a cigarette/bidi end thrown into the wooden box.

Complaints against Employees of Panchayat Samitis

1356. { Shri P. R. Chakraverti:
Shri Sidheshwar Prasad:

Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Government have appointed Zila Parishad Tribunals in all districts to enquire into the complaints against the employees of the Panchayat Samitis and Zila Parishads;

(b) what will be its composition and how far the elective elements in Panchayats will be associated with it; and

(c) whether similar tribunals are proposed to be set up in other States?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): (a) Yes, Sir.

(b) The Zila Parishad Tribunal constituted for each district comprises of:

(i) Deputy Commissioner of the District .... Chairman

(ii) Chairman of the Zila Parishad .... Member

(iii) District Development and Panchayat Officer in District .... Member

The Chairman of Zila Parishad represents the elective element.

(c) No, Sir.

अदालती पंचायतें

१३५७ { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अदालती पंचायतों के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुरूप वर्तमान अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक पंचायती अधिनियम पास करने का जो राज्य सरकार का निर्णय है उसके अनुसार नये अधिनियम की कोई रूपरेखा तैयार करके केन्द्रीय सरकार के पास उनकी राय के लिये भेजी गई है?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रलय में उपमंत्री (**श्री ब० सु० मूर्ति**) : जी, नहीं। राज्य सरकार ने अभी तक अधिनियम तैयार नहीं किया है। वे आशा करते हैं कि लगभग ४ महीनों में इसे अन्तिम रूप दे देंगे।

बांदा के बंगलीपुरा रेलवे फाटक पर पुल

१३५८ { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वांदा के बंगलीपुरा रेलवे क्रासिंग पर १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितनी मौतें हुई; और

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में रेलवे यात्रियों के निकलने के लिये वहां कोई पुल बनाने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी, नहीं।

नई दिल्ली में नया पुल

१३५९. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा रोड, दिल्ली पर अब्दुल रहीम खानखाना की कब्र के पास के नाले पर पुल निर्माण का कार्य कब से चल रहा है और कब तक चलेगा;

(ख) इस छोटे से पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पुराने पुल के तुड़वाने का क्या व्यय पड़ा और नये पुल के निर्माण में कितना व्यय होने का अनुमान है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). प्रत्यक्षतः माननीय सदस्य का तात्पर्य दिल्ली-मथुरा सड़क पर बारापुल्ला नाला के ऊपर के पुल के पुनर्निर्माण से है। यह निर्माण कार्य दिल्ली नगर निगम ने मई, १९६२ में एक ठेकेदार को सौंपा था और इसे एक वर्ष में पूरा किया जाना था। इस काम को पूरा करने में देरी होने के विभिन्न कारण हैं जैसे (१) यातायात के लिये दूसरे रास्ते की व्यवस्था (२) कुछ सरविस लाइनों जैसे कोएक्सल टेलिफोन केबलों, और कच्चे पानी के नल इत्यादि को हटाना (३) समूचे पुराने पुल में तल से लगभग ७ फुट की गहराई पर दो फुट का मोटा कंकरीट एप्रन का हटाना, और

(४) भूमिगत जल की कठिनाइयां । आजकल वर्षा के कारण कुवें खोदने का काम अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है और बरसात के बाद इस काम की रफ्तार बढ़ जाने की आशा है तथा पुल अगले बरसात से पहले यातायात के लिए तयार हो जायेगा ।

(ग) पुल को तोड़ने में २४,००० रुपये खर्च हुए हैं । आज तक इस निर्माण कार्य में ८.५० लाख रुपये के अनुमानित व्यय के विपरीत, २.१० लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

Quality Control

1360. { **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the new items of production for which quality control facilities have been provided during 1962-63 besides black pepper, chillies, cardamom and cashewnut kernels?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): Quality Control has also been introduced in respect of Myrobalans with effect from 1st December, 1962.

Shortage of Sugarcane

1361. { **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 20 on the 19th February, 1963 and state:

(a) the number of factories in North India which experienced a shortage of sugarcane;

(b) the number of days those factories had to be idle because of shortage of sugarcane; and

(c) the recommendations accepted and forwarded by Government for reducing this shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) Most of the factories in North India experienced shortage of sugarcane.

(b) Average duration of the season of sugar factories in the Northern Region in 1962-63 as compared to 1961-62 is given below:—

	Days	
	1962-63	1961-62
U. P. . . .	98	151
Bihar . . .	68	148
Punjab . . .	82	133
West Bengal .	56	95
Assam . . .	50	83
Orissa . .	113	143
Rajasthan .	91	106
Madhya Pradesh .	110	98

(c) It was suggested to the industry to pay a higher price of cane than the minimum fixed by Government in order to attract more supplies. The suggestion was followed by a few factories in West U.P. and that too at a later stage.

केन नदी पर पुल

१३६२ { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा स्टेशन के निकट केन नदी पर कई वर्षों से नया पुल बनाने का जो कार्य चल रहा है, उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १. बांदा स्टेशन के पास केन नदी पर रेलवे का कोई नया पुल नहीं बनाया जा रहा है ।

२. वर्तमान पुल १८८९ में बनाया गया था और इस में १२×१००' और १×२५०'

के स्पन लगे हुए हैं। चूंकि इसके गर्डर गतायु हो चुके थे और वर्तमान गाड़ियों का भार सम्भालने के लिए कमज़ोर थे, इसलिए इन्हें बदलने का निश्चय किया गया। सभी नये गर्डर लगा दिये गये हैं और काम मार्च, १९६३ में पूरा हो गया।

Wholesale Stores

1363. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri D. D. Mantri:
Shri G. Mohanty:
Shri Sivamurthi Swamy:

Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) the number of apex stores (wholesale stores) established in various States and the number of consumer cooperative societies which are being fed by these wholesale stores; and

(b) whether Government propose to bring some changes in the set pattern by providing permission for the registration of apex stores, without the condition of having the necessary number of consumer stores in order to accelerate the growth of consumer wholesale stores?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) 102 Wholesale stores and 1388 primary stores/branches were organised upto July, 1963 under the Centrally Sponsored Scheme on Consumers Cooperatives in various States. Most of these primary units have taken up business and are being fed by the wholesale stores.

(b) The structural pattern of wholesale stores has been kept flexible. Wholesale stores both with branch units and/or affiliated primary stores can be organised according to local conditions.

Cooperatives

1364. **Shri Inder J. Malhotra:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state whether any team has been set up for identification of the experiences of successful and unsuccessful cooperatives so that others could be benefited by them?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): No team has been set up for this purpose. However, the National Cooperative Union of India has been collecting information concerning successful and unsuccessful societies and publishing articles concerning them in issues of their fortnightly magazine, the 'Co-operator'. Action is also being taken by the Ministry of Community Development and Cooperation to prepare a national directory of successful co-operatives.

Agricultural Research

1365. **Shri Inder J. Malhotra:**
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the special features and findings of Vivekananda aboratory Agriculture Research Farm at Almora; and

(b) whether any variety of maize which could grow easily on high mountains has been developed?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The Vivekananda Laboratory, Almora, has been carrying out both fundamental research and applied research. The main features of the fundamental research are tackling of problems relating to cell physiology, vermalisation and tissue culture. Applied research work has led to the recommendation of a high yielding (101—126 maunds per acre) non-lodging and non-shedding rice variety, Kaohsiung-22, two 2-rowed barley varieties, Rika and Herta, characterised by high yield (40 maunds per acre) and tolerance to rust, three oat varieties giving high yield of grain and fodder, and several introduced varieties of grasses, vegetable and fruit crops for hill areas.

(b) The Laboratory has developed the hybrid V.L. 54 which has been found to be suitable for medium altitudes. Another hybrid, V.L. 109 is reported to have done well at Leh.

Railway Bridge at Madhopur

1366. **Shri Inder J. Malhotra:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the further progress made in the construction of the railway bridge over river Ravi at Madhopur; and

(b) when it is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Out of 20 wells, to be sunk for the foundations for piers and abutments, sinking has so far been completed on 7 wells and work on the remaining 13 wells is in progress.

Overall progress of the well foundations is about 70 per cent. Contracts for girders have been awarded and arrangements made for the required steel partly from indigenous steel & partly from imports. However, the imported steel is expected to be received only by the end of the year and fabrication of the girders can commence only thereafter.

(b) On account of the delay in getting the girders, it is expected that the bridge can be completed only by the middle of 1965.

Building for Deoria Post Office

1367. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state:

(a) whether a proposal for construction of a new building for Sadar (Main) Post Office Deoria (U.P.) has been under consideration since 1954;

(b) if so, when it will be constructed; and

(c) the rent paid by the Post Office to the Cooperative Bank, Deoria till 31st July, 1963?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) Yes, Sir.

(b) The construction work is likely to be completed by April, 1964.

(c) Rs. 18,933·33 nP.

Payment of Rent by P. & T. Officials

1368. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of **Posts & Telegraphs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Superintendents of Post Offices have to pay rent under F.R. 45-A *i.e.* 10 per cent of their pay;

(b) if so, whether it is a fact that the incumbents of such posts in the Kangra Provincial Division have been ordered to pay it on floor area basis; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) When in authorised occupation of Govt. accommodation having an area not more than what they are entitled to, the Superintendents have to pay rent under F.R. 45-A *i.e.* 10 per cent of their emoluments or standard rent of the accommodation, whichever is less.

(b) and (c). The building was taken on rent to accommodate both office and residence of the Superintendent of Post Offices Kangra Postal Division. Since the residential portion had much more area than what the officer was entitled to, he was asked to pay proportionate rent. The orders have, however, been held in abeyance and the matter is being re-examined.

Mail for Kangra and Mandi Districts

1369. Shri Hem Raj: Will the Minister of **Posts & Telegraphs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the mails which are despatched to the Kangra District (Punjab) and Mandi District of Himachal Pradesh are accumulated and detained at the Pathankot Railway Station;

(b) whether it is also a fact that the mail is despatched the second day and is received in various regions on the fourth or fifth day;

(c) whether Government propose to open an R.M.S. sorting office at Nagrota Bhagwan in order to arrange early delivery and if so, when; and

(d) whether Government have received any representation for the same?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) and (b). A statement is placed on the Table of the Sabha explaining the position. [Placed in Library. *See* No. LT-1631/63.]

(c) No. It has been examined and found that earlier delivery cannot be effected by opening an R.M.S. sorting office at Nagrota Bhagwan.

(d) Yes.

Annual Conference of Primary Land Mortgage Banks

1370. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) the observations/recommendations made at the Thirty-second Annual Conference of the Primary Land Mortgage Banks, held in Madras in the 2nd week of June, this year; and

(b) the action being taken in the light of the same?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) A statement giving the gist of the important recommendations is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1632/63.]

(b) The recommendations are under the consideration of the Madras Co-operative Central Land Mortgage Bank which convened the conference. Action will be taken by the State Government on receipt of the views of the Bank.

Diesel and Electric Locomotives

1371. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the progress so far made by the Indian Railways towards the manufacture of diesel and electric locomotives?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): A statement indicating the position is laid on the table of the Sabha. [Placed in Library. *See* No. LT-1633/63].

Dakotas of I.A.C.

1372. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that experts are of the opinion that the Indian Airlines Corporation should not use Dakota aircrafts for passenger traffic; and

(b) if so, the attitude of Government of India in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Tourism in Kerala State

1373. Shri P. Kunhan: Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) the extent of financial assistance

given to the Kerala Government in the first two years of the Third Plan for developing Tourism in the State; and

(b) the schemes for which the assistance has been given?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1634/63].

Collision of Cochin Express with a Car

1374. Shri Warior:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Cochin Express proceeding to Madras on the 10th May, 1963 collided with a car resulting in the death of one person and injuries to two others;

(b) whether any enquiry was instituted in the affair; and

(c) if so, with what result?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes.

(b) and (c). According to the findings of the enquiry committee the accident was due to the driver of the motor car trying to cross the unmanned level crossing in the face of approaching train. The driver of the car has been held responsible for negligent and careless driving.

New Shipping Company to Import Crude Oil

1375. Shri Raghunath Singh:
Shri Ravindra Varma:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state whether it is a fact that Philips Petroleum and Duncan Brothers of Calcutta, partners with the Government of India in the oil refinery at Cochin, have jointly drawn up a scheme and sought Government permission to form a new shipping company to operate six tankers to bring imported crude oil to refinery?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): Yes, Sir. The two concerns namely Duncan Brothers and Philips Petroleum have applied for forming a new shipping company with 40 per cent foreign collaboration to operate tankers for importing crude oil to the refinery.

Sugarcane Disease

1376. Shri Sham Lal Saraf: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether 'Terai Borer', a pest doing considerable damage to sugarcane crops, has been brought under control, particularly in U.P. and Bihar; and

(b) the steps taken to eradicate this pest and also measures adopted to check its spread to Punjab and other sugarcane producing States in the South?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) It has not been possible to bring the pest under complete control though efforts in this direction are being made by State Agriculture and Cane Departments of U.P. and Bihar in their respective areas.

(b) No chemical control measures have yet been found to be successful against this pest. A mechanical method *viz.* the removal of water shoot, is being recommended. A co-ordinated scheme for study on the behaviour and control of the borer in U.P., Bihar and Punjab at a cost of about Rs. 3 lakhs has recently been sanctioned by the Indian Central Sugarcane Committee with a view to controlling it in areas already infested by it and evolving measures for checking the spread of this pest to new areas both in North and South of India.

राजस्थान में भेड़ें

१३७७. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान से बढ़िया किस्म की ऊन बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो अच्छी किस्म की ऊन वाली भेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):(क) जी नहीं।

(ख) (१) राजस्थान में पदा हुई ऊन अधिकतर टाट या मोटी किस्म का ऊनी माल तैयार करने के काम आती है । परन्तु राजस्थान की इस किस्म की ऊन में सुधार करने के लिये फार्मों में तथा राज्यों में स्थापित विस्तार केन्द्रों में सुविशिष्ट प्रजनन से काम लिया जाता है ।

(२) इस समय बढ़िया और घटिया किस्म की ऊन को मिला कर कार्पेट वूल के तौर पर बेचा जाता है । परन्तु राजस्थान में श्रणीकरण केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है ताकि तुलनात्मक दृष्टि से बढ़िया ऊन को अलग किया जा सके और उसे और अच्छी किस्म के ऊनी माल तैयार करने के काम में लाया जा सके ।

(३) जम्मू तथा काश्मीर आदि समशीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्रों, पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि तथा दक्षिण पठार के पश्चिमी भागों में स्थानीय भेड़ों तथा रेमबौलेट (Ramboullet) आदि विदेशी भड़ों के संकरण से बढ़िया किस्म की ऊन वाली भेड़ों का विकास किया जा रहा है ।

मेवे

१३७८. { **श्री हेमराज :**
श्री युद्धवीर सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से लेकर १९६२ तक देश में मेवों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) देश को इस विषय में आत्म-निर्भर बनाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मेवों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए भारत में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी, १९६० से लेकर १९६२ तक काजू के दानों का उत्पादन ९०,००० टन हुआ । इस अवधि में पंजाब राज्य के कुलू जिले में अन्य प्रकार के मेवों का उत्पादन २१४ टन रहा ।

(ख) देश में फलों (जिन में मेवे भी शामिल हैं) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :—

(१) फल उत्पादन के विकास के लिए तीसरी योजना की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारें फल उत्पादकों को नए फलोद्यान लगाने के लिये ३०० रुपये प्रति एकड़ (पहाड़ी इलाकों के लिए ५०० रुपये प्रति एकड़) दीर्घकालीन ऋण और पुराने फलोद्यानों को फिर से सुधारने के लिए ६५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अल्पकालीन ऋण देती हैं ।

(२) कुछ राज्यों में फलों के क्षेत्र तथा उत्पादन को बढ़ाने की

दृष्टि से फलोद्यान एवं नर्सरीज़ और गार्डन कालोनीज़ की स्थापना के लिए विकास योजनायें मंजूर की गई हैं ।

(३) विभिन्न राज्यों में काजू के विकास के लिए योजनाएं प्रगति पर हैं ।

(४) कुछ राज्यों में मुनक्का अंगूर और अखरोट के लिये अनुसन्धान योजनाएं मंजूर की गई हैं ।

Tube-wells in Andhra

1379. **Shri P. Venkatasubbaiah:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of tube-wells constructed by Exploratory Tube-well Organisation in Andhra Pradesh have not been used for the past two years;

(b) if so, the reasons threfor; and

(c) who is responsible for the state of affairs?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) The Exploratory Tube-well Organisation had drilled 15 exploratory bores in Andhra Pradesh in the course of ground water exploration. Out of these, 11 bores proved successful and were converted into production tube-wells and handed over to the State Government for its use. The State Government has since brought 4 tube-wells into use and for one tube-well at Dowleswaram, there is no *ayacut* to be irrigated. The question of utilizing it for an industrial Colony, nearby is under the examination of the State Government.

(b) and (c). According to the Government of Andhra Pradesh which is responsible for the utilization of these tube-wells, the commissioning of these tubewells has been delayed owing to several factors like fixation of *ayacut*, construction of pump houses, installation of electric supply lines, provision of electric power, fixation of pumping charges to be collected from the ryots etc. The State Government has since issud orders for the fixation of pumping charges, handing over tube-wells to Panchayat Samithis for maintenance etc. The construction of pump houses is being expedited and steps are also being taken by the State Government for the early electrification of the tube-wells. The remaining 6 tube-wells are expected to be commissioned as soon as these items of work are completed.

P.M.G.'s Office Nagpur

1380. **Shri R. S. Pandey:**
Shri Birendra Bahadur Sin

Will the Minister of **Posts & Telegraphs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposal to shift the PMG's office from Nagpur to Bhopal has been further delayed;

(b) if so, the reasons for this delay; and

(c) when the proposal is likely to take shape?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) No.

(b) The question does not arise.

(c) The headquarters of Central Circle will be shifted from Nagpur to Bhopal when office and residential accommodation is available at Bhopal.

Cultivation of Lemon Grass

1381. **Shri Raghunath Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the steps taken to improve the cultivation of lemon grass in Kerala?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): A scheme for the improvement of Lemon grass was sanctioned by the Indian Council of Agricultural Research for implementation in Kerala State w.e.f. 1-4-1957

for a period of 5 years which has been extended further upto 31-3-1966.

A Lemon gras Research Station was established at Odakali in Kerala under the above scheme with the object of evolving improved varieties capable of giving greater yield with more citral content than the existing types. The response of grass to fertilisers and improved cultural practices is also being studied there. From the trials conducted so far, an improved strain (O.D.19) has been isolated. The improved strain gives nearly 100 per cent more oil yield than the local variety. Further confirmatory trials are in progress. A demonstration trial in cultivatory fields with this improved strain is also being laid out.

किराये की इमारतों में डाकघर

१३८२. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ डाकघर किराये के मकानों में चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में किराये के मकानों में कितने डाकघर हैं और हर साल उन का कितना किराया देना पड़ता है ?

डाक व तार मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) जी हां ।

(ख) १३४ ।

१,७३,०६४ रु० २८ न० प० ।

चीनी का निमंत्रित मूल्य

१३८३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युनाइटड शुगर मिल वर्क्स फेडरेशन ने विभिन्न क्षेत्रों में चीनी की वर्तमान नियंत्रित दरों में संशोधन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार ने क्या सोचा है ;

(ग) क्या उत्तर भारत में, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से चीनी मिलों को हटा कर गुजरात, आंध्र प्रदेश, मद्रास, तंजौर, केरल और पांडिचेरी में लगाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) शर्करा उद्योग और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों से अभ्यावेदन मिलने पर १९ जुलाई, १९६३ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कारखानों के लिए शर्करा के कारखाने से चलते समय के भाव में एक रुपया प्रति मन या लगभग रु० २.७० प्रति क्विन्टल की वृद्धि कर दी गयी थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई वाली भूमि

१३८४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान ७ जून, १९६३ के ईस्टर्न इकोनोमिस्ट में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि सन् १९४९-५० में कुल १७.६ प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती थी और १९५८-५९ में १७·८ प्रतिशत भूमि में ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी अवधि में बिहार राज्य में सिंचाई वाले क्षत्र में ०.८ हजार एकड़ की कमी हो गयी ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। परन्तु इस अवधि में नेट बुवाई का क्षेत्र २८३२ लाख एकड़ से बढ़ कर ३२४१ एकड़ तक और नेट सिंचाईगत क्षत्र ४९८ लाख एकड़ से बढ़ कर ५७८ लाख एकड़ हो गया है ।

(ख) और (ग). १९४९-५० में बिहार में सिंचाईगत क्षेत्र ५१३६ हजार एकड़ और १९५८-५९ में ५०९० हज़ार एकड़ था । साधारणतया किसी राज्य में किसी विशेष वर्ष में वस्तुतः कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है यह उस वर्ष में होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है । बिहार के बारे में एक और अतिरिक्त बात भी ध्यान में रखनी है और वह आंकड़ों को रिकार्ड करने के तरीकों में परिवर्तन के कारण १९४९-५० और १९५८-५९ के बीच की अवधि में आंकड़ों की तुलना न करना है ।

Loss of Forests

1385. **Shri P. K. Deo:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the forest areas which have been lost since Independence due to Grow More Food Campaign, River Valley Projects and Rehabilitation Schemes;

(b) the extent of loss, State-wise; and

(c) the number of acres of new area extended for plantation and forest promotion, State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). According to the available information about 2,239·815 Sq. miles of forest areas has been lost and about 89.424 acres of new area has been extended for plantation as under:—

Name of State/U.T.	Area lost (in Sq. miles]	Area extended under forests (In acres*)
NEFA	No definite information is available	
A & N Islands	27·400	Nil
Manipur	Nil	Nil
Himachal Pradesh	3·970	Nil
Delhi	0·230	Nil
Pondicherry	Nil	Nil
Madhya Pradesh (New)	35·830	Nil
Tripura	5·000	Nil
Kerala	63·025	Nil
Rajasthan	151·310	6,000
West Bengal	1,240·000	53,760
Madras	7·220	20,697·60
Gujarat. (May 1960)	57·950	1,286·40
Orissa	240·880	5,120
Bihar	433·000	2,560

*New area extended for plantation outside the Reserved, Protected Unclassed and Private forests.

Sale of Judicial Stamps

1386. **Shri D. D. Mantri:** Will the Minister of **P. & T.** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to sell judicial stamps and papers through post offices; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) There is no proposal under consideration for the sale of judicial stamps at post offices. However, certain non-judicial and non-postal stamps are being sold at some post offices in Delhi only since 1-11-1962.

(b) The sale has been undertaken at the request of the Delhi Administration to provide greater facilities to the public.

West Coast Road

1387. **Shri A. V. Raghavan:** Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether the alignment of the West Coast Road in the Union territory of Mahe has been finalised;

(b) if so, the details of the proposed road alignment;

(c) whether there is any proposal to construct any new road bridge in and around Mahe, and (d) if so, the estimated cost of the road?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). At present the West Coast Road goes through the town of Mahe. The Government of Kerala State is framing a proposal for the construction of a bye-pass round the Town as part of the West Coast Road.

(c) The proposed bye-pass will include the construction of a new bridge across the Mahe river. A regulator across the Mahe river is also proposed to be constructed near Mahe town. The possibility of combining the road bridge with the regulator is under investigation at present. The exact alignment of the the Mahe bye-pass will depend on the site chosen for the new bridge and for the regulator.

(d) The cost of forming the bye-pass at Mahe is estimated at Rs. 16 lakhs and that of the new bridge, about Rs. 6 lakhs.

Panchayati Raj Institutions

1388. **Shri Ram Ratan Gupta:** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether he made a statement in Chandigarh that the police was opposed to Panchayati Raj Institutions in Punjab; and

(b) if so, the basis for these remarks?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development & Cooperation (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). Union Minister (C.D. & C) attended a meeting of the Chairmen of Zila Parishads and Panchayat Samitis in Punjab at Chandigarh on the 8th July, 1963. In the course of discussions, many of the delegates complained of interference by the officials of the Police and Revenue Departments in the working of the Panchayati Raj institutions. During his subsequent press conference, replying to a question, Union Minister referred to this criticism made by the Chairman of Panchayati Raj bodies.

Realingment of Narrow Gauge Kangra Valley

1389. **Shri Daljit Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 39 on the 19th February, 1963 and state the progress so far made in the realignment of the narrow gauge Kangra Valley Section of the Northern Railway?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): Field work for this resurvey has been completed. The project report and estimate are expected to be ready by the end of October, 1963. The actual realignment in the field can be taken in hand only on hearing from the State Government and after getting their acceptance of the cost.

Collapse of Bridge on Bhagirathi

1390. Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the bridge under construction over the Bhagirathi on National Highway No. collapsed on the 9th July 1963;

(b) whether this collapse was due to any defect in construction of materials or due to defective designing;

(c) whether any investigation about the causes of the collapse of the bridge has been made by Central Government Engineers; and

(d) the estimate of the financial loss caused by the collapse?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir. Only a part of one span on the Khagraghat side has collapsed.

(b) and (c). A committee, consisting of the following officers, has already been appointed by the Government of West Bengal to investigate the cause of the collapse of the span;

(1) Shri T. Mitra, I.S.E. (Retd). Chairman

(2) Shri V. Kandaswami, Addl. Chief Engineer, CPWD. Member

(3) Shri R. P. Basu Choudhury, Dy. Chief Engineer, CPWD Member?

(4) Shri B. Maitra, Director, River Research Institute, West Bengal.

The report of this committee is awaited.

(d) As this collapse occurred before the bridge had been completed, and taken over by the Government, the damage was done to the work undertaken by the contractor and his materials. It is not possible to give an estimate of the loss caused by the collapse.

गजरौला-नजीबाबाद लाइन

१३९१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गजरौला-नजीबाबाद ब्रांच लाइन पर मंडी धनौरा और चांदस्याऊ के मध्य के तीन हाल्टों में कहीं स्टेशन बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस पर कब तक अन्तिम निर्णय होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Palam Airport

1392. { Shri D. D. Mantri:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to provide more facilities at Palam Airport; and

(b) if so, the details of the same and when they are likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin) (a) Yes, Sir.

(b) Sanction was accorded in June last to an estimate of Rs. 8,73,800 for carrying out additions and alterations to the existing terminal building at the Palam Airport. The estimate mainly provides for—

(1) a separate departure lounge;

(2) an additional customs hall;

(3) a separate transit hall;

(4) a baggage claim office and a freight hall;

(5) a spectators' gallery;

(6) additional office accommodation;

(7) improvement of sanitary and water-supply arrangements; and

(8) additions and alterations to the electrical installations etc. etc.

The work is expected to be completed in about 18 months from the date of commencement.

Shark-Liver Oil

1393. **Shri R. Barua:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the annual requirement of Shark-liver oil in India; and

(b) whether any project has been taken up either in the public sector or in the private sector for Shark-liver oil extraction?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) The annual requirement of shark-liver oil in the country has not been estimated. However, as Vitamin A deficiency for which shark-liver oil is prescribed is rampant in India, assuming that everyone who requires this oil is in a position to buy or is given this oil, it is estimated that I crore Kgs. of shark-liver oil (of 6,000 I.U. of Vitamin A potency per gram) will be needed.

(b) At present, three shark-liver oil factories run by the State Governments are located at Kozhikode, Trivandrum and Bombay. There are in addition a number of smaller extraction units in Gujarat, West Bengal, Orissa, Madras and the Kavarathy Island in the Laccadives.

In the private sector, a number of private parties and companies manufacture shark-liver oil in the States of Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra and Orissa.

Derailment of Trains on N. F. Line

1394. **Shrimati Jyotsna Chanda:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of derailments that occurred in the hill section (Badarpur-Lumding) of N.F. Railway from first April, 1963 to date; and

(b) the steps being taken to avoid derailments?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) There were nine cases of train derailments during the period from 1st April, 1963 to 31st July, 1963.

(b) (i) All hill section loads are examined intensively. Special rules for carriage and wagon examination and maintenance laid down for Lumding-Badarpur hill section are being rigidly observed.

(ii) All spring cambers are measured and the measurements recorded.

(iii) Surprise checks on the hill section loads are carried out by officers and subordinates to ensure safe running of trains.

(iv) Adequate instructions already exist for proper maintenanie of permanent way and patrolling of section during monsoon and these are being rigidly observed.

Meteorological Research Aircraft of U.S.A.

1395. **Shri P. K. Deo:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) the extent the Meteorological research aircraft of the U.S.A. has been successful in probing tropical cyclones in India;

(b) whether the said plane has been acquired by the Government of India; and

(c) if so, at what cost?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) A DC-6 Meteorological Research Aircraft of the U.S. Weather Bureau successfully probed a tropical cyclone in the Arabian Sea on the 22nd and the 24th of May, 1963. It got into the central 'eye' of the cyclone and determined its location as well as central pressure and the strength of the hurricane winds spiralling round the 'eye'.

(b) No.

(c) Does not arise.

Motor Railway Coaches

1396. Shri P. K. Deo: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Motor Railway coaches have been built at the Integral Coach Factory, Madras;

(b) when and where these coaches would be utilised; and

(c) the cost involved in manufacturing such coaches?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes. One Prototype 25 KV AC Board gange Electric Multiple Unit Motor Coach has been recently built by the Integral Coach Factory, Madhes with imported electric traction equipment. This is the first of four such prototypes under manufacture.

(b) The Prototype Motor Coach will undergo trials in Asansol area and thereafter it is proposed to be utilised on the Sealdah North Section.

(c) The actual cost of manufacturing the Motor Coaches in the Integral Coach Factory has not been worked out as yet, but the estimated cost of a coach is approximately Rs. 7 lakhs, including the Traction Equipment.

Storage Capacity

1397. Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether against the Third Plan storage capacity target of 40 lakh tons, storage capacity for 13 lakhs tons has been built so far;

(b) whether it is a fact that farmers are not using warehousing facilities to the maximum;

(c) the number of warehouses lying vacant or not being used by agriculturists to its full capacity; and

(d) whether it is a fact that these warehouses are used by traders and hence the facility is denied to the cultivators in some places?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) Against the Third Plan target of 3 million tons of Government-owned storage accommodation for the Central Reserve of Foodgrains, the capacity owned by Government on 1-8-1963, stood at 16,62,000 tonnes approximately.

(b) Warehousing facilities to the farmers are provided by the Central and States Warehousing Corporation. Farmers are using the warehousing facilities of C.W.C. to the extent of 10 per cent in off season and of 16 per cent in season.

(c) No warehouse of the C.W.C. is lying vacant; and no warehouse is being used by agriculturists to its full capacity.

(d) Warehouses are used by both traders and cultivators. If accommodation is available facility is not denied to the cultivators at any place in preference to the traders.

मैसूर में कृषि विश्वविद्यालय

१३९८. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा और इसमें कितना रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा और कितना राज्य सरकार द्वारा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी हां, अपने राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में मैसूर सरकार का एक प्रस्ताव है।

(ग) अभी तक राज्य सरकार ने खर्चे के पक्के अनुमान नहीं भेजे हैं। यदि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करनें की योजना को स्वीकार कर लिया और इसे मैसूर राज्य की पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया तो इसे केन्द्रीय क्षेत्र से २५ लाख रुपये तक अनुदान मिल सकेगा और यह राशि राज्य योजना की सीमा से बाहर होगी।

Defence Labour Banks

1399. **Shri D. J. Naik:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state the progress of Defence Labour Banks till the end of July, 1963?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy): According to the reports received from the State Governments and Union Territories, 667·93 lakh man-days have been donated to the Defence Labour Banks, besides cash donations amounting Rs. 9·89 lakhs. The State-wise break up of these figures is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library, *See* No. LT-1635/63].

63:13 lakh man-days have been utilised so far on programmes like land reclamation, excavation and construction of field channels, development of fisheries and poultry, plantation of fodder and fuel trees, construction and repair of buildings, roads etc., digging of compost pits, digging of wells, dry farming, soil conservation including bunding etc.

Delhi-Ahmedabad Express

1400. Shri P. K. Deo: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Delhi-Ahmedabad Express was derailed on the 27th July, 1963;

(b) if so, the circumstances that led to the derailment; and

(c) the casualties, if any?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) The accident occurred on 26th July, 1963.

(b) The trap point where the derailment occurred had not been properly closed due to an obstruction between the Switch rail and the stock rail.

(c) Nil.

Railway Sidings

1401. Shri H. C. Soy: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the basis on which plots for the Railway sidings are allotted to private mine owners and the State Trading Corporation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): Plots adjacent to Railway Sidings are allotted to *bona fide* parties who are in a position to offer merchandise for movement by rail,

allotment being made on the basis of volume of traffic and type of merchandise. No differentiation is made between private mine owners and State Trading Corpoartion, but requirement of export trade and steel plants is given higher priority.

मालगुजारी की वसूली

१४०२. श्री मोहन स्वरूप: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की ग्राम पंचायतों को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निश्चित धन राशि मालगुजारी वसूली के सिलसिले में पंचायतों को दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्त्ति) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मालगुजारी की वसूल की गई रकम का ५ प्रतिशत पंचायतों को मेहनताने के रूप में दिया जाएगा ।

Import of Rice from U.S.A.

1403. { Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 150,000 tons of rice will be made available by the U.S.A. to India to meet her immediate requirement; and

(b) if so, under what agreement?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). Under the P.L. 480 Agreement of May, 1960 funds allotted for rice were expected to fetch about 1 million tons of rice. The Agreement was to run for a period of 4 years ending June, 1964, during each of which about 2:5 lakh tons of rice were to be imported. Against the quantity for the U.S. fiscal year July 1963—June 1964, it was agreed in June last that to meet India's immediate needs for rice, about 150,000 tons under this Agreement would be made available by the end of 1963 with shipments to begin soon. A quantity of about 20,000 tons has already been shipped and the remaining 1.30.000 tons are expected to be shipped by December, 1963.

Electric Locomotives

1404. Shri U. M. Trivedi: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of electric locomotives of D.C. type built during the year ending March, 1963;

(b) whether the Railways Board has decided to change them into A.C;

(c) if so, to what extent they have been so converted; and

(d) if not, whether the question of the economic use of this conversion has been studied?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) 14.

(b) There is no proposal for converting D.C. Locomotives to A.C.

(c) and (d). Do not arise.

Level Crossings in West Bengal

1405. Shrimati Renu Chakravartty: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 623 on the 20th November, 1962 and state:

(a) whether the Eastern Railway Administration has received any reply from the Government of West Bengal as to when they propose to take up construction of overbridges at Belghoria, Sodepur and Barrackpur level crossings; and

(b) if so, the nature of the reply received?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) No.

(b) Does not arise.

Food Production in Tripura

1406. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the targets of food production in Tripura during the Second Five Year Plan and the first two years of the Third Plan period;

(b) the achievements against these targets; and

(c) the total expenditure incurred on this food production?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c):—

Year	Targets of Food production (Tons)	Achievement against Target (Tons)	Expenditure against achievement Rs.
Second Five Year Plan	10,000 (Rice) 500 (Fish)	9,812 (Rice) 243 (Fish)	48,38,000
1961-62	2,300 (Rice) 125 (Fish)	2,300 (Rice) 99 (Fish)	12,75,000
1962-63	4,300 (Rice) 150 (Fish)	3,500 (Rice) 108 (Fish)	23,45,000

Melattur-Ferok Railway Line

1407. Shri Koya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are constructing any railway lines in Kerala during the Third Plan period; and

(b) whether the Melattur-Ferok Railway line has been included in the list of railway lines to be constructed during the Third Plan period?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) No.

(b) No.

सिसवा से भैंसालोटन तक रेलवे लाइन

१४०८. डा० महादेव प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोरखपुर जिले में सिसवा से भैंसालोटन तक रेलव लाइन बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ग) इस रेलव लाइन के कब तक बन जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं । बिहार सरकार के कहने पर केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है । इसका खर्च बिहार सरकार देगी ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

Afforestation

1409. **Shri H. P. Chatterjee:**
Shri Indrajit Gupta:
Shri Yamuna Prasad Mandal:
Shri Badrudduja:
Shri N. P. Yadav:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total area taken up for afforestation during the Third Plan in different States; and

(b) the steps taken to intensify afforestation efforts in States like Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Orissa?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a)

(in acres)

Name of State/UT	Area proposed to be brought under afforestation		Total
	Under State plan scheme on economic plantation	Under centrally sponsored scheme	
1	2	3	4
1 Andhra Pradesh	25,650	13,610	39,260
2 Assam	11,825	9,075	20,900
3 Bihar	67,000	6,740	73,740
4 Gujarat	77,810	3,025	80,835
5 Jammu & Kashmir	7,500	5,775	13,275
6 Kerala	64,500	2,890	67,390
7 Madhya Pradesh	45,000	34,100	79,100
8 Maharashtra	66,535	13,475	80,010
9 Madras	38,500	4,260	42,760
10 Mysore	64,000	7,150	71,150
11 Orissa	80,750	13,340	94,090
12 Punjab	15,200	2,750	17,950
13 Rajasthan	43,100	8,800	51,900
14 Uttar Pradesh	56,000	7,975	63,975
15 West Bengal	7,625	2,475	10,100
16 Andamans	6,000	..	
17 Himachal Pradesh	7,000	2,060	9,060
18 Manipur	2,750	..	2,750
19 Tripura	8,00	..	8,000
20 NEFA	6,000	..	6,000
21 Nagaland	795	..	795
TOTAL	7,01,540	1,37,500	8,39,040

(b) The figures given above relate to afforestation to be done under the state forestry scheme on economic plantations and centrally sponsored scheme on plantation of fast growing species. Afforestation is also done by the States under other schemes such as Farm Forestry, Rehabilitation of degraded forests, Development of Pasture and Grazing, Soil Conservation Schemes etc.

The Central Government provides subsidy upto 50% for raising matchwood plantations, loan upto 100% for raising other economic plantations and subsidy upto 100% for raising fast growing species. The State Governments also contribute towards State plantation schemes. Efforts are made for making available to them the provision required for this work. Necessary technical advice is always provided to the states whenever required by them. Efforts are also made in obtaining seeds from foreign countries. The Governments of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Orissa also avail these facilities. Information on efforts made or practices adopted by these states for intensifying afforestation is not available with us.

प्रपत्रों का अनुवाद

१४१०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अनुसन्धान संस्था और कालेज देहरादून से सम्बन्धित फार्मों में से अब तक कितने फार्म केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अथवा विधि मंत्रालय को हिन्दी अनुवाद के लिये भेजे जा चुके हैं ; और

(ख) जो फार्म शेष रहे हैं, उनके भेजने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिह) : (क) २३३ ।

(ख) कोई भेजना बाकी नहीं है । देर होने का प्रश्न नहीं होता ।

Telephone Exchange, Dhalkola

1411. Shri C. K. Bhattacharyya: Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to stote:

(a) whether a 50 line automatic telephone exchange has been sanctioned for Dhalkola, West Bengal;

(b) whether a building has been rented for the purpose and the department is incurring rent for the same;

(c) the reasons for not installing the exchange so far; and

(d) when the installation may be expected?

The Minister of Posts and Telegraphs (Shri A. K. Sen): (a) Yes.

(b) Yes—from 1-7-1963.

(c) and (d). The installation of SAX has to be deferred as there is an uncertainty about the power supply. A 50 line Magneto exchange is, therefore, under installation and is likely to be completed before the end of October, 1963.

Delhi Milk Supply Scheme

1412. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Milk Supply Scheme plans to double its milk supply during the coming winter season; and

(b) if so, the amount allocated for the purpose and the brief outlines of the plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) No; the Delhi Milk Scheme aims to handle upto 5,000 maunds of milk per day during the coming winter season.

(b) Does not arise.

नये सर्विस टिकट

१४१३. श्री माते :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार

सरकारी प्रयोग के लिये कोई नया १० नये पैसे वाला सर्विस टिकट निकालने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये टिकट कब निकाले जायेंगे और आरम्भ में ये किन खजानों में उपलब्ध होंगे ; और

(ग) ये टिकट किस उद्देश्य से जारी किये जा रहे हैं ?

डाक व तार मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) और (ख). १० नये पैसे का नया सरकारी डाक-टिकट पहले से ही २० अगस्त, १९६३ को चालू कर दिया गया है और इस टिकट की सप्लाई अब सभी सरकारी ख़जानों में उपलब्ध है ।

(ग) यह टिकट इसलिये चालू किया गया है क्योंकि १ मई, १९६३ से लागू बुक-पोस्ट की नई दरों, साथ ही सरकारी विभागों द्वारा निजी तौर पर छापे गये अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों पर डाक-टिकट लगाने के लिये इसकी आवश्यकता थी ।

Bridges in Silchar Shillong Road

1414. Shri N. R. Laskar: Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 368 on the 2nd March, 1963, and state:

(a) the progress of works on bridge over river 'Lubha';

(b) the special measures taken to bridge the other three major rivers on the Passi-Badarpur Section of the Silcher Shillong road; and

(c) whether any foreign exchange difficulties stand in the way of speedy completion of the work of all these bridges and if so, the measures taken to overcome these difficulties?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) The estimate for the construction of a bridge over the river Lubha was sanctioned by the Government of India in October 1957. Owing to the difficulty in finding suitable contractors, the construction work could not be commenced soon after the sanction was accorded. The Assam Public Works Department have, however, been successful in finding a firm to undertake the work. The contract was awarded in September 1962. Preliminary arrangements for commencing the construction are in progress and the actual work is expected to be started in the next working season after the monsoons.

(b) The estimates for the other three bridges namely, Gumra, Apha and Baleshwar were approved by the Government of India in August 1956, October 1958 and August 1955, respectively. Gumra bridge is in an advanced stage of progress while in the case of the other two bridges, preliminary arrangements are in hand. The State Government have been requested to ensure the completion of the bridges as early as possible.

(c) The scheduled dates of completion of the Apha and Lubha bridges were the end of June 1965, and the end of December 1965, respectively. There was a proposal to have these bridges completed one year ahead of schedule by making an additional payment of Rs. 1.78 lakhs, with a foreign exchange component of £500. The proposal was not accepted after a careful consideration of all aspects.

जवार का मूल्य

१४१५. श्री दे० शि० पाटिल: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जवार का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न भिन्न राज्यों में और भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार जवार का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) १९६३–६४ की फसल के लिये जवार की पीली किस्म के लिये न्यूनतम मूल्य ८ रुपये ५० नये पैसे प्रति मन या २२ रुपये ७८ नये पैसे प्रति क्विन्टल और सफेद किस्म के लिये ९ रुपये प्रति मन या २४ रुपये १२ न० पै० प्रति क्विन्टल निर्धारित किये गये हैं । ये मूल्य दोनों प्रकार की अच्छी औसत किस्म के लिये हैं ।

(ग) इस समय जवार के न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

चीनी का उत्पादन

१४१६. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी के अधिक उत्पादन के लिये कोल्हू (जिनसे गन्ना पेरा जाता है) पर कोई पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों के काम पर पाबन्दी लगाने से भविष्य में गन्ने के उत्पादन में कमी हो जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). सरकार शर्करा उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शर्करा कारखानों और अन्य शर्करा निर्माता एककों को समान आधार पर गन्ने की सप्लाई का नियमन करने के लिये उपायों तथा साधनों पर विचार कर रही है । ऐसा करते समय गन्ना उत्पादकों के हित और भविष्य में इस नियमन से गन्ने की उपज पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा ।

Signals and Telecommunications Workshop at Podanur

1417. **Shri P. Kunhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the allotment of quarters in the Signals and Telecommunications Workshop at Podanur (Southern Railway) is done out of turn and that there are no rules for this;

(b) whether it is a fact that Works Manager has nominated members to a Colony Committee for this purpose; and

(c) whether it is also a fact that the workers are against such a Committee and want an elected Committee?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No out-of-turn allotment is made in the Signal and Telecommunications Workshop at Podanur. "Essential" staff get, as usual, preference over others.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of reply to part (b) above.

Railway Schools at Alavakkot

1418. **Shri P. Kunhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there are any Scheduled Caste teachers in Railway schools in Olavakkot Division of the Southern Railway;

(b) if so, the number thereof;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for not appointing teachers from the Scheduled Castes; and

(d) the number of applications received from the scheduled caste candidates?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) Two.

(c) and (d). Do not arise.

Fertilizers for Mysore

1419. Shri Mohsin: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that supplies of fertilizers to Mysore State have always been short of its requirements;

(b) whether it is a fact that shortage of wagon facilities from Madras Harbour for lifting the stock has also caused difficulty in meeting Mysore's demands; **and**

(c) whether it is also a fact that Mysore Government have requested the Central Government to make the fertilizers available at ports of Goa, Karwar and Mangalore to facilitate early transport inside the State?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) As the indigenous production of nitrogenous fertilizers is not adequate and imports are also restricted on account of shortage of foreign exchange, the requirements of all State Governments, including Mysore, in respect of Sulphate of Ammonia, Urea and Ammonium Sulphate Nitrate cannot normally be met in full. The production of Calcium Ammonium Nitrate in the country is, however, sufficient to meet the State Governments' requirements in full. During the current year it will be possible to meet the demands for Urea also in full as adequate imports of this fertilizer have been arranged.

(b) Occasionally wagon supply at Madras Port is short and movement from Madras Port to Mysore is often restricted for stations beyond Bangalore Cantt: which is a transhipment point. However, the imports at Madras Port account for only a part of the total allotment of Sulphate of Ammonia and Urea to Mysore.

(c) Yes, the State Government have requested that fertilizers be made available to them at Karwar and Mangalore Ports. The question of importing fertilizers at these Ports as well as at Marmagao Port is under cossideration in consultation with the State Government.

Poona-Bangalore Express Derailment

1420. Shri Mohsin: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 521 on the 10th August, 1962 and state:

(a) whether an interim chargesheet was sent in respect of one person who is alleged to have tampered with the track resulting in Poona-Bangalore Express derailment;

(b) whether it is a fact that further investigation was made into the matter by the Police Circle Officer of the Railway and that he submitted his report to the Judicial Magistrate, Hubli;

(c) whether a copy of his report will be placed on the Table; and

(d) the further action being taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No.

(b) Yes.

(c) The Railway Administration has not received a copy of the report so far from the Judicial Magistrate, Hubli.

(d) As no railway employee was involved in the case, the question of taking further action by Railway Administration does not arise.

Khalasis working on Southern Railway

1421. { **Shri Mohsin:**
Shri Vasantrao Patil:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of khalasis are working in Kudchi Section of the Southern Railway (Hubli Division) for nearly 10 years continuously;

(b) whether it is a fact that they have not been made permanent yet; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

12.03 hrs.

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of Shri S. Guruswami who passed away on the 2nd September, 1963 at Madras at the age of 60.

Shri Guruswami was a member of the Central Legislative Assembly during the years 1946-47.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a short while.

12.04 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER MERCHANT SHIPPING ACT, 1958

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, published in Notification No. G.S.R. 1187, dated the 13th July, 1963, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958. [*Placed in Library, see* No. LT-1625|63].

12.04¼ hrs.

FINANCIAL COMMITTEES, 1962-63—(A REVIEW)

Secretary: I beg to lay on the Table a copy of "Financial Committees, 1962-63—(A Review)".

12.04½ hrs.

MOTION RE: REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati M. Chandrasekhar on the 2nd September, 1963, namely:—

> "That this House takes note of the Tenth and Eleventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1960-61 and 1961-62, laid on the Table of the House on the 15th June, 1962, and 16th August 1963, respectively."

Out of 10 hours, two hours and 20 minutes have already been exhausted. 7 hours and 40 minutes remain.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): By your leave, may I make a brief request? The Defence Minister placed a statement yesterday on

[Shri Hari Vishnu Kamath]

the Table of the House regarding the NEFA enquiry. May I request you and the Defence Minister that in view of the importance of the subject, the Government itself may make a motion for consideration of that statement? It will be much better if the motion is made by the Government—not from this side but by the Minister himself, and if a motion is made by him, we should get two days.

Mr. Speaker: It would be much better if he had written to me about it, and now also I will advise him to write to me.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Several notices have already been given.

Shri Hem Barua (Gauhati): Several adjournment motions were also given notice of about this.

Mr. Speaker: Can there be an adjournment motion when a discussion is already fixed?

Shri Hem Barua: No.

Mr. Speaker: Then, when the discussion is already fixed, Shri Hem Barua knows that there cannot be any adjournment motion about it.

Shri Hem Barua: The foibles and facts pinpointed in that statement of the hon. Minister are sufficient to throw out any Government. They are so glaring and startling.

Mr. Speaker: Should I write that order!

Shri Hem Barua: Therefore, we wanted an adjournment motion.

Mr. Speaker: Order, order. He may kindly resume his seat.

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो दो रिपोर्टें हमारे सामने हैं उन के विषय में बहुत से महानुभाव मेरे पहले बोल चुके हैं। इन रिपोर्टों को चार विभागों में विभक्त किया जा सकता है। एक जो सरकार की तरफ से है, एक जो कमिश्नर की तरफ से है, एक जो जनता से सम्बन्धित है और एक जो नेताओं से सम्बन्धित है। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान पहले इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं विशेषकर जन नेताओं से सम्बन्धित है, और जिस का रिपोर्ट में उस प्रकार से जिक्र नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिये। कल से मैं देख रहा हूं कि चाहे वे कांग्रेस दल के सदस्य हों अथवा विरोधी दल के, वे केवल कमिश्नर की कमजोरियों को बतलाने की कोशिश करते हैं या उस का इल्जाम सरकार के ऊपर लगाते हैं। लेकिन जो काम उन का स्वयम् का है, उस के बारे में वह उतना जिक्र नहीं करते। आज बहुत सी बातें हैं जिन के सम्बन्ध में हम कहते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को अभी तक समाज में स्थान नहीं मिला है, जैसे घोड़े पर चढ़ने का प्रश्न है विवाहोत्सव में या उन को समानता देने का प्रश्न है, इस के ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत काफी नहीं हो सकती है। उस में कुछ जन सहयोग की आवश्यकता होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि विशेषकर हमारे कांग्रस दल के लोग, जिन्होंने अपने दल की सदस्यता के विधान में भी लिखा हुआ है कि उन के कर्मठ सदस्य को अछूतोद्धार का पालन करने की आवश्यकता है, नियम है उस में शराबबन्दी आदि के सम्बन्ध में भी, फिर वे लोग इस तादाद में होते हुए भी, जैसा कि व कहते है कि उन का संगठन देश-

व्यापी है, ग्राम ग्राम में उन के मंडल हैं, उस को कामयाब करने में सफल नहीं हो पाते । इस का रहस्य क्या है ? इस का वास्तविक रहस्य यह है कि यह लोग या तो स्वयम् उस में विश्वास नहीं करते या वे यह आवश्यक नहीं समझते कि कानून बनने के बाद वे उस में कुछ कड़ाई दिखायें । मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह प्रवृत्ति बहुत घातक है । केवल कानून बनने से काम नहीं चल सकता जब तक कि हम लोग उस कानून का पालन करवाना अनिवार्य न बनायें । इस मामले में केवल कमिश्नर और उन का जो शासन प्रबन्ध है वह काफी नहीं हो सकता है । अपितु इस के लिये जरूरी है कि जो जनता के नेता लोग हैं वे सामने आयें ।

कल मैं देख रहा था कि श्री म० ला० वर्मा कह रहे थे कि हमारे कुछ सज्जनों ने इधर से आवाज लगाई कि आज भी यह सब बातें हो रही हैं । यह ठीक है कि यह बात हो रही है । लेकिन इस की जिम्मेदारी किस के ऊपर है ? इस की जिम्मेदारी केवल सरकार के ऊपर नहीं है, इस की जिम्मेदारी हम सब पर है । आज एक ऐसी प्रवृत्ति हो चली है कि जो लोग अनुसूचित जातियों या हरिजनों से सम्बन्धित हैं, उन के प्रतिनिधि के रूप में यहां आये हैं, वे शायद यह समझते हैं कि उन की बातों में ज्यादा वजन है, वे ही इस बारे में ज्यादा फिक्रमन्द हैं और दूसरे लोग फिक्र करना छोड़ चुके हैं । जब कि वास्तव में इस काम की शुरुआत भी सवर्णों से हुई और आज भी बहुत से सवर्ण लोग इस काम में दत्त चित्त से लगे हुए हैं ।

एक माननीय सदस्य : अगर यह बात होती तो इस समय सदन में उनकी तादाद इतनी कम न होती ।

श्री काशीराम गुप्त : जहां तक तादाद का प्रश्न है, यह सदन का स्वभाव है कि जो लोग किसी विषय में दिलचस्पी नहीं रखते हैं वे उठ कर चले जाते हैं । किस किस बात की आप फिक्र करेंगे । इस हाउस में यह रोजमर्रा देखते हैं । यह किसी एक बात के लिए नहीं कहा जा सकता । यह हमारा स्वभाव बन गया है कि प्रश्नोत्तर के बाद सदस्य उठ कर चले जाते हैं ।

मैं निवेदन करूं कि कुछ एसे काम हो गये हैं कि उनका नतीजा उलटा हो गया है । मिसाल के तौर पर राजस्थान में बहुत बड़े हिस्से में हरिजन लोग खाल रंगने का काम करते थे । उस काम को हरिजनों ने छोड़ दिया, और छोड़ा इसलिए कि उनके नेताओं ने उन को बताया कि यह बहुत गन्दा काम है और इस को नहीं करना चाहिए । नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को दूसरा काम तो मिला नहीं, वे गरीब होते चले गये, और उस काम को दूसरे लोगों ने हथिया लिया और पंचायतों ने उनको उसके लिए ठेके देने शुरू कर दिये । लेकिन यह बात इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है । मालूम होता है कि जो कुछ नीचे के कर्मचारी लिख कर भेज देते हैं उसी को अफसर स्वीकार कर लेते हैं । आज भी यही अवस्था है । जो लोग अपना पेशा छोड़ देते हैं और उन को दूसरा पेशा नहीं मिलता, तो उस से बड़ी मुसीबत पैदा होती है और उन लोगों को लाभ नहीं होता ।

इसी प्रकार से जमीन का सवाल है । भूमि हीनों का प्रश्न है । भूमि हीन हरिजन भी हैं और गैर हरिजन भी हैं । लेकिन हम भूमिहीन हरिजनों को प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि बहुत लम्बे अरसे से वे बहुत दबे रहते आये हैं, अन्यथा गरीबी की हालत में तो दूसरे भी हैं । लेकिन अब उनके लिए एक अड़चन पैद पैदा हो गयी है । वह यह है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यह हो गया है कि जो फौज में काम करने वाले हैं उन को जमीन मिलेगी । लेकिन जमीन रबड़ तो है नहीं जो बढ़ जाये । तो अब सवाल पैदा हो गया है कि पहले हरिजनों को मिले या फौजी लोगों को मिले । इस विषय में कमीशन चुप है । वह समझती है कि नीति अभी

[काशीराम गुप्त]

निर्धारित की गयी है । वास्तव में यह नीति तो पहले से निर्धारित है अब जरा जोर से इस पर अमल होने लगा है । मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए । ऐसा न होने का परिणाम यह हो रहा है कि कहीं पर तो हरिजन मारे मारे फिर रहे हैं और कहीं पर फौजी लोग मारे मारे फिर रहे हैं । इस बारे में स्पष्ट नीति की घोषणा होनी चाहिए ।

सन् १९७० तक जो भी सुविधाएं हैं उन को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने की आवश्यकता है, किन्तु यह तेजी दिखायी नहीं दे रही है और हमारे कमिश्नर बहुत सी बातों को राज्य सरकारों के सिर पर थोप देते हैं, और राज्य सरकारें इस काम को क्यों नहीं कर पातीं इस के बारे में कुछ नहीं कहते । क्या कारण है कि जब कि राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें हैं फिर भी इस काम में लापरवाही करती हैं । अगर राज्य में कांग्रेस से भिन्न सरकारें होतीं तब तो यह लापरवाही समझ में आ सकती थी । लेकिन अब तो इस लापरवाही के कारण में जाना बहुत आवश्यक है ।

रिपोर्ट में पहले पृष्ठ पर लिखा है कि एक और असिस्टेंट कमिश्नर की जरूरत है । होम मिनिस्ट्री भी इस से सहमत है किन्तु सरकार नहीं मान रही है । इस छोटी सी बात के लिए सरकार क्यों नहीं मान रही यह एक अद्भुत बात है और इस बारे में कमिश्नर साहब कुछ विशेष बता नहीं सके हैं ।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था सुधरे, इस में तो कोई दो मत हो ही नहीं सकते । किन्तु जहां तक पढ़ाई का प्रश्न है उसके बारे में हमारे बहुत से भाइयों ने चर्चा की है और इन लोगों का ऊंची नौकरियों में न लिए जाने की जो शिकायत है वह सही है । आप को देखना होगा कि अगर वे ऊंची नौकरियों के लायक योग्य नहीं हो पाये हैं और उनके लिए आगे नहीं बढ़ पाये हैं तो उसकी क्या वजह है । वे लोग आगे बढ़ें इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी । इन में जो अच्छे और होनहार लड़के हैं उन को कैसे आगे बढ़ाया जाये यह सोचना चाहिए । वे अपने आप आगे आ सकें यह सम्भव नहीं है । सरकार यह कहती है कि जो आगे आवेंगे उन को देख लेंगे अन्यथा नहीं । वास्तव में बात यह है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे स्वयं अपने बच्चों को आगे नहीं ला सकते । उन को विशेष व्यवस्था कर के आगे बढ़ाना होगा । इस प्रकार का प्रयास जरूरी है, और ऐसा होगा तभी इन लोगों की उन्नति हो सकेगी । और इन की यह शिकायत दूर हो सकेगी कि वे ऊंची नौकरियों में नहीं लिये जाते ।

मैं एक और बात की ओर खास तौर पर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हरिजनों के जो लड़के मैट्रिक पास हो गये हैं वे काफी तादाद में नौकरियों के योग्य हैं, लेकिन उन को नौकरियां नहीं मिलतीं । राजस्थान में साढ़े बारह प्रतिशत स्थान उनके लिए सुरक्षित हैं लेकिन उन को भी भरने में आनाकानी हो जाती है । इस में भी कुछ रहस्य है । कुछ लोगों के असर होते हैं और कुछ लोग उसका नतीजा दूसरा निकाल लेते हैं ।

एक और बात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । राज्यों में यह प्रवृत्ति है कि जो लोग किसी जाति विशेष के होते हैं वे यही समझते हैं कि केवल उनके प्रतिनिधि ही उन में दिलचस्पी रखते हैं दूसरे नहीं । यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है । अगर कोई मिनिस्टर है तो वह सोचता है कि जिस जाति से वह सम्बन्धित है उसके लोगों से ही उस को मतलब है । यह प्रवृत्ति घातक है । और इस को दूर करना आवश्यक है ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आपस में भिन्नता है, वे आपस में भी ठीक तरह नहीं मिलते हैं और हम इस समस्या को हल करने में नाकामयाब रहे हैं। हम ने कई स्थानों पर उन के लिए अलग कुएँ बनवाये। लेकिन नतीजा यह हुआ कि फिर भी जाति पांत बनी रही। यह नहीं हुआ कि सवर्ण उनके कूओं पर आते और वे सवर्णों के कुवां पर जाते। मेरा विचार है कि यह काम केवल कानून से नहीं होगा। इस के लिए तो पंचायतों को, पंचायत समितियों को और राजनीतिक दलों को मिल कर काम करना चाहिए तभी इस में कामयाबी हो सकेगी।

इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें संगठन से सम्बन्धित हैं। बहुत सी बातें राजनीतिक दलों से सम्बन्धित हैं और बहुत सी बातें नेताओं से सम्बन्धित हैं। मैं नेताओं से अपील करूंगा कि वे पहले अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करें वे ऐसा करेंगे तभी हरिजनों की उन्नति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। केवल कानून से उन्नति नहीं हो सकती।

Shri N. R. Laskar (Karimganj): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the Tenth and Eleventh Reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as it is the practice to discuss these reports on the floor of the House each year because it is a function enjoined on us by the Constitution. Under article 340 of the Constitution, a copy of the report has to be placed on the Table of the House for discussion by members. It is only through this report that the Central Government, the various State Governments and the country at large can know the progress made or achieved for the betterment and advancement of the backward classes.

In that sense, the report under discussion is a very important one and deserves full recognition from all quarters, including the State Governments. Since the various State Governments are responsible for the implementation of the various schemes, the State Governments and the other agencies should also recognise the importance of this report and try to implement or carry out the recommendations made in that report. Otherwise, the object with which this report is presented to the House will not be achieved. If the discussion of this report is for discussion's sake and the various agencies fail to implement the various suggestions made in the report, then there is no point in submitting this report every year to the House.

Year after year, we notice, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, had to complain that he was not getting full co-operation and appreciable response from the various State Governments and Union territories in this regard. Even in the latest report, that is, the Eleventh Report, covering the period 1961-62 shows a huge shortfall of expenditure both in the Central and State sectors. If we cannot utilise even the meagre sum allotted in the Plan, how can we hope to improve the lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the near future?

However, Sir, it is a matter of great satisfaction that the various State Governments are now coming forward and trying to improve the social and economic condition of these people. It is a good sign, no doubt. But, in spite of all efforts, the progress has not been to the extent that we wanted it to be. No doubt, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people have progressed to some extent in the educational field, which is no mean achievement, but, so far as the economic and social position of these people is concerned, I am sorry to say that not only has there been no progress but, in some cases there has been even deterioration. In the economic field, these people continue to live in the same primitive conditions in which their forefathers lived.

[Shri N. R. Laskar]

12.20 hrs.

The intake in the higher and lower cadres of Government services is quite inadequate. Sir, if you look into the Report, on page 129, paragraph 19:3, you will find that it is reported there that the progress is not at all good. Though reservation of posts in the case of Scheduled Castes is 12½ per cent and that of Scheduled Tribes 5 per cent, we find from the Report that till the 1st January, 1962, in Class I service the representation of Scheduled Castes is only 1·08 per cent. Though it was constitutionally agreed to give them 12½ per cent reservation, up to 1962 it comes only up to 1½ per cent. In Class II services it is the same repetition. In the case of Scheduled Tribes it comes to 28 per cent. In Class III, it is 7.10 per cent. for Scheduled Castes and only 80 per cent in the case of Scheduled Tribes. All these figures show that the intake in the services is not good at all.

The reason advanced for this is that there are no suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes to fill up these vacancies. I think, it is not always correct. If we look to their background, we can see that these people who are coming forward to compete for suitable posts have such an economic and social background and environment that they cannot compete with other more fortunate people who are there in our country. I have no doubt that if these people are placed at par with the other privileged classes of our society, they will not only compete with them but will do much better.

Also, it has been seen in the case of Class I services that these people have done will in written examinations but they do not do well in the *viva voce* examination. Most probably it is because they do not impress the selectors as they, I mean the members of selection Board, are not accustomed to the environment from which those weaker section of people are coming. So, I suggest to the Government that the U.P.S.C. or like bodies should not be strict in *viva voce* examination and if possible, in suitable cases, candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be exempted from *viva-voce* examination.

If you look at the employment exchange figures, it will be found that a large number of people are on the waiting list. At the end of the year 1961 as many as 7,81,000 and odd Scheduled Castes people still remained to be employed. So, what is needed is to give them training for suitable jobs make them fit for the various posts and employ them. Unless that is done I do not think this problem will be solved at all. So, what is needed most is to make them fit for the various types of posts reserved for them by giving them necessary training. The provisions of articles 16(4) and 335 of the Constitution should not be violated on the plea of non-availability of suitable candidates.

At the Delhi Convention it was suggested that there should be stricter enforcement not only with regard to entry into public services but also in regard to promotion. But it gave no indication of the intention to make greater use of the facilities which might in the long run render such reservation unnecessary.

Also, we find why these people are suffering in the educational field and are not making rapid progress at all. It is mentioned in the Report that scholarships should be paid to the students as early as possible. I know in my State in some cases this year the scholarship was given at the fag-end of the year. As these people are coming from rural areas, they have no houses to live in the town and have no money to pay admission and other fees. So, if the scholarships are not given to them at the earliest possible time, then they are not in a position to start their career. So, every step should be taken to see that they get admission and find lodging or accommodation in the town or college hostels. If all these things are not done, it may not be possible for these people to come forward.

Then, we find that some steps have been taken by some State Governments in regard to the filling up of vacancies reserved for scheduled castes and scheduled tribes. We know the Rajasthan Government has taken some steps. The Rajasthan Government has appointed a high-power committee to fill up the vacancies reserved for scheduled castes and scheduled tribes in the various departments. If all the State Governments appoint such committees, it will be better, but I do not know Sir, how many States have done this uptill now.

Now, the scheduled castes and scheduled tribes people constitute among themselves one-fifth of the total population of our country, that is, about 80 to 90 million people. The problem of improving the lot of these huge masses of our people should be traeated like a national problem. It is a national problem. I doubt whether the Government is thinking on that line. We should also educate the weaker sections of the population regarding the facilities the Government is trying to offer them. We should also educate the general public regarding the seriousness of this problem unless these people are brought at part with other sections of people in our country, the country, as a whole, cannot advance. There is no doubt about that. If we want to march ahead, we have to march along with these weaker sections of the population. If we cannot improve the economic position of the weaker sections of the population, then we cannot claim, that we have progressed. I am glad that the Government is trying to improve the conditions of these people.

Lastly, I would like to suggest that in order to evaluate the progress made by the scheduled castes and scheduled tribes during the last few years, a commission like that of Debharbhai Commission should be constituted. The people of these weaker sections and also the Members in this House have been demanding this. I hope the Government will do something in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई ४० माननीय सदस्यों की फेहरिस्त आ चुकी है जोकि बोलना चाहते हैं और अभी और भी चिट्स आ रही हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जितना संक्षेप में हो सके, बोलें और कम से कम वक्त में अपने भाषण समाप्त करें ताकि अधिक से अधिक मैम्बर्स को बोलने का मौक़ा मिल सके। श्री ओंकार लाल बेरवा।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की सन् १९६०–६१ की रिपोर्ट आज पेश की जा रही है भले ही वह कोई तीन साल बाद पेश की जा रही है। लेकिन जहां मुझे उसके पेश किये जाने से प्रसन्नता है मैं यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि मुझे इसका बड़ा दु:ख है कि यह इतनी देर बाद क्यों पेश की गई। अगर और कोई रिपोर्ट रही होती तो शायद वह तभी उसी सेशन में रख दी गई होती और उस पर विचार समाप्त हो गया होता। इतनी देरी से उस रिपोर्ट को विचारार्थ रक्खा जाना साफ़ ज़ाहिर करता है कि सरकार इस ओर कैसी लापरवाही और उपेक्षा बर्तती है। अगर और कोई रिपोर्ट रही होती तो शायद उसी पीरियड में उस पर विचार कर लिया जाता। ख़ैर देर से ही सही उस पर विचार तो शुरू हुआ और इस के लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट वालों के जितने भी क़ानून बनाये जाते हैं वे सारे के सारे कागज़ों तक ही रह जाते हैं। मैं ने एक प्रश्न भी किया था कि अस्पृश्यता के अपराध में अब तक कितने लोग पकड़े गये और कितने दंडित किये गये तो मुझे बतलाया गया कि जब से इस का क़ानून बना है तब से

[ओंकारलाल बेरवा]

केवल १३ आदमी इस में पकड़े गये हैं। उन पर कोई ख़ास बड़ा जुर्माना वग़ैरह नहीं हुआ, केवल २, २ और ४, ४ रुपये जुर्माना कर के उन को छोड़ दिया गया। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स वाले उन्नति करें और आगे बढ़ें तो इस अस्पृश्यता सम्बन्धी क़ानून को सख़्ती से अमल में लाया जाय ताकि लोग छुआछूत करने से डरें और जब इस क़ानून का कठोरता के साथ पालन होगा तभी लोग छुआछूत व अस्पृश्यता बर्तने से रुकेंगे अन्यथा नहीं।

इसके अतिरिक्त जितनी भी उनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं और दूसरे विकास कार्य किये जाते हैं वे सब शहरों के अन्दर ही होते हैं। छात्रवृत्तियां आदि शहरों तक ही सीमित रहती हैं। गांवों में, जहां पर पहाड़ी एरिया है, जंगल हैं, उन को कोई छात्रवर्त्तियां नहीं मिलती हैं और उन का कोई उद्धार नहीं होता है। इस समय वे आटे की तरह पिस रहे हैं। पंचायत-राज स्थापित हुआ है, लेकिन पंचायतों में गुटबन्दी होने के कारण वे और भी ज्यादा पिसने लगे हैं। मान लीजिये कि केन्द्रीय सरकार ने एक लाख रुपया दिया। तो राज्य सरकार और पंचायतों के हाथ में जाते जाते वह एक हज़ार रह जाता है। वह सारा रुपया कपूर की तरह उड़ जाता है और उन बेचारों को उस में से कुछ ही रुपया मिल पाता है।

जितनी भी कालोनीज़ बनी हैं, वे सारी की सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। ब्यावर में कंजर कालोनी, कालेड़ा में आदिवासी कालोनी, रंगवाड़ी कोटा में भील कालोनी और कोटा-कैथून के पास रामनगर कालोनी, इन सब की यही स्थिति है। अगर मैं आप को शाहाबाद का थोड़ा हाल सुनाऊं, तो आप ताज्जुब करेंगे। माननीय मंत्राणी जी स्वयं देख कर आई हैं कि शाहाबाद में आदिवासियों का क्या हाल है। वहां पर गवर्नमेंट ने कम से कम एक करोड़ रुपया ख़र्च किया है। मैं स्वयं वहां पर देख कर आया हूं और मैं जानता हूं कि एक करोड़ रुपये के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। कल माननीय सदस्य, श्री वर्मा, ने कहा कि सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यह कहता हूं कि एक करोड़ रुपये में से ५० लाख रुपये ग़ायब कर दिये गये हैं। मैं मांग करता हूं कि इस की जांच न्यायालय के, द्वारा होनी चाहिए। अगर यह ५० लाख रुपये का घोटाला न निकला, तो मैं संसद् से त्यागपत्र दे दूंगा, वर्ना श्री वर्मा दें; और वह जो कहेंगे, वह मैं करूंगा।

मैं ने खुद देखा है कि आदिवासियों के लिए १८६ कुंए खोदे गये हैं, जिन में से सिर्फ दो में पानी है और बाकी कुंओं में मिट्टी भी नहीं है। थोड़े थोड़े से गढ़े खोद रखे हैं। एक जगह १०० कुएं खोदं गये हैं, लेकिन उन को तालाब में ले लिया गया है और कह दिया गया है कि ये तालाब में आ गये हैं। एक जगह उन के लिए ४८,००० रुपये का बांध बनाया गया है, लेकिन वहां पर ४८०० फ़ीट पत्थर भी नहीं है। मैं ने चारों तरफ़ जा कर देखा है। परानिया में भी २२० मकान बनाये गये हैं, जिन पर २,३२,०२३ रुपये ख़र्च हुए हैं। वहां पर सिर्फ़ ७५ मकानों में आदमी रहते हैं और बाकी सारे वीरान पड़ हुए हैं। वे मकान भी धंसने वाले हैं। अगर मैं आप को उन लोगों और बच्चों का फ़ोटो दिखाऊं, तो आप को पता चलेगा कि वे क्या पहने हुए हैं और उन की क्या दशा है। माननीय सदस्य, श्री वर्मा, यहां पर कहते हैं कि उन का बड़ा उद्धार किया गया है, लेकिन उन के बदन पर कपड़ भी नहीं हैं।

माननीय मंत्राणी जी उन को देखने के लिए गई थीं। मैं ने उन को टलीफ़ोन किया कि अगर आप जांच करने के लिए आई हैं, तो मैं आप के साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि मैं जांच के लिए नहीं आई हूं। लेकिन मुझे शक था कि वह जांच के लिए गई हैं, क्योंकि जिन के नेतृत्व में वह काम

हुआ है, अर्थात् ब्रह्मदत्त जी, वह उन के साथ थे, राजस्थान के मंत्री, श्री भीखाभाई, उन के साथ थे और दूसरे भी सारे के सारे प्रचारक उन के साथ थे । वहां पर इस तरह का ड्रामा होता है । हर जगह एसा ही ड्रामा होता है । कहीं कंजर सम्मेलन हो रहा है, कहीं आदिवासी सम्मेलन हो रहा है, कहीं अछूत सम्मेलन हो रहा है, कहीं दलित वर्ग कल्याण संघ है और कहीं हरिजन संघ है । इन के द्वारा पैसे से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन श्री वर्मा कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है और हम ने उन्नति की है ।

वहां पर जो लोग कत्थे का व्यापार करते थे, उन की सहकारी समिति बनाई गई । सरकार ने उन को ६०० रुपये की जगह २०० रुपये दिये और कहा कि हम सहकारी समिति में आप को ठेका दे देंगे । लेकिन साल भर का कत्था उन्हीं आदमियों ने कलकत्ता के बाज़ार में एक लाख अस्सी हज़ार रुपये में बेचा और आदिवासियों से कह दिया कि कत्था चोरी हो गया । ऐसी ऐसी घटनायें वहां पर हुई हैं ।

उन के जो महुवे के पेड़ थे, जिन से वे गुज़ारा करते थे, उन को कटवा दिया गया । उन पेड़ों को कटवाने से वे लोग न तो खेती कर सकते हैं और न मज़दूरी कर सकते हैं । आज वे बेचारे मांग मांग कर खाते हैं और बर्बाद हो रहे हैं ।

सौ, डेढ़ सौ आदिवासियों को पत्थर तोड़ने के लिए मुंगावली गांव से बुला कर लाया गया । उन को दो दो जगह ज़मीनें दे दी गईं, लेकिन दोनों जगह उन को बैलों के लिए रुपया न दिया गया और न ही तकावी आदि दी गई, जिस के कारण वे बर्बाद हो कर वापिस चले गये । जिन २०० मकानों में उन को रखा गया था, अब वे भी वीरान पड़े हुए हैं । वहां पर कुछ भी नहीं है ।

१,२८,००० रुपये का एक बांध बना, जिस से सिर्फ़ ११०० बीघा ज़मीन की सिंचाई होती है । किशनगंज के पास ही ५७,००० रुपये का एक अलग बांध बनवाया गया । उस के दोनों तरफ़ के किनारे टूट गये हैं । तीन दफ़ा वह बांध बन चुका है, लेकिन आने के लिए रास्ता नहीं है । एक ही बारिश होने से वह नाला भर जाता है । चूंकि वे किशनगंज नहीं आ सकते हैं, इसलिए वे भूखों मरते हैं ।

एक जगह ६६० मकान बनाये गये । फ़ोटो में ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल चबूतरे, बरांडे, लेट्रिन और बाथ-रूम वग़ैरह ठीक बनाये गये हैं, लेकिन अगर मौके पर जा कर देखा जाये, तो पता चलता है कि खजूर की चटाई चारों तरफ़ लगा कर लैट्रिन और बाथ-रूम बना रखा है । एक एक मकान की कीमत १२०० रुपये उन के सिर पर मढ़ दी गई है । उन बेचारों को जो बैल दिये गये हैं, वे ऐसे हैं कि अगर गर्मी में बच जायें, तो बारिश में मर जायें और अगर बारिश में बच जायें, तो सर्दी काटना मुश्किल हो जाये । इस अवस्था में वे खेती किस तरह से कर सकते हैं ? मैं स्वयं यह सब कुछ देख कर आया हूं । इस तरह का खिलवाड़ उन आदिवासियों के साथ किया जा रहा है । अगर मंत्राणी जी वहां पर जांच करने के लिए जाना चाहें, तो मैं उन के साथ चल कर यह बताने के लिए तैयार हूं कि उन लोगों के साथ कैसा अत्याचार किया गया है ।

उस भ्रष्टाचार की जांच ज़रूर होनी चाहिए । जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, आज वे लोग मोटरों में घूमते फिरते हैं और उन्होंने हवेलियां बनाई हुई हैं । वहां के बी० डी० ओ० और वैलफ़ेयर आफ़िसर, सारे के सारे, इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं । रोज़ के बख़ेरे करते हैं और रोज़ाना उद्घाटन होते हैं । यह हालत शिड्यूल्ड कास्ट्स और

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

आदिवासियों की वहां पर हो रही है। माननीय मंत्राणी जी स्वयं जा कर देखें ।

श्री काशी राम गुप्त : बिना साझे के भ्रष्टाचार नहीं होता है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : बिल्कुल ।

कोटा कैथून के पास रामनगर कालोनी बनाई गई है । उस कालोनी में १०० मकान बनाने का सुखाड़िया जी ने आश्वासन दिया । उन १०० में से सिर्फ़ २५ मकान बनवाये गये । उन २५ में भी पांच तो बन चुके हैं, पांच की फ़ाउन्डेशन भरी पड़ी है, पांच की फ़ाउन्डेशन खुद रही है, पांच पट्टियों के लैवल तक हैं और पांच पर पट्टियां पड़ीं हैं । इन के लिए ६८,००० रुपये उन ग़रीबों के माथे मढ़ दिये गये हैं । १६,००० रुपये से एक ट्रैक्टर लाया गया है, जो कि खेत में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है कि मुझे उठा कर ले जाओ । उन बेचारों ने कह दिया कि ट्रैक्टर से पैसे हमें बताओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है । हम ने कोटा के तहसीलदार से कहा कि यह सारा रुपया खाया गया है, इस की जांच होनी चाहिए कि वह रुपया किस तरह खर्च किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है । हम देखते हैं कि रुपया कपूर की तरह उड़ जाता है, लेकिन उस की कोई जांच नहीं होती है ।

इस ग़रीबी का नाजायज़ फायदा विदेशी ईसाई मिशनरी उठाते हैं । वे उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं और हर साल हज़ारों ईसाई बनाये जाते हैं । हमारे उन भाइयों को सरकार की ओर से कोई हेल्प नहीं मिलती है, जिस की वजह से दूसरे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को ईसाई होने से बचाया जाये । महात्मा गांधी ने कहा कि जिस का धर्म बदल जाता है, उस की राष्ट्रीयता बदल जाती है । राष्ट्रीयता बदलना तो दूर रहा, उन लोगों को इस बारे में सहायता दी जाती है । मैं नम्र निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जितनी सहायता दी जा सकती है और जितनी सहायता दी जानी चाहिए, वह दी जानी चाहिए । कमिश्नर की रिपोर्ट में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एसा इन्तज़ाम करना चाहिए कि वास्तव में जितना पैसा उन को मिलना चाहिए, वह उन को मिले ।

सरकार ने उन लोगों को सुविधा देने के लिए मकान बनाने के लिए ७५० रुपये दिये । मैं आप को बताना चाहता हूं कि सारे के सारे मकान अधूरे पड़े हुए हैं और एक बारिश भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ७५० रुपये में पूरा मकान नहीं बन सकता है ।

पंद्रह रुपये की छात्रवृत्ति लड़कों को होस्टल में दी जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि पंद्रह रुपये तो कोई भला आदमी दो दिन में पान सिगरेट पर फैंक देता है । वे बेचारे पंन्द्रह रुपये से कैसे गुज़ारा करें ? इस के अतिरिक्त उन को होस्टल में खाना और साग-सबज़ी अच्छी नहीं मिलती है । सस्ती और घटिया चीजें उन को दे दी जाती हैं । मैं ने एक ऐसा आश्रम देखा, जिस में शिड्यूल्ड कास्ट्स के अंधे और लंगड़े-लूले आदमी पड़े रहते हैं । उस के आस-पास ऐसा जंगल सा बना हुआ है कि अगर वे न भी मरते हों, तो बिच्छू के काटे से मर जायें । वहां सफाई का कोई इन्तज़ाम नहीं है । जब सरकर कोई धर्म का काम करती है, तो इस का इन्तज़ाम भी उस को करना चाहिए कि उन लोगों को उचित सहायता और सुविधा मिले । मैं सुझाव दूंगा कि इस बारे में कोई समिति कायम की जाये, जो इन सब बातों की देख-भाल करे, ताकि उन लोगों को सही मात्रा में पैसा मिल सके । अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जितनी भी सहायता सरकार हरिजनों के उत्थान के लिये दे, वह इस बात की व्यवस्था करे कि वह सही रूप में उन को मिले ।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । मुझे बिल्कुल ठीक तौर

पर मालूम तो नहीं है, लेकिन बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि डिप्टी मिनिस्टर महोदया जो यहां बठी हैं, मेरे विचार में वह हिन्दी बिल्कुल नहीं समझती हैं । जब एसी परिस्थिति है, तो . . . .

कुछ माननीय सदस्य : अच्छी तरह से समझती हैं ।

श्री मौर्य : मेरा विश्वास हैं कि हिन्दी पूरी तरह से नहीं समझती हैं। एसी परिस्थिति में अगर कोई और . . . .

अध्यक्ष महोदय : जब सब माननीय सदस्य कहते हैं कि वह समझती हैं, तो आप ही मान जायें ।

श्री मौर्य : अगर समझती हैं तो मैं बठ जाता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि नहीं समझती हैं ।

श्री कछवाय (देवास) : हमें कहना चाहिये कि उत्तर हिन्दी में दें । (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : अगर आप यह समझें कि सिर्फ स्पीकर ही हाउस में डिसिप्लिन रख सकता है तो यह नामुमकिन है। हर एक माननीय सदस्य को अपना फर्ज़ समझना होगा और तभी डिसिप्लिन रह सकेगा । हम ने सारे मुल्क के सामने एक आदर्श पेश करना है और इस के लिए मैं हर एक मेम्बर साहब की सहायता चाहता हूं और चाहता हूं कि हर एक मम्बर अपनी जिम्मेदारी को समझें । उसे भी इस में कुछ हिस्सा डालना है । अगर आप, जो कोई भी कुर्सी पर बैठा हो, उस पर छोड़ दें, तो आप विश्वास करें कि वह कोई भी हो, कभी भी डिसिप्लिन नहीं रख सकता है ।

Shri Basumatari (Goalpara): We stand at the threshold of a new era and the tribal and scheduled castes are also prepared to make on an entry into this new era along with the other members of the family.

We have been discussing here the Tenth and Eleventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have been listening to the speeches and the suggestions made by various Members since yesterday, although most of the Members were by-passing the vital point.

We have appointed enough of committees. We appointed the Elwin Committee for looking into the matter of development of tribal areas. They found some lacunae in the administration. Then we appointed a committee to go into the condition of nomadic tribes. They also found what was the condition of the nomadic tribes. A Committee was appointed by the House, known as the Evaluation Committee, headed by Shrimati Renuka Ray. Lastly, there was the Dhebar Committee which was appointed and which has since submitted its report.

So we have appointed enough committees and every committee has made suggestions. If you go into the details, you will find them all alike. But the question is whether these suggestions have been accepted by Government or not. I have no dispute with the Government in the Centre. I have full faith and confidence in the administration run by the Home Ministry and also their sincerity. But you see the actual results. When hon. Deputy Minister initiated the debate yesterday, she herself expressed her disappointment at the tardy progress. So what more can we say except just to depend on faith and their being generous?

We are talking of appointments. We have been saying repeatedly that appointments cannot be made unless the heart is clear. Unless the leaders of the country are free from mental reservations, unless sincerity is there,

[Shri Basumatari]

unless they are sincere to the ideal of Mahatma Gandhi, I cannot say that these appointments can be made available to the tribals and scheduled castes. The dangerous excuse is there, 'that a suitable candidate is not available'. When you consider the condition of the tribals, when you consider the condition of the scheduled castes, how can you expect the candidates of scheduled castes and scheduled tribes just to compete with the others who are enlightened for ages, who have been for long in an advanced condition in the advanced areas. So there are some provision made for the scheduled castes and scheduled tribes and it was rightly incorporated in the Constitution, by these great men. But has it been respected? I say, no.

We have visited every area in the States. Where there was not a single graduate in 1945, we found 35 graduates; where we found only two or three graduates then, we found now 100. Almost in every State even then, we found some of the Chief Ministers and other Ministers saying that they are not up to the mark. So unless and until you are sincere in these affairs, how can these people be made available to the services?

Mr. Speaker: Does he doubt any sincerity?

Shri Basumatari: I am very sincere.

Shri Hari Vishnu Kamath: Your sincerity is not in question.

Shri Basumatari: If you take my time, you will have to give me more time.

Shri Kashi Ram Gupta: The hon. Member is blaming you, Sir.

Mr. Speaker: That was what I wanted to know. But he has not told me.

Shri Basumatari: I have not the slightest doubt about your sincerity.

When I say 'you', I am referring to those who are administering, those who are at the helm of affairs, not you.

Shri Hari Vishnu Kamath: He is at the helm here in the House.

Shri Basumatari: I request them through you to be sincere in their administration.

I have no time to read out statistics about the percentage of appointments in the services. So I do not go into those details. But in regard to the services, as was pointed out by my hon. friend, Shri Subodh Hansda, and others when, in order to solve this problem, one or two people were taken in class I or class II, the others took shelter under the High Court and the Supreme Court where they declared that the carry-forward over the vacancy is *ultra vires* of the Constitution. Also in the Railway Ministry, as was pointed, when some posts were to be filled by appointing by promotion these people, some of them went to the High Court and the Supreme Court and it has been held up. Like this things are going on seriously. When one or two persons are appointed, recourse is had to the High Court and the Supreme Court and they come to the decision that it is illegal and unlawful. How can these people be denied what is provided for them in the Constitution?

There are some basic things to be taken into consideration. There should be spread of better type of education among the scheduled castes and scheduled tribes. Only then can they compete with others. I have been saying all the time that in respect of education, there should be a system of residential type of education for them in the line of Missionary. You find in the House Shri Swell. You compare me with him. See how he speaks in a polished language and how I speak. Here it is. He could speak like that because he is the product of missionary schools. The missionary schools have been able to give better education with better teachers with better facilities in the residential type of schools. With the result that those who are educated in those schools can compete with the other advanced communities. Take the IAS appointments. In Assam, 17 IAS candidates were directly recruited. Out of them, 13 are of the hill tribes. Who are they? They are from the Khasi Hills, Lushai Hills and Naga Hills. They have been educated and brought up in Christian missionary schools. That is the benefit of that type of education.

I do not wish to say that we are backward by birth, this and that. But we have been pushed in a place where we could have light. That is the difference. Therefore, if you give the facilities, the problem can be solved. But it is not done. That is why I say repeatedly that the heart should be clear. They should search their hearts first. It is said enough money has been spent for this and that. But it is not just a question of spending money. By spending money alone, you cannot develop a people. I have seen almost all the areas in the tribal blocks, special blocks and other blocks. I have seen that 25 per cent of it only goes to the development of the tribal people, the rest 75 per cent is taken by other advanced communities in the name of tribals and schedule castes. This is the state of affairs of the tribals and scheduled castes.

Then as regards health, as I said on another occasion, you will be surprised to know that sixteen years after independence, 60 to 80 per cent of the population of the tribals is still suffering from yaws, leprosy and other fatal diseases. The officers themselves confess that the reason is that doctors are not available. Of course, some hospitals have been constructed by the Government, but only the buildings remain, there are no doctors. So, doctors, teachers and officers are not available to work in the tribal areas. I can understand the difficulties of those people because they have to go leaving their children at home to those far off places, and it is not humanly possible for them to go and work for the tribals leaving their family behind unless and until provision is made for the education of their children, and they are afforded other essential facilities.

Coming to development blocks, my hon. friend, Shri Hansda pointed out yesterday how they are not reaching the needy people. The reports of Dr. Elwyn and that of the Dhebar Commission have suggested that the tribal concentration should be reduced to 50 per cent for purposes of opening development blocks, but it is not being done. It may not be wise to talk about a particular State, but I cannot refrain from referring to the State from which I come. The general development blocks of Kamalpur, Karara etc., serve populations ranging from 49,000 to 29,000 and cover areas ranging from 80.38 to 309·50 square miles, while the tribal block of Tamalpur covers an area of 326·67 square miles and caters to a population of 99,547. This will show the glaring injustice done to the tribal people, and the sincerity with which this programme is implemented for their benefit where population of tribals is 44306.

Coming to education, it cannot be imparted unless you give them hostels. It is not possible to set up better schools without better teachers with attractive pay. There are very few schools in the tribal areas. The people are enthusiatic, and they have collected money for building high schools, but how far can you collect subscriptions from the poor tribals?

So, considering all their problems, I think it is no use having a large number of schemes. The main thing is their economic condition should also be improved. For that, the provision in the Constitution giving them reservation in the services should be fully respected by holding examinations among themselves along for every competition. Apart from that, you should concentrate only on certain essential schemes.

[Shri Basumatari]

Many speakers have pointed out the lack of drinking water. Some friends opposite mentioned that there are wells, but no water. When these people are deprived of such basic amenities, how can you expect them to impove? The leaders and administrators should be very clear in their minds. They should not have any reservations in thinking that the tribals have come up enough because they are filling the vacancies, or because their representatives are sitting here in the same benches.

The hon. Home Minister said the other day in Rajya Sabha that there should not be any talk of extension of time for reservation after these ten years. I am entirely agreeable provided you take adequate measures to improve their condition meantime, protecting them from exploitation, and bringing them up to the level of the general population protecting their right in the land.

With these remarks, I request the hon. Deputy Minister to take note of all the points and suggestions made by hon. Members.

Mr. Speaker: Shri Brajeshwar Prasad wants to speak two or three sentences, but how long would the sentences be?

Shri Brajeshwar Prasad (Gaya): I would like to sit and speak, I am not well.

Means of livelihood should be guaranteed to all Harijans, who should also be exempted from payment of all kinds of taxes and rents.

If a caste Hindu graduate marries a Harijan boy or girl, or if a Harijan graduate marries a caste Hindu boy or girl, he or she, as the case may be, should be nominated to the IAS.

If a matriculate caste Hindu marries a Harijan boy or girl, or if a matriculate Harijan marries a caste Hindu boy or girl, he or she as the case may be......

Mr. Speaker: With her consent or without her consent?

Shri Brajeshwar Prasad:........ should be nominated to the State Civil Service.

What I say about the Harijans applies to the Adivasis as well.

Shri Hari Vishnu Kamath: Nomination to Parliament also.

Mr. Speaker: Is that all?

Shri Brajeshwar Prasad: Yes.

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दो वर्षों के बाद यह शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट इस सदन में बहस के लिये रखी गई है। पिछले साल ढेबर कमिशन की रिपोर्ट सितम्बर में आई लेकिन सितम्बर में भी उस पर बहस नहीं खत्म हुई, फिर नवम्बर में आई और अब जा कर उस पर बहस खत्म हुई। हमारी सरकार कहती है कि हम ने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, हमारी सरकार के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह तो हाथी के होते हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : सरकार हाथी से कम नहीं है।

13 hrs.

रिपोर्ट बनती है और उसमें बड़े बड़े सेंटेंसेज़ लिखे जाते हैं लेकिन उन पर कहां तक अमल होता है इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इस सदन में अक्सर बहुत से लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम उनके बताये हुए रास्तों पर चलते हैं। लेकिन मैं आपके जरिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के सप

कहां तक पूरे हुए हैं । हरिजनों की हालत क्या है ? आज हरिजनों की हालत इस देश में यह है कि न उनके पास जमीन है, न अच्छे मकान हैं, न उनके पास रोजगार है। गांव के दक्षिण में उनको बसाया जाता है, आप कहेंगे कि यह तो पुरानी बात है। लेकिन उनको गांव के दक्षिण में बसाने का मकसद यह था कि उनकी हवा दूसरे सवर्णों को न लग पाये ।

उनके लिये अगर किसी रोजगार की व्यवस्था की जाती है तो या तो चमड़े या हड्डी के रोजगार की या छोटे मोटे रोजगारों जैसे कुरसी बुनने की व्यवस्था की जाती है जिसमें वे किसी प्रकार अपना पेट भर सकें। लेकिन इन रोजगारों से वे आगे नहीं बढ़ सकते । ऐसे रोजगारों की सरकार की तरफ से इनके लिये व्यवस्था होती है ।

इन के खाने के बारे में सदन में कई वार चर्चा हुई है । मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हरिजनों के बारे में पता है कि जो दिन में तीन बार के बजाय एक बार भोजन पाते हैं और उनका भोजन होता है महुआ, आम कीगुठली, चोइटा यानी शीरा जो चीनी बनने में निकलता है और बरगद का गोदा । इन पर ये अपना निर्वाह करते हैं ।

हरिजनों की पूछ कहां होती है वह भी मैं बताऊं। जब २६ जनवरी होती है तो अच्छे अच्छे करमा डांस और पहाड़ी डांस के लिये उनकी पूछ होती है, और दूसरे उनकी पूछ होती है इलेक्शन के समय । पिछले इलेक्शन में सदस्यों से यह मालूम किया गया कि :

How far Harijans and Muhammadans have supported the Congress.

मैं पूछता हूं कि यह सवाल केवल हरिजनों के लिये ही क्यों किया गया, क्यों नहीं और जातियों के लिये किया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया या नहीं ।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि हरिजन स्लेव हैं ।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या वे गरीब हैं इस लिये उनके ईमान पर लांछन लगाया जाता है । यह सवाल तो और जातियों से पूछना चाहिये था जो कि गवर्नमेंट के बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती हैं ।

एक माननीय सदस्य : बजट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद : यह मैं आपको किसी और वक्त बतलाऊंगा ।

मैं तो सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि संविधान की धारा १५ और १७ पर कहां तक अमल हो सका है और उनके उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हो सकी है। मैं चाहता हूं कि इसकी व्याख्या मंत्राणी महोदया अपने भाषण में करें ।

शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के पैज १२४ पर लिखा है कि रिजरवेशन खत्म हो जाना चाहिये । उसमें लिखा है :

> "If in course of time, a sufficiently large number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe persons get elected to the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas from general constituencies, there will be no need for continuing the reservation of seats for them and the constitutional provisions in this regard can be allowed to lapse."

और इसमें मैं आपको फिगर भी दे दूं । वह इस प्रकार हैं । लोक सभा में जनरल सीट्स से १ शिड्यूल्ड कास्ट और दो शिड्यूल्ड ट्राइबस, पहले ६ शिड्यूल्ड कास्ट थे और तीन शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले । विधान सभाओं में पहले बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर

[श्री विश्राम प्रसाद]

प्रदेश और बंगाल में १२ शिड्यूल्ड कास्ट और ९ शिड्यूल्ड ट्राइब्स, और पहले आठ आठ थे। राज्य सभा में पहले तीन थे अब दो ही रह गये।

मैं नहीं चाहता कि आप रिजरवेशन रखें। लेकिन सवाल यह है कि जो संविधान में सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट के लिये साढ़े १२ परसेंट के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये ५ परसेंट के वायदे किए हैं उनकी पूर्ति कहां तक हो सकी है। रिजर्वेशन न होना चाहिये, इसको मैं मानता हूं, राज्य सभा, लोक सभा, और विधान सभाओं में रिजरवेशन न हो क्योंकि इससे हरिजनों का नुकसान होता है, हरिजनों का बहुत सा हक मारा जाता है यह तो इस तरह है जैसे कबूतरों को दाना छींटना। जब हम में से कुछ लोग राज्य सभा, लोक सभा या विधान सभाओं में रिजरवेशन की वजह से आ जाते हैं तो दूसरे हरिजन दब जाते हैं, अपनी बात को सरकार से कह नहीं सकते और उनके प्रतिनिधि भी उनकी बात नहीं कहते, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम बोलते हैं तो हमको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। कल मेरी एक कांग्रेस सदस्य से बातचीत हुई। उन्होने कहा कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं बहुत क्रिटीकल हूं और हो सकता है कि इस कारण हमको टिकट मिलने में दिक्कत हो।

13.07 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान नौकरियों के बारे में दिलाना चाहता हूं। अखबार पढ़ने वाला आदमी समझता है कि सरकार ने हरिजनों के लिये सारी व्यवस्था कर रखी है। पोस्ट निकलती है तो एडवरटाइजमेंट होता है:

Post is reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if suitable candidates are forthcoming, otherwise it will be treated as unreserved.

शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पब्लिक सरविस कमीशन कहती है कि हरिजनों की कमी है इसलिये वह नौकरियों में नहीं लिये जाते। लेकिन होता यह है कि वे रिटिन टेस्ट में पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिये जाते हैं क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि वे हरिजन हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है कि इनको प्रोमोशन्स में भी रिजरवेशन मिलना चाहिये लेकिन हमारी सरकार ने ग्रुप ३ और ग्रुप ४ में उनके रिजरवेशन को माना है।

अब मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूं कि जो साढ़े १२ परसेंट रिजरवेशन है हरिजनों का उसमें से क्लास वन में १–८९, क्लास २ में ३–३६, क्लास तीन में ६–३८ और क्लास चार में ११–९६ परसेंट रिजरवेशन मिला हुआ है। और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को क्रमशः–२४, –२४, –४३ और १–१० परसेंट रिजवरवेशन मिला हुआ है। आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० का परसेंटज इस प्रकार है। आई० ए० एस० में कुल १७२८ लोग लिये गये, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट ४६ लिये गये, परसेंटज २–६ रहा। आई० पी० एस० में ९८५ लोग लिये गये, उनमें हरिजन २९ लिये गये, परसेंटज़ २–८ रहा–आई० एफ०एस० ए० में २०१ लिये गये, उनमें हरिजन ४ थे, परसेंटज २ रहा। आई० एफ० एस० (बी) में १९१२ लिये गये जिनमें हरिजन ४७ थे, परसेंटज २–४ रहा। यह सरविसेंज़ का किस्सा है। टोटल सरविसेंज़ में सेंटर में और राज्य सरकारों में ४,४५,१४३ आदमी लिये गए, उनमें हरिजन १२,९७७ लिये गये, परसेंटज आया ३ और शिड्यूल्ड कास्ट ५१०९ लिये गये, उनका परसेंटज है १।

इसके अलावा जिनको सरविसेज में लिया जाता है उन पर तरह तरह के आरोप

लगाए जाते हैं । उनकी रिपोर्ट खराब की जाती है और उनका करेक्टर रोल खराब कर दिया जाता है । और इस तरह से एक न एक बहाना बना कर उनको निकाल दिया जाता है । मैं भी एक सरकारी नौकरी में था । सरकार ने मुझ अमरीका दो साल पढ़ने के लिये भेजा था । लेकिन १४ साल सरविस करने के बाद मेरे लिये लिखा गया :

In persuance of appointment ......Governor is pleased to terminate the services of Shri Vishram Prasad, District Agricultural Officer..

न कोई काज न कोई रीजन । इस तरह का व्यवहार हरिजनों के साथ सरकार का होता है । एक तो हरिजनों को नौकरी कठिनाई से मिलती है और मिल भी जाती है तो उनको कोई हथकंडा लगाकर निकाल दिया जाता है । बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कहने तो बहुत हैं कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन दर असल होता क्या है इसको सभी मेम्बर जानते हैं ।

इसी तरह से पंजाब का किस्सा आप लीजिये । इस रिपोर्ट में लिखा है

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप खत्म करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह अपने ग्रुप के एक मात्र वक्ता हैं, इनको ग्रुप का पूरा समय दिया जाये ।

श्री विश्राम प्रसाद: पंजाब में सन् १९५४ में हरिजनों का पुलिस कांस्टेबल्स में ५० परसेंट रिजर्वेशन करने के लिये तय किया गया था जोकि सन् १९५४ में ५, व १९६२ में १२ परसेंट तक ही रह गया ।

उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के किस्से हैं । सेंटर तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स में भी वही चीजें चलती हैं । चूंकि मेरे पास समय कम है इस लिये मैं जल्दी जल्दी आपने भाषण को समाप्त करूंगा । हरिजनों के लिये जो बजट एलौट होता है उसका वाकई कितना हिस्सा हरिजनों के लिये जाता है ? अभी जो बजट के आंकड़े दिये हुए हैं उससे जाहिर होता है कि ३० करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और ७० करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करेंगी । पांच साल के अन्दर १०० करोड़ हुआ । अब दस करोड़ की हरिजनों की आबादी है । एक आदमी के ऊपर एक साल में २ रुपये जाकर पड़ता है ।

हरिजनों के लिये काटेज इंडस्ट्रीज़ की व्यवस्था की जाये । अब हरिजनों के लिए शहरों की सफाई करनी, जूता बनाने या लकड़ी का काम करने या कुसियां बुनने आदि धंधों में उनको सहारा देते हैं । अगर हरिजनों को काम देना है तो उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी लगाइये । जिस तरह के निचले और छोटे दरजे के कामों में वे आज लगे रहते हैं उससे तो उनके पास इतनी आमदनी कभी भी नहीं बढ़ सकेगी कि आगे वे किसी ऊंचे काम धंधे में, किसी ऊंचे रोजगार में लग सकें और उसकी आमदनी में हिस्सा बंटा सकें ।

आप के यहां १७ वालऐंटरी आरगनाइजेशंस हैं जिनके कि ऊपर १८,८४,६८५ रुपये की ग्रांट दी जाती है यह संस्थायें छोटे मोटे स्कूल चलाती हैं । जिनमें कि यह अपने कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिये रख लेती हैं ताकि चुनाव के समय वे उनके पक्ष में प्रचार कार्य करें । इस तरह से वे स्कूल क्या चलाये जाते हैं आप समझ लें कि एक तरह से वह चुनाव धंधा चलता है । उन वालऐंटरी आरगनाइजेशंस में दूसरी पार्टी के आदमी नहीं घुस सकते । वहां काफी गड़बड़ियां चलती हैं । उनके एकाउन्ट्स में बड़ा गड़बड़ घुटाला चलता है और उनकी जांच नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की वालऐंटरी आरगनाइजेशंस में

[श्री विश्राम प्रसाद]

और पार्टियों के लोग भी लिए जायें और उनकी प्रोपर एकाइउंटिंग हो ।

चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिये मैं केवल कुछ सुझाव देकर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा । मेरा पहला सुझाव तो यह है कि हरिजन, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण कार्य के लिये एक अलग मंत्रालय बने । वह विशेष मंत्रालय केवल हरिजन समस्याओं की ओर ध्यान दे और उनके विकास व उन्नति के कार्य को करे । वह इस बात को देखे कि हरिजनों की किस प्रकार से उन्नति की जा सकती है । जिस प्रकार से रिफ्यूजीज़ के लिये सरकार ने अलग से रिहैब्लिटेशन डिपार्टमेंट बनाया, उसी तरह हरिजनों के वास्ते एक अलग मंत्रालय सरकार स्थापित करे ।

एक एनफार्मेशन पब्लिसिटी आफिस हो जो हरिजनों को हर बात की जानकारी कराये । हरिजनो को यह बतलाये कि किस जगह कितनी जगहें खाली हैं और उनको क्या क्या सुविधायें मिल सकती हैं ? यह आफिस यह मालूम करे कि हरिजन किन किन जगहों में जा सकते हैं, कितनी साइंटिफिक पोस्टस हैं या कितनी टैक्निकल पोस्टस हैं और हरिजनों को उनमें जाने के लिये जो सुविधायें मिलनी चाहियें वे मिलती हैं या नहीं और उनको आवश्यक सुविधायें सुलभ करायें ।

नौकरियों के लिये हरिजनों के वास्ते जो आपने रिजरवेशन रखा है उसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी हो । जिस तरीके से हिन्दी के लिये दस साल का समय बढ़ाया है उसी तरह से नौकरियों में हरिजनों द्वारा पूरी पूरी सीटें भरने का समय भी निर्धारित हो । इसके लिये आप एक समय रखें कि कितने साल के अंदर यह रिजरवेशन क्लास ४ से लेकर क्लास १ और स्पेशल क्लास के लिये पूरा होना चाहिये ।

हरिजनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिये । उनको सोशल और पोलिटिकल अधिकार सवर्ण हिन्दुओं के समान मिलें और उनको उनके बराबर का दर्जा मिले । आज भी हालत यह है कि हरिजन गावों में सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबले में हरिजन नहीं बैठ सकते हैं । वे सवर्ण हिन्दुओं के साथ बैठ कर होटलों में खाना नहीं खा सकते हैं । वे सवर्ण हिन्दुओं के साथ दुकानें नहीं खोल सकते हैं । गांवों में आजकल भी सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उनका हर क्षेत्र में बायकाट चल रहा है । इसके लिये मेरा सुझाव है कि अस्पृश्यता को सक्रिय रूप से दबाने के हेतु पुलिस और न्याय पंचायतों को अधिकार दिया जाये । पुलिस और न्याय पंचायतों को यह अधिकार दिया जाये कि वे यह देखें कि कितनी उनके साथ ज्यादती होती है, कितने उनको समानाधिकार नहीं मिलते हैं, इस बारे में वे जांच पड़ताल करें ।

इनके रोजगार की व्यवस्था हो और जमीन पर उनका हक हो । मैं आपसे बतलाऊं कि देहातों में कृषि कार्य करने वाले सबसे ज्यादा हरिजन हैं, वहां पर करीब ४२ फीसदी लोग बिना जमीन के हैं । हरिजन लोग ही खेतिहर मजदूर होते हैं जो कि कृषि की पैदावार उपजाते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं । अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको कोई चार्म नहीं रहता है क्योंकि उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है । उनको पूरी मजदूरी तक नहीं मिलती है । मेरी अपनी तहसील लालगंज में अभी भी दिन भर खेत में हल चलाने के बदले फकत तीन पाव सांवा मिलता है । इसलिये हरिजनों को जब तक जमीनों पर अधिकार नहीं मिलेगा तब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती है ।

आज समय आ गया है जब कि पुराने सोशल कस्टम्स टूटें । जो लोग अपने को गांधीवादी होने का दम भरते हैं उनको इस क्षेत्र में आगे आना चाहिये और इंटरकास्ट मैरिजेज़ करानी चाहियें । शादी ब्याह में

आजकल जो एक रिजिडिटी है, बंधन हैं, उनको तोड़ा जाय और उसमें ढीलापन लाया जाये । मेरी प्रार्थना है कि जो ६ मिनिस्टर्स कैबिनेट से हट गए हैं, उनको और कम से कम, एक, जो कि बड़े गांधीवादी बनते हैं इस काम को पूरा करें । और हरिजन बस्तियों में जाकर रहे और उनमें काम करें और गांधी जी के स्वप्न को पूरा करें ।

Shrimati Akkamma Devi (Nilgiris): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the reports for the years 1960-61 and 1961-62 placed before the House. The Commissioner has given a valuable report containing the various difficulties experienced in the implementation of the programme for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Side by side, he has also given us practical suggestions. This clearly proves that he has visited the remote areas and then submitted the reports after an on-the-spot inspection. He deserves our congratulations and support. I earnestly request the Government to implement the recommendations made in the reports.

The Third Five Year Plan provides for an amount of Rs. 30 crores under the Central sector and Rs. 70 crores under the State sector for specific schemes for the Schedultd Castes and Scheduled Tribes. I am very sorry to say that out of the sum of Rs. 30 crores, only Rs. 294·56 lakhs have been spent, and out of Rs. 70 crores, only Rs. 919·66 lakhs have been spent for the year 1961-62. The money was there; the programmes and welfare schemes were there; the required personnl was there, but either because the schemes were not launched in time or because of the negligence of the staff in the field and in the administration, lakhs of rupees have remained unspent, and as a result of it, the unspent balance has had to be surrendered after the financial year.

Mr. Deputy-Speaker: The speeches should not be read; she can only refer to her notes.

Shrimati Akkamma Devi: I am only referring to my notes. My humble request is that the entire amount allotted for the welfare schemes of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should not only be spent but spent carefully and usefully so that the Adivasis and the Scheduled Castes will derive the maxim benefit out of the amount in the economic and social fields and also in the educational field.

We speak so much about co-operation of individuals and co-ordination between the departments. But we find practically these two essential factors are not taken up and as a result, it has caused overlapping of activities and also competition between departments. This has been the cause for the slow progress in the implementation.

Merely depending on the report does not help us at all. My humble suggestion is that officials at the district level, officials at the State level and also every one of us, either Members of Parliament or legislators, right down to the village level workers, should visit the tribal people, speak to the Adivasis, understand them, explain to them the various schemes of the Government, and on the spot find out how far the schemes have been implemented. Such regular visits and constant touch with the Adivasis will help us in the implementation of our work. Even today, in tribal areas, we find the Adivasis are quite unaware of the schemes launched by the Government. They are surprised when we speak to them about welfare centres for girls, balawadi classes for children below five years of age and residential schools for boys and girls. So what will happen when we speak to them about scholarships for post-matric boys and girls and also about reservation of seats for the IAS and IPS cadres.

Sir, the Adivasis are cheated by businessmen and exploited by money-

[Shrimati Akkamma Devi]

lenders. The money-lenders lend money at such high rates of interest that within a couple of years the interest exceeds the amount given on loan by them. The Adivasis are thus placed in such untold difficulties that it is really a pathetic sight to see them in this misery. The businessmen also cheat them. In the tribal areas we find large gardens of fruit trees like bananas, oranges, pomegranates etc. But these Advasis do not enjoy them. The businessmen from the plains go to these areas, bargain and fruits worth hundreds of rupees are taken away by them from these Adivasis for a few rupees. With the few rupees that these tribals get, how can they lead their existence. Therefore, my humble request to Government is that strict circulars be sent to all the States to take adequate measures to put a stop to these businessmen and money-lenders going there and exploiting the Adivasis, so that these tribal people are not deprived of their hard-earned money.

Now I pass on to cottage industries for the Adivasis. Here also there is a shortfall of 50 per cent., only in the case of Scheduled Tribes. The reason for this is that sanctions are made towards the end of the financial year and therefore large amounts remain unspent because it is not possible to spend lakhs of rupees within a few months. The most important cause of the slow progress in the implementation of our schemes is the delay in issuing sanction orders and this delay should be avoided at all stages.

Sir, we have many organisations like the All India Handloom Board, the All India Handicrafts Board, the Central Small Industries Organisation and the Khadi and Village Industries Commission to provide training-*cum*-production centres for tribal people to learn and earn and supplement their meagre family income. Here also, I am sorry to mention, staff without experience, without human sympathy and approach and without the aptitude are made to work among these tribal people. Mere qualification and merit will not solve the problems of these Adivasis. I do not understand the reason why when there are qualified tribal people, who have the aptitude and who have won the confidence of the tribal people, they are not absorbed. On the other hand, people from other communities who are better placed in life and well qualified with even distinctions are given the appointments ignoring the adverse effect that it will have on the lot of the tribal people. If an officer of a particular community is appointed, he tries his level best to help his own people. He brings his own people out of his district and gives them appointment. This only solves the employment problem of the better placed but the case of giving employment to the deserving local tribal people is ignored. Here also my humble request is that let the local tribal people be encouraged and let them be absorbed, even though, no doubt, they are not highly qualified with distinctions which is not possible at all at this present stage.

Now I will speak a few words about the tribal development blocks. Out of 450 blocks only 43 have been started to intensify the development in tribal areas. In this connection, Sir, my request is that in Nilgiris, which is my constituency, there is a large proportion of tribals comprising of the Todas, Kotas, Kurumbas, Pannias and Erulas totalling about 15.000. But to consider Nilgiris for a development block it must have a population of 25,000 and therefore it is not possible to start a development block there. But, Sir, we have the Coimbatore District which is our neighbouring district and contiguous with Nilgiris. Here also we have tribal population comprising of Sholigars, Kurambas and Erulas. When we total the population of these two districts it comes to more than 25.000. Therefore, and also considering the backwardness of these Adivasis, I request that an additional block be sanctioned to Madras State so that the Adivasis and the tribal population of Coimbatore and Nilgiris are helped.

With these words, Sir, I support the reports.

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to make some observations on the reports that are before the House. The first thing that I would like to deal with is about the housing problem. The housing problem is one which is vital to the tribal people and the Scheduled Castes. I find that the housing programme that is being carried out in the States is the concern of the Department and some other departments Works Department, the Revenue Departments and some other departments also. I find that the procedure followed is complicated. The money that is provided is not paid in time and therefore the housing programme is a failure. I say that the housing programme which is a vital necessity in the case of the tribals has been a failure to a major extent. I know that the tribals stay in huts and it is very necessary that they should be given protection from rain and they should be given protection from fire. These tribals are illiterate and in the case of these people who are the beneficiaries of the housing scheme the scheme should be made simple and it should be carried out in an efficient manner.

The second thing is about education. The educational facilities provided should be close by, at the doors of these tribals. In some places there are ashram schools run by some institutions. These ashram schools are doing good work. These ashram schools procvide hostel facilities and also educational facilities. The number of such schools should be increased. The money provided for these ashram schools is meagre. I appeal to the Government that more money should be provided for this purpose. If possible, even the money allotted for some other item may be diverted to these ashram schools.

I find that there are no schools for girls. It is a very vital problem. Some ashram schools for girls should be provided in the tribal areas. They would certainly do some good work and once the Adivasis are educated I feel that they would be able to look after their own good.

Coming to employment, I find that some hon. Members have urged that land should be re-distributed among the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population. Since the land that is available has already been distributed, I do not think there is much scope there. Therefore, some other alternative employments have to be provided to the tribal population, instead of making them depend on employment on land. Some small-scale industries should be started in the tribal areas either in the public sector or in the co-operative sector. Since the tribal areas are mostly hilly areas where forests are in abundance, many raw materials can be had in that area to start more industries which will give employment to the tribal people.

Even in the case of agriculture, the tribal people are suffering because they are not given money in time. Agriculture requires some amount of money and yet these loans and subsidies are not given in time. Government and co-operative agencies in this field should work in such a way that money is provided to these people in time. Even in regard to scholarships and stipends there is a complaint that they are not getting the money in time. I am not able to understand why there should be such delays in providing money. It is the duty of the Government, which is pleased to make grants for these people, to see that the money sanctioned for them is spent in time, because money which is not spent in time is as good as money not spent. So, Government should make special efforts to see that the money that is provided for these people is paid in time so that it can be utilized for the purpose for which it is meant.

[Shri M. L. Jadhav]

There are certain forest labour societies and various kinds of jobs are entrusted to them by Government in the name of welfare of tribal people. These societies are sponsored and run by some other institutions. The main benefit which is derived by the running of these societies which should actually go to the tribals, to the labourers, does not really go to the tribals. Many a time, the labourers who work with the contractors and the labourers who work with these societies get the same amount of wages. In other words, the ultimate benefit of these forest labour societies which should go to the tribals goes to some other people. This matter requires detailed investigation. Attempts should be made to create a situation where the main beneficiaries of these societies will be the tribals, for whose benefit these were started.

Then, there are certain hostels meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These hostels get grants both from the Centre and from the States. Unfortunately these hostels are really run by other people in the name of these people. It is a very unhappy state of affairs that some social workers, in the name of welfare of tribals, run these hostels for their own benefit, without doing any good work for these people. There should be some severe checks and restrictions so that these things may not happen. Nobody should be permitted to benefit at the cost of these poor people. Now some of these organisations draw grant from Government, keep bogus account books and run the hostels as they like, instead of trying to do something beneficial for these poor people.

Shri Maurya: Do you mean to say that organisations like the Depressed Classes League should not be encouraged?

Shri M. L. Jadhav: Yes, that is exactly what I meant to say. I feel that the money that is meant for these people should be utilized only for them and not for others. There should be severe checks and detailed auditing to put a stop to these malpractices which are now in existence in some areas.

Then, in the twentieth century, seventeen years after we have achieved independence, if a Harijan or a member belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is not allowed or permitted to draw a bucket of water from a public well or some common reservoir, it is really an unhappy state of affairs. But, unfortunately, we find that untouchability still prevails, even seventeen years after independence. Even among the Scheduled Castes there are people belonging to certain castes who will not touch people belonging to some other castes. So, even within themselves they observe untouchability, which is not a happy thing. This deserves to be curbed at an early date. In the case of drinking water, food, barber shops and public premises these people should have free access and any breach of that should be dealt with severely. The untouchability Act should be strictly observed and breaches or violation of that law should be severely dealt with by imposing the maximum penalty permissible under the law.

श्री महानन्द (बोलनगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस वक्त शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की दसवीं और ग्यारहवीं रिपोर्ट पर आलोचना कर रहे हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि भारत को स्वतन्त्र हुए १६ वर्ष होने के पश्चात् भी पिछड़ी जातियों की अवस्था अभी तक वह ही है जो बापूजी के सामने थी। पतित जातियों को अभी तक उन्हीं तकलीफों का सामना करना पड़ता है जो उनको सोलह साल पहले भी करना पड़ता था। हमारी सरकार ने कानून तो कागज़ पर बहुत से बनाये हैं, लेकिन उनसे हमारे साथियों का कोई उपकार नहीं हो सका है।

श्रीमान् जी, मेरा यह कहना है कि अगर सरकार कोई कानन बनाती है तो कानून तोड़ने वालों को कड़ी से कड़ी सजा जब तक

नहीं दी जाती तब तक कानून बनाने का कोई लाभ नहीं है। हमारे पिछड़ी जाति के भाइयों का यह दुर्भाग्य है कि सरकार और उसके कर्मचारी खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यह मैं अपनी दिल से बना कर बात नहीं कर रहा हूं। इन सब चीजों का वर्णन हमें रपोर्ट में मिलता है, जिस के ऊपर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान पैरा ३ पृष्ठ छः की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां शैड्यूल्ड कास्ट कमिशन ने कुछ बड़े दुखपूर्ण विषयों का वर्णन किया है। हमें यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के बहुत से ग्रामों में अभी भी पिछड़ी जाति के लोगों को लाइन में तालाब के पास घंटों इन्तजार करना पड़ता है, तब जाकर पानी मिलता है। जब तक कोई ऊंची जाति का आदमी आकर उन्हें पानी न दे, तब तक वे पानी नहीं ले सकते हैं। उन्हें स्वयं तालाब से पानी भरने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं पिछड़ी जाति के लोग घुटने से नीचे की धोती भी नहीं बांध सकते क्योंकि ऊंची जाति के लोग इसको अपना अपमान समझते हैं। दूल्हे को मध्य प्रदेश में पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं कई जगह शादी के वक्त पिछड़ी जाति के घरों में बाजा बजाना भी मना है। उनके घरों की औरतें न तो चांदी का बना हुआ अलंकार पहन सकती हैं और न ही चूड़ियां पहन सकती हैं। वे लोग बैलगाड़ी का या घोड़े की सवारी का आने जाने के लिये भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह सब एक स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए घोर लज्जा और कलंक की बात है। इन सब बातों से मुझे सबसे भारी दुख होता है। मेरे लिए यह एक गौरव की बात है कि मेरे पिता जी स्वर्गीय कपिलेश्वर महानन्द ने उड़ीसा में ऊंच नीच के भेदभाव हटाने का सबसे ज्यादा काम किया है। महाराजा पटना श्रीमान् आर० एन० सिंह देव, ने सब से पहले भारतवर्ष में पतित जाति के लोगों को अपने जिले में मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिया था।

श्रीमान् जी, छुआछूत की बीमारी भारतवर्ष में अभी तक कुछ न कुछ तरीके से पल रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लोगों को होटल में बैठने का अधिकार नहीं है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हमें तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग धोबी और नाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह कितने दुख और लज्जा की बात है। जब सरकार हमें बताती है कि कुछ क्षेत्रों में नीच जाति के पंचायत के नेता ऊंची जातियों के नेताओं के साथ चारपाई पर बैठ कर कुछ मीमांसा नहीं कर सकते हैं, तो इससे कितना दुख होता होगा, इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं। ऐसा व्यवहार हमारे भाइयों के साथ किया जाता है लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि हम लोगों का अपराध क्या है सिर्फ यही न कि हम पिछड़ी जाति के कुल में पैदा हुए हैं। ईश्वह ने सबको एक समान बनाया है, यह भेदभाव तो मनुष्यों का अपना बनाया हुआ है। इसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खत्मकरना चाहिये। ताकि हम भी गौरव के साथ वह अधिकार पा सकें जो कि अभी तक अकेले ऊंची जाति के लोग अपना हक समझते हैं। हमारी सारकार ऐसा करने में असफल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर के अधिकार बढ़ाये नहीं जायेंगे तब तक सरकार इस बात में सफल नहीं हो सकती है। इसका सबसे पहला तरीका यह है कि शड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर के कार्यालय को गृह मंत्रालय से हटा कर राष्ट्रपति के नीचे कर दिया जाय। ऐसा करने से उनके अधिकार बढ़ सकते हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दे सकते हैं। अभी तक जो शिकायत उनके पास आती हैं उनको वे राज्य सरकारों को भजते हैं, पर दुःख की बात यह है कि

[श्री महानन्द]

वह लोग इस पर कुछ ध्यान नहीं देते। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में हमारा ध्यान इस चीज पर दिलाया है कि जब तक राज्य सरकारें हमारी मदद नहीं करतीं तब तक हम अपने कार्य में असफल रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उइके -- नहीं हैं।

श्री मोहन नायक--नहीं हैं ।

श्री शिवनारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने इस समय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है । यह शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट दो वर्षों के बाद इस हाउस में डिस्कस करने के लिये पेश हुई है। इससे सरकार की नेगलीजेंस का पता चलता है।

मैं बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और हृदय पर हाथ रख कर सरकार बतलाये कि जो रिजर्वेशन देने का आपने निश्चय किया है, १८ परसेंट का वह क्या पूरा किया गया है ? जो रिजर्वेशन आपने स्वयं दिया है, १० परसेंट यहां और १८ परसेंट स्टेट्स में, वह दिया गया है ? इस सारे क्वश्चन पर मैंने ३६ पेज का एक जवाब डा० सम्पूर्णानन्द को लिख कर दिया था कि

मातवत् परदारेपु लोष्ठवत् ।
आत्मवत् सर्व भतेषु य: पश्यति स: पंडित: ।

इस श्लोक के ऊपर मैंने ३६ पेज का जवाब दिया था । आज मैं जानना चाहता हूं कि बहुत ईमानदारी से कि इस हिन्दुस्तान में कितने कलेक्टर हैं जो हरिजन हैं, कितने सेक्रेटरीज़ हैं जो कि हरिजन हैं, कितने डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो कि हरिजन हैं ? कितने हमारे आदमी एम्बेसीज़ में काम करते हैं, कितने आपने हरिजनों में से गवर्नर बनाये ? आज मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आप इस हरिजन विभाग को, जो कि आपकी गवर्नमेंट के नीचे है, हरिजन को देने में क्या ऐतराज है ? यहां पर जितने आफिसर्स बैठे हुए हैं उनमें से कितने हरिजन हैं ? यह हमारा काम है, हम लोग इसको जानते हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो सरकार स्वयं देती है उस पर अमल क्यों नहीं करती है ? **देअर इज समथिंग एट दि बाटम** । दिल साफ हो तो आइना क्या चीज़ है ? मैं पूछना चाहता हूं कि आज जितने मेम्बर अपोजीशन के बोले हैं उनमें से कितने हरिजन बोले हैं । केवल दो मेम्बर बोले हैं । एक तो श्री विश्राम प्रसाद बोले हैं । **ही इज एन एग्जाम्पल इन दि हाउस** । यह गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, अमरीका से पढ़ कर आये हैं । वह पढ़े लिखे आदमी हैं । यह बात नहीं है कि हमारे यहां पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यूनिवरसिटी डिगरी हमारे किस काम की है जब कि हमारा लड़का एम० ए० पास करके आता है और कम्पिटीशन में बैठता है, पी० सी० एस० के इम्तिहान में बैठता है तो थ्योरी में तो पास हो जाता है उसको ७५ परसेंट मार्क्स मिलते हैं । उसके बाद जब काली कलूटी शक्ल लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन में जाता है तो काला कलूटा देख कर उसको वहां छांट दिया जाता है क्योंकि वह हरिजन है । इस प्रकार से वह मारा जाता है । मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन में हमारे कितने आदमी हैं, प्राविंशल पब्लिक सर्विस कमिशन में हमारे कितने आदमी हैं ? जमाना बदल चुका है ।

श्री प्र० के० देव : जो मिनिस्टर था उसको भी निकाल दिया गया ।

श्री शिव नारायण : हम जाग्रत हो चुके हैं । सन् १९४६ में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने कहा था मुसलमानों से कि मुस्लिम लीग जब जीत कर आई थी कि बड़ी माइनारिटी से बात करो । आज हिन्दुस्तान में बड़ी माइनारिटी हमारी है, आप हम से बात करें । आप हम से कम्प्रोमाइज करें । अगर डिमाक्रेटिक सेट अप इस मुल्क में चलेगा तो हमारा बोलबाला हमेशा रहेगा ।

एक माननीय सदस्य : एलेक्शन के दिनों में चलेगा ।

श्री शिव नारायण : एलेक्शन के दिनों में और सब दिनों में रहेगा । आज भी नंगा नाच हो रहा है । मैं हाल में अपनी कांस्टिटुएन्सी से लौटा हूं । यहां दिन दहाड़े आदमी मार कर गिरा दिया गया और हास्पिटल में पहुंचा दिया गया । मैंने इसके सम्बन्ध में होम मिनिस्टर को लिख कर दिया । पढ़े लिखे लोगों का निकलना दुश्वार है गांवों में । आज यह हमारी स्थिति है । अभी कल प्रतापगढ़ के बारे में मुझे सूचना दी गई कि वहां २ आ० रोज पर हमारा आदमी पालकी ढोता है । आज भी उन लोगों से जबर्दस्ती काम लिया जाता है । अगर वे न करें तो घर से निकलना दुश्वार है । क्या यह डिमोक्रटिक सेट-अप है ? नेशनल गवर्नमेंट की हुकूमत है ? आज यहां पर २५ परसेंट हमारी आबादी है । कागज के ऊपर आप मानें या न मानें लेकिन मैं रेकार्ड के फिगर्स बतलाता हूं । जो स्कालरशिप्स गवर्नमेंट देती है मैं उसके लिये अनुग्रहीत हूं । मैं मानता हूं कि वह दे रही है लेकिन जितना चाहिये उतना दिया जाय । यह नहीं है कि आप नहीं दे रहे हैं । आप दे रहे हैं, यह ठीक है । लेकिन आज यह हाउस इस बात का नमूना है कि क्या किया जा रहा है । यहां जितने मेम्बर बोले हैं वह बोले, जब हरिजन लोग खड़े हुए बोलने के लिये तो पंडित लोग खिसक गये । बड़े बड़े लोग खिसक गये । (*Iiterruption*) खिसक गये ।

मैं बतलाना चाहता हूं कि प्राब्लेम तीन चीजों की है । खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान । हम केवल यह तीन चीजें मांगते हैं । कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगते । जर्मनी ने सन् १९१९ में सुलहनामा किया । जर्मनी ने सरेन्डर करते वक्त कहा कि अगर ब्रिटेन हमें खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान दे दे तो हम चल कर इंग्लैण्ड में फैक्ट्रियों में काम करेंगे । लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने के लिये तैयार नहीं हुई । ठीक उसी तरह से हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि वह खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान, इन तीन चीजों का इन्तजाम कर दे ।

क्वश्चन अवर में हमारे एग्रिकल्चर मिनिस्टर ने कहा था कि १० मिलियन एकड़ जमीन ईस्ट इंडिया में है । अगर उसे डवेलप किया जाय तो चौगुनी पैदावार हो सकती है । आज देश के अन्दर कौन खेती करता है? जितने आनरेबल मेम्बर यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछता हूं कि देश के अन्दर हल कौन चलाता है ? हरिजन चलाते हैं । यहां की खेती का सारा डेवेलपमेंट उसी हरिजन के ऊपर बेस्ड है । जो २ पैसे के हल से खेती करता है आज पंडित जी भी उसी की कमाई खाते है और निरहू चमार भी खाता है । आज देश की यह स्थिति है । हम ही खिलाते हैं उन लोगों को जो नहीं कमाते । आप नहीं कमाते हैं, जो जलती हुई वैसाख की धूप में हल चलाते हैं वे हरिजन हैं । पानी हम चलाते है, सारा काम हम करते हैं और खाते दूसरे हैं यह हमारी एकानमी का नमूना है । इस पर भी शान से कहते हैं कि हम आदिवासियों का डेवेलपमेंट कर रहे हैं । लेकिन आज ऐग्रिकल्चर की ट्रेनिंग मेरे बेटे को नहीं दी गई । खेती करना हम जानते हैं लेकिन ट्रैक्टर पर पंडित जी बैठते हैं । हम को वहां पर नहीं भेजा जायेगा । मैं मनु की प्रशंसा करता हूं । मनु के जमाने में लोगों में काम बटा हुआ था । जो जिस काम को करता था उसका लाभ उसके घर जाता था ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप उस जमाने को चाहते हैं । यह एक अभिशाप था ।

श्री शिव नारायण : वह अभिशाप नहीं है । आप जानते नहीं हैं । उस वक्त डिवीजन आफ वर्क था, आज डिवीजन आफ वर्क नहीं है । आज मुट्ठी भर लोग इस मुल्क में सारे काम को यहां चलाते हैं ।

आज मैं इस आनरेबल पार्लियामेंट के सामने कहना चाहता हूं कि आज अंग्रेजी का

[श्री शिवनारायण]

नारा इस देश में क्यों लग रहा है ? केवल २ परसेन्ट लोग इंग्लिश नोइंग हैं । जो कि अंग्रेजी को अपने गले में चिपकाये हुए हैं बंदरिया के बच्चे की तरह । आज निरहू को, हरिजन के बेटे को माइनस किया जा रहा है । हरिजन का बेटा भले ही टाप करे लेकिन उसके लिये कोई स्थान नहीं है । मैंने इसी हाउस में अपील की थी कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में ऊंचा किया जाय । लेकिन इस सरकार ने पन्द्रह वर्षों के अन्दर हिन्दी को नहीं पनपाया अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम जो हरिजन हैं, चौथेपन वाले लोग हैं उनका उत्थान होना बड़ा कठिन हो जायेगा । सारे देश के अन्दर यह प्राब्लेम है । सारे देश ने तय किया कि इस प्राब्लेम को हल किया जाये, लेकिन वह आज तक हल नहीं हुई । हमारी प्राब्लेम को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग नेक नियती से हमारे खाने कपड़े, और रहने के लिये मकानों का इन्तजाम करें । अगर ऐसा कर दिया जाय तो मैं आप के साथ चलने के लिये तैयार हूं । मैंने इस हाउस में कहा था कि चीन के मुकाबले में आज हमारा एक एक जवान मोर्चे पर लड़ सकता है । हम लोग मजबत हैं, यदि दिल साफ है तो आइना क्या चीज है । हम कमजोर नहीं हैं । हमें मौका दीजिये । मैं नेक नियती से कहता हूं कि रिजवशन को सलाम करो । हमारे पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जब थे तो मैंने उनसे कहा था कि पंडित जी, जो रिजर्वेशन वाली डबल मेम्बर वाली सीट है उसको सिंगल मेम्बर वाली कर दिया जाय, और आज भी इस पार्लियामेंट में कह रहा हूं कि आज इस रिजर्वेशन को माइनस किया जाय । हमारे आदमी भी जीत कर आयेंगे । जिस प्रकार मौर्यजी यहां आ सकते हैं उसी प्रकार हम भी आ सकते हैं । मैं चैलेंज करता हूं कोई भी आदमी हो । चाहे मौर्य जी हों या अपोजीशन का कोई और मेम्बर हो कि वह मेरी कांस्टिटूएन्सी में आयें । कांग्रेस के पास भी वर्कर हैं । हरिजन अपने दम पर कोई भी आ सकते हैं अगर वह अपनी कांस्टिट्यूएन्सी में अच्छे वर्कर हों । मैं चाहता हूं कि हरिजनों का उत्थान हो नेकनियती से । हम सरकार का काम करें और -सरकार हमारी मदद करे । मैं अनुग्रहीत हूं कि सरकार हमारी मदद करती है, उनका भी जो दूसरे हमारी मदद करते हैं । लेकिन यह ड्यूटी थी पंडित लोगों की, उनको कहना चाहिये था, लेकिन जब हमें कहना पड़ता है मजबूर होकर तो हम से प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं । हम मजबूर होकर कहते हैं कि हमें गांधी जी ने उठाया, ऋषि दयानन्द ने उठाया । यह श्रेय दयानन्द जी को है जिन्होंने हाथ पकड़े कर हरिजनों के साथ बैठना शुरू किया । लेकिन आज ईसाई धर्म पनपना शुरू हो गया । आज मद्रास में कितने ईसाई हैं जो कि सब हरिजन थे । जब ईसाई धर्म इस देश में पनपने लगा तो ऋषि दयानन्द, एक आदमी पैदा हुआ जिन्होंने इस बात को अनुभव किया कि अगर ये २५ परसेंट आदमी हम में से निकल गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे । हमारी आज भी वही दशा है । एक कहावत है :

होनहार विरवान के होत चीकने पात ।

आज भी हमारे पास होनहार विरवान है । सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए । हम चाहते हैं कि सरकार फले फूले और ऊंची आए. . .

एक माननीय सदस्य : तुम भी फलो फूलो या केवल सरकार के फलने फूलने की ही बात करते हो ।

श्री शिव नारायण : हम तो फलेंगे और फूलेंगे ही । मैं अपनी ही बात कर रहा हूं । एक सज्जन ने कहा कि हरिजनों में भी ऐसी जातियां हैं जो आपस में एक दूसरे से अलग रहती हैं । लेकिन मैं पूछता हूं कि यह हमको सिखाया किस ने ? हम को ऐसा पंडित लोगों ने ही बनाया है । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के एक-बड़े नेता ने

कहा था कि हिन्दुस्तान में जाति को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि या तो सब को ब्राह्मण बना दिया जाए या सब को राजपूत बना दिया जाए, सब को एक जाति बना दिया जाए।

श्री रघनाथ सिंह (वाराणसी) : सब को हरिजन क्यों न बना दिया जाए।

श्री शिव नारायण : मैं तैयार हूं बपतिस्मा देने के लिए अगर आप तैयार हों। मैं सब को हरिजन बनाने को तैयार हूं। अगर आप देश का कल्याण चाहते हैं तो सब को एक जाति बना दीजिए। हमारा एक नारा हो :

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ।

अगर आप ऐसा करेंगे तो तब देश का कल्याण होने वाला है वरना देश का भला होने वाला नहीं है।

श्री कांशीनाथ पाण्डे (हाता) : आपकी कांस्टीट्यूएंसी में तो सारे पंडितों ने आपको वोट दिया है, आप पंडितों की शिकायत क्यों करते हैं ?

श्री शिव नारायण : मैं पंडितों की शिकायत कहां कर रहा हूं।

श्री रामसेवक याद (बाराबंकी) : यहां के पंडितों की शिकायत कर रहे हैं, बाहर के पंडितों की नहीं।

श्री शिव नारायण : मैं पंडितों की शिकायत नहीं कर रहा। मुझे उन्होंने वोट दिया है, मुझे तो जनसंघ वालों तक ने वोट दिया है।

अब मैं मन्दिर प्रवेश की बात करता हूं। मैं एक मेम्बर हूं जो कि मन्दिर प्रवेश के विरुद्ध हूं। मैं मन्दिर प्रवश में विश्वास नहीं करता। हमको आप कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, रहने को मकान दीजिए तो हमको सन्तोष हो जाएगा। मन्दिर प्रवेश अपनी राजी की बात है। उसमें कोई रोक नहीं है। हां, ढोल पीट कर न जाइए। मेरे सामने मन्दिर प्रवेश का कोई सवाल नहीं है। मन्दिर प्रवेश से हमारा काम चलने वाला नहीं है। आज लड़ाई तो अमीर और गरीब की है, न कि हरिजनों और चमारों या ब्राह्मणों की है। आज देश के अन्दर कैपीटलिस्टों का बोलबाला है। अगर आप को सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी लाना है तो सारे धन को एक सा सब में बांट दीजिए, अल्ला अल्ला खैर सल्ला, सब ठीक हो जाएगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट हमारे बच्चों को अच्छा अवसर देगी, और सही स्थान देगी। हम उनके साथ हैं और उनके बाजू को मजबूत करेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: Swami Ramanand Shastri. He is not here. Shri Krishnadeo Tripathi.

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, खास कर बाबू शिव नारायण जी के पश्चात्, जिनको ब्राह्मणों से बहुत शिकायत है। इसके लिए मैं आपका अनुग्रहीत हूं।

स्वतन्त्रता के बाद हमने जैसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की है और जिस प्रकार का संविधान बनाया है, उसमें हरिजनों को क्या स्थान मिलना चाहिए और क्या स्थान मिल रहा है यह स्पष्ट है। किसे यह नहीं मालूम कि स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने अपने २१½ प्रतिशत भाइयों को उठाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं, जो कि हजारों वर्षों से पिछड़ हुए थे, जिनके ऊपर हर तरह के अत्याचार होते रहे थे, जिनमें गरीबी थी, भुखमरी थी और जो कि दबे हुए थे। हमको सरकार का इसके लिए अनुग्रहीत होना चाहिए। लेकिन

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

अनुग्रहीत होने की क्या बात है । सरकार ने तो जो कुछ किया है वह अपना कर्तव्य समझ कर ही किया है और यही उसको करना चाहिए था । जब हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह बात करते हैं कि जो पिछड़े हुए देश हैं उनको उठाने की जिम्मेदारी उन देशों पर है जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक इनका शोषण किया । जब हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की बातें करते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी प्रकार का रंग भेद नहीं होना चाहिए, जब हम दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत लोगों के वहां के निवासियों पर किए गए अत्याचारों का विरोध करते हैं, या जो अत्याचार एशिया या अफ्रीका के लोगों के साथ रंग भेद के आधार पर किया जाता है उसका विरोध करते हैं, तो हमें अपने समाज के इस कलंक को भी दूर करना चाहिए जिसने हमारे समाज को बांट रखा है, जिसने जाति के आधार पर, बड़े और छोटे का भद उत्पन्न किया है ।

बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्र हुए । और यह ठीक ही है कि हमने स्वतन्त्रता के बाद ऐसी व्यवस्था बनायी कि जिसके द्वारा अपने समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को ऊपर लाया जा सके । गांधी जी ने सर्वोदय और अन्त्योदय की कल्पना की थी, एक ऐसे समाज की जिसमें जो सबसे नीचे हैं उनके जीवन स्तर को उठाया जाए । ऐसा होगा तभी समाज का यह कलंक दूर होगा और तभी समाज का भी स्तर उठगा ।

शायद कुल लोग यह समझते हैं कि गवर्नमेंट ने हरिजनों के लिए जो कुछ किया है वह भीख के तौर पर किया है । यह धारणा बिल्कुल गलत है । हमने जो हजारों वर्ष पाप किया है यह तो उसका प्रायश्चित मात्र है । यह स्वाभाविक है कि हम अपने बीच से भेदभाव को दूर करके ऐसा समाज बना [illegible] जसमें जाति के आधार पर कोई ऊंच या नीच [illegible] । इसी लिए यह व्यवस्था की गयी है और य [illegible] शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब कमिश्नर की रिपोर्ट आपके सामने है । मैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हरिजनों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि उनको खेती की जमीन दी जाए । बहुत से सदस्यों ने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है । रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जो भूमिहीन मजदूर हैं उनमें हरिजनों की आबादी ४२ प्रतिशत है । इनके अलावा बड़ी तादाद में ऐसे हरिजन हैं जिनके पास एक एक या दो दो बीघा जमीन है और जो अलाभ कर जोतों को जोत रहे हैं और उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है । उनको दिन में दो बार भोजन तक नहीं मिलता । इसलिए इनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन दी जाए और इनको भी भूमिहीन के समान समझा जाए । देश में अभी तमाम जमीन पड़ी है । वह इनको दी जा सकती है । भूदान आन्दोलन में ४४ लाख एकड़ जमीन मिली । कहा जाता है कि उसमें से १२.७ लाख एकड़ जमीन वेकार है, ८.३३ लाख एकड़ जमीन बांटी गयी है । भूदान आन्दोलन में जो जमीन मिली उसके अलावा भी बहुत सी जमीन पड़ती पड़ी है, खाली पड़ी है । आवश्यकता इस बात की है कि इस जमीन पर हरिजनों के माध्यम से सहकारी खेती करायी जाए । भूमिहीन हरिजनों को इसमें प्राथमिकता दी जाए और उनको इसके लिए आवश्यक धन दिया जाए । यह करना तभी सम्भव है जब देश के राजनीतिक दल इस नीति को अपनाएं । मेरा यह अनुरोध केवल उन्हीं राजनीतिक दलों से है जिनको सहकारी खेती में विश्वास है, मैं उनसे यह अपील नहीं करता जिनको इसमें विश्वास नहीं है और जिनको समाजवादी समाज में विश्वास नहीं है । मेरी यह अपील उनसे ही है जिनको सहकारी खेती में विश्वास है, और हमारी सरकार को उसमें विश्वास है । अगर इन भूमिहीनों को सहकारी खेती के लिए जमीन दी गयी तो न केवल देश का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि एक ऐसे वर्ग की समस्या हल हो जाएगी जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है ।

इसके अलावा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस ६१–६२ की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हरिजनों के लिए ४ करोड़ ५५ लाख ३० हजार और जन जातियों के लिए २ करोड़ ३१ लाख ९३ हजार रुपए की व्यवस्था कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए थी, यानी कुल मिलाकर ६ करोड़, ८७ लाख २३ हजार की व्यवस्था थी। इसमें से ८१½ लाख की व्यवस्था सन् १९६१–६२ के लिए थी । मुझ बड़ा अफसोस है कि इसमें से केवल ४९ लाख रुपया ही खर्च हुआ है । मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सन् १९६१–६२ में जो कुटीर उद्योगों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के इस वर्ष में हरिजनों एवं जातियों को सहायता दी गयी वह १२ प्रतिशत ही थी और इस १२ प्रतिशत में से केवल ७ प्रतिशत खर्च की गयी । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । एक तो पांच साला योजना में इस वर्ष के लिए जितनी धन राशि निर्धारित की गयी थी वह ⅕ होनी चाहिए थी और उसके बजाए केवल १२ प्रतिशत दी गयी और उसमें से भी केवल ७ प्रति शत ही खर्च की गयी । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और यह इस बात का संकेत है कि इस कार्य के लिए जो सरकारी यंत्र है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है । उसमें बड़ी कमी है ।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस सिलसिले में बड़ी कमी है । इसलिए मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि जहांतक हरिजनों को कुटीर उद्योगों की स्थापना में सहायता का सम्बन्ध है उसमें उनको पूरी सुविधा दी जाए । इसके अलावा उनको जमीन दी जाए और कुटीर उद्योगों के लिए सहायता दी जाए । यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस सहायता की व्यवस्था इस वर्ष के लिए की गयी थी वह सहायता पूरी तरह नहीं दी जा सकी । मैं समझता हूं कि जैसे और सदस्यों ने बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए, बड़ी बड़ी सुविधाओं के लिए या आई० सी० एस० और पी० सी० एस० की जगहों पर हरिजन हों, इस बात की अपील की है वह भी जरूरी है और उसको होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक खेतिहर प्रधान देश है और जब तक खेती की व्यवस्था में लाखों हरिजनों को हम नहीं खपा पाते तबतक सामान्य हरिजनों का जीवनस्तर ऊंचा नहीं कर सकेंगे । इसलिए हरिजनों के वास्ते कुटीर उद्योगों और खेती की व्यवस्था के लिए जो मैंने सुझाव रक्खा है, आशा करता हूं कि उस पर गृह मंत्रालय विशेष रूप से ध्यान देगा ।

14 hrs.

शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । इसमें सन्देह नहीं है और इस बात के लिए सबको अनुगृहीत होना चाहिए कि सरकार ने शिक्षा के द्वार सब के लिए खोल दिये हैं । सरकार ने हरिजनों के लिए छात्रावास भी खोले हैं । सरकार ने शिक्षा के द्वार उन हरिजनों के लिए खोले हैं जो ऊंची शिक्षा का तो कहना ही क्या, मामूली शिक्षा पाने तक की भी कल्पना नहीं कर सकते थे । पहली योजना में २६.९१ करोड़ रुपया हरिजनों एवं जन जातियों के लिए रक्खा गया था जिसमें से ८.९४ करोड़ शिक्षा पर खर्च हुआ । दूसरी योजना में हरिजनों एवं जन जातियों पर ७०.६६ करोड़ खर्चा हुआ, जिस में २०.५ करोड़ शिक्षा पर था । तीसरी योजना में इनकी शिक्षा पर ३४.९४ करोड़ की धन राशि निर्धारित की गई है । यह अच्छी खासी रकमें हैं । मैं इससे इंकार नहीं करता कि जो रकमें खर्च हुई हैं उनसे अच्छा परिणाम नहीं निकला है । अच्छे परिणाम अवश्य निकले हैं । हजारों और लाखों हरिजन बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं । पहले जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी उनके हेतु शिक्षा की व्यवस्था

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

हुई और परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि वे बड़े बड़े स्थानों तक पहुंचने में सफल हुए ।

हाईस्कूल के आगे हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे देने की योजना १९४४ से लागू हुई और दूसरी योजना के अन्त तक २०२९१३ हरिजनों एवं ३४६८८ आदिम विद्यार्थियों को वजीफे दिये गये । पहले कुछ राज्यों में फीस ली जाती थी लेकिन अब फीस लेनी बिलकुल बंद हो गयी है । यह प्रसन्नता का विषय है कि फीस से उनको मुक्ति मिल गयी है और हाईस्कूल से निचली कक्षाओं में भी वजीफे की व्यवस्था है । इस सिलसिले में कुछ लोगों ने यह शिकायत की है और मैं समझता हूं कि यह जायज शिकायत है कि एक बार हरिजन विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है तो उस पर फीस लगा दी जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि फेल होने पर हरिजन बालकों से जो फीस ली जाती है वह लेना तत्काल बंद कर दिया जाय । ऐसी चीजों में तत्परता की आवश्यकता होती है । अब मान लीजिये कि एक, दो वर्ष इस बात पर लग गये । यहां से लिखा पढ़ी की गई । शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने सूबों को लिखा और सूबों ने उस में जरा भी देर की तो भारत में हजारों हरिजन विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जायेंगे ।

मेरा निवेदन है कि इस तरह की और भी बातों की, जिनकी सिफारिश आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में की है, को जल्दी लागू करने का भी कोई तरीका सरकार को निर्धारित करना चाहिए । खाली सिफारिश करने से काम नहीं चलता है । अगर यह सिफारिशें फौरन लागू नहीं होती हैं तो हजारों लोग शिक्षा से वंचित हो जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर्याप्त नहीं हैं । केवल ५ हरिजन और ५ आदिम विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियां दी गई और एक हरिजन को फ्रांसिसी सरकार द्वारा छात्रवृति मिली । इसके लिए आयुक्त महोदय ने लिखा है कि यह बहुत कम है और पर्याप्त नहीं है । उन्होंने सिफारिश की है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को वजीफा देकर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए । अगर हमारे देश के हरिजन बच्चे दूसरे देशों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वह जहां उससे अपना दृष्टिकोण व्यापक बनायेंगे, वहां साथ ही लौट कर वे अपने देश और समाज की भी अधिक सेवा कर सकेंगे ।

मुझे एक अध्यापक होने के नाते इस सिलसिले में थोड़ा और निवेदन करना है । मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि आवश्यकता केवल यह नहीं है कि हम उनको आर्थिक सहायता दें बल्कि आवश्यकता इस बात की भी कि उस आर्थिक सहायता का सही तरीके से इस्तेमाल हो । मैं एक डिग्री कालिज में प्रधान अध्यापक रहा हूं और अपने निजी अनुभव और जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि बहुत सी इस प्रकार की सहूलियतें जो हम हरिजन विद्यार्थियों को देते हैं, उसका नियंत्रण अच्छी तरह से न हो सकने के कारण, उनका बहुत कुछ दुरुपयोग हो जाता है । हरिजनों को न मालूम कितने वजीफे दिये जाते हैं लेकिन होता यह है कि कोई इन से भैंस खरीद लेता है, कोई बैल खरीद लेता है तो कोई अपनी बहिन की शादी करता है । यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वे हरिजन गरीब होते हैं, परेशान होते हैं और उनके पास रुपया मिलने का चूंकि अन्य कोई साधन नहीं होता है इसलिए वजीफे वाला रुपया दूसरे कामों में लगा देते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह की समुचित व्यवस्था हो ताकि वह स्कालरशिप्स ठीक शकल में खर्च किये जायें । हरिजनों को छात्रावासों में रहने के वास्ते प्रोत्साहन दिया जाये और उनको इसके लिए आवश्यक सुविधायें दी जायें ।

अध्यापक उनका संरक्षण करें और देखें कि वे ठीक से पढ़ते हैं या नहीं। जो धन उनको मिलता है उसका वे सदुपयोग करते हैं या नहीं, पुस्तकें खरीदते हैं या नहीं । अगर इस तरह से हम हरिजन विद्यार्थियों का संरक्षण, और देखरेख नहीं करेंगे तो बहुत सारा रुपया जो सरकार खर्च कर रही है, नष्ट हो जायगा। आज इस संरक्षण के अभाव में परिणाम यह हो रहा है कि परीक्षाओं में हरिजन विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक तादाद में फैल होते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वजीफों की तादाद ज्यादा नहीं है बल्कि उनके देने का ढंग गलत है . . .

श्री मौर्य : जो धन दिया जाता है वह ज्यादा नहीं है और. . .

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : आज बैठ जाइये। मैं जानता हू कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि उसकी देख भाल ठीक होना चाहिए ।

श्री मौर्य: माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप धीरज रखिये । आपको अभी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री कृष्ण देव त्रपाठी: : तो मैं यह कह रहा था कि इसमें मैं थोड़ा सा अध्यापकों को भी दोष देता हूं। अपने ऊपर भी दोष लेने को तैयार हूं कि जितनी देखरेख हम लोगों को करनी चाहिए, वह नहीं करते हैं।

श्री मौर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिये ।

Mr. Deputy Speaker: Order, Order. The hon. Member will get his chance and he may wait for it.

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा तरीका अपनाया जाय जिसमें अध्यापकों की भी जिम्मेदारी हो और सरकार की भी जिम्मेदारी हो कि वह यह देखें कि हरिजनों को जो शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं उनका सदुपयोग हो। अगर हम करोड़ों रुपया खर्च करक लाखों हरिजन विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर तैयार नहीं कर सके तो उसका खराब नतीजा निकलने वाला है। इस तरह से न तो उन हरिजनों का फायदा होगा और सरकार का धन भी नष्ट हो जायेगा।

यहां पर यह भी कहा गया कि ऊंची नौकरियों में हरिजनों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं और मेरी इच्छा है और मैं खुद वह दिन देखना चाहता हूं जबकि इस देश के बहुमत अधिकारी हरिजन हों। ऐसी मेरी बिल्कुल ईमानदारी से इच्छा है। यह ठीक है कि हरिजनों को उच्च शिक्षा के लिए जो वजीफे मिल रहे हैं उसके हिसाब से हरिजन बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंच जाते हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिस ओर कि सम्भवतः अभी तक किसी भी सदस्य ने ध्यान नहीं खींचा और वह यह कि जो गैर-सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वह शिक्षा संस्थाएं हों चाहे और कोई हों, चाहे स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हों उन में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व तो मिलना दूर रहा, दो, चार फीसदी प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता है। जिला परिषदों को आप देख लीजिये। उन में २, २, ३, ३, या ४, ४ हजार कर्मचारी काम करते हैं, अध्यापक के रूप में और अन्य रूप में, उन में कितने हरिजन हैं? कहीं २० होंगे, कहीं ५० होंगे और कहीं १०० होंगे। जहां सरकार ने अपने यहां उनको सरंक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है वहां इस बात के लिए भी आवश्यक कदम उठाना

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

चाहिए कि यह संरक्षण की व्यवस्था स्वायत्त शासन संस्थाओं में तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में भी पहुंच सके। इसलिए खास तौर से जो कम पढ़े लिखे हरिजन हैं, दसवां या ग्यारहवां दर्जा पास हैं, उनको भी नौकरी में स्थान मिले। आज उनको नौकरियों में कोई पूछने वाला नहीं है। उनको बड़ी बड़ी नौकरियों में स्थान नहीं मिलता है। हरिजन लड़के जो थोड़ा पढ़ कर निकलते हैं उनको अगर स्थान मिल सके तो उससे हरिजनों की दशा में बहुत बड़ा सुधार होगा। इसलिए इस ओर मैं मंत्री महोदया का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा।

रिपोर्ट में एक बात यह भी बताई गई है कि धारासभाओं में हरिजनों की तादाद किस तरीक़े से बढ़ रही है खास तौर से जहां भी उनका आरक्षण नहीं है वहां भी बढ़ रही है। यह बड़ी अच्छी बात है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे यह संख्या बढ़ती जायेगी, रिजरवेशन जो रक्खा गया है, उसे समाप्त कर देने में सुविधा मिलेगी। मैं उस से सहमत हूं लेकिन यह भी सही है कि पिछले आम चुनावों के आंकड़े अगर आप देखें तो पायेंगे कि काफी तादाद में हरिजन आम साधारण सीटों से खड़े हुए थे और उनको काफी वोट भी मिले थे। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि वे अधिकांश स्वतंत्र और आजाद उम्मीदवार थे इसलिए चुनाव जातीयता और उपजातीयता के आधार पर लड़े। जो हरिजन खड़े हुए थे वे किसी सिद्धान्त के आधार पर खड़े नहीं हुए थे। इस बात की व्यवस्था करना और इस बात की आशा करना कि ज्यादा से ज्यादा हरिजन साधारण सीटों से चुन कर जायेंगे, इसका उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है। यह तभी सम्भव है जब इस देश के राजनीतिक दल प्रगतिशील हों, जिन्हें हरिजनों से हमदर्दी हो और वे ज्यादा से ज्यादा हरिजन उम्मीदवारों को साधारण सीटों से खड़ा करें ताकि धीरे धीरे इस प्रकार के रिजरवेशन की जरूरत ही न रह जाय और यह रिजरवेशन की व्यवस्था ही टूट जाय। उसमें सहयोग आवश्यक है उन लोगों का जोकि राजनीतिक दलों के नेता हैं और राजनीतिक दल चलाते हैं और देश में जनमत का निर्माण करते हैं।

अब मैं एक बहुत ही आवश्यक बात की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा अपना ऐसा अनुमान है, मेरे पास कोई डैटा नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि जिस परिमाण में हरिजनों को सुविधायें दी गई हैं, वे सुविधाएं हरिजनों के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? मैं जानना चाहूंगा कि वे सुविधाएं क्या हरिजनों के सभी वर्गों तक पहुंच रही हैं या केवल कुछ विशेष वर्ग या लोगों तक ही सीमित हैं? इस तरह की एक भावना फैली हुई है कि हरिजनों में जो अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं जिन को यह सुविधाएं अधिक मिलनी चाहिएं, वे उन से वंचित रह रहे हैं। हरिजनों की सुविधाओं के नाम पर कुछ उपजातियां और कुछ लोग बेहद फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आयुक्त महोदय अपनी अगली रिपोर्ट में इस बात की व्यवस्था करें कि किस किस प्रदेश में कौन कौन उपजातियां हैं और उन उपजातियों की कितनी आबादी है और उन उपजातियों को कितनी नौकरियां मिली हैं? उनको शिक्षा में कितनी सहायता दी गई, मकान के निर्माण में कितनी सहायता दी गई और हरिजनों को जो यह सुविधाएं दी गई हैं वे सब वर्गों तक जाती हैं, किस हद तक जाती है और किस हद तक नहीं जाती है, इस बारे में प्रकाश डालें। जैसा मैं ने कहा कुछ हरिजनों ने विशेषाधिकार बना रक्खा है, उस विशेषाधिकार को अगर नहीं तोड़ा जाता है तो हरिजनों में भी हरिजन हो जायेंगे। और (इंटरप्शंस) हरिजनों की समस्या सफलतापूर्वक हल नहीं हो पायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आयुक्त महोदय के प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं।

श्री मौर्य : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन, जब कि इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा चली है, मुझे आदरणीय महात्मा गांधी के वे शब्द याद आते हैं, जिन में एक शब्द में उन्होंने कहा था , "अन्तोदय" —"दि लास्ट फर्स्ट", अर्थात् जो सब से पिछड़ा है, उस का अधिकार है कि उस का कार्य सब से पहले हो । इस लिए जिस वक्त हमारे पवित्र संविधान की रचना हुई, उस में इसी विचारधारा का ध्यान रखा गया था । इसी कारण हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज के चैप्टर में आर्टिकल ४६ में कहा गया है :—

> "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, यह मैं मानता हूं, कि जहां तक हमारे यहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, उन में इन डारेक्टिव प्रिंसिपल्ज का कोई खास महत्व नहीं है । परन्तु जहां तक हमारे इस सदन का प्रश्न उठता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज इस सदन का नेतृत्व करने वाली भावना रखते हैं और इन्हीं की भावनाओं पर आधारित हो कर हम को अपने तमाम कानून, बाई-लाज और स्टैटूट्स बनाने चाहिएं और यह सदन बनाता भी है । लेकिन इन भावनाओं के अन्तर्गत जब कि यहां पर रिजर्वेशन रखी गई, पोलीटिकल रिजर्वेशन हुई, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हुई, वहां उन भावनाओं की पूर्ति नहीं की गई ।

यह रिपोर्ट इस सदन के सामने है । यदि इस को ही मैं आप के सामने रखूं तो उस से पता चलेगा कि हम कहां तक उन भावनाओं की पूर्ति कर पाये हैं । जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए नौकरियों का प्रश्न, वह कोई भीख नहीं है, जैसा कि एक आदरणीय सदस्य ने कहा है । यह इस राष्ट्र के अछूतों का जन्म-सिद्ध अधिकार है । उन का जो शोषण पहले हुआ है, उस शोषण का जो कर्जा यहां की एडवांस्ड क्लासिज, सवर्ण जातियों पर है, वे उस कर्जे को चुकायें । परन्तु उस की पूर्ति कहां तक हो रही है, जब हम आगे चल कर इस को देखते हैं, तो मन में एक बहुत बड़ा क्रोध सा होता है । मेरी भावनाओं में क्रोध भी है और खेद भी । खेद इस कारण कि संविधान में जो भी भावना है, उस को पूरा नहीं किया गया है और क्रोध इस कारण कि मेरी रगों में भी एक शोषित का खून दौड़ता है ।

रिजर्वेशन के नाम पर, संरक्षण के नाम पर यहां के करीब १० करोड़ इंसानों को गुमराह किया जा रहा है, उन को धोखा दिया जा रहा है । शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट आप के सामने मौजूद है । उस की टैन्थ रिपोर्ट के पन्ने २७६ और २७७ को यदि हम उठा कर देखें, तो पता लगेगा कि हम ने इस विषय में इतनी तरक्की की है और अछूत कहे जाने वाले लोगों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की कितनी भलाई की है ।

१९५६ में यहां पर कुल नौकरियां ३६०० थीं पहले दर्जे की । उस समय उन में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग .११ फी सदी थे और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग .५८ फी सदी थे । १९६० में अगर हम देखते हैं तो केन्द्रीय सरकार की तमाम अव्वल नम्बर की, क्लास वन की, नौकरियां ६,९८३ थीं, जिन में से शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग थे केवल .१० फी सदी, जब कि पहले यानी १९५६ में .११ फी सदी थे । इस के बावजूद यह कहा जाता है कि हम ने बहुत उन्नति की है । वास्तव में फी सदी में गिरावट हुई है । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह किस तरह की तरक्की हम ने की है ।

[श्री मौर्य]

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय उप-मंत्राणी जी हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझती हैं। अब वह बातें कर रही हैं। इस स्थिति में वह मेरी बात का कैसे जवाब देंगी। अव्वल तो अफसोस की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर मौजूद नहीं हैं। यह बड़े महत्व की बातें हैं। जितनी चीन के एग्रेशन की इम्पार्टेन्स है, उससे कुछ कम इम्पार्टेंस इसकी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह समझ रही है।

श्री मौर्य : नहीं श्रीमान्, वह बातें कर रही हैं।

१९५६ में केन्द्रीय सरकार की अव्वल दर्जे की नौकरियों में शिड्यूल्ड कास्ट्स ·५८ फी सदी थे, और १९६० में वे ·९४ फी सदी हो गए। यह हमने तरक्की की है। अगर दूसरी और तीसरी कैटेगरीज़ को देखा जाये तो मालूम होता है कि क्वोटा पूरा वहां भी नहीं है।

इस रिपोर्ट के पेज २७८ पर लिखा गया है :—

> "It will be seen from the above statement that the position as regards the actual representation of Scheduled Tribes and Scheduled Castes in posts and services under the various Ministries of the Government of India and their Attached and Subordinate offices is not satisfactory, particularly in respect of Scheduled Tribes who are very much under-represented especially in Classes I, II and III posts while in Class IV posts also their representation is below the mark. In the case of Scheduled Castes again the position is unsatisfactory in so far as Classes I and II posts are concerned. There is no doubt that their numbers are generally increasing from year to year in Central Government services, but the rate of progress is rather slow."

मैं यह जानना चाहूंगा कि आजकी सरकार इसके लिये क्या कर रही है और वह इन शब्दों के लिए क्या करेगी।

> "I feel that unless some special efforts are put in to increase the intake of Scheduled Tribes and Scheduled Castes in Classes I and II posts in the Government of India, it will not be possible to make up the deficiency in these services, in so far as these two categories are concerned. I hope that the Ministry of Home Affairs will at least have this position reviewed at a sufficiently high level in order to ascertain the reasons for this deficiency and take steps for making it up."

इस रिपोर्ट में बहुत से आंकड़े दिये गये हैं, परन्तु मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन सबको यहां पर दे पाऊं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे हिन्दुस्तान में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का कमिश्नर या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर नहीं है, जबकि यहां पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि आजकी सरकार उनकी बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहती है।

सरकारी नौकरियों से आगे बढ़ कर मैं यह देखता हूं कि एम० एल० ए० और एम० पी० बनाने के लिये स्टेट एसेम्बलीज और इस सदन के सदस्य बनने के लिए, जो कि कानून बनाते हैं, कांग्रेस को काबिल और लायक इन्सान मिल जाते हैं और तमाम रिजर्व्ड सीटें भर जाती हैं। यही नहीं, मिनिस्टर बनाने के लिये भी लायक और काबिल इन्सान मिल जाते हैं और उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमको इतने लायक और काबिल ग्रैडुएट नहीं मिलते—जबकि शिड्यूल्ड कास्ट्स के हजारों ग्रेजुएट भूखे मर रहे हैं—जो कि

डिपुटी कलैक्टरी या एग्रीकल्चर आफिसर का काम कर सकें, या इस तरह के छोटे छोटे काम कर सकें ।

यही नहीं, रिप्रेजेन्टेशन दो तरह का है, सरकारी नौकरी में और पोलिटिकल सिस्टम में । अभी अभी हमारे भाई बड़े जोर शोर से कह रहे थ——मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं, चौधरी साहब ने बहुत सी बातें कहीं थीं – लेकिन आप इसी सदन को देखिये । हर एक रिजर्व्ड सीट भरी हुई है । मुझे बताया जाय कि पोलीटिकल रिजर्वेशन है—हालांकि मेरी पार्टी इस पोलीटिकल रिजर्वेशन के खिलाफ है——लेकिन यू० पी० के ५४ जिलों में जिला परिषदों के कितने चेयरमैन हरिजन जाति और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं । एक भी नहीं है । पूरे ५४ जिलों में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं है । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी जज शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी नहीं है । इसी तरह एम्बैसेडर्स और हाई कमिश्नर में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह पोलीटिकल फ्राड है ।

यहां पर विद्वता की बात कही जाती जाती है । विद्वता की बात को तो मैं नहीं मानता हूं । जब आई० सी० एस० का प्रश्न उठता था, तो इसी तरह की बात अंग्रेज भी हमारे बारे में कहा करते थ कि हिन्दुस्तानी काबिल नहीं हैं । अगर सरकार काबिल समझे, तो बहुत हैं । अगर न समझे, तो कोई भी नहीं है । एफिशियेंसी का प्रश्न वक्तन फवक्तन, वहुधा, उठा करता है । कहा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी इनएफिशियेन्ट हैं, सरकारी नौकरियों में उन की वजह से इनएफिशियेन्सी आती है । मैं मान सकता हूं कि वे पिछड़े वर्ग हैं, इनएफिशियेन्ट होंगे । लेकिन उनकी इनएफिशियेन्सी के कारण सरकारी नौकरियों में लगे हुए सवर्ण जाति के एफिशियेंन्ट आफिसर्ज, काबिल और विद्वान आफिसर्ज, की विद्वता कहां चली जाती है ? इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग मौजूद हैं । इस सदन की एफिशियेन्सी शिड्यूल्ड कास्ट्स के कुछ मैम्बरों की इनएफिशियन्सी के कारण खत्म नहीं हो जाती है । मैं ने बहुत नजदीक जा कर देखा है । आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के सत्तर फी सदी आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफिसर ऐसे हैं, जिनके खिलाफ इनएफिशियेंसी की रिपोर्ट है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इनकेपेबल हैं, उन की इन्टेग्रटी डाउटफुल बताई जाती है ।

इस तरह की रिपोर्ट उनके खिलाफ है । वे कभी भी अपने जीवन में कलैक्टर नहीं बन सकते हैं । इस तरह की जो मनोवृत्ति वहां पर चल रही हैं इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । यह जो रोग है, इस रोग को अगर दूर नहीं किया गया तो जो लोकाशही है, जिस लोकशाही का ख्याल हमारे दिमागों में बहुत ऊंचा बना हुआ है, वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी । इसकी ओर बार-बार मैं ने आप का ध्यान भी खींचा है लेकिन मैं देखता हूं कि इस की ओर सरकार कोई अधिक ध्यान नहीं दे रही है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, बहुत से जिम्मेवार लोगों ने कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की जो समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय समस्या मान कर चलना चाहिये और इस समस्या को जितनी जल्दी हल कर लिया जायेगा उतना ही भारत के लिय अच्छा होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत ही दुखदायी परिस्थितियों में हम पड़ सकते हैं ।

बगार की समस्या का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है । समय नहीं है कि मैं विस्तार से इस के बारे में चर्चा कर सकूं । यदि आप इस ग्यारहवीं रिपोर्ट को ही उठा कर देखें तो इस का जिक्र आप पेज १३ पर पायेंगे । वहां पर लिखा गया है कि बेगार ली जाती है

[श्री मौर्य]

और जम्मू काश्मीर में इस को मंझी तथा इझारी कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश में, इसको बेगार नाम से पुकारा जाता है। उड़ीसा में इस को गोदी का नाम दिया गया है और महाराष्ट्र में वित के नाम से इस का प्रचलन है। पहले की रिपोर्टों में भी इसका जिक्र हुआ है। जब हम बेगार कहते हैं, तो उसका मतलब है कि किसी की मर्जी के खिलाफ काम करवाना.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : श्रमदान के बारे में आप का क्या ख्याल है? कहीं श्रमदान को ही आप बेगार तो नहीं कह रहे हैं?

श्री मौर्य: श्रमदान बेगार का दूसरा रूप है। हमारे बाप दादाओं ने बेगार दी है। अब हमसे श्रमदान के नाम पर ली जा रही है। श्रमदान को मैं बेगार का दूसरा रूप मानता हूं। दसवीं रिपोर्ट के पेज ५ पर लिखा हुआ है :

> "The practice of forced labour is found to exist in some parts of Kerala, Madras, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan."

यह तमाम रिपोर्ट्स में दिया हुआ है। आज बेगार क्यों है, यह प्रश्न उठता है। किन्हीं लोगों को उनकी मर्जी के विरुद्ध उनको पूरी तनख्वाह न दे कर, उनको पूरी मजदूरी न दे कर, उन से काम क्यों लिया जाता है. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री मौर्य : मुझे इस पर बोलने के लिये कुछ ज्यादा समय दिया जाए . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप की पार्टी का समय पांच मिनट था। आपने बारह मिनट ले लिये हैं। दो तीन मिनट और ले लीजिये। और खत्म कर दीजिये।

श्री मौर्य : मैं जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूं।

छुआछूत का जहां तक सम्बन्ध है, रिपोर्ट में ही बताया गया है कि छुआछूत आज भी है। छुआछूत गांवों में होती है, छुआछूत शहरों में होती है, छुआछूत सरकारी कर्मचारियों में होती है, छुआछूत सरकारी दफ्तरों में होती है, छुआछूत मिनिस्टरों के घरों में होती है। कहां छुआछूत नहीं होती है? अपने ही प्रदेश की बात मैं आप को बतलाता हूं। एक दो मिनिस्टरों को मैं जानता हूं। उनके घरों में छुआछूत होती है। मैं मानता हूं कि छुआछूत का रोग कम जरुर हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि कम नहीं हुआ है। यदि १९४७ में १००परसेंट छुआछूत थी तो आज पचास परसेंट है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि छुआछूत नहीं है। ऐसी शिकायतें बहुधा आती हैं कि स्कूली पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में, छुआछूत का प्रोपैगन्डा किया जाता है। उन पुस्तकों को बन्द किया जाना चाहिये। संविधान की धारा १७ कहती है कि किसी भी तरह से छुआछूत को मानना, या उसका प्रोपैगन्डा करना कानूनी जुर्म होगा। लेकिन धार्मिक पुस्तकें, मजहबी पुस्तकें इस तरह की अब भी हैं जो छुआछूत का खुलेआम प्रोपैगन्डा करती हैं। यह देखा जाना चाहिये कि किन कारणों से छुआछूत है। जो कारण हैं, उनको सीरियसली कंसीडर किया जाना चाहिये। यह छुआछूत विद्यार्थियों के कारण नहीं है, बल्कि पढ़ाने वालों के कारण है। मैं भी एक कालेज में पढ़ाता हूं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कि जो मास्टर लोग हैं, वे वहां पर छुआछूत बरतत हैं, कानून की रक्षा जहां होती है, उनमें छुआछूत है, जजों के दिमांगों में छुआछूत है, वहां पर दफ्तरों में छुआछूत है, वकीलों में छुआछूत है। अगर आप वकीलों की बार को जा कर देखें तो आपको वहां पर दो गिलास मिलेंगे एक पीतल का, और दूसरा शीश का।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री मौर्य : अव्वल तो हम लोग बोलते नहीं हैं, और जब कभी बोलते भी हैं, तो हमें बहुत ही कम समय दिया जाता है। यह जो मसला है, इस पर बोलने के लिय

तो हमें कुछ ज्यादा समय दिया जाना चाहिये । रिपब्लिकन पार्टी जो है, वह इस सदन का कम से कम समय लेती है । कृपा कर के और समय दे दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की पार्टी का पांच मिनट समय था और आपने पन्द्रह मिनट ले लिये हैं ।

श्री मौर्य : क्षमा करें अगर मैं यह कहूं कि अगर पार्टी का हिसाब लगाया जाए और हमारा समय निकाला जाए तो यह भी देखा जाना चाहिये कि हम कितना कुछ समय बोलते हैं और कौन कौन से विषय हैं जिन पर हम बोलते नहीं हैं और किन किन पर बोलते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की पार्टी का सिर्फ पांच मिनट समय था ।

श्री मौर्य : हम सब से कम समय लेते हैं । खास बिजिनेस हाउस के सामने होते हुए भी वाइंट आफ आर्डर इत्यादि में दो दो घंटे चले जाते हैं । इस पर तो मुझे बोलने का थोड़ा और समय दिया जाये ।

छुआछूत का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे बाल्मीकी जी यहां पर बठे हुए हैं । वह जिस जिले से आते हैं वहां पर एक संस्कृत पाठशाला है, नरवर संस्कृत पाठशाला । वहां पर आज भी अछूत लड़के दाखिला नहीं पा सकते हैं, अछूत उस विद्यालय में घुस तक नहीं सकते हैं । बाल्मीकी जी कहते हैं कि वह तो चले जाते हैं, लेकिन औरों को घुसने नहीं दिया जाता है । बाल्मीकी जी की वहां इज्जत होगी, वह वहां जा सकते हैं लेकिन दूसरे अछूत नहीं जा सकते हैं । इस विद्यालय को सरकार से सहायता मिलती है । इस तरह की जो बातें हैं, इन की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये ।

अब मैं नान-आफिशिएल आर्गेनाइजेशन्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । नान-आफिशियल आर्गेनाइजेशंज में डिप्रैस्ड क्लासिस लीग आती है और न जाने और कितनी संस्थायें आती हैं । न जाने किस किस तरह से लोगों ने उनको अपने अड्डों के रूप में बना रखा है । मैं तो इन को यतीमखाने कहूंगा और ये यतीमखाने हैं भी । कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो कि कुछ रुपया खुद अपने प्रयत्नों से इकट्ठा करती हो, सारा का सारा रुपया सरकार से आता है . . . .

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : नान-आफिशयल आर्गेनाइजेशंज की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं । इसमें भारतीय डिप्रैस्ड क्लासिस लीग, हरिजन सेवक संघ आदि कई संस्थायें आ जाती हैं । अस्पृश्यता निवारण के लिये कई संस्थाये तो एसी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं । नहीं कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो अच्छा काम नहीं कर रही हो, यह मैं जानता हूं लेकिन इस तरह से सभी पर आक्षेप नहीं होना चाहिये और न यह उचित प्रतीत होता है ।

श्री मौर्य : नान-आफिशियल आर्गेनाइजेशन का मतलब है, वालेंटरी आर्गेनाइजेशन । डिप्रैस्ड क्लासिस लीग आदि संस्थायें उसमें आ जाती हैं । पब्लिक से कितना रुपया ये इकट्ठा करती हैं, अपने इनिशेयेटिव पर कितना रुपया इकट्ठा करके लाती है, इस को आप देखें । तमाम का तमाम रुपया सरकार से उनको मिलता है । मैं चाहता हूं कि सरकार जो सरकारी मशीनरी है उस को मजबूत बनाये । अछूतों के नाम पर कुछ संस्थाओं को रुपया दे कर जो सत्ताधारी पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन है, मजबूत किया जाये, यह कहां तक उचित है, इस को आप देखें । मैं इन संस्थाओं का भी विरोध करता हूं ।

यहां १७, १८, ७०, ८० नये पैसे की बात भी चली थी । इस का जिक्र कर के मैं समाप्त कर दूंगा । आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू आदरणीय प्लानिंग

[श्री मौर्य]

मिनिस्टर और आदरणीय लोहिया जी के बीच में तीन आने और पन्द्रह आने का झगड़ा चला था। अगर आप प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को देखें तो उस में यह लिखा हुआ आप पायेंगे कि २० परसेंट लोग ऐसे हैं, जिन के पास कोई जमीन नहीं है और जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। इन को लैंडलैस लेबरर कहा जाता है, भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। इस के अलावा यह भी लिखा हुआ है कि १६ परसेंट ऐसे घर हैं जिनकी आमदनी २०० रुपये सालाना है या इससे कम है। आप हिसाब लगा कर देखें कि १६ परसेंट में कौन लोग शामिल हैं। इस में वे लोग ही शामिल हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं, जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। वे ही इस में सेंटपरसेंट शामिल हैं। छोड़ दीजिये आप बाबू जगजीवन राम जैसे लोगों को या मुझे जैसों को जिन को ज्यादा तनख्वाह मिल जाती है। इस में बहुमत शैडयूल्ड कास्ट के लोगों का ही है। अब अगर हिसाब लगा कर देखा जाये तो पता चलेगा कि अछूत कहे जाने वाले एक इंसान को केवल ग्यारह नये पैसे रोज ही पड़ते हैं। अब जिन अछूतों के पास जमीने हैं या जो और कुछ काम करते हैं और जो इस में शामिल हैं उन की तादाद अगर पचास लाख मान ली जाए, तो एक अछूत की आमदनी दो नये पैसे प्रतिदिन से अधिक नहीं होती है।

श्री दलजीत सिह (उना): आप का हिसाब गलत हो गया है। अगर दो सौ रुपया सालाना आमदनी है तो उस हिसाब से सोलह सतरह रुपया माहवार हुआ।

श्री मौर्य: आप हिसाब बाद में कर लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाबेन शाह।

श्री मौर्य: आध मिनट में मुझे जो मेरे सुझाव हैं, उन को दे लेने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आप को १७ मिनट दे दिये हैं।

श्री मौर्य: सुझाव हो जाने दीजिये।

Mr. Deputy Speaker: Order order, I have called the next speaker.

श्री मौर्य: यह बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे सुझाव दे लेने दीजिये . . . . .

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली): उपाध्यक्ष महोदय . . .

Shri Maurya: I cannot tolerate it. It is most objectionable. I walk out in protest.

(The hon. Member then left the House)

श्रीमती जयाबन शाह: माननीय सदस्य जो अभी बाहर चले गये हैं, उन का जो क्रोध था, वह इसलिए था कि हरिजन भाई ऐसी हालत में आज भी रह रहे हैं कि जिस को देख कर दिल जलता हैं। उन के दिल में इन लोगों के प्रति जो दर्द है, उस को समझा जा सकता है। इन गरीब लोगों का, इन पीड़ित लोगों का हम पर कर्जा है, जिस को हमें चुकाना है। चूंकि माननीय सदस्य की उम्र छोटी है, इसलिए उन में ज्यादा क्रोध हो सकता है। लेकिन हमें भी इस समस्या पर गम्भीरता से सोच विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि हमारे नवयुवक जो हैं, उन के दिलों मैं क्या क्या भावनायें हैं, क्या छिपा पड़ा है।

कमिशनर साहब की रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्यों ने कई गातें कही हैं। सारी बातों से शायद मैं भी सहमत हूं। लेकिन जिन बातों से मैं सहमत हूं उन को दोहरा कर मैं सदन का समय व्यर्थ लेना नहीं चाहती हूं। एक खास बात की ओर ही मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। यहां पर यह कहा गया है कि अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिये। इस हेतु यहां पर बहुत से सुझाव दिये गये हैं, बहुत से सजैशज़ दिये गये हैं। मेरा कहना

यह है कि अस्पृश्यता की जड़ तक हमें पहुंचना होगा और जड़ पर अगर हम ने ध्यान नहीं दिया तो ऊपर से कोई भी डैमंस्ट्रेटिव स्कीमें हम चला लें, अस्पृश्यता का निवारण होना बिल्कुल असम्भव है । एक बात यह है कि आज पन्द्रह सालों के बाद हम क्या देखते हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं मगर एक बात सबों ने छोड़ दी है। उसी पर मैं आना चाहती हूं । आज हमारे देश में भंगियों की क्या हालत है । वह अपने सिर पर मैले का डब्बा ले कर चलते हैं । उन को देख कर ऐसा मालूम होता है कि जब तक यह प्रथा चलती रहेगी तब तक अस्पृश्यता का निवारण होना बिल्कुल असम्भव है । यह बात मैं यहां पर साफ तौर से कहना चाहती हूं । एक मनुष्य को ऐसी हालत में रख कर हम इस प्रकार की बातें करें कि अस्पृश्यता निवारण हो तो इन सब बातों के होते हुए यह चीज नहीं खत्म हो सकती । जब तक हम इस की जड़ को पकड़ कर नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता ।

हम को इतना कम समय मिलता है । ठीक तरह से अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिलता है । हम ने डिमाक्रेसी बनाई । हम ने कहा है कि डिमाक्रेसी में ह्यूमन डिग्निटी की प्रतिष्ठा होगी । लेकिन जब मैं भंगियों को हैंड लोड ले कर जाते देखती हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि हम किस प्रकार से, किस मुंह से डिमाक्रेसी की बात कर सकते हैं । यह सोचने की चीज है । हम साइंस अथवा विज्ञान में इतने आगे बढ़े हैं, हम जानते हैं कि मानव ने स्पेस के ऊपर भी कब्जा जमाया है, लेकिन मेरे मन में कोई शक नहीं कि सब से पहले जो बात हम को सोचनी चाहिये वह यह कि स्कैवेंजिंग स्कीम जो है उसे कैसे ऐबालिश किया जाये । इस चीज पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया । पन्द्रह साल के बाद, इस थर्ड-प्लैन में भी जो रकम रक्खी गई है, इस के लिये जो कुछ अलाट किया गया है, मुझे कहते हुए रंज होता है कि उस रकम का २।३ का उपयोग हुआ है । अगर हम इस तरह से चलेंगे तो यह सिस्टम कब ऐबालिश होगा इस का पता मुझे नहीं चल सकता । इस बारे में जो हमारे हरिजन सदस्य हैं वे भी चुप बैठते हैं । रिपोर्ट में बतलाया गया है कि यह एक जागीरदारी सी बन गई है । पता नहीं इस में जागीरदारी की क्या बात है । पाखाना साफ करने में कौन सी जागीरदारी की बात है ? इस को अबालिश करने में कम्पेन्सेशन चाहिये, ऐसी मांग की गई है । मैं सोचती हूं कि हम क्या इतने गिरे हुए हैं कि ऐसी बातें करने में हमें कोई शर्म नहीं आती है ? मैं समझती हूं कि उन का रिहैबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है, जिन से वह धन्धा छुटाया जाय, मगर इस के लिये कम्पेन्सेशन देने की बात कहां उठती है । इस प्रथा को किस तरह से खत्म करें इस बारे में पन्द्रह साल तक हम सोचते रहे, लेकिन आज तक कोई इलाज नहीं कर सके । मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि इस बारे में हम ज्यादा जागृत हो कर आइन्दा सेशन में कोई ऐसा लेजिस्लेशन ला कर रक्खें जिस से सारे देश में जो यह सिर पर मैला उठा कर ले जाने की प्रथा है उस को खत्म कर के हम इस काम को पूरा करें । मलकानी कमेटी हम ने बनाई इस बात के लिये कि स्कैवेंजिंग सिस्टम के लिये क्या किया जाय । उहों ने अच्छी से अच्छी सिफारिशें की हैं । उस के सम्बन्ध में क्या किया गया और उस का क्या अंजाम आया, इस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं । मेरी समझ में इस बारे में हम ने कोई खास काम किया ही नहीं है । इस बात के लिये मेरे कुछ स्पष्ट सुझाव हैं जिन को मैं रखना चाहती हूं ।

यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इस सिस्टम को अबालिश करने के लिय लोगों को समझाने की जरूरत हो । हमारा ऐसा

[श्रीमती जयाबेन शाह]

तजुर्बा है कि लोग चाहते हैं कि यह सिस्टम अबालिश हो। भंगी लोग भी चाहते हैं कि यह अबालिश हो। लेकिन म्युनिसिपैलिटियों के पास पैसा नहीं है और इस पर जितना सोचने की जरूरत है उतना सोचा नहीं जाता है। इस के लिये हम ने जो प्रोग्राम बनाया है उस में ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है और हमारा खून इतना ठंडा हो गया है कि ऐसी हालत देखते हुए भी हमारे दिल में यह विचार नहीं होता कि इस को आज ही खत्म किया जाय। इस के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि हम पहले इस को कानून से खत्म करें और उस के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट इस काम में किया जाय। आज जो सिर पर उठाने की प्रथा है और जहां शरीर से सीधा टच में वह आता है उस प्रथा को अबालिश किया जाय और सारे देश में यह लागू किया जाय।

दूसरी बात यह है कि सारे देश में जितने पाखाने हों उन को सब से पहले कन्वर्ट किया जाय। ऐकुआ प्रीवी हैं, वाटर सील्स हैं, फलश हैं, सैकड़ों किस्म के होते हैं, जहां जैसी हालत है उस के अनुसार लैट्रीन्स को कंवर्ट किया जाय।

तीसरी बात यह है कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ इस काम को करना चाहती हैं उन को जो सब्सिडी मिलती है वह काफी नहीं है, समस्या को देखते हुए वह बहुत कम है। उन को और सब्सिडी देनी चाहिये, लोन्स देने चाहियें। हम म्युनिसिपैलिटीज़ को बतलायें कि इस के लिये जब सारे पखाने कन्वर्ट हो जायें तब वे स्पेशल सेस डालें जिस से उन के रिसोर्सेज़ आगे बढ़ें और जो लोन उन्होंने लिया है उसे वे वापस कर सकें।

और भी बहुत सी चीजें हैं। व्हीलबैरो एप्लाई किया जाय जोकि कमिश्नर की रिपोर्ट में है। मलकानीजी ने भी बतलाया है। मेरा छोटा सा तजुर्बा है, लेकिन मैं ने देखा है कि यह सब साधन कन्वीनिएन्ट नहीं हैं। इस से भंगियों को ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझती हूं कि वे सब इतने साइंटिफिक होने चाहियें, इतने आसान होने चाहियें जिस से उन को काम करने में आसानी हो। यह न हो तो वह किसी काम नहीं आयेगा।

इस बारे में एक और बात यह है कि आजकल ज्यदातर बहनें भंगी का काम करती हैं। मेरा सुझाव यह है कि स्त्रियों को इस काम से बिल्कुल हटाया जाये। मगर यह काम करना ही हो तो भाइयों को यह काम दिया जाये। क्योंकि बहनों के साथ जो बच्चे पलते हैं उन में तो ऐसा भाव पैदा हो कि यह काम नहीं करना चाहिये, चाहे जितनी गरीबी हो। चाहे कुछ हो जाये मगर यह काम हम नहीं करेंगे। यदि ऐसा मानस पैदा करना हो तो स्त्रियों को इस काम से हटाया जाय। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। इस में क्या मुश्किल है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इस को विनोबा जी कष्ट मुक्ति कहते हैं, उस को चाहे जो नाम दिया जाये लेकिन इस प्रथा को हम जल्दी से जल्दी खत्म कर दें।

दूसरी बात हरिजनों के ड्रिंकिंग वाटर की है। उस के बारे में भी कहीं पर दो रायें नहीं हैं कि उन को ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलना चाहिये। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन के लिये अलग कुंएं चाहिये, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सारे कुओं से वे लोग पानी भरें। जब तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं कि सारे कुओं से वे लोग इकट्ठा पानी भरें—अगर हो सके तो इस से बढ़ कर कोई चीज नहीं हो सकती—लेकिन जब तक ऐसी हालत नहीं है तब तक उन के लिए अलग कुओं से तो इन्तजाम होना ही चाहिये। सवाल यह है कि अस्पृश्यता निवारण तो हम को करना है ही, मगर

उस से बढ़ कर असली सवाल यह है कि स्वच्छ पानी देना, प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर देना सब से महत्व की चीज है । अगर वह हम न दे सकें तो यह बड़ी बुरी बात होगी । आज ऐसा होता है कि न उन के लिये अलग कुएं हैं और न सार्वजनिक कुओं से उन को कोई पानी भरने देता है । इसलिये जहां जानवर पानी पीते हैं उसी जगह वे आज पानी पी रहे हैं । प्रिंसिपल के तौर पर मैं इस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आज की हालत में अगर हम उन को स्वच्छ पानी देना चाहते हैं तो इस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा । यह एक बड़ा सवाल देहातों में, खास कर छोटे छोटे गांवों में पैदा हो गया है, और उन को पानी की बड़ी मुश्किल है ।

दूसरा सवाल हाउसिंग के बारे में है । जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती है, छोटी छोटी भी बनती हैं वहां लेबर लाज बनते हैं कि मजदूरों के लिये कुछ न कुछ अमेनिटीज होनी चाहियें । लेकिन जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हों चाहे सिटी म्यूनिसिपैलिटीज़ हों, चाहे बड़े बड़े कारपोरेशन हों, वहां इतना तो होना ही चाहिये कि उन के स्वीपर एम्प्लायीज़ हों उन के लिए वे खुद प्राविजन करें हाउसिंग का । जो कोआपरेटिव सोसायटीज हैं वे भी ठीक हैं, लेकिन उस में इतनी दिक्कतें हैं कि वह हम कर नहीं सकते, पैसा यहां रह जाता है । उस में भी हम ने देखा कि शार्टफाल कितना है । हर स्कीम में शार्टफाल रहता है । मैं इस को नहीं समझ पाती कि जहां पर करोड़ों रुपयों की जरूरत है वहां पर किस प्रकार शार्टफाल रह गया । हाउसिंग में शार्टफाल , एजुकेशन में शार्टफाल, स्कैवेंजिंग स्कीम में शार्टफाल । जब हम आंकड़े देखते हैं कि ५० परसेंट, २५ परसेंट शार्टफाल होता है, कुओं में शार्टफाल, हाउसिंग में शार्टफाल, तो हमें रंज होता है । मेरा कहना है कि म्यूनिसिपैलिटीज के स्कैवेंजर्स के लिये मकान बनाये जायें । अर्बन हाउसिंग सोसायटीज़ जो हैं वह जो प्लाट बनायें उन में से कुछ फ़ी सदी, कम से कम ५ फ़ी सदी प्लाट्स उन के लिये रिजर्व रक्खे जायें । वहां पर जो मकान बनायें उन को बिना सूद के लोन दिया जाय ताकि वह सब मिल कर एक साथ में रह सकें । नये नये शहर बनते हैं, नई नई दुकानें बनती हैं, बाजार बनते हैं, वहां भी उन के लिये कुछ न कुछ दुकानें रिजर्व रक्खी जायें ताकि वे लोग साथ में बैठ कर धन्धे कर सकें । ऐसा न हो कि किसी कोने में आप उन को रख दें । इस से अस्पृश्यता निवारण करने में सहायता होगी । मकानों के लिये कहा जाता है कि वे दक्षिण में हों या उत्तर में हों, वह सब बात तो ठीक है लेकिन एक बात सब से आवश्यक है, और वह यह कि हरिजनों के वास्ते मकान बनें व लो लाइंग एरियाज में न बनाये जायें । चूंकि अक्सर हरिजन लोगों के मकान लो लाइंग एरियाज़ में बने रहते हैं, नदी के पास बने होते हैं इसलिए जब जब बाढ़ आती है तो सब से पहले जिस को नुकसान पहुंचता है वह हरिजन होता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि उन को जो साइट्स दी जायें या आयन्दा उन के वास्ते जो मकान बनाये जावें, वे ऊपर की लेविल पर बनायें जायें । अगर ऐसा न किया गया तो बार बार यह सवाल उठता रहेगा । नये मकान बनेंगे और बाढ़ आने पर वे सब गिर जायेंगे । सम्बन्धित अधिकारियों को हरिजनों की आवास की व्यवस्था करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये और उन के प्रति एक हमदर्दी का भाव ले कर इस को करना चाहिये वरना हम इस समस्या को हल करने में कामयाबी नहीं पा सकेंगे ।

चूंकि आदिवासियों के बारे में ढेबर कमिशन रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो चुकी है । इसलिये उस के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं । लेकिन इतना अवश्य

[श्रीमती जयाबेन शाह]

कहूंगी कि उन की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करना है । यह तो ठीक है कि वे आदिवासी और बनवासी जोकि जंगलों और पहाड़ों आदि में रहते हैं उन का जीवनस्तर आदि हम एकदम अन्य लोगों के समान नहीं उठा सकते हैं लेकिन इतना तो करना ही चाहिये कि वे जहां रहते हैं, जंगलों और पर्वतों में, वे बनवासी और गिरिवासी हैं, उन को हम रोजगार और धंधा सुलभ करें और यह देखें कि वे इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगें उन में से जो लोग कुछ पढ़ लिख कर शहरों में आ जाते हैं, उन को सरकार हर संभव प्रोत्साहन दे और उन को बड़ी से बड़ी नौकरी में स्थान भी दे । मगर ८० परसेंट लोग जोकि बन, जंगल और पहाड़ों आदि में रहते हैं उन के लिए हम क्या कर सकते हैं ? उन के लिये दो चीज़ें करना ज़रूरी है । पहली आवश्कता तो उन को एजुकेशन देने की है । उस के लिए जितना हम कर सकें, उतना करें । इस के अतिरिक्त जहां वे रहते हैं, उन के लिये वहीं हमें काम धंधे पैदा करने चाहियें । ख़ाली इस से काम नहीं चलेगा कि हम बड़े बड़े शहरों में कुछ काम धंधे उन के लिये सुलभ कर दें । ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी ज़मीन जोकि ऊसर है, बंजर है उस को हरिजन को देने के लिए फर्स्ट प्राएरिटी देनी चाहिये । सेंटर से हालांकि ऐसी सिफ़ारिश की गई है लेकिन राज्यों में उस पर ठीक अमल होता नहीं है । मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार पुनः राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराये और इस पर सही तौर से अमल करने पर जोर दे । जहां भी हरिजन या आदिवासी वगैर काम के हैं, बेरोजगार हैं, उन को इस तरह की ज़मीन सब से पहले दी जाय । ज़मीन देने के साथ ही साथ उन को ज़रूरी इम्पलीमेंट्स भी देने चाहियें ।

मकान बनाते समय उन को पैसा मत दीजिये बल्कि उस के लिये आवश्यक सामान व सामग्री उन को उपलब्ध करा दीजिये । उन को ज़मीन दीजिये और साथ ही साथ साधन भी दीजिये । ऐसा इंतज़ाम करने से ही हमारी मंशा जो उन को ऊपर उठाने की है, वह पूरी हो सकती है ।

फौरेस्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं । सरकारी सहायता और कर्ज आदि की सहूलियत प्राप्त करने के लिए व्यापारी लोग और अन्य कोआपरेटिव सोसाइटीज़ आकर खड़ी हो जाती हैं और नतीजा यह देखने को मिलता है कि जो ग़रीब हरिजन लकड़ी काटने का धंधा करते हैं, उन को सरकारी सहायता और सहूलियत नहीं मिलती है । उन को मिलने में बड़ी दिक्कत है । अब अगर वह सहूलियत उन को नहीं मिलती है तो उन गरीब लकड़ी काटने वालों का एक्सप्लायटेशन होना ज़रूमी है । इसलिए मैं यहां यह सुझाव रखना चाहती हूं कि यह जो फ़ौरेस्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन में जो काम करने वाले लोग हैं, उन का एक हिस्सा होना चाहिये । जो खुद अपना जंगल काटते हैं और काम करते हैं, उन को कुछ विशेष रिआयतें प्रदान करनी चाहिएं ।

जैसाकि एक भाई ने बतलाया कि उन के प्रदेश में आदिवासी और बनवासी केवल महुआ खा कर अपना पेट पालते हैं, हो सकता है कि ऐसी हालत कहीं पर हो, ऐसी जगहों पर जो एक टैक्स लगता है अपनी लकड़ी आदि को इधर उधर ले जाने में, लकड़ी भी वे अपना गुजारा करने के लिए काट कर इधर से उधर ले जाते हैं, उस में टैक्स की शक्ल में या दूसरी कोई रुकावट या पाबन्दी नहीं होनी चाहिये । यह ठीक है कि इस का सेंटर से सम्बन्ध नहीं है और यह राज्यों का काम है कि वे इस को करें । अब राज्यों की हालत आप से

छिपी हुई नहीं है । होता यह है कि इस हरिजन कल्याण के कार्य को कोई विशेष ग्रहमियत नहीं दी जाती है, इस का पोर्टफोलियो कोई महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जोकि चीफ मिनिस्टर या किसी बड़े सीनियर मिनिस्टर के पास रहे । मैं चाहूंगी कि सेंटर में इस के लिए कोई स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई जाय तभी यह काम ठीक से पूरा हो सकेगा । यह ठीक है कि हम मंत्रिमंडल के संबंध में ऐकोनामी करना चाहते हैं ग्रौर मैं तो चाहती हूं कि उस का ग्राकार काफी छोटा कर दिया जाये, मौजूदा ग्राकार को काट कर ग्राधा कर दिया जाये लेकिन जब तक उस के लिए खास मिनिस्ट्री नहीं होगी जब तक यह काम किसी सीनियर मिनिस्टर के हाथों में नहीं होता तब तक जो परिणाम हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकेंगे ।

हमारे संविधान में ग्रस्पृश्यता को एक कलंक माना गया है ग्रौर सब को एक समान समझा गया है । ग्रस्पृश्यता को दूर करने के लिए उस में साफ़ हिदायतें शासन को दी गई हैं । वे सब ठीक हैं लेकिन देखना यह है कि उन हिदायतों पर ग्रमल करने का दायित्व जिन ग्रधिकारियों पर ग्राता है वे क्या दिल से ऐसा चाहते हैं कि यह चीज़ बिलकुल मिट जाये ? हरिजन कल्याण ग्रौर उन का विकास करने के लिये जिन ग्रधिकारियों को यह काम सौंपा जाय, उन के वास्ते यह देखना कि कौन सीनियर है ग्रौर कौन जूनियर है ग्रौर सीनियर को यह काम सौंपा जाय ग्रौर जूनियर को न दिया जाय, ठीक न होगा । ऐसे सीनियर ग्रफसर जिस के दिल में हरिजनों के प्रति हमदर्द का भाव न हो, उस को यह काम सौंपा जाना उचित नहीं है । भले ही व जूनियर क्यों न हों लेकिन ग्रगर उन के दिलों में पिछड़े लोगों के लिये प्रेम है, सहानुभूति है, तो उन को ही हरिजन कल्याण ग्रौर विकास का कार्य सरकार को सौपन चाहिये । चूंकि ग्राज इस का ध्यान नहीं रक्खा जाता है इसलिए हम सब देखते हैं कि वह काम जैसा बनना चाहिये, नहीं बनता है । बस इन शब्दों के साथ मैं ग्रपना भाषण समाप्त करती हूं ।

श्री साधू राम (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि ग्राज तीन साल के बाद २० करोड़ ग्रादमियों की बात सोचने के लिए जोकि इस देश में बसते हैं, यह शैड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शैड्यूल्ड ट्राइब्ज किमिशन की रिपोर्ट इस सदन के सामने ग्राई है । इस से पहल कि मैं ग्रपनी बात कहूं, मुझे इस बात का ख्याल ग्राता है कि हमारी पार्लियामेंट के पास, जोकि देश की सर्वोच्च सार्वभौम प्रजातंत्री सत्ता है, उस के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह १०, २० करोड़ ग्रादमियों के बारे में विचार करने के लिए कुछ ग्रधिक समय रख सके । यह समस्या इतनी गम्भीर है कि ५, ५ या १०, १० मिनट में ठीक तरह से पूरी बात नहीं कही जा सकती है ग्रौर जो ग्रसल हालात हैं वे इस सदन में नहीं रक्खे जा सकते हैं ।

इस देश में सैंसस के ग्रनुसार १० करोड़ शैड्यूल्ड कास्ट ग्रौर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग माने जाते हैं । इस के ग्रलावा ग्रदर बैकवर्ड क्लासेज़ भी इस में शामिल होते हैं जिन के लिए यह सारा रुपया इस प्लांनिग कमिशन ने रक्खा है । कुल १०० करोड़ रुपया थर्ड फाइव ईयर प्लान में रक्खा गया है । ७० करोड़ रुपया स्टेट्स सैक्टर से ग्रौर ३० करोड़ रुपया सेंटर सैक्टर से उन की भलाई के लिए रखा जाता है । ग्रभी कल मैं ने यहां बैठे हुए बैकवर्ड क्लासेज़ के चेग्ररमैन से पूछा कि ग्रदर बैकवर्ड क्लासेज़ की हमारे देश में कितनी ग्राबादी है तो उन्हों ने बतलाया कि ग्रंदाज़न् कोई १२ या १४ करोड़ के लगभग होगी । ग्रब इस के हिसाब से ग्रगर शैड्यल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रौर ग्रदर बैकवर्ड क्लासेज़ की ग्राबादी को एक जगह मिला दिया जाय, उन को ग्रापस में जोड़ दिया जाय तो मेरे ख्याल में २०–२२ करोड़

[श्री साधू राम]

के करीब ऐसे लोग होंगे जिन के लिए १०० करोड़ रुपये का प्राविज़न पांच साला प्लान में रक्खा गया है । इस का मतलब यह निकलता है कि अगर बीस करोड़ रुपया सालाना उन की अपलिफ्ट के लिए ख़र्च किया जाये और इस हिसाब से एक साल में एक आदमी के लिए एक रुपये की मदद की जाये, तो कितने हज़ार साल के बाद वे लोग तरक्की कर सकेंगे ? इस से मैं सोचता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का प्लानिंग ग़लत है, क्योंकि एक तरफ़ तो हमारा नारा है सोशलिज्म और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी और दूसरी तरफ़ हम वीकर सैक्शन्ज़ आफ दि सोसायटी, इस देश के कमज़ोर आदमियों, के लिए रुपया नहीं रखते हैं, उन को मदद नहीं देते हैं । इस सूरत में समाजवाद और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी कहां से आ जायेंगे ? देश में आज शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और अदर बैकवर्ड क्लासिज़ की जो हालत है, वह आप के सामने इस सदन के हर एक मेम्बर ने रखी है, चाहे वह आपोज़ीशन का हो और चाहे गवर्नमेंट बैंचिज़ का । सब इस बात पर इत्तिफ़ाक करते हैं कि उन की भलाई नहीं हो रही है । जब सारे मेम्बर पार्लियामेंट में यह बात कहते हैं, तो क्या गवर्नमेंट का ध्यान इधर नहीं जाता है, क्या गवर्नमैंट इस पर विचार वहीं करती है ?

पंद्रह सोलह बरसों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है । इस स्वतंत्रता के बाद जितनी तरक्की शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और अदर बैकवर्ड क्लासिज़ ने की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । जहां तक उन की भलाई का ताल्लुक है, मैंने अर्ज़ किया है कि एक रुपया एक आदमी के लिए एक साल में खर्च किया जाये, तो वह कैसे तरक्की कर सकेगा । इस लिए मैं यह सोचता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि इस देश में डेमाक्रेसी बहुत देर तक चलने नहीं पायेगी, क्योंकि जो लोग सोशलिज्म चाहते हैं, जिन लोगों में सोशलिज्म पैदा होता है और जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी बनाना चाहते हैं, . .

श्री बाल्मीकी : वे तो किताबों से पढ़ कर बात करते हैं ।

श्री साधू राम : . . . उन लोगों की तरफ़ गवर्नमेंट की तरफ़ से बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । इस में कुछ न कुछ तब्दीली आनी चाहिए । अगर गवर्नमेंट के रवैये में तब्दीली न होगी, तो उन लोगों का भला नहीं होन वाला है ।

जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने अपनी रिपोर्टों में कहा है, देश में इतनी ज़मीन पड़ी है, लेकिन उस को लैंडलेस लोगों में तक्सीम नहीं किया गया है । सोलह बरस के बाद भी वे लोग एक एक इंच ज़मीन के लिए तरस रहे हैं । दूसरी तरफ़ हमारा लक्ष्य है "ग्रो मोर फूड', देश में अनाज ज्यादा पैदा करो । अनाज कहां पैदा होगा, जबकि हम लोगों में ज़मीन तक्सीम नहीं करेंगे ? जो लोग खेती-बाड़ी करना चाहते हैं, या खेती-बाड़ी कर रहे हैं, जिन का जीवन खेती-बाड़ी पर निर्भर है, सरकार उन लोगों को ज़मीन नहीं दे रही है । हमारा नारा था, "लैंड टु दि टिलर" । अगर टिलर को ज़मीन दी जानी है, तो कब दी जानी है ? क्या सौ, दो सौ बरस बाद ? उस का कोई न कोई टाइम मुकर्रर होना चाहिये । मुझे प्लानिंग में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि वह ज़मीन कभी तकसीम हो सकेगी ।

इस रिपोर्ट के चैप्टर ६, पेज ५४ पर यह लिखा है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास कई किस्म की ज़मीन है । "रिक्लेमेशन आफ़ दि कल्टीवेबल वेस्ट-लैंड, सरप्लस लैंड्ज़ रिलीज्ड आफ्टर दि फिक्सेशन आफ़ सीलिंग्ज और होल्डिंग्ज़ एन्ड भूदान एंड ग्रामदान लैंड्ज़" । इतने किस्म की पांच मिलियन एकड़ ज़मीन इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है । इस रिपोर्ट

में यह भी दर्ज है कि सात लाख फ़ैमिलीज़ लैंडलैस हैं । अगर सात लाख फ़ैमिलीज में पांच मिलियन एकड़ ज़मीन तकसीम कर दी जाये, तो तकरीबन दस एकड़ से ऊपर फी फैमिली ज़मीन आती है । लेकिन वह ज़मीन तक्सीम नहीं की जा रही है ।

जहां तक स्कालरशिप्स का सवाल है, वे अधूरे हैं और वे वक्त पर भी नहीं मिलते हैं । इसलिए उन लोगों की तालीम में भी उतना इज़ाफ़ा नहीं हो रहा है, जितना कि होना चाहिए था ।

हालांकि सरकारी नौकरियों में रिज़र्वेशन मुकर्रर की हुई है, लेकिन लोग हाहाकार कर रहे हैं कि उन की प्रोमोशन वग़ैरह नहीं हो रही है । मैं समझता हूं कि अगर रिज़र्वेशन मुकर्रर की गई है, तो प्रोमोशन भी रिज़र्वेशन के हिसाब से होनी चाहिये । सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में एक रूलिंग भी आया था, लेकिन किसी डिपार्टमेंट ने उस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है । रेलवे में कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन मेरे पास यह इन्फ़र्मेशन है कि जब से वह महकमा दूसरे मंत्री के पास गया है, कुछ लोगों को जो प्रोमोशन मिली, वह उन से वापिस ली जा रही है । यह बड़े दुख की बात है कि वह रिज़र्वेशन पूरी नहीं हो रही है । जहां तक प्रोमोशन का ताल्लुक है, अगर उन लोगों ने दूसरे आदमियों से कम्पीट करना है, तो फिर रिज़र्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ।

इस वक्त यहां पर क्लास वन, टू और थ्री में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिल्ड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के जितने आदमी हैं, वे इस रिपोर्ट में दर्ज हैं । तफ़सील में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ़ ज़रूर ध्यान देना चाहिये । गवर्नमेंट सर्विसेज़ में रिज़र्वेशन को और जो प्रोमोशन वे लोग चाहते हैं, उस को ज़रूर पूरा किया जाये । उस के लिए कोई न कोई टाइम ज़रूर मुकर्रर किया जाये, ताकि उस टाइम में वह पूरा हो सके ।

जहां तक फ़ौज में भर्ती का सवाल है, यह आम शिकायत है कि हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को फ़ौज में भर्ती नहीं किया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आया कि उन को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है । हमारे जो रिक्रूटिंग आफिसर हैं, वे उन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उन को फ़ौज में भर्ती नहीं करते हैं । इस वजह से देश के लोग लड़ाई ठीक नहीं कर पाते हैं । मैं समझता हूं कि जो भूखा और नंगा आदमी है इस देश का, वह अपन देश के लिए बेहतर लड़ सकता है, न कि वह आदमी जिस को कलम उठाने से बोझ लगता है । वे लोग नहीं लड़ सकेंगे । इस देश के करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिन को भर्ती कर के देश की अनएम्पलायमेंट को दूर किया जा सकता है, उन को रोज़ी मिल सकती है और देश का बचाव हो सकता है । जो लोग बारह तेरह घंटे खेत में काम करते हैं, जो लकड़ी काट कर गुज़ारा करते हैं, दो तीन मन बोझा उठा सकते हैं, उन को फ़ौज में भर्ती करना तो ठीक नहीं समझा जाता है, लेकिन जो लोग दुकान में काम करते हैं, . .

श्री बाल्मीकी : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने कहा है कि फ़ौज में डिस्क्रिमिनेशन है । फ़ौज में जाने के बाद डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत कम मिलती है, लेकिन रिक्रूटिंग आफिसिज़ तक डिस्क्रिमिनेशन है । वहां तक वह बीमारी है । अगर कोई फ़ौज में चला जाय, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हमारी फ़ौज में जाने के बाद किसी भी हरिजन नौजवान को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता है । लेकिन यह ज़रूरी बीमारी है कि रिक्रूटिंग आफ़िसर्स डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

श्री साधू राम : जब जाट रेडिजमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, तो फिर एक हरिजन रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है ? मैं चाहूंगा कि उन की रेजिमेंट बनाई जाये । और वे देश की रखवाली के लिए सब से मज़बूत

[श्री साधू राम]

आदमी हैं और इस वक्त देश को बचा सकते हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : क्या माननीय सदस्य बाद में यह मांग तो नहीं करेंगे कि चमार रेजिमेंट अलग हो और शिड्यूल्ड कास्ट्स की दूसरी जातियों की रेजिमेंट अलग हो ?

15 hrs.

श्री साधू राम : मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ आज बड़ी बड़ी बेइंसाफियां हो रही हैं । दिल्ली की मिसाल ही आप ले लीजिये, पंजाब में अमृतसर को ही ले लीजिये । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो बने हुए हैं, व हरिजनों के मुहल्लों के मुहल्ले गिरा देते हैं, उन को घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं देते हैं । जिन जगहों पर ये लोग रह रहे होते हैं, वहां पर से इन को झोंपड़े गिरा कर उन ज़मीनों को अपने कब्जे में ले कर उसी की कीमत को दस दस गुना बढ़ा कर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और टाउन प्लानिंग वाले, रुपया कमाते हैं । इस तरह से इन को उजाड़ना और इन को बरबाद करना ठीक नहीं है । आज आप देख ही रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन वाले इन की बस्तियों को हटा रहे हैं और उन को २५–२५ या ८०–८० गज़ ज़मीनें दी जा रही हैं ताकि वे बेचारे एक बार उजड़ कर फिर अपनी हरिजन बस्तियां बनायें । यह उचित नहीं है । मेरा सुझाव है कि उसी जगह पर जहां ये रह रहे हों, इन में से कुछ परसेंट को जमीन दे दी जानी चाहिये और उन को अच्छे तरीके से आबाद करना चाहिये, बसाना चाहिये ।

जहां तक प्लानिंग का सम्बन्ध है, प्लानिंग कमिशन में जब तक शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लोग मैम्बरों के तौर पर बराबर बराबर दूसरे लोगों के नहीं बैठते हैं, तब तक प्लानिंग नहीं हो सकता है और जो प्लानिंग होगा भी, गलत होगा । जितना इन लोगों की उन्नति के लिए रुपया चाहिये वह रुपया तब तक नहीं रखा जा सकता है जब तक इन को वहां पर स्थान न मिले । दूसरे मदों के लिए तो अरबों और खरबों रुपया रख दिया जाता है लेकिन इन के वास्ते, इन की भलाई के कामों के वास्ते बहुत ही थोड़ा सा रुपया रखा जाता है । जब इस तरह की मनोवृत्ति है तो सोशलिज्म हमारे देश में कहां से आयगा और किस तरह से देश में सोशलिज्म की बात चल सकती है । जो काम करने वाला आदमी है, उस की ज्यादा कद्र होनी चाहिये । दूसरे देशों में, इंग्लैंड वग़ैरह में आप देखें कि जो लेबरर होता है, जो काम करता है उस को ज्यादा पैसा मिलता है । लेकिन यहां का जो लेबरर है, वह रो रहा है, हरिजन रो रहे हैं, सभी लोग जो कारखानों में काम करते हैं और जिन के अपने कारखाने नहीं हैं, वे बेचारे रो रहे हैं, वे बेचारे पिस रहे हैं । सोशलिज्म तभी आयगा जब आप इस बात का फैसला करेंगे कि जो आदमी काम करता है, उस को उस काम का पूरा मुआवज़ा मिलेगा, पूरी उजरत मिलेगी । चाहे कोई कारखाने में काम करता हो या खेती में काम करता हो, उस को अपनी मेहनत का पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिये । जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उस से समाजवाद आने वाला नहीं है ।

आज देश में लोग अरबों पति बन रहे हैं । आजादी के बाद कुछ लोगों के पास दौलत बढ़ रही है लेकिन जो गरीब हैं, वे मर रहे हैं, मजदूर जो हैं वे रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं,

हरिजन रो रहे हैं । उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो सोशलिज्म का क्या मतलब रह जाता है, किस तरह से समाजवाद की बात आप कर सकते हैं । जो रास्ता आपने अखत्यार किया है, उलटा अखत्यार किया है । समाजवाद यहां आएगा, ठेकेदारी प्रथा जो है, उसको समाप्त करके । मजदूर लोग जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं, उनसे जो मुनाफा होता है वह ठेकेदार खाता है । मजदूर बेचारे दिन भर काम करते हैं, रात दिन अपना खून पसीना एक करते हैं, उनको जो उनका हिस्सा है, वह मिलना चाहिये । उनको तो ढाई रुपया या दो रुपया रोज मिलता है और जो ठेकेदार है, वह दो सौ या चार सौ रुपया रोज अपनी जेब में डाल देता है । यह जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको खत्म किया जाना चाहिये । इसके रहते गरीबों की हालत बेहतर नहीं हो सकती है । अगर इस तरह की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो देश में बदअमनी फैल सकती है । करोड़ों लोगों के पास आज रोटी नहीं है, वे भूखे हैं, उनके पास मकान नहीं है, पहनने के लिये उनके पास कपड़ा नहीं है । ये जो उनकी जरूरतें हैं, इनको आपको पूरा करना होगा । गरीब लोगों की बात सुनने के लिए जो समय आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । एक बात मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो सी० डी० एस० स्कीम है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिये क्योंकि बहुत से गरीब लोग इसमें पिस रहे हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, साइमन कमीशन की लाठियां खाने के बाद लाला लाजपतराय जब अस्पताल में बीमार थे तो उन्होंने बड़े निराश हो कर अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि जो अंग्रेज इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं और हम भारतीय जो धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा हैं, यह क्या बात है कि वे तो फलते फूलते रहे हैं और हम बराबर कष्ट में हैं । लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद उनका यह पत्र तथा उनके उस मित्र द्वारा भेजा गया उत्तर समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था । उनके मित्र ने पत्र के उत्तर में लिखा था कि यह सही है कि हम धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं और अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा ये दोनों बातें कम हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आत्मनिरीक्षण भी तो करें, अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखें कि हमने अपने देश के करोड़ों भाइयों के साथ क्या व्यवहार किया हुआ है । आज जो हमारे ही भाई राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, गंगा और यमुना की जय कहते हैं, लेकिन हमने इन लोगों को अपने बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, हमने समाज के इस वर्ग को उन अधिकारों से वंचित रखा है जो कि प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हैं । जब कि हमने पराधीन होते हुए भी अपने ही करोड़ों भाइयों को गुलाम बनाया हुआ है और उसके बाद भी हम अपने को धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहें तो इसका क्या अर्थ रह जाता है । हिन्दू समाज का यह इतना बड़ा पाप है कि जिसका प्रायश्चित आसानी से नहीं किया जा सकता है । स्वतन्त्र होने के इतने वर्षों बाद भी इसका प्रायश्चित नहीं हो सका है और अभी न जाने कितने वर्षों तक और हमें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा ।

जो रिपोर्ट प्रस्तुत है, इस पर कुछ कहने से पहले मैं अनुसूचित जातियों के कमिश्नर महोदय से एक शिकायत भी करना चाहता हूं वह यह है कि अब तक यह रिपोर्ट जब जब भी सदन में आई है, दोनों भाषाओं में आई है । जिनके सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है, उनमें ९८ या ९९ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी से अपरिचित हैं । वे भी अगर अपने दुःख दर्द की दो पंक्तियां पढ़ लिया करें अपने सम्बन्ध में, तो यह कोई अनुचित बात नहीं कही जा सकती है । अगर वे भी यह जानन ाहें कि कमिश्नर महोदय ने क्या रिपो

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दी है, तो यह स्वाभाविक ही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर कमिश्नर महोदय ने दोनों भाषाओं में इस रिपोर्ट को दिया होता। कल जब मैंने इस बात की जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि हिन्दी की रिपोर्ट अभी छप रही है। अगर हिन्दी की रिपोर्ट छप रही है, तैयार हो रही है यह सच है तो इसका सीधा अभिप्राय यह है कि उसके प्रति उतनी ज्यादा तत्परता नहीं बरती गई है जितनी कि अंग्रेजी भाषा के प्रति बरती है।

15.06 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

दूसरी विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं और पहले भी हमेशा ही इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहता रहा हूं वह यह है कि हमारे देश में जो करोड़ों भाई जंगलों में, पहाड़ों और सुनसान स्थानों में रहते हैं उनकी गरीबी का, उनकी अशिक्षता का, अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। विदेशों से आने वाला करोड़ों रुपया उनके धर्म परिवर्तन के काम में व्यय हो रहा है। अन्न देकर, वस्त्र देकर, अमरीका से आया आटा और घी आदि दे कर किस तरह से उन लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, यह मैं कई बार यहां बता चुका हूं। इस बात को मुझे आज फिर आप कहने की आज्ञा दीजिये कि आटा, घी, कपड़ा, दवा वगैरह जो विदेशों से आते हैं, उनके वितरण की जो एजेंसियां हैं वे केवल क्रिश्चियन एजेंसियां ही हैं उनके द्वारा ही केवल इनका वितरण नहीं होना चाहिये बल्कि दूसरी एजेंसियों को भी यह काम सौंपा जाना चाहिये जिससे समान रूप से सब को इन वस्तुओं का वितरण हो सके। इस बात की भी आवश्यकता है कि इसको देखा जाए कि बाहर से आने वाला धन या सहायता किसी के धर्म परिवर्तन के उपयोग में न लाई जा सके।

लेकिन अब धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से आने वाले पैसे का एक दूसरा उपयोग भी किया जा रहा है और वह यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में ईसाई संगठनों द्वारा ऋण दिया जाता है और ऋण देने के पश्चात् जब वह गरीब आदमी उस ऋण को अदा नहीं कर पाता है तो उनको इस बात के लिए विवश किया जाता है छोटा नागपुर, रांची तथा उड़ीसा के कई क्षेत्रों में, कि अगर वह धर्म परिवर्तन कर लें तो उनमे उस ऋण का एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कमिश्नर महोदय इस बात की जानकारी लें कि मेरे इस कथन में कहां तक सत्यांश है कि अगर वे ईसाई हो जायें तो उनको एक पैसा भी ऋण का अदा नहीं करना पड़ेगा।

अब एक दूसरा प्रकार धर्म परिवर्तन का आरम्भ हुआ है। जो हरिजन छात्र हैं या जो पिछड़ी जातियों के छात्र हैं, उनको यह कहा जाता है कि अगर आप ईसाई हो जायें तो अमरीका में, इंग्लड और कनाडा में इस प्रकार के स्थान हैं कि जहां आपको एक पैसा भी व्यय नहीं करना पड़ेगा, आने जाने का कोई व्यय भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई का सारा व्यय हम करेंगे पर आपको केवल धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाए स्वतन्त्र होने के बाद भी पेट के लिए धर्म परिवर्तन या कर्ज चुकाने के लिए धर्म परिवर्तन हो तो इस शासन के लिए इससे बड़ी लज्जा की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। जिस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या जिस देश में पेट भरने के लिए लोगों को धर्म कीमत में देना पड़ता है, उस देश के लिए डूब मरने की इससे बढ़ कर कोई और बात नहीं हो सकती है।

इसकी चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है कि विदेशों से जो पैसा इस देश में आता है या जो पैसा उन देशों के दूतावासों के द्वारा आता है, उसका भी वे धर्म परिवर्तन में उपयोग करते हैं। इसको न केवल उन लोगों ने जो कि उस धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कहा है बल्कि हमारे पहले गृह मंत्री

श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारतीय ईसाई पादरियों की ओर से कुछ इस प्रकार के ज्ञापन दिये गये हैं कि जो ईसाई पादरी विदेशों के हैं वे जब चले जाते हैं तो उनके स्थान पर भारतीय पादरियों की नियुक्ति की जाए, उनके स्थानों की पूर्ति भारतीय पादरियों से ही की जाए। विदेशी पादरियों के आने की अनुमति क्यों दी जाती है जब कि यहां आकर वे हमारी राजनीति में भी दखल देते हैं और हमारे देश की समस्याओं को अन्दर से बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। मेरी तो यह भी जानकारी है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के भी ईसाई मिशन हैं जिनका सम्बन्ध अभी तक भी भारतवर्ष के किसी ईसाई संगठन से न होकर सीधे विदेशों के ईसाई संगठनों से है। इसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि जिस समय नेफा में हमारी सेना पीछे हट गई थी और वहां शान्ति बनाने में सफलता नहीं पाई तो हमारे प्रधान मंत्री ने उनसे पूछा कि आखिर कारण क्या है कि इतने लम्बे अरसे के बाद, हजारों सिपाही भेजने के बाद अभी तक वहां आप क्यों नहीं सफल हो पाये ? उस समय वहां हमारी सेना के सर्वोच्च अधिकारी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने जहां और कारण बतलाये, एक कारण यह भी बतलाया कि विदेशों से आये पादरी और उनका पैसा भारतीय पादरियों यानी उनके एजटों के द्वारा जब तक नेफा में खर्च होता रहेगा, तब तक वहां की जनता में मिलिटरी द्वारा शासन स्थापित नहीं हो सकता। अगर यहां अच्छा शासन स्थापित करना है तो एक ही तरीका है नेफा के क्षेत्र से उन लोगों को निकाल बाहर किया जाये। न केवल वहां पर , बल्कि केरल में भी पीछे क्रिश्चियन्स ने क्या परिस्थिति पदा की थी, क्या हमारी सरकार उन तमाम बातों से परिचित नहीं है ? उड़ीसा में, और भारतवर्ष के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वह चाहे केरल हो, उड़ीसा हो, या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले हों, इस समय जितना कार्य उन लोगों का योजना बना कर सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा है, वहां पर जो करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है, उसका एक तो दुष्परिणाम नागालेंड का तृथक निर्माण हम देख चुके हैं। संभ्या बढ़ने के पश्चात् उन्होंने एक प्रान्त नहीं, एक नये देश के नाम से, जो कि अभी तक विदेश मंत्रालय के अधीन है, उसका निर्माण कराया। लेकिन हमारी सरकार इसी प्रकार से बराबर इनकी उपेक्षा करती चली गई, गम्भीर कोई निर्णय नहीं लिया, तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं कहा जा सकता कि इस देश में कितने नागालेंडों का निर्माण और होगा।

इसलिये गृह मंत्रालय जहां हमारे इन पिछड़े हुए भाइयों के सम्बन्ध में विचार कर रहा है, वहां उस को इस प्रकार का भी विचार करना चाहिये कि लोध में, लालच में या दबाव में आ कर धर्म परिवर्तन न किया जा सके। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, आज दूसरी बार मैं फिर कहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर जहां इतनी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट देते हैं, कृपा कर के वे जब एक एक व्यक्ति से और एक एक परिवार से मिलते हैं तथा सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं, वहां क्यों न इस प्रकार के आंकड़े भी वह एकत्रित करते कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितने व्यख्ति इस प्रकार के थे जिन को धन का लोभ दे कर धर्म परिवर्तन किया गया था या दबाव में आ कर धर्म परिवर्तन किया गया या कर्जा अदा न करने के कारण धर्म परिवर्तन किया गया। यह आंकड़े भी तो कुछ हमें दिये जायें। उस के आधार पर अगर गृह मंत्रालय और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो अवश्य कर सकता है कि पिछड़े क्षेत्रों में जहां शिक्षा की कमी है, जहां गरीबी बहुत है, कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाये कि अगर वहां किसी का धर्म परिवर्तन होगा तो पहले जा कर उसे इसकी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां ऐप्लिकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब इस बात से सन्तुष्ट हो जायेगा कि वह

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

आदमी किसी लोभ, लालच के अथवा दबाव के कारण धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है केवल धार्मिक भावना से प्रेरित हो कर धर्म परिवर्तन कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा उस को धर्म परिवर्तन की इजाजत दी जाये। दूसरे आधारों पर जो धार्मिक ठगी होती है, पैसे के आधार पर जो धोखा धड़ी चल रही है उस पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

एक अन्य बात मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं, कि जितना धन अनुसूचित जातियों या जो हरिजन भाई हैं उन का स्तर उठाने के लिये व्यय किया जाता है, वह प्रायः ऐसे लोगों को दिया जाता है जो हाथ पवित्र नहीं हैं या फिर जो धन दिया जाता है उन गरीबों के लिये उस का पूरा उपयोग उन के लिये वे कर सकें। मेरे करने का तात्पर्य यह है कि इस में सरकारी कर्मचारियों पर ही सोलह आने दायित्व न छोड़ दिया जाय, सामाजिक संगठनों को भी इस में आप को साथ लेना चाहिये। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी डंडा इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को मिटाने में उतना सफल नहीं होता जितना सामाजिक संगठन होते हैं। आप ने स्वतन्त्र होने के पश्चात् यह आन्दोलन प्रारम्भ किया है, लेकिन कबीर के समय में कौन सी गवर्नमेंट सहायता देती थी महर्षि दयानन्द के समय में कौन गवर्नमेंट सहायता देती थी, गुरु नानक देव के समय में कौन गवर्नमेंट सहायता देती थी? उस समय जो सामाजिक आन्दोलन आरम्भ किया गया वह बिना किसी सरकारी सहयोग के ही तो थे। अगर आप सरकारी मशीनरी के अतिरिक्त दूसरे सामाजिक संगठनों को अपने सम्पर्क में लें और उन के द्वारा इस सामाजिक अभिशाप को मिटाने का प्रयत्न करें तो मेरा अनुमान है कि इस में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है।

एक बात ऐसी है जिस के लिये मैं समझता हूं यदि नीति में परिवर्तन आप कर लें तो बहुत से लोग आप को बधाई देंगे वह यह कि आप ने जो हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास अलग बनाये हैं। उन के साथ आपने न्याय नहीं किया है। उन के लिये जो पृथक छात्रावास बनाये गये उस से भी जो उन के प्रति समाज में भावना थी उस को उन को फिर उसी चहारदीवारी में समेट दिया। आप का नैतिक कर्तव्य यह है कि जहां एक छात्रावास बनाया गया है भले ही वहां दो बनाते, तीन बनाते, लेकिन उन में समान रूप से सब छात्रों के रहने की व्यवस्था करते। आप उन के लिये अलग छात्रावास बना कर उन के साथ न्याय नहीं करते बल्कि समाज में पृथकतावादी प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन देते हैं।

अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं दो बातें कहूंगा। एक तो यह है कि माननीय सदस्य मास्टर साधू राम बैंसल ने यह कहा कि जिस तरह से जाट रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट हैं उसी प्रकार से एक हरिजनों का रेजिमेंट भी बनाया जाये। मास्टर जी मेरा अपना विचार इस प्रकार का है कि हमारे देश की एकता को सुरक्षित रखने के नाम पर जाट और डोगरा नाम भी उन में से हटा दिये जायें। कोई नाम वहां नहीं होना चाहिये। अगर हम इस प्रकार की मांग करने लगेंगे जैसे कि आप ने की है तो इस से हमारी हानि होगी। जब पिछली बार बंगाल रेजिमेंट की बात आई तो उसी समय चर्चा चल पड़ी थी कि अगर बंगाल रेजिमेंट हो तो उड़ीसा रेजिमेंट क्यों न हो, बिहार रेजिमेंट क्यों न हो। इस प्रकार की मांग अब समाप्त हो जानी चाहिये क्योंकि इन मांगों के कारण देश में बुराई पैदा होती है। अन्त में इस बात को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो करोड़ों, अरबों रुपया पिछड़ी जातियों और हरिजनों के विकास के नाम पर व्यय किया जा रहा है, उस रुपये के बहुत बड़े भाग का लाभ

हरिजनों का एक वर्ग लेता है और बहुत बड़ा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उस से वंचित रह जाता है । मुझे स्पष्ट शब्दों में इस के कहने की आज्ञा भले ही मत दीजिये लेकिन मैं सांकेतिक शब्दों में कहना चाहता हूं कि सारा सदन समझ रहा है कि आप को इस दिशा में भी जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि कोई भी पैसा जो हरिजनों का एक छोटा सा भाग है उस के ऊपर न उठे बल्कि समान रूप से सब में उस का वितरण हो । इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

Dr. P. S. Deshmukh (Amravati): Mr. Speaker, Sir, I am glad to be able to take part in this debate. I have been wanting to do it for some time but, somehow or other, I could not get an opportunity to do it. Sir, it is very good that once every year we have a summary of the work done for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the hon. Members of the House get an opportunity to lodge their complaints. Most of the complaints are well-founded and they generally relate to improper utilisation of funds, vigorous steps not being taken in the matter of appointments even where there has been reservation for these people and so on. In as much as I have one specific point to urge, I would not go into details of the complaints which have been put forward but I would generally express my sympathy and support to them.

In the case of one group of backward classes Government has been very very unjust and unfair. In fact, it has acted against the Constitution. I have been trying to point it out time and again but, I am afraid, the conscience of this Government is yet to be awakened. In the Constitution we have articles 339 and 340. I need not point out what article 339 refers to, because only the other day we had a fairly long debate on the report of the Dhebar Commission which was appointed for finding out the conditions of the tribal people and the tribal areas.

Here I just want to point out the distinction that Government has made in the treatment of article 339 from article 340. According to article 339:

> "The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

Now, this has been done. But, what is the treatment given to article 340? That article reads:

> "The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India...."

This Costitution was adopted on the 26th January, 1950. The Commission was appointed in January, 1953. The report of the Commission came to Government two years afterwards. Now, eight and a half years have passed and yet Government has taken no step to put this report before the House. Not only that. It is now trying to go back even on the assurances which a celebrated personality like the late Shri G. B. Pant had given to the people. I know he did not like the other backward classes very much because of certain misunderstandings. But, even so, he did not have courage enough to wipe out the educationally and socially backward classes, who deserve protection and facilities under the Constitution. Pointing out the various difficulties in his preface when this Commission's report was presented to the Government he did say:—

[Dr. P. S. Deshmukh]

"It has, therefore, become necessary that some positive and workable criteria should be devised for the specification of the socially and educationally backward classes of these people so that they may be given adequate assistance and relief in all suitable ways to make up for the leeway of the past and to acquire the normal standards of life prevalent in the country."

At the present time the Ministry is attempting to wipe out these classes altogether. I think, it is very unjust. First of all, they are contravening and trampling under foot article 340 of the Constitution according to which they are duty bound, so long as this article is a part of the Constitution, to allocate certain funds and look after the socially and educationally backward classes.

The specious argument that is brought forward is that we might thereby probably increase caste consciousness. On this point I have great quarrel with all those people who talk about castelessness and classlessness. I think, at least 75 to 80 per cent of them have never, at any moment, really behaved in a manner which will not indicate that they are not caste conscious. However big or small a person may be he is not free from it. It may be a curse; but that curse exists and persists. So far as these backward classes are concerned, there is a group of people who are really socially and educationally backward and who are in fact not much distinguishable from the Scheduled Castes themselves except that they are not regarded as wholly untouchable.

In this society of ours even untouchability has certain degrees. There are certain people who may be regarded as wholly untouchable and there is a large group of people who have always been regarded as partially untouchable. The communities I am trying to fight for are coming from this group. If you examine any of these lists—which originally when the other backward classes schedule was made, not by me or by the Central Government but by the State Governments you would be convinced of the truth of which I say. The State Governments indicated that they should be put under this category as they were really educationally and socially backward. You will find that as regards their social status, even from the point of view of untouchability, they are not very much different from the so-called Scheduled Castes. In fact, most of the Ccheduled Castes leaders accept that many of these smaller castes, like, *telis, kumhars* and *khatiks* and so on, are really as backward, if not more backward, as some of the Scheduled Castes themselves. Yet, an attempt is being made by a circular which was supposed to be issued. It has been issued and there was a quarrel about it in the House the other day; my hon. friend, Shri Kamath was very vehement about it as to why the Mysore Government had not accepted the circular. I would beg of him kindly to try and understand the position a little more sympathetically and if he does it, I am sure, he will agree that if you really want integration, if you want the whole country to go ahead, you cannot just shut out one particular group which was recognised and which was being given certain facilities.

I would like to point out that this group has never asked for any reservation in any place. All that they wanted and all that they claimed, which in the time of Pantji was granted to them, was that if there were not well-qualified students seeking admission—it was not so far as the services were concerned; the only facilities given to these other backward classes was this facility—that if neither the Scheduled Castes nor the Scheduled Tribes boys were available for technical education, they should be given to these socially and educationally backward class boys and girls. That has been set aside by a definite circular. I cannot understand how a humane and considerate man, like, Shri Lal Bahadur Shastri, put his signature to a retrograde circular like this. This was a thing which Pantji had given and Shri Datar had approved and it was merely to give to these people just a little chance to get technical and professional education.

The only other facility that was given to them was certain scholarships as are given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In fact, the smallest possible percentage of these people have been assisted. That has certainly assisted them to come forward a little bit. All that I contend is that even if they do not accept all the recommendations of the Backward Classes Commission, at least they ought to continue the facilities which were given to them and they should withdraw this circular in trying to suggest that there should be no recognition of these castes as castes. The Scheduled Castes are based on castes; the Scheduled Tribes also are more or less based on castes; so, there should be no objection to base these facilities on the basis of castes. They have been enumerated already. We need not change them. They were listed a long time back. Even if we act upon those lists, that will give certain satisfaction; otherwise, I am afraid, this will remain a great source of disappointment to a large group of people and justice will be denied to them.

Mr. Speaker: Shri D. J. Naik. . Absent. Shri C. M. Kedaria.

Shri C. M. Kedaria (Mandvi): Mr. Speaker, Sir, first of all let me take the chance to pay my respects and compliments to the outgoing Home Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, and to the outgoing Commissioner, Shri Shrikant, who have worked sinverely for the cause of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

15.27 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

Shri Shrikant has held the post since the inception of the office of Commissioner till December 1961. He is a disciple and follower of Thakkar Bapa. If we look to his past record and reports on Scheduled Castes and Scheduled Tribes,. . . .

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Members are not allowed to praise officials.

Shri C. M. Kedaria: . . . .we will find that with single-minded devotion he has put in good work for the cause and I do hope that the incoming Commissioner, Shri Chanda, will also devote his attention to the cause.

The Commisioner's report to be laid before the Parliament is an obligation under the Constitution. If it had not been an obligation, it is felt that we would not have been given the chance to discuss these reports. From the fact that these two reports are being discussed together at this moment, we can say that it seems that the Government is indifferent towards the cause of the backward classes. Whatever be the obligations under the Constitution towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they are simply on paper and not in action; otherwise, we would have no cause to criticize the Government's action and we are also not happy to criticize it. We have to repeat every year the same criticism of Government's action and we are sorry to bring to the notice of the Government the fact that active steps are not taken according to our suggestions. Is it that they fall on deaf ears or that the Government consciously ignore them? If the schemes for social and economic development are to be implemented with that intention, I fear that the Constitutional obligation and safeguards will have to be extended for another ten years for getting them economic and social status.

Now I come to economic development. It is an accepted fact that big projects for irrigation, mining, power and industry, are necessary for economic and agricultural development. But this has caused great displacement to the backward classes. By this about

[Shri C. M. Kedaria]

14,113 Tribal families have been displaced. As for the acquisition of the land, 62,238 acres have been acquired from the tribal families. Now, out of these displaced families, only 3,477 families have been rehabilitated and only 8,214 acres of land have been alloted to these families. Why should the poor and down-trodden castes be made to suffer for these projects? I think, these are the facts given in the Dhebar Commission's Report for the tribal people. We too believe that in the implementation of the big projects which are already being implemented in the jungle area and the tribal areas, their land is bound to be taken by the Government. But at the same time, we plead with the Government that "house for house" and "land for land" should be given to the backward classes who are thus displaced. I urge upon the Government and the Minister for Home Affairs to take special care in this matter and thereby relieve them from mental unhappiness and physical difficulties.

Now, much has been said regarding the representation and the reservation of scheduled castes and scheduled tribes in the services, that is, the reservation of posts in the services both in the Union and State Governments in favour of scheduled caste and scheduled tribe candidates. As per the judgment of the Supreme Court, the reservation of posts is not only to be provided in initial appointments but also to be provided in selection posts. The scope of the article is to be construed not in a technical way but in a general and broad way. I had been requesting the Gujarat Government that the Supreme Court's decisions may be looked into by them while selecting the scheduled caste and scheduled tribe candidates for the IAS posts. I may point out, in the three consecutive selections, unluckily the backward class candidates have been, I think, knowingly dropped. When we request the Government, they say that the Union Public Service Commission is to look after this matter and that they are helpless. Now, I may give one typical instance in this matter. In the second selection committee, about 7 candidates had been selected. They had not been approved by the Union Public Service Commission. Again, that list came before the selection committee and in the present selection committee out of the seven candidates two candidates have been dropped and 5 candidates have been selected. This is the way the selection committee selects and recommends the candidates for the IAS posts. From this we can see that the convenient candidates are selected in such a way that the backward class candidates are dropped. So, I bring to the notice of the Ministry of Home Affairs that in spite of their special and constant instructions to the State Governments, they ignore their obligations under the Constitution and also the safeguards given by the Constitution. If this be the position adopted by the Government, we fear that day by day the backward class people may lose their confidence in the Government.

Then, similarly the backward class people do not get the actual benefit which is given by way of grant. For example, for educational purposes, the scholarships are to be granted. But at the time of the necessity, the students do not get the scholarships. So, we have been advocating and urging the Government to grant *ad hoc* grants to educational institutions for giving scholarships. A similar recommendation has also been made by the Dhebar Commission that *ad hoc* grants to grant scholarships to the students may be given to the educational institutions. If this provision is adopted, I think, much of the difficulty of the students who suffer on account of this will be avoided.

Another thing that I want to say is this. There are hostels run by the non-official agencies. Now, when the Government runs the hostel, they sanction about Rs. 50 per month per student, while the non-official agencies give only Rs. 20 per month per student. When the Government hostels are in a position to give a big amount, why should not the non-official agencies be granted grants to that extent? So, I request the Government that at least considerable grants should be given to the non-official agencies also. As Shri Maniklal Varma said yesterday, for the cause of the backward class people, non-official agencies run the institutions. They get the grant, but there is a provision that about 20 per cent they have to raise themselves. You know and we also know that the society is indifferent to the backward class people. It is very difficult for the social workers to raise the funds to rũn these institutions. So, I request that token funds by way of public contribution may be prescribed and the whole expenditure may be granted to these non-official agencies.

Much more has been said regarding landless *adivasis* and scheduled tribes. They have suffered a lot. They had been originally, most of them, land owners of the land but they are deprived of most of the land by the money-lenders and *ijaradars* of today and liquor shopkeepers and it is one of the burning problems today. So, the Government must in right earnest see that the Land Reforms Act is implemented in the Adivasi area. Agriculture and forest are the two sources of economic development for the tribal people. Adivasis and the tribal people are mostly the sufferers. They have been deprived of most of the forest rights which they were enjoying during the old days, by the Government. All rights such as free timber, facilities for cattle grazing and the cultivation of the land, should be restored to the Adivasis and the tribal people. It is of no use to say that the Government is doing much more for them.

Lastly I will come to the point regarding their social upliftment. Prohibition is the right cause which is adopted by the Government of Bombay State and now in Maharashtra and Gujarat. I must say that the Adivasis are economically and socially much more advanced as a result of this progressive step. Some of the exploiters advocate that this prohibition is a failure and it should be scrapped or abolished. But I have lived among the Adivasis and among the Scheduled Tribes, and I know that they have been highly benefited as a result of this, and I would submit that in spite of the opposition to it, Government should be firm and should implement the policy of prohibition in the right way and in a sincere manner.

So far as Gujarat is concerned, I know that in the boundary areas where the Madhya Pradesh and Rajasthan State areas come in, there is no prohibition, and so, the Adivasis of the Gujarat State go to those areas and break the prohibition Act. The Ministry of Home Affairs should insist on the neighbouring States also to implement this prohibition in the adjoining areas.

In conclusion, I would submit that the tribals will judge Government not by the constitutional obligations or their intentions but by the active steps taken to make those safeguards a reality.

Shri Yallamanda Reddy (Markapur): The problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who form nearly 22 per cent of our population is a very important one. No doubt, so many speakers before me have pointed out the difficulties faced by these people, but we have to wipe out this evil which is several centuries old, by giving help to these exploited people.

When we see the reports of the Commissioner for the last ten years, we find that the same recommendations and the same observations and the same requests to the State Governments are being made. We do not know what the Central Government are doing in this matter, and how they are going to rectify the same mistakes which are being committed by the State Governments time and

[Shri Yallamanda Reddy]

again. Every time, the commissioner says that the State Governments are requested to look into the matter, the State Governments are requested to expedite the matter, the State Governments are requested to appoint committees and so on, but the reports are not encouraging or happy. This is the way the commissioner gives his findings and makes his observations. This shows the amount of interest that the State Governments as well as the Central Government are taking in order to uplift these explioted and suppressed people.

Of all the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the most important one is the problem of land. It has been stated in our First and Second Plans that land should be distributed to these exploited masses, and in the Third Plan also it has been stated that land should be distributed, and nearly 5 million acres of land are to be distributed among seven lakhs families belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; but we do not know how much land is being distributed.

While enacting the land ceilings legislations, the State Governments were telling to get land which they could distribute among these people. But the way the State Governments have passed their Acts, and the way they are implementing these land reforms legislations, shows that there is not even a cent of land which could be distributed among these poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It has become a mere farce more or less. The Planning Commission has time and again stressed the importance of distribution of these lands to the landless labourers. But it is unfortunate that no State Govrnment has given even a cent of land up till now, even after all these Acts have been passed in regard to land ceilings. Even the Chief Minister of UP has stated that there is not even a cent of land available for distribution among the poor Harijans or the landless labourers

So apart from land distribution by land legislation, there are lakhs of acres of uncultivable wastelands, but Governments have till now not distributed these lands among the Harijans. I do not know what prevents the Central or State Governments from distributing these lands, the rights over which are vested in the Government. For example, according to the land utilisation statistics for 1958-59, the total area of uncultivable wasteland in the country is about 50·8 million acres: in Andhra Pradesh, 18·13, Assam 1·11, Bihar 8·9, Gujarat and Maharashtra 14·14, Jammu and Kashmir 1·05, Kerala 1·77, Madhya Pradesh 41·77, Madras 7·76, Mysore 6·56, Orissa 14·18, Punjab 7·09, Rajasthan 73·26, UP 17·65. These are the figures given by our Government. We do not know what care Government have taken to distribute at least these banjar lands, lands for which no compensation is to be paid. Even in respect of these lands, the State Governments have failed all these years to distribute them to poor Harijans or scheduled tribes. The Committee appointed to go into the question of reclamation of these lands has said that in Andhra 1·89, Bihar 0·89, Jammu and Kashmir 0·13, Kerala 0·56, Madhya Pradesh 2·55, Madras 0·38, Maharashtra 0·43, Mysore 1·18, Punjab 3·04 and West Bengal 1·14 lakh acres must be reclaimed and distributed among these people. I do not know what the Government have done in this matter. The Commissioner has taken care to mention only in a casual way that such and such lands must be distributed. No concrete steps have been suggested by the Commissioner and no concrete steps have been taken either by the State Governments or the Central Government in this regard.

Not only that. I submit that poor Harijans who have been cultivating for so many years wastelands, were driven out from those lands to give them away to so-called political sufferers. I can cite so many instances where this has been done. In Andhra Pradesh, so many Harijans, who were cultivating these wastelands since so many years have been evicted to provide these lands for political sufferers, coming from the Congress Party. They have been driven away. There were so many satyagrahas against eviction orders. If this is the state of affairs, I do not know how the State Governments or the Central Government are going to uplift the Harijans or the scheduled tribes.

Take, for example, co-operation. So many things have been said in the report. In 1961, the Government set up a working group on co-operation for backward classes. What about the establishment of co-operatives for the development work of tribal areas? We do not know what happened to them. There is no mention of this, about the committee or the action taken by Government on its recommendations. There are no co-operatives in the central sector. The scheduled castes have some provision made to them; in 1961, an allotment of Rs. 3765 lakhs was made, whereas the expenditure was only Rs. 32·15 lakhs. If you look into the co-operative movement on the rural side, you find that loans are given only to propertied people like peasants. You give taccavi loans; they go to the peasants. Agricultural loans and land development loans also go to the landed lords. No loan or credit given by Government goes to the benefit of the agricultural labourer or the scheduled caste or scheduled tribe persons, because there is a fundamental rule that no loan can be granted by these co-operative societies unless there is security of property. Even under the community development schemes, for which we claim so much, not a single rupee has been given as loan to a Harijan. No co-operative society in any village is giving a single pie to the landless or agricultural labourers. This must have been mentioned in the report. Government must make some provision, and these landless labourers and Harijans must be given a chance to get a loan. I do not know what steps Government are taking in this regard. The report does not mention any concrete steps.

Coming to the field labour co-operative societies, in our State, all the lands in the rivers ike Godavari and Krishna, were given to the Harijans. The Andhra Government have done a very great thing, and that is, one third of the lands under these societies have been taken away for grazing purposes. When the people have no food, the Government have taken so much care to provide fodder to the cattle. Not only that. Formerly these societies were given land on an average rental basis, but four years ago Government changed the rules. They put all the lands for auction, with the result that the landlords got the lands, while the labour co-operative societies could not bid so much and lost their lands. This is their fate. I do not know what the Ministry of Home Affairs are doing about all these things. There was so much agitation in the Assembly, but no proper steps have been taken till now to give the lands to Harijans or tribal people.

Further, the rights of the tribal people in the forests have been courtailed day by day, and there is slavery. The Forest Department is extracting forced labour from the tribal people for developing the forests. These problems have been raised so many times in the Assemblies, but unfortunately, the Ministers always depend on the officials, who give pious reports that they are not exploiting or forcing the tribals. The Ministers automatically say there is no forced labour, but the fact is that tribals are being exploited not only by landlords and capitalists but also by the Forest Department. Even during the agricultural season, one man from every family is forced to go to the work in the forest. This is the fate of the scheduled tribes. I do not know what the Commission is doing, and what the State Gvernments and in particular the Central Government are doing in this regard.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): When they make a law or rule that one man must go to the forest from every family, do they provide for a reason-

[Dr. M. S. Aney]

able amount to be given to that man? And is it only for some time or for a number of years?

Shri Yallamanda Reddy: Coming to untouchability, every time there is a discussion in this House, Members representing the Harijans and scheduled tribes in all anguish and sorrow tell the tales from their side, but the Minister says he will consider the matter. If you go through the report, the same sad story repeats itself. The following are the figures of cases registered with the police:

1955	180
1956	693
1957	492
1958	550
1959	481
1960 ..	502

While the cases registered are increasing the cases convicted are regularly falling. Convictions are regularly falling. That shows the way how these cases are being launched in the courts and how presiding officers view these cases. From the year 1955 onwards till 1960 the convictions are 80, 149, 87, 127, 105 and 80 respectively. The pending cases are also numerous. Out of 2898 cases registered during this period, 944 were pending. This is how this Act is implemented. If State Governments sincerely implement this Act, it will be a deterrent to the arrogant landlords and caste-ridden people. Unfortunately, no stern action has been taken in this regard.

Something funny is happening to the welfare schemes. Time and again Government says: no finances. When Harijans and Scheduled Castes demand something to be done to them, Government expresses it inability and says there is no finance. In the Third Plan Rs. 70 crores for the Central sector and Rs. 30 crores for the State sector, have been allotted. The allocations made for welfare programme for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the expenditure estimated to have been incurred during 1961-62 are given on page 23 of the report The allocation made during 1961-62 for Scheduled Castes is Rs. 158:46 lakhs in the Central sector and the expenditure is Rs. 143:33 lakhs. Corresponding figures for Scheduled Tribes are 240·46 and 151·23 lakhs. In the State Sector, the figure for Scheduled Castes is Rs. 452·48 and 431·83 lakhs respectively while for the Scheduled Tribes, Rs. 562·80 and 487·83 lakhs. Assuming that the figures indicated in the above tables represent actual expenditure, it will be noticed that these disclose shortfalls to the extent of Rs. 15·13 lakhs in the cases of Scheduled Castes and Rs. 89:23 lakhs in the cases of Scheduled Tribes under the Central Sector, and of Rs. 20.60 lakhs in the case of the Scheduled Castes and Rs. 74.97 lakhs in the cases of the Scheduled Tribes under the State Sector. These Shortfalls are rather heavy in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, both for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. From this report, you will find how the State Governments are averse even to spend the amount allocated to them.

I now come to the advisory committees the Central advisory committees and the State advisory committees. With whom are these Committees filled? People working for the uplift of Harijans with missionary zeal do not find a place in these committees. In a way these have become committees of patronage of the party in power. We do not know how many times these committees meet, what programmes they are discussing, etc. If we see the functioning of the Central committee, it has met only twice in a year. We do not know even this about the State committees. In nominating people to these committees, Government should take care to select who genuinely want to serve the Harijans. Unless such steps are taken these committees would not function to our expectations.

16 hrs.

With regard to the orders relating to the representation in the services and the implementation of the orders, if you see the reports, you will find that the vacancies reserved for the various departments are not duly filled in. The Service Commission naturally says that suitable candidates are not available. We do not know the perfect or real meaning of this suitability. There are so many people who have passed the B.A. Degree examination or who are matriculates, who are eligible for these posts. Can the Government or the Commission say that there are no suitable candidates for all these posts? They cannot say, because—I am not able to bring all the figures—there are thoussands of people who are clamouring around the employment exchanges. The Scheduled Castes and Tribes form nearly 22 per cent of the total population, whereas you will see that the figures relating to their appointment in the services are really bewildering; they are meagre.

In the Central Government services, out of a total of 8,394 Class I permanent employees, the Scheduled Castes form only 61, that is 1.08 per cent. and the Scheduled Tribes total only 16, which is 0·18 per cent. Out of the 14,411 people in Class II, the Scheduled Castes number 352, which is 2·44 per cent, and the Scheduled Tribes number only 41, which forms only 0·28 per cent. In Class III, out of 6,27,480 people, the Scheduled Castes number 44,747 which is 7:10 per cent and the Scheduled Tribes number 5,052 which formes just 0·80 per cent. This is the way how these Scheduled Castes and Scheduled Tribes are represented in the services.

Recently there was a question put in this House about the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the departments under the Ministry of Information and Broadcasting. From the answer given it is seen that out of 329 gazetted officers there were only five Scheduled Caste gazetted officers, and out of 229 non-gazetted officers there are only six Scheduled Caste non-gazetted officers and the number of Scheduled Tribes officers is nil. So, the Goevrnment must take special care at least to fill these vacancies with the same persons to whom these seats were reserved. Unless the Government takes special care, we will be going on finding unsuitable candidates always! Therefore, I request the Government to take special care to see that all these vacancies are filled in, and are absorbed by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

Before I finish, I would like to request the Government to take a radical step in these matters. This has become a routine work. Every year the Commissioner prepares a report and it is laid on the Table of the House, and one day the House takes into cossideration the report and some hon. Members speak on it and at least the Deputy Minister replies. There ends the matter. Again, another year comes and the same story is repeated. This must not be repeated at all like this, because, unless the Government take a very radical step there will not be any useful purpose served. Therefore, I reffuest the Government, and the hon. Minister, to take sptcial interest in this regard and do the needful for the uplift of these unfortunate, exploited and suppressed people.

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी ह कि हमारी सरकार आदिवासियों के लिये, खास कर उन के आर्थिक विकास के लिये, कुछ ऐसे कदम उठाना चाहती है जिन से उन की सर्वांगीण उन्नति हो सके । हमारे देश में आदिवासी सब सेपुगने वासी हैं और इसी के लिये उन को आदिवासी कहा जाता है । हमारे यहां जितनी कौमें, जमातें या समाज हैं, उन में आर्थिक दृष्टि से सब से ज्यादा पिछड़े हुए, सब से ज्यादा गिरे हुए यह लोग हैं ।

श्री रामश्वरानन्द (करनाल) : हम तो अनादि हैं वे ही आदिवासी हैं ।

एक मानतीय सदस्य : आप आदिवासी हैं ?

श्री कमल नयन बजाज : आदिवासी हमारे यहां सब से ज्यादा गरीब और पिछड़े हुए हैं । गांधी जी ने भी जब हरिजनों के सवाल को उठाया या हमारे जो समाज सुधारक तथा दूसरे नेता उन्होंने जब इस सवाल को उठाया तो उस के अन्दर उन की आर्थिक कठिनाई का जो पहलू था वह तो था ही, लेकिन उस समय जो सामाजिक विषमता या छुआ छूत की तकलीफ थी, जो एक मानवी सम्बन्ध होना चाहिये था इन्सान के बीच में उसे न देखते हुए, इस प्रश्न को उन्होंने उठाया। वह आर्थिक प्रश्न उस समय उठाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि उस समय स्वतन्त्रता हमारे पास नहीं थी और सामाजिक कुरीतियों को हम दूर कर सकते थे । आर्थिक कुरीतियां को हम उतना दूर नहीं कर सकते थे इस के बावजूद भी गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा इस कार्य को पूरा करने की कोशिश की ।

अन्त्यजोदय का कार्य काफी हो चुका है फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है । छुआछूत का जो मुर्दा है, घटोत्कच की तरह उस की लाश पड़ी हुई है । लेकिन कानून की दृष्टि से, सामाजिक विषमता की दृष्टि से जो सुधार होना चाहिये वह हम अपने देश में काफी कर पाये हैं । लेकिन आदतन जो कुरीतियां छूट जानी चाहियें थीं वह छूटी नहीं हैं । समय पा कर वे छूट जायेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है । वैचारिक क्रांति हो गई है । आचार में लाना बाकी है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : आप भविष्य-वाणी कर रहे हैं ?

श्री कमलनयन बजाज : लेकिन आदिवासियों और हरिजनों के सवाल में एक खास फर्क पड़ जाता है । जो हरिजन भाई हैं वे देहातों में भी हैं, शहरों में भी हैं, सब जगह बिखरे हुए हैं, और यह अच्छी बात है । उन में चाहे थोड़े ही लोग क्यों न हों, लेकिन कोई डाक्टर भी हैं, कोई लाइअर्स भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और छोटे मोटे धन्धे करने वाले भी हैं । लेकिन आदिवासी लोग कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं कहे जा सकते, वे थोड़े ही क्षेत्रों में बसे हुए हैं । वे लोग सारे देश में नहीं पाये जाते, शहरों में नहीं पाये जाते । शिक्षा की दृष्टि से या मानवी जीवन की उन्नति की जितनी शाखायें हैं उनमें कहीं भी उन के लोग विशेष तौर से नहीं पाये जाते । इसलिये उस जाति का, उस समाज का उद्धार करने के लिये हमें विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी और करना चाहिये भी । इसी तरह से मैं चाहता हूं कि उन का हम विशेष रूप से ध्यान करें ।

कल श्री माणिक्य लाल जी वर्मा ने, जिन के जीवन का बहुत बड़ा भाग विशेष रूप से आदिवासियों के बीच कटा है, कुछ बातें कहीं । यद्यपि मूल रूप से मैं उन से सहमत हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में या पहाड़ों पर जो लोग हैं उन्हें समतल भूमि पर ला कर बसाया जाय, वहां जमीन दी जाय, रास्ता किया जाय, बिजली लाई जाय, वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय । यह सब कुछ होना चाहिये । लेकिन मुझे डर है कि वे इतने गरीब हैं, इतने अजानी हैं, इतने भोले और सीधे हैं कि इस तरह के विकास के लाभ की पूरी जानकारी, पूरी सुरक्षा उन को न दी गई तो उस का बहुत कुछ लाभ दूसरी कौमें आ कर ले जायेंगी । उन की जो जमीनें हैं, मान लीजिये वहां पर आप ने पानी की व्यवस्था की, बिजली लगाई और उन की जमीनों की कीमतें बढ़ गईं, ऐसा होने पर दूसरे लोग जमीनों को खरीद लेंगे कम दामों के ऊपर । उस के बाद आगे जा कर जो उस का मुनाफा होगा वह दूसरे लोग ले जायेंगे और हमारे आदिवासी भाई उस से वंचित रह जायेंगे । हो सकता है कि कुछ नौकरियां उन को मिल जायें वहां, लेकिन उस से उन की कोई विशेष उन्नति हो जायेगी, ऐसा मेरा खयाल नहीं है । मेरा सुझाव यह है कि जो कुछ उन की आर्थिक उन्नति की जाय, जो आर्थिक विकास के प्रयत्न वहां किये जायें, वे जरूर किये जायें, लेकिन उन के जो क्षेत्र हैं

उन को सुरक्षित कर दिया जाय, उन के लिये रिजर्व कर दिया जाय जिस से आदिवासी भारतवर्ष में कहीं भी जा कर कोई चीज खरीदना चाहें, जमीन जायदाद वगैरह खरीदना चाहें, हालांकि वे खरीदेंगे क्या, लेकिन अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकें। दूसरे लोग जा कर के उन क्षत्रों में कोई जमीन जायदाद, बिना विशष परवानगी के सरकार की, न खरीद सकें। इस तरह का प्रतिवन्ध लगाया जाये जिससे कि वहां के विकास कार्यों द्वारा वहां की जमीनों और जायदादों की जो कीमत वढ़े उसका लाभ उन्हीं को मिले दूसरों को न मिल सके। इस तरह का खास प्रयत्न किया जाना चाहये यह मेरी एक विशष विनती है सरकार से, लोक-सभा के सदस्यों से और आप के मारफत मैं इस को देश के सामने रखना चाहता हूं।

एक दूसरी बात और विचार करने की है। हम जो भी विकास का काम करते हैं तो लोगों को उस के लिए धन देते हैं, तकावी देते हैं। लेकिन वह धन किन लोगों को पहुंचता है? वह धन गरीबों के पास नहीं पहुंचता। कर्ज देने वाला अफसर कहता है कि दो गारंटर लाओ तब कर्ज दिया जायेगा। अगर उसके पास घर होता है तो उस को कर्ज दिया जाता है, बैल होता है तो कुछ देते हैं। लेकिन जिस के पास कुछ भी नहीं है उस को कर्ज नहीं दिया जाता। इसलिए इन लोगों के विकास के बारे में हम को दूसरी तरह से सोचना चाहिए।

अगर आप वहां बिजली भी ले गये तो उन के पास बिजली का तार या लट्टू लगाने के लिए पैसा नहीं है, न उस बिजली का उपयोग करने के लिए उन के पास कुंआ है, न जमीन है न घर है। बिजली ले जा कर आप वहां क्या विकास करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों के लिए प्लानिंग बिल्कुल दूसरे ढंग से होना चाहिए जिस में इनके स्वाभिमान को भी धक्का न लगे और उन को यह लगे कि यह हमारा हक है। हम उन की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके आर्थिक विकास तथा सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार काम करें कि दूसरी जमाअतें बीच में उस का लाभ न उठा लें। इसकी हम को सुरक्षा कर देनी चाहिए। मेरा कहना है कि इन आदिवासियों का हमारे देश में विशेष हक है क्योंकि ये बड़े गरीब हैं। उन के लिए हम जितना भी कर सकें कम होगा।

यह छोटी सी विनती मैं आप के द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as I stated on the last occasion, the particular article under which this Report comes to us seems to me to be lacking in purpose. Aricle 338 speaks about Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At the same time, it says that Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including Anglo-Indians. I take my hat off to the farmers of the Constitution. I do not know by what stretch of language Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be construed to include Anglo-Indians. But that is what the article says, and the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, even now, even in this report, has gone into the case of the Anglo-Indians. We find the case of Anglo-Indians dealt with in this report. In any case, what I believe is that the weaker sections of our people require special treatment from the Government as well as from the community and, as laid down in the Constitution, Government has been trying its best to fulfil its obligations to them.

But there is a feeling in me that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be treated on different bases. They should not be mixed up together, because they came to the Constitution through different processes. The Scheduled Castes came to the Constitution in 1935 when the Government of India Act 1935 was promulgated. The Scheduled Tribes came to the Constitution after our indepen-

[Shri C. K. Bhattacharyya]

dence, after our present Constitution came into existence. Therefore these two stand on two different footings. Their problems are different; their lives are different; their traditions are different; and perhaps their needs are also different.

In the case of the Tribes our Prime Minister whenever he has been to the Tribal areas has repeatedly stated that he does not want to do anything which will disturb their lives, take them away from the way of life they are living and the atmosphere or simplicity of life which they have created for themselves. At times I feel whether this profession of the hon. Prime Minister is consistent with the attempt of the Constitution to bring the Tribes into the vortex of a parliamentary election. Can you preserve simplicity of their life and, at the same time, expect that the same people will pass through the agony and vortex of a parliamentary election? This question troubles me and that is why I am putting it before this House.

It need not be taken to mean that the way the Constitution is proceeding now requires any change. I do not suggest that. But I say that we must be consciously progressing towards a destination to which the whole thing is leading; that the Scheduled Tribes must be prepared to come into the conflict of modern forces if they are to take part or to share in the elections as they are existing in our country. They cannot escape that. In that way if it were possible for the Commissioner to deal with these two sections separately, I would appreciate it. In the same report this might be done. In some respects their problems are similar; but in some other respects their problems are different.

Take another instance. The Scheduled Tribes live mostly in forests and hills. That is not the problem with the Scheduled Castes. They live in the plains. They are mostly agricultural people and both the reports make a mention of this particular fact that in dealing with the Scheduled Tribes we have got to take into cognisance the Forest Department also; but that is not necessary in the case of the Scheduled Castes. These are different problems and should be treated differently. It would be proper if the Commissioner tries to do that in the next report.

Another suggestion that I would make in this connnection is this. The Constitution refers to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and when we discuss things we refer to them under various nomenclatures. Sometimes we say 'Harijans'; sometimes we say 'Scheduled Castes'; sometimes we say 'agricultural labour'; sometimes we say 'landless labour'. This creates confusion. If we were to refer to landless labour, it is not necessary that all the Harijans are landless labourers; it is not that all the Scheduled Castes are landless labourers. There are Scheduled Castes who are very rich landholders; there are Scheduled Castes who are very big business magnates. Therefore trying to put them under those categories is not correct. If you want to say 'landless labourers' you say 'landless labourers'; if you want to say 'agricultural labourers', deal with them as agricultural labourers. Even in this House there are members of the Scheduled Castes who are masters not only of lakhs of rupees but of crores of rupees. But I do not want to refer to them. . . . (*Interruption*).

An Hon. Member: Name one . . . . (*Interruption*).

Shri C. K. Bhattacharyya: My hon. friend is requesting me to name one. I refer to my hon. friend, Shri Purnendu Shekhar Naskar. He comes from one of the biggest landed aristocracies of Bengal and one of the biggest business houses of Bengal. I need not mention that. That is known in Bengal. In the whole of Calcutta it is known that it is a family very well established in Calcutta. . . . . . (*Interruption*).

An Hon. Member: I am happy to hear it.

Shri C. K. Bhattacharyya: I am sorry that Shri Kamalnayan Bajaj did not know it for so long. His uncle, the late Chandra Naskar was a very prominent Congressman and Shri Kamalnayan Bajaj should know it. Therefore when we deal with the Scheduled Castes we should deal with them as Scheduled Castes and should not bring in other problems or other questions. We should deal with them in that way. The problems that they face, that they have to deal with in life as Scheduled Castes should be tackled in the report as well as in our discussion. Let us not be confused. That is why I suggest this thing to be done. While presenting the Reports, our hon. Deputy Minister said that an attempt is being made to level up these people and bring them at par with others. I say, there should not only be levelling up, but the entire attempt should be to have integration. I believe that is the object with which these articles are put in the Constitution—the object of integration. The entire mass of people which is known as Indian nation should be integrated as one. That is the entire object of putting in these articles in the Constitution so that integration may be brought about. Therefore, we should not rest content with only levelling up of these people, but we should also have integration. That is my suggestion.

This report should also be one which will make an annual asessment of the achievements that have been made by both administrative measures as well as by reformative measures in achieving this integration. What an administrative officer has done and what the reformers have done, the amount of integration that has been brought about in the society and in the nation during a year, should all be presented and dealt with in the report. At times, the reports are burdened with unnecessary details. But the main objective with which, I believe, these articles are put in the Constitution is lost sight of. Have we succeeded in integrating them in the society? Have we succeeded in bringing about a complete national integration so far as these sections of the people are concerned? These questions should be answered in the report. That is not always done. When we discuss these reports, that should also be the objective before us.

This is an occasion meant for constructive thinking and not for indulging in vituperative discussion, as is often done in this House. At times I feel distressed when that is done. But this occasion is meant for a constructive approach to the solution of the problem, to the bringing about of the desired result for which these articles are put in the Constitution. That is what I would like to suggest.

There are two other things that I would like to suggest. One of the things is, I would say, that I would be the happiest man when all these articles of the Constitution are no longer needed in India, when the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes becomes *functus officio* and all that. We should try to progress to that destination. That should be the objective before the Government, before the Home Ministry, before the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and before the whole House. We should try to assess how far we have progressed to the objective which we have all before us.

Regarding the report itself, I would say, of course, education should be there and also the other demands. Requests have been made about these things. But there is one possibility of mischief. As far back as 1957-58, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes apprehended this. This is what he had stated:

> "There is a growing tendency among the educated persons of these communities to shun their

[Shri C. K. Bhattacharyya]

work and not to take up the profession which would not only lead to loss of national wealth but also add a large number of persons to the already vast army of landless and unemployed."

That is the problem to which the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes drew our attention as far back as 1957-58 and even in these reports he has done so. I believe, we should take care to see that this does not happen.

Another point that I wish to make is this. I would like to refer you to pages 36 and 43 of the summary report. He says that we should proceed in a way as not to perpetuate backwardness, that we should try to get people out of backwardness and not to help them to retain backwardness. That is what I say. In the summary of his Tenth Report, Shri Shrikant says:

> "Powerful castes among the Backward Classes have vested interests in perpetuation of backwardness. This is a danger against which we have to guard."

He further says at page 43 that:

> "It is high time to ensure that the backwardness does not reach a stage of becoming vested interest with some beneficiaries who are enjoying and monopolizing to themselves the special privileges granted to backward classes under the excuse of safeguards provided for them in the Constitution. Therefore, the lists of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will have to be scientifically scrutinised from this point of view, rather urgently and in any case after the feverish activity of the coming elections."

The elections have come and gone, and I do not konw whether this has been done. If it has not been done, it will have to be done very soon.

The report for the year 1961-62 again makes some reference to untouchability being continued among the untouchables. At page 7 the report says:

> "The worst sufferers from the evil are Bhangis, Doms, Mehtars, Haris and few others who are the lowest among the low and are discriminated against even by other Scheduled Castes, because very often, untouchability is practised by different groups in the Scheduled Castes among themselves. In certain areas, this prejudice is so strong that separate wells have to be provided by the Government for different classes of Scheduled Caste people living in the same village."

This thing should be guarded against, and this should not be allowed to happen.

I shall just make one more reference to the report and then I shall conclude. I am referring to page 11 of the report for the year 1961-62 where the Commissioner has given a suggestion namely that:

> "Systematic efforts are needed for eradicating the practice of untouchability amongst the Scheduled Castes themselves, instances of which have been widely reported."

So, this should be guarded against. As I have stated, all the privileges that the Constitution have guaranteed to these sections of the people should be allowed to them, and also steps taken to see that they do enjoy and they do take the advantage of, and do profit by, the provisions made in the Constitution.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, अगर श्री भट्टाचार्य सही हैं तब तो मेरी सभी बातें ग़लत होंगी। इसलिए शुरू में ही मैं कहे देता हूं कि अगर ऊंची

जातियों में ५००० नास्कर हैं तो हरिजनों में मुश्किल से ५–१० मिलेंगे । सामाजिक मामलों में अपवाद पर नियम नहीं बनाये जाते हैं बल्कि साधारण पर नियम बनाये जाते हैं ।

आजकल हम लोग बहस कर रहे हैं, हरिजन, आदिवासी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर, क्योंकि उनका भी जिक्र इस रपट में है, तो सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार और किसी हद तक यह सदन संविधान भंगी है क्योंकि संविधान की धारा ३४०(३) का भंग होता आ रहा है । संविधान ने कहा है कि पिछड़ी जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए और उस पर लाजिमी तौर पर जो बहस होनी चाहिए, अभी तक वह नहीं हो पाई है । इसलिए संविधान भंगी जहां कहीं भी होते हैं उन से देश का नुक़सान हुआ करता है । यह मैं ज़ोर से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस सदन में पिछड़ी जातियों के कमिशन की रपट को आना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए ।

पहला सवाल यह है कि यह कितने लोगों का मामला है । हरिजनों और आदिवासियों की संख्या दस करोड़ के करीब होती है और उस में अगर दूसरी पिछड़ी जातियां जोड़ ली जाती हैं, चाहे व हिन्दू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों—क्योंकि अबशा ईसाई हैं और धुनिया जुलाहा हैं—तो कोई २४–२५ करोड़ और, यानी सब मिला कर ३४–३५ करोड़ आदमियों की बहस हम लोग इस समय कर रहे हैं । यह तो है सरकार और संविधान के हिसाब से । मेरे हिसाब से उस में साढ़े चार करोड़ ऊंची जात की औरतों को भी जोड़ दीजिये, क्योंकि सारी दुनिया में नर और नारी का इतना फ़र्क है कि नारी दबा कर रखी गई है और हिन्दुस्तान में तो और ज्यादा । मैं इस सम्बन्ध में ख़ाली एक चौपाई को पढ़ दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे चौपाइयां सुनाते रहते हैं :

कत विधि सृजेंसि नारि जग मांहीं
पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं ।

बहुत उकसाया गया है इस सदन को मेरे ख़िलाफ़, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में और कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो नर और नारी में बराबरी इतनी ज्यादा चाहता है, जितनी कि मैं—इसलिए कि मैं आप से ख़ास तौर मे यह बात कहना चाहूंगा कि

श्री वाल्मीकी : लेकिन नारी तो शिकायत नहीं करती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : नारी तो शिकायत नहीं कर रही है, लेकिन नारियों के तरफ़दार हो कर इस सदन में न जाने कितनों ने शिकायत की है और कहा है कि मेरी बद-रुचि है । वास्तव में अगर उन को मौका मिले, तो या तो वे नारी को उठायेंगे सिर के ऊपर, या रखेंगे पैर के नीचे । और मैं वैसा आदमी हूं, जो नारी को बग़ल में रखेगा, न सिर के ऊपर उठायेगा और न पैर के नीचे रखेगा ।

इस सम्बन्ध में जो कुछ भी हुआ, मैं तो नारी के मामले में कुछ कहना चाहूंगा । मैं ने सोचा कि कोई एक नारी मेरी तरफ़ से इस सदन में बोलती, लेकिन मुझे इस बात का ख़ास तौर से बहुत अफ़सोस है कि उपमंत्री साहिबा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा ।

मैं आप को बता रहा था कि कितने लोगों का यह मामला है । ३६ करोड़ छोटी जात के ग़रीबों का मामला है, साढ़े चार करोड़ बड़ी जात के गरीबों का मामला है और ५० करोड़ बड़े लोगों का । अगर ये तीन बातें हम लोग ध्यान में रखें, तो फिर हम इस हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के मामले को समझ सकेंगे ।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

इस रपट में कुछ केन्द्रीय नौकरियों के बारे में कहा गया। वे आंकड़े मैं आप को बता देना चाहता हूं। केन्द्रीय नौकरियों में जो पहले दर्जे की ८,३९४ नौकरियां हैं, उन में कुल ९१ हरिजन हैं और १६ आदिवासी। माननीय सदस्य, श्री भट्टाचार्य, जरा इस बात पर निगाह डाल लें। ८,३९४ में ९१ हरिजन और १६ आदिवासी।

इस सदन में सैकड़े की बहुत बातें हुआ करती हैं। यह सैंकड़ेबाजी बड़ी खराब होती है। इस असलियत को देखना चाहिए कि हरिजनों और आदिवासियों की संख्या ऊंची जगहों पर बहुत कम है। मैं आप का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि संविधान और नियमों के अनुसार साढ़े बारह सैंकड़ा हिरजनों का और पांच सैंकड़ा आदिवासियों का, अर्थात् दोनों का साढ़े सत्रह सैंकड़ा स्थान सुरक्षित है, जब कि यह मिल कर मुश्किल से एक, सवा सैंकड़ा बनता है।

इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि इस लोच को, इस उलझन को साफ कर लेना चाहिए। या तो हम अपने संविधान में से संरक्षण वाली बात को बिल्कुल खत्म कर दें और ईमानदारी के साथ कहें कि हम हरिजनों, आदिवासियों और दूसरी पिछड़ी जातियों को कोई अवसर नहीं देना चाहते और अगर उस को रखते हैं, तो फिर ईमानदारी के साथ उतनी जगहें उन को देनी चाहिएं, चाहे वे योग्य हों और चाहे वे अयोग्य हों। तभी यह मामला ठीक हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह तो मैं ने केन्द्रीय नौकरियों के बारे में कहा। उस के साथ साथ जरा छात्रावासों का भी मामला देख लीजिए। पंचवर्षीय योजना के अनुसार छात्रावासों पर ९९,९८,००० रुपया खर्च होना चाहिए था, लेकिन उस में से ७५,००,००० रुपया ही खर्च हुआ है। इसी तरह अन्य बातों में भी पैसे की कमी रही। पैसे की कमी पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि वर्ष के आखिर में ये योजना वाले लोग बहुत ज्यादा इधर-उधर खर्च कर दिया करते हैं। ज्यादा अच्छा हो कि पैसे के खर्च के माप को छोड़ कर, कितने छात्रावास बने, इस का माप रखा जाये और उस हिसाब से यह बहुत कम है। अगर केन्द्रीय नौकरियों और छात्रावासों, इन दोनों का ही आप रखा जाये, तो हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक इन पिछड़ी जातियों यानी ३९ करोड़ छोटी जात के गरीब लोगों के बारे में कुछ भी नहीं, या करीब करीब कुछ भी नहीं, किया गया है।

एक बात शुरू में ही ध्यान में रखनी चाहिए। गरीब ऊंची जात वाले भी हैं और छोटी जात वाले भी हैं। तब मैं उन में क्या फर्क करता हूं ? एक फर्क यह है कि छोटी जात के गरीबों का पेट भी कटता है और मन भी कटता है और ऊंची जात के गरीबों का केवल पेट कटता है और थोड़ा बहुत मन कटता है, लेकिन मन दोनों का कटता है। और जब तक हम इस फर्क को ध्यान में नहीं रखेंगें, आगे का कोई भी रास्ता समझ में नहीं आयेगा। पेट कटने के मामले में मेरे तीन आने वाले हिसाब से हरिजन आदिवासी और दूसरी पिछड़ी जातियां भी उसमें आती हैं और ऊंची जात के गरीब भी आते हैं।

श्री बाल्मीकी : तीन आने में अस्पृश्यता तो नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अस्पृश्यता के बारे में तो मैं अभी माननीय सदस्य को किस्सा सुनाता हूं कि इस सरकार के रहते हुए ऐसी बातें हो रही हैं कि मुझे कई दफा आश्चर्य होता कि माननीय सदस्य उधर

बैठे हुए हैं, जब कि उन को हमारे साथ बैठना चाहिए ।

अब मैं उस दृष्टि पर जाता हूं, जिस के अनुसार ये सारी बातें होती रहती हैं । एक किस्सा पूना का है । सुमन नाम की लड़की और अन्ना नाम का लड़का । लड़की ऊंची जात की और लड़का छोटी जात का । दोनों में मुहब्बत हो गई । वह अवसर हो जाया करता है । लड़की के भाई ने उस लड़के का कत्ल कर डाला । वह भी कभी-कभी हो जाया करता है । उस तरफ मैं आप का ध्यान नहीं खींचता हूं, लेकिन इस पर मुकदमेबाज़ी हुई और सेशन्ज़ जज ने जो फैसला दिया, उस के कुछ शब्दों को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । ये फैसले भी लिखे जाते हैं ऐसी भाषा में, जो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है । जज साहब ने कहा कि एक प्यार करने वाले भाई की हैसियत से मुजरिम ने देखा कि उस की बहन एक बहुत ही गन्दे आदमी के हाथों में पड़ गई है, ऐसा आदमी, जो कि बुद्धि, शिक्षा, पैसे और समाज के हिसाब से सुमन से बहुत ज्यादा नीचे था और यह भी कि समाज के नियमों के अनुसार उस की बहन की शादी एक कसाई से नहीं हो सकती थी । यह बात जज साहब लिखते हैं और यह संविधान बराबरी वाला संविधान है ! जज को इस बात से क्या मतलब कि किसी की शिक्षा, समाज में स्थान या पैसा कितना है ? क्या यही होता रहेगा कि एक बेपढ़ी औरत पढ़े-लिखे मर्द के साथ हमेशा शादी करेगी, जो कि ऊंची जातियों में हमेशा हुआ करता है, या कभी ऐसा भी होगा कि एक पढ़ी लिखी औरत एक बेपढ़े मर्द के साथ शादी करेगी ? हम मर्दों ने क्या सब मामला खो रखा है कि हम को पढ़ी लिखी औरतें न मिलें ? लेकिन जज साहब इस तरह का फैसला लिखते हैं ।

यह तो छोटे जज का फैसला है । फिर हाई कोर्ट के फैसले में यह लिखा गया है कि जिस लड़के को मारा गया था—वह बीस, इक्कीस बरस का लड़का था, जब कि वह शादी कर सकता था, . . .

श्री बाल्मीकी : कब की बात है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : १८ अगस्त, १९६० की । इस के बाद तो माननीय सदस्य इधर आ जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत पुरानी बात है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : हुजूर ने कहीं १८६० तो नहीं सुन लिया ? यह १९६० की बात है ।

हाई कोर्ट ने फैसला लिखा है कि वह लड़का यानी अन्ना उस लड़की के लिए बिल्कुल बेठीक था । लड़की पढ़ी-लिखी थी, बी० ए० दर्जे में पढ़ रही थी और वह लड़का तो खाली दूसरे दर्जे मराठी तक पढ़ा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो कोई लड़की और लड़का इस को नहीं मानता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तभी तो बेचारे की जान चली गई ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के आधुनिक युग में अगर और कोई देश होता, तो फिर इस तरह के जज लोग ठहर नहीं पाते और निकाल दिये गए होते । परन्तु इस तरह के जज अभी तक हमारी हाई कोर्ट में भी बैठे हुए हैं और अपनी कुदृष्टि हर फैसले में दिया करते हैं । एक कत्ल हो जाता है और उस कत्ल के मुकदमे में सजा को कम करने के लिए वे अपनी बुरी दृष्टि को फैसले में ले आया करते हैं । मैं आप का ध्यान और आप के जरिये सारे देश का ध्यान इस बुरी बात की तरफ खींच देना चाहता हूं ।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

यह मैं आप को दृष्टि के बारे में बता रहा हूं। वैसे मेरे पास राजस्थान के कम से कम पन्द्रह किस्से आये हैं और मैं चाहता हूं कि यह कागज आप तक चला जाये। आप इस को सरकार को दे कर कुछ कार्यवाही करवाइये। इन बातों में से एक बात आप याद रखें। एक हरिजम कार्यकर्ता, कालूराम, १५–१०–६२ को जिला चुरू, झंझू गांव में, मार डाला गया : मामला था कि कुएं पर हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता था। ये पन्द्रह, बीस मामले हैं, मैं सब को यहां नहीं पढ़ूंगा। मैं आप को भेज दूंये, जिससे आप ये सब मामले सरकार को दे कर कुछ कार्यवाही करवा सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेज पर रख दीजिए।*

डा० राम मनोहर लोहिया : उस तरह के न जाने कितने कत्ल वगैरह के मामले हुआ करते हैं।

एक मामला गनेसर का है। मुझे खुद मालूम है, क्योंकि उस वक्त इस मामले में हमारे समाजवादी दल के सत्यनारायण चौधरी की जान करीब करीब खत्म हो गई थी। गनेसर में एक गर्म सोता है। उस में हरिजनों को नहाने नहीं दिया जाता था। अब तो बहुत मेहनत करके, जान को जोखिम में डाल कर नहाने वाली बात शुरू हो गई है।

लेकिन इस सिलसिले में मैं एक नियम बताना चाहता हूं। हम जो विरोधी दल के लोग भी हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं, केवल सरकार ही नहीं, हम सब लोग भी इस मामले में कमजोर पड़ते हैं। जब मैंने यह किस्सा बताया तो इससे कहीं आप ऐसा न सोच लें कि हम लोग अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए जितनी लड़ाइयां लड़नी चाहियें, हम लोग उतनी नहीं लड़ पा रहे हैं। यह हो सकता है कि मेरी पार्टी का आदर्श अच्छा हो लेकिन अमल अभी तक कमजोर है। इसलिए एक सैकिंड के लिए भी मैं नहीं कहना चहाता कि खेत मजदूरों की लड़ाई अभी हम लोग लड़ पा रहे हैं। किन्तु अच्छे से अच्छा कानून बनने के बाद कानून को अमल में लाने की अगर शक्ति नहीं रहती जनता में तो वह कानून बेकार हो जाया करता है। जब जन-शक्ति और कानून दोनों का जोड़ होता है तब परिवर्तन और क्रान्तियां हुआ करती हैं। आज केवल कानून अछूतों के सम्बन्ध में, हरिजनों के सम्बन्ध में या पिछड़ों के सम्बन्ध में किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ जन-शक्ति जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। चाहे आप जितनी रकम इनके ऊपर खर्च कर दें, जितनी रकम योजना में रख दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह मैंने एक बुनियादी बात बताई है।

जहां मैंने अपने कर्तव्य कहे, वहां सरकारी पार्टी के बारे में यह भी कह दूं कि उनका अमल भी खराब है और उनका आदर्श भी खराब है। हमारा केवल अमल कमजोर है। इसी दृष्टि को आप और आगे बढ़ाइये तो जात की बुनियादी बात को सोचना पड़ेगा। यह जात लगी कैसे ? हमारा ही देश दुनिया में क्यों एक अभागा देश है इस मामले में ? और कहीं यह नहीं है, केवल हिन्दुस्तान में है। एक साफ सी बात है कि जात से योग्यता और अवसर का लगातार सिकुड़न होता रहता है। जब ऐसा होता है तो ४४ करोड़ लोगों में योग्यता नहीं रह पाती। वह सिकुड़ते सिकुड़ते पचास लाख लोगों में आ बसी। कैसी योग्यता ? दिमागी योग्यता, सामाजिक मामलों में कुछ कर सकने की योग्यता। और अवसर भी कम लोगों को मिलता है।

इस एक बड़े सिद्धांत की बात को मैं एक बार पहले भी रखना चाहता था। लेकिन कुछ चापलूस लोगों ने, कुछ नाजुक दिल वाले

---

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the list was not treated as laid on the Table.

लोगों ने मुझ को समझा नहीं । मैं आज बजाय किसी और जात का नमूना आपके सामने रखूं, मारवाड़ी जात का नमूना सब से पहले देना चाहता हूं । वैश्य व्यापार करते हैं । तो सब से पहले ४४ करोड़ में से योग्यता खिंचते खिंचते, व्यापार की योग्यता, वैश्यों में आ टिकी । वैश्यों में भी खिंचते खिंचते वह मारवाड़ियों में आ चुकी । मारवाड़ी वैश्यों में से खिंचते-खिंचते योग्यता आकर टिकी शेखावाटी के लोगों में, शेखावाटी के सेठों में, जहां जात आ गई वहां योग्यता सिकुड़ती जायेगी. यह बिल्कुल निश्चित नियम है । इसी नियम को मैं आगे लागू करना चाहता हूं । लोग यह न समझ लें कि मैंने काश्मीरियों के बारे में कुछ कहा है । काश्मीरी तो बेचारे गरीब होते हैं । जो काश्मीर के अन्दर रहते हैं, काश्मीरी पंडित तक भी गरीब हैं । सिर्फ जो काश्मीर छोड़कर आ गए हैं, वे अमीर हो सकते हैं । मैंने तो काश्मीरियों का नाम तक नहीं लिया । खाली मैंने सिद्धांत की बात कही है । सिद्धांत में जाति प्रथा का सर्प, जाति प्रथा का श्राप जब तक चलता रहेगा तब तक जो आदमी ऊंची जगहों पर बैठे हैं वे अपने कुल को और अपनी जात के लोगों को ही बढ़ावा देते रहेंगे । अगर वह आदमी बहुत बड़ा हुआ तो अलबत्ता इस सर्प को मारेगा और इस श्राप को खत्म करेगा । लेकिन मामूली लोगों के हाथों यह कभी नहीं हो सकता है । जात की अवस्था ऐसी है कि उस में योग्यता और अवसर का सिकुड़न चलता रहता है ।

दूसरी मिसाल मैंने आयंगरों की दी है । उन पर भी यही लागू होती है । आयंगरों से सिकुड़ते-सिकुड़ते यह चली गई बोदी में । बाकी जितने लोग हैं वे आधुनिक जमाने के लोग नहीं रह जाते हैं । वे केवल या तो मिट्टी खोदें या तरकारी बोयें या बाल बनायें या कपड़ा धोयें । इस तरह की जो चीजें हैं इन से देश को नुकसान ही होता है , आप पूछेंगे कि जब इतनी गन्दी चीज है जात, तो. . .

उपाध्यक्ष महोदय अब आप जल्दी समाप्त करें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जल्दी करूंगा तो मुश्किल हो जायेगी । डेढ़ हजार बरस के रोग को आप चाहते हैं मैं पन्द्रह मिनट में खत्म कर दूं, यह कैसे हो सकता है ।

जात में ताकत आई कहां से? जीना मरना सब जातियों के साथ चलता है । शादी व्याह सब जातियों के साथ चलता है । यहां तक कि जितनी ये बीमा कम्पनियां हैं, जो चल रही हैं, क्योंकि आदमी को अगर कहीं निश्चिन्तता रहती है तो तब रहती है जब समूह की ताकत वह समझता है, हमारे पास रहेगी, ये इसी जात में आती हैं ।

जब मैंने योग्यता की बात की तो एक चीज जरूर मैं साफ कर देना चाहता हूं । वह असली योग्यता नहीं है, नकली योग्यता है, अपने लोगों को दबाने वाली योग्यता है, कुछ मानों में उठने बैठने और सिद्धांत बघारने की योग्यता है । अगर अपने देश में ऊंची जात और छोटी जात के बने हुए लोग हैं तो बाकी दुनिया के मुकाबिले में हम सबके सब हरिजन हैं । यह बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान से साबित हो जाती है । संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा है और वहां केवल चार ब्राह्मण हैं, जो पांचवां ब्राह्मण बेचारा है, वह डगमगा रहा है क्योंकि उसको वहां जगह नहीं मिल पा रही है । जो चार के चार हैं, वे गोरे हैं । एक इंग्लिस्तान है, एक फ्रांस है, एक अमरीका है और चौथा रूस है । यही चार ब्राह्मण हैं । बाकी सब के सब हरिजन, आदिवासी या पिछड़े हैं । यह अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा जा कर बनती है । जब हम अपने देश में ३९ करोड़ छोटी जाति के गरीब लोगों को दबाते रहेंगे तो बाकी जो चार पांच करोड़ ऊंची जात के लोग हैं या पचास लाख बड़े

[डा० राम मनोहर लोहिया]

लोग हैं, उन के ऊपर यह अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा जा कर बैठ जायेगी ।

यह सही है कि कुछ दैवी गुण हमारे यहां कभी चलते रहते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमने कुछ खरीद फरोख्त की हैं, सट्टेबाजी या भीख मांगने के हुनर हम ने हासिल किये हैं, पुश्तैनी तरीके से या किसी और तरीके से और हम काम चला लेते हैं । लेकिन दरअसल में यह अवगुण है । फिर भी अपने सिद्धांत को बताने के लिये एक बात मैं कहना चाहता हूं । ब्राह्मणी तो आपको मिल जायेंगी जिसने हरिजन से शादी की हो . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सैंकड़ों मिल जायेंगी । मैं खुद जानता हूं । लेकिन अहीरनी आपकी नहीं मिलेगी । इस बात को आप सोचिये कि ऐसा क्यों है । कोई यह न सोच बैठें कि द्विजों के खिलाफ मैं बोल रहा हूं । सच्ची स्थिति का बयान मैं करना चाहता हूं पिछड़े लोगों में अभी भी जाति प्रथा का नाश करने के लिए ताकत जो आनी चाहिये वह नहीं आ पा रही है । इस में गुस्सा करने की कोई बात नहीं है । आखिर को ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर वगैरह उस योग्य हैं कि उन के अन्दर ऐसी औरतें निकल आती हैं जो जातपात को तोड़ करके शादी ब्याह कर लेती हैं लेकिन अहीर, लोगों को, कुर्मी लोगों को, रेड्डी वगैरह को चुप नहीं बैठना चाहिये । उन में भी वह भावना और ताकत पैदा होनी चाहिये कि हम ऊंची जात वालों का मुकाबला करें । ऐसे मामलों में . . . .

Shri C. K. Bhattacharyya: Why not set an example?

डा० राम मनोहर लोहिया : इस उम्र में भट्टाचार्य जी? आपने अगर मुझे बीस बरस पहले कहा होता तो बात और थी . . . (*Interruptions.*)

इस उम्र में नहीं । अब तक न जाने कहां कहां दोस्तियां पुरानी हो गई हैं. . . . (*Interruptions.*)

छोटी जात के लोग जो गरीब हैं, उनकी तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं । दक्षिण अफ्रीका का अकसर जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद चला करके मनुष्य की इज्जत . . .

उपाध्यक्ष महोदय : बहस इस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चल रही है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बिल्कुल हरिजनो और आदिवासियों का मामला है और कुछ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बीस मिनट ले लिये है आपने ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बात अलग है । ,अगर आप चाहें तो मैं इस बात को खत्म करने की कोशिश करूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का समय केवल ग्यारह मिनट था । बीस मिनट आपने ले लिये हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : दल के हिसाब से आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं । बात ऐसी है कि किसी को कुछ कहना होता है इन मामलों में और कोई होते हैं जो पार्टी के हिसाब से बोलते हैं । अगर आप की इच्छा हो तो मैं बोलूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खत्म करने की कृपा कीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कोशिश कर रहा हूं । मैं जल्दी-जल्दी चल रहा हूं । दक्षिण अफ्रीका में जितनी ज्यादा सफेद और कालों को अलग करने की कोशिश की जा रही है. .

उपाध्यक्ष महोदय यह इरेलेवेंट है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : चमरहट्टी ये हरिजन लोग हैं । आपने गांव शायद नहीं देखे हैं, हिन्दुस्तान के । वहां चमार को, तेली को पद्मशाली को, इन सब को अलग अलग बसाया जाता है, निचली जमीन दी जाती है, बरसात के दिनों में दो तीन महीने तक उनको कीचड़ में रहना पड़ता है । दक्षिण अफ्रीका में तो केवल यंत्र के द्वारा सफेद मन और काले मन वाले लोगों में फर्क किया जाता है, लेकिन यहां यंत्र मंत्र से जुड़ करके बड़ा सत्यानाश किया करता है । इसी तरह से मैं अमरीका के नीग्रो की बातों को बतलाता जाता हूं । लेकिन सरकार और विरोधी दल इस मामले में एक समान हैं क्योंकि अगर कोई एक भी हरिजन थानेदार या कलेक्टर बन जाता है तो जो भी ऊंची जाति वाले लोग हैं, कुछ अपवादों को छोड़ कर, उन की आंखो में वह कंकड़ी की तरह गड़ने लग जाता है । लेकिन इस के साथ साथ मैं यह भी कह दूं कि जो पिछड़े लोग, हरिजन लोग हैं, वे मन में इतनी उमंगें ले लेते हैं जैसे एकशेर मारकर आए हों, अब कुछ करने को नहीं रह गया । अब यह तबियत बदल जानी चाहिये क्योंकि ७ करोड़ हरिजनों में मुश्किल से ७० हजार हरिजन ऐसे होंगे, जिन को थोड़ा बहुत इस सरकार के द्वारा फायदा हुआ है । बाकी लोगों को नहीं हुआ है । तो सब कैसे उठाये जायें ?

इसके बाद मैं बाकी चीजों को छोड़ देता हूं कि साढ़े छः एकड़ से कम खेती की लगान खत्म करो, मातृ भाषा चलाओ, बिजली का दाम कम करो, लेकिन एक चीज की तरफ जरूर ध्यान खींचना चाहूंगा, और वह यह कि तन्ख्वाहों की गैरबराबरी कम हो जानी चाहिये । आज प्राथमिक अध्यापक को २ रु० रोज मिलते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को मुविधाओं? समेत कम से कम २०० या २५० रु० रोज मिल जाते हैं। यह कम होनी चाहिये । मैं यह बात बिल्कुल निश्चित देखता हूं कि विकास जितना ज्यादा देश में होता चला जायेगा, अगर हम ने जाति के आधार को नहीं बदला तो गैरबराबरी की प्रथा चलती जायेगी । विकास का मतलब, भारत के, जाति प्रथा के रहते हुए गैर बराबरी का बढ़ना होगा । तो परीक्षाओं वगैरह में......

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप का समय हो गया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जरा सा समय आप दे दें तो मेरी बात पूरी हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, माफ कीजिय । अब आप बैठ जाइये । श्री तुला राम—नहीं हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : साहब, मैं पांच मिनट में खत्म कर देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतन लाल—नहीं हैं ।

श्री बारूपाल ।

श्री प० ला० बारूपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति कमिश्नर की सन् १९६०–६१ और १९६१–६२ की रिपोर्ट पर बोलने का समय दिया । मैं कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हूं ।

आज विशेष कर छुआछूत की बात सदन में कही जाती है । मेरी मान्यता है कि जब तक जाति प्रथा रहेगी, वर्ण व्यवस्था रहेगी और जब तक अन्तर्जातीय विवाह इस देश में नहीं होंगे, तब तक यह जाति प्रथा

[श्री प० ला० बारूपाल]

खत्म नहीं होगी । हमारे बहुत से सदस्यों ने आप के सामने अपने बयान पेश किये हैं । मैं जमीनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी तक हरिजनों को काश्त के लिये जमीनें नहीं मिलती हैं । यह बात बिल्कुल सही है । मैं समझता हूं कि जमीन तब तक मिलने वाली नहीं है जब तक हमारा ऐसा कानून रहेगा । अब तक सीलिंग की बात कही जाती है । मैंने राजस्थान के समाचार पत्रों में पढ़ा कि राजस्थान में सीलिंग के लिये भूमि सुधार कानून आया । लेकिन हमारी सरकार ने वही किया कि जो बड़े-बड़े जमीदार पहले के हैं उनके पास तो ३० स्टैन्डर्ड एकड़ रहेगी । जो जमीन बचेगी उसे सरकार नीलाम करेगी और भूमिहीनों को केवल पांच एकड़ जमीन देगी । बतलाइये कि इस तरह हमारा विकास कैसे हो सकता है ? मैं चाहता हूं कि हर एक किसान जो स्वयम् काश्त करता है, उस के पास बराबर जमीन होनी चाहिये । हमारे साधू राम जी ने जमीन की बात कही । वे आदिवासियों के लिये रिजर्व करने की बात कहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के जितने कब्रस्तान बने हुए हैं, उन के लिये जितनी जमीन रिजर्व रहेगी उतनी भी हरिजनों के पास नहीं है । आप आंकड़े देख लीजिये । आज इस तरह की बातें चल रही हैं ।

हमारी बहन जी ने कहा कि भंगियों की बड़ी दुर्दशा है, भंगियों की मुक्ति होनी चाहिये । यह चीज जरूरी है लेकिन भंगियों की मुक्ति कैसे हो सकती है ? मेरी बहन ने कहने के लिये तो कहा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिये, लेकिन अगर वे काम न करें तो शाम को रोटी के लाले पड़ जायेंगे, वे रोटी कहां से खायेंगे । आज देश के अन्दर बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं, मैं समझता हूं कि आज विलेज इंडस्ट्रीज ऐंड खादी बोर्ड के पास इतना बड़ा काम है, उसे इतना रुपया गवर्नमेंट से मिलता है, लेकिन उन्होंने भंगियों को मुक्ति के लिये मेहतरानी को कोई चरखा चलाना नहीं सिखलाया । इतना रुपया लेकर अगर उन को कोई काम दे देते तो मैं समझता कि उन्होने बहुत बड़ा काम किया है ।

तीसरी चीज हमारी बहन जी ने पानी के बारे में कही । हरिजनों को एक साथ कुओं से पानी भरना चाहिये । एक साथ हरिजनों के कुओं से पानी भरने की बात तो दूर रही, जैसा लोहिया साहब ने उदाहरण दिया, हमारे एक वर्कर श्री कालू राम को, जिस ने पानी पिलाने का प्रयत्न किया, गोली से मार दिया गया । एक ही नहीं, इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं । २४ जून को मूला राम के नाम का एक हरिजन था, जब वह पानी भरने गया तो उस को भी गोली का शिकार बनाया गया । इस तरह से राजस्थान के अन्दर सैकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे । हमारे आदमी कहते है कि हमें रोटी मिलनी चाहिये, कपड़े मिलने चाहियें, हम भिखमंगों की तरह भीख नहीं मांगते । हम को कपड़ा रोटी दे दो, यही काफी नहीं है । हमें कपड़ा और रोटी के साथ इज्जत भी चाहिये ।

"अधम चाहत है द्रव्य को, मध्यम धन अरु मान,
उत्तम चाहत है मान को, जाके धन सम्मान ।"

मनुष्य के पास अगर इज्जत न हो तो रुपया चाहे कितना ही हो । हम को खाली रुपये पैसे से मोह नहीं है, हम चाहते हैं कि देश के अन्दर गरीब और अमीर का बराबर सम्मान बढ़े।

दूसरा उदाहरण शास्त्री जी ने दिया कि आज ईसाई मिशनरी यह करते हैं, वह करते हैं और इस तरह से ईसाई बनाये जाते हैं । लेकिन आखिर ईसाई लोग क्यों बनते हैं ? आपको इसका उदाहरण देता हूं :

"हिन्दुओं में अगर बेरुखाई न होती,
तो भारत में आई तबाही न होती,
अगर प्यार दिल से अछूतों को करते,
तो यह कौम प्यारो ईसाई न होती ।"

एक माननीय सदस्य : यह आपकी बनाई हुई है ?

श्री प० ला० बारूपाल : मैं उद्धरण दे रहा हूं । मेरी बनाई हुई नहीं है । आखिर यह लोग क्यों ईसाई बनते हैं ?

"कटा करके चोटी न बनते विधर्मी,
अगर इन पे यों दबदबाई न होती,
अगर पाठ गीता का उनको पढ़ाते,
तो कुरां बाइबिल की पढ़ाई न होती ।
मन्दिरों में इन्हें गर रुकावट न होती,
तो मस्जिद में सुरती लगाई न होती,
अहिंसा धर्म का जो उपदेश देते,
यह गउओं की गर्दन कटाई न होती ।"

अगर हिन्दू समाज हमको अपनाता तो यह तबाही न होती । लेकिन हिन्दू समाज ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित वह नहीं करते । मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्यों करता है ? हिन्दू कोई कुछ तो करता नहीं है । एक मुहावरा है :

"पापी न कभी हरि भजे, पापी यश न लेय,
जैसे अटुया खेत में, खावें न खावन देय ।"

खुद तो आप लोग करते नहीं हैं, दूसरे कुछ करते हैं तो उनके लिए कहते हैं कि यह लालच देते हैं, यह देते हैं, वह देते हैं । जब आदमी भूखा होगा तो वह दिल से खाने की कोशिश करेगा ।

यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि योजना कमिशन में हरिजन होना चाहिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं एक बात पूछना चाहता हूं । क्या रामदासिये बाल्मीकियों को लड़कियां देते हैं ? क्या बाल्मीकी लोग ढेयों को देते हैं या आप दूसरों की ही बात करते हैं । जरा उत्तर दीजिये । यह सारे हिन्दुओं के अन्दर पड़ा हुआ है । जो हिन्दू है उसके अन्दर भरी है यह बीमारी ।

श्री प० ला० बारूपाल : यह बीमारी आप लोगों की पैदा की हुई है, यह ऊपर से आई हुई है । स्वामी जी, कम से कम आपको इसको समझना चाहिये । अगर स्वामी जी ने मुझे छेड़ा तो मैं व्यक्तिगत बात के ऊपर आ जाऊंगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि योजना कमिशन की बात तो दूर रही, मेरी मान्यता है कि हरिजनों की जो प्राब्लेम्स हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यहां हमारी मंत्रिणी जी बैठी हुई हैं वे भी एक दुखी हरिजन हैं । लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, विकास का डिपार्टमेंट है, वित्त का डिपार्टमेंट है अगर मिनिस्टरों को फुर्सत नहीं है हरिजनों की बात को समझने की तो कम से कम प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक अधिकारी यहां होना चाहिये । खाली होम डिपार्टमेंट क्या करेगा । हरिजनों की ऐसी समस्या है जिसका प्रत्येक विभाग से सम्बन्ध हैं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मंत्रिमंडल तक में तो मिनिस्टर नहीं है उनका ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं राजस्थान की बात कर रहा था। अभी मैंने अखबार की एक कटिंग पढ़ी कि हमारे उच्च न्यायालय में किसी ने अपील की थी । उस अपील के आधार पर जो रिजर्वेशन रहा करता था उसके लिये कह दिया गया कि कोई रिजर्वेशन पेन्डिंग नहीं रहेगा। एक साल के लिये रहेगा दूसरे साल में खत्म कर दिया जायेगा । करने के लिये कहते हैं कि सूटेबिल आदमी हरिजनों में नहीं मिलता है, लेकिन यह गलत बात है और नामुमकिन बात है । बल्कि यह ईमानदारी की बात नहीं है । जो आदमी

[श्री प० ला० बारूपाल]

नियुक्ति करता है वह ईमानदारी से नहीं करता है, ऐसे उदाहरण भी हैं । लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता । इस संसद में इतने आदमी हैं, दूसरे लोग हैं । मेरी एक आदमी से व्यक्तिगत बात हुई तो उसने कहा कि जो आदमी मेरे पास भेजते हो तो कम से कम ऐसा करो कि कोई दूसरी जाति के लोगों को भेजो, क्या इन चूड़ी चमारों को भर कर क्या करोगे । यह हालत है दफ्तरों की ।

17 hrs.

दूसरे इस सदन में यह भ्रांति पैदा कर दी गयी है कि सरकारी सहायता से कुछ खास वर्ग फायदा उठाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन सी जातियां हैं जो इस प्रकार फायदा उठा रही हैं ? आप देख लीजिये कि इस मुल्क में बहुसंख्यक कौन हैं । जो कुछ सरकार से मिलता है वह जनसंख्या के आधार पर मिलता है । उस जाति ने कुर्बानी भी ज्यादा की है ।

Mr. Deputy-Speaker: Shall we sit till he finishes his speech?

Shri Vishram Prasad: He may continue tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: It is raining outside. We can sit for five or ten minutes more.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): No.

Mr. Deputy-Speaker: I think, let him finish his speech. He can take his ten minutes and finish his speech.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): It is raining outside. Let him finish his speech.

श्री प० ला० बारूपाल : मैं कहना चाहता हूं कि जो हरिजन स्कूलों में पढ़ते हैं अगर वे पानी पी लेते हैं तो उनको दंड दिया जाता है । इसके मैं तीन उदाहरण दे सकता हूं । दो तीन हरिजन मास्टरों ने मुझसे शिकायत की कि जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं उनका हेड मास्टर ब्राह्मण है और उसने हम पर हमला कराया और हमको नौकरी से निकलवाना चाहता है । ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं ।

राजस्थान में हम श्रमसेवी संस्था के लोग जो काम करते हैं उसके लिए हमको सात सात महीने तक एड नहीं मिलती । इस तरह यह काम कैसे होगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी बात का जवाब आना चाहिए । जब तक ये बाल्मीकी के लड़के को अपनी लड़की नहीं देंगे तब तक यह नीचे ऊपर की बात नहीं टूट सकती । जब आप अपनी तरफ से नहीं तोड़ते तो कुछ गिने चुने लोग इसको नहीं तोड़ सकेंगे । मुझे आप गलत न समझें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी समय मिलेगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं पहला व्यक्ति हूं अपनी जाति में जिसने जाति के बाहर अपनी लड़की का विवाह करना चाहा । मैंने आर्य समाज द्वारा शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने मुझे जनेऊ दिया, पढ़ाया लिखाया । मेरे एक लड़की हुई । तो जब वह विवाह योग्य हुई तो मैंने आर्य समाज में जाकर कहा कि मैं किसी आर्य समाजी के साथ इसका विवाह करना चाहता हूं । उस समय मुझसे कहा गया कि देख भाई इसके लिये कोई लड़का देखेंगे अनाथालय में जिसके मां बाप का पता नहीं । इस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने जनेऊ तोड़ कर फेंक दिया और चला आया . . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : अपनी लड़की माननीय सदस्य बाल्मीकी को देने को तैयार हैं या नहीं । मेरी बात का जवाब नहीं देते ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, ग्रार्डर, ग्रार्डर । इस तरह काम नहीं हो सकता । चाहें तो कल ग्रापको वक्त मिलेगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : स्वाम्मी जी की स्थिति तो यह है :

भरम्या मूंड़ मुड़ावे भरम्यां लेवे भेष,

खबर नहीं गत मुक्त की, भूठा करे ग्रलेस ।

खिड़की खड़का ना मिटा, घड़ का मिटा न देह,

फड़िका मिटा न मन का तब क्या फकीरी ले ।

Mr. Deputy Speaker: He should not make personal remarks.

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने कोई गलत बात कही है ? यह सदन में बोलने लायक बात नहीं है । क्या यह सज्जन सदन के लायक हैं । मैंने कोई व्यक्तिगत ग्राक्षेप नहीं किया है ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं यह साबित कर सकता हूं कि मैंने ग्रार्यसमाज में कहा कि मैं ग्रपनी लड़की ग्रार्य समाजी को देना चाहता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने इस बात का उत्तर मांगा है कि क्या ग्राप बाल्मीकी को लड़की देना चाहते हो ?

श्री प० ला० बारूपाल : जहां तक हरिजनों के उत्थान का सवाल है, मैं राजस्थान के बारे में कहता हूं कि वहां का हरिजन बहुत पिछड़ा हुग्रा है । उन लोगों के पास जो जमीन है उसकी बेदखलियां हो रही हैं ग्रौर बड़े बड़े जमींदार उनकी जमीनों को ले रहे हैं । मेरा मंत्राणी जी से निवेदन है कि वहां पर जो काम किया जाए वह ग्रच्छी तरह से किया जाए ।

ग्रब मैं विलेज इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हम लोग बुनाई का काम करते थे, खादी का काम करते थे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ग्राज वह काम भी हमारे हाथ से छिन गया है । खादी बोर्ड ने वह काम ग्रपने हाथ में ले लिया है । ग्रौर एक जाल सा बिछा दिया है । ग्रगर इनके प्रयत्न से ५० करघों की जगह सौ करघे हो जाते तो हम समझते कि इन्होंने हमारे काम की उन्नति की । लेकिन हुग्रा यह है कि हमारे यहां पचास से तीस करघे ही रह गये । वहां भाई भतीजावाद चल रहा है ग्रौर काम को इस तरह बांटा है कि हमको काम मिलता ही नहीं । बहुत झगड़ा करने के बाद उन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिये हैं ग्रौर कुछ काम देते हैं लेकिन हमको काम बहुत कम मिल पाता है । इसका कारण यह है कि खादी बोर्ड की एक एजेंसी बीच में ग्रा गयी है । उसको ख़त्म किया जाए । मेरा निवेदन है कि इन खादी की संस्थाग्रों को जो सरकार की तरफ से लोन मिलता है न मिलना चाहिए क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार है, लाखों रुपये का गबन होता है । यह रोज मर्रा की बात है । इस तरफ ध्यान दिया जाए ।

स्वामी जी की बात के कारण कुछ विषयान्तर हो गया । इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे । ग्रौर दूसरे भी बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं समाप्त करता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

17.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, September 4, 1963/Bhadra 13, 1885 (Saka).

DAILY DIGEST

[*Tuesday, September* 3, 1963/*Bhadra* 12, 1885 (*Saka*)]

		COLUMNS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		3993—4031
S.Q. No.	*Subject*	
446	Import of rice from Madagascar	3993—95
447	India Star Lines	3995—98
448	Panchayat Finance Corporation	3998—4002
449	Sugar export to U.S.A.	4002—10
450	Agriculture production	4010—16
451	Brahmaputra Basin food output	4016—20
452	Calcutta port charges	4020—22
453	Lighthouses on Orissa coast	4022—23
454	External aid for Co-operatives	4023—26
455	Promotion of tourism	4026—29
S. N. Q. No.		
2	Prosion near Mansi Junction	4029—31
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		4031—4121
S.Q. No.		
456	Exploratory Tubewell Organisation	4031
457	Development of cooperatives	4031–32
458	Mysterious object in sky	4032–33
459	Agricultural development in Andamans	4033–34
460	Sugar mills	4034–35
461	Co-operative sugar mulls in U.P.	4035
462	Seed Corporation	4035–36
463	Warehouses at Sikar, Rajasthan	4036–37
464	Telex service	4037
465	Steel for ship repairing	4037–38
466	Production of wool	4038
467	Micro-wave Tele-communication System	4038–39
468	Fire in Czech Airliner	4039
469	Cotton	4039—41
470	Railway Electrification Scheme	4041
471	Japanese Demonstration farms	4041–42

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

S.Q. No.	*Subject*	COLUMNS
472	Nationalisation of passenger transport service	4042—44
473	Road Board	4044
474	Timber shortage	4044–45
475	Mangalore Port	4045—47
U.S.Q. No.		
1310	Non-payment of wages in Bikaner division	4047
1311	New P. & T. offices	4048
1312	Development of forests in Orissa	4048
1313	Railway accidents	4047—50
1314	Vacancies in South-Eastern Railway	4050
1315	Employees under Orissa P. & T. circle	4049–51
1316	Employees under Cuttack Postal Division	4051
1317	Trivandrum Airport	4051–52
[illegible]	Over bridge at Rayagada	4052
1319	Research Schemes in Orissa	4052–53
1320	Postmen in Orissa	4053
1321	S.E. Railway Employees	4053–54
1322	Corruption cases in Northern Railway	4054
1323	Corruption cases in S.E. Railway	4054–55
1324	Bio Gas Plant	4055
1325	Theft cases in S.E. Railway	4055–56
1326	Co-operative Movement in U.P.	4056
1327	Grant to U.P. for horticulture	4056–57
1328	Railway parcels	4057
1329	Assistance to Madras fishermen	4057–58
133	Passenger sheds on stations of Southern Railway	4058
1331	Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	4058–59
1332	Rajamatam Road Halt Station	4059
133	Telephone connections in Tal	4060
1334	Telephone Exchange, Nagda	4060–61

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

U.S.Q. No.	*Subject*	COLUMNS
1335	Telephone connection in Khacheaud . .	4061
1336	Buffer stock of foodgrains	4062
1337	Calcutta's Suburban Service . . .	4061–63
1338	Food Zone . .	6063
1339	Merchant Navy Academy	4063–64
1340	Trainer aircraft . .	4064
1341	Dairy farms . . .	4065
1342	Culturable Waste land .	4065–66
1343	Cochin Port Medical Hospital . . .	4096–67
1344	Target of plantations .	4067–68
1345	Kitchen gardens . .	4068–69
1346	Village Road Development	4069
1347	Late running of trains .	4069–70
1348	'Kartik' Glider . .	4070–71
1349	Railway accidents . .	4071
1350	Strike by Marmagoa Dockets	4071–73
1351	Balharshah-Vijayawada Track . .	4073
1352	Bridge over Godavari .	4074
1353	Bridge across River Krishna	4074–75
1354	Bridge on Mahanada river . . .	4075
1355	Fire in the Railway Bhawan . . .	4075–76
1356	Complaints against employees of Panchayat Samitis	4076–77
1357	Adalati Panchayats	4077
1358	Bridge at Bengalipura Railway Crossing of Banda	4077–78
1359	New bridge in New Delhi	4078–79
1360	Quality control	4079
1361	Shortage of sugarcane	4079–80
1362	Bridge over Ken River	4080–81
1363	Whole sale stores	4081
1363	Cooperatives	4082
1365	Agricultural Research	4082–83
1366	Railway bridge at Madhopur	4083
1367	Building for Deoria Post Office . . .	4084
1368	Payment of rent by P.&T. officials . . .	4084–85
1369	Mail for Kang and Mandi districts . . .	4085

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

U.S.Q. No.		COLUMNS
1370	Annual Conference of Primary Land Mortage Banks	4085–86
1371	Diesel and Electric Locomotives . . .	4086
1372	Dakotas of I.A.S. . .	4086
1373	Tourism in Kerala State	4086–87
1374	Collision of Cochin Express with a car . .	4087
1375	New shipping company to import crude oil .	4087–88
1376	Sugarcane disease . .	4088
1377	Sheep in Rajasthan .	4089
1378	Dry fruits . . .	4090–91
1379	Tube wells in Andhra .	4091–92
1380	P.M.G.'s Office, Nagpur	4092
1381	Cultivation of lemon grass	4092–93
1382	Post Offices in rental buildings . . .	4093
1383	Control rates of sugar .	4093–9
1384	Irrigated land . .	4094–96
1385	Loss of forests . .	4096
1386	Sale of judicial stamps .	4097
1387	West Coast Road . .	4027–98
1388	Panchayati Raj Institutions	4098
1389	Realignment of Narrow Gauge Kangra valley .	4098–99
1390	Collapse of bridge on Bhagwathi . .	4099–4100
1391	Gajraula-Najibabad line .	4100
1392	Palam Airport . .	4100–01
1393	Shark-liver oil .	4101–02
1394	Derailment of trains on N.F. line . . .	4102
1395	Meteorological Research Aircraft of U.S.A. .	4102–03
1396	Motor Railway Coaches	4103
1397	Storage capacity . .	4104
1398	Agricultural University in Mysore . .	4104–05
1399	Defence Labour Banks .	4105–06
1400	Delhi-Ahemdabad xpress	4106
1401	Railway siding . .	4106–07
1402	Collection of land revenue	4107
1403	Import of rice from U.S.A. . . .	4107–08
1404	Electric Locomotives .	4108

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

U.S.Q. No.	*Subject*	COLUMNS
1405	Level crossings in West Bengal . . .	4108–09
1406	Food production in Tripura . . .	4109–10
1407	Melattur-Ferok Railway line	4109
1408	Railway line from Seswa to Bhainsa Lotan .	4109–10
1409	Afforestation .	4111–13
1410	Translation of forms	4113
1411	Telephone xchange, Dhalkola . . .	4113–14
1412	Delhi Milk Supply Scheme . . .	4114
1413	New Service Stamp Bridges . . .	4114–15
1414	Bridges on Silcher-Shillong road . . .	4115–16
1415	'Jawar' price .	4116–17
1416	Production of sugar .	4117–18
1417	Signals and Telecommunications Workshop at Podanur . . .	4118
1418	Railway Schools at Olavakkot . .	4118–19
1419	Fertilizers for Mysore	4119–20
1420	Poona Bangalore xpress derailment . .	4120
1421	Khalasis Working on S. Railway . . .	4121

COLUMNS

OBITUARY REFERENCE 4121

The Speaker made a reference to the passing away of Shri Guruswami who was a member of the Central Legistive Assembly.

PAPER LAID ON THE TABLE 4122

(*i*) A copy of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, published in Notification No. G.S.R. 1187, dated the 13th July, 1963, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958,

(*ii*) A copy of "Financial Committees, 1962-63 .. (A Review)".

MOTION RE: REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 4122–4270

Discussion on the motion re : Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, moved on 2-9-63, continued. The discussion was not concluded.

AGENDA FOR WEDNESDAY SEPTEMBER 4, 1963/BHADRA 13, 1885 (SAKA)

Further discussion on the motion re : Reports of Commissioner for scheduled Castes and Scheduled Tribes.

GMGIPND—LS II—1159 [a] LSD—11-9-63—880